राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 53 वां दिवस संख्या 28

शनिवार,

दिनांक 23 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गोविन्द सिंह !

जिला अजमेर में रि-सैटलमेंट

678. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जिला अजमेर हेतु सन् 1970 में लैण्ड रिकार्ड (पार्शियल करेक्शन) आपरेशन के आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो क्या कार्य पूरा हो चुका है ?

(2) क्या भूतपूर्व सरकार ने अजमेर जिले में नया सैटलमेंट कराने का निर्णय लिया था ? उपरोक्त कार्य की क्रियान्विति में कितना व्यय हो चुका है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-7-70 द्वारा जिला अजमेर में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत भू-संशोधन कार्य प्रारम्भ करने की अधिसूचना जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में जुलाई, 70 से मार्च 78 तक कार्य किया गया, परन्तु इस अवधि में किये गये कार्य अपूर्ण रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को मान्यता नहीं दी गई।

(2) जी हां, भूतपूर्व सरकार द्वारा अजमेर जिले में भू-प्रबन्ध कार्य पुनः नये सिरे से भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से शुरू कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा यह कार्य अति शीघ्र आरम्भ करवाने की व्यवस्था कर दी गई है। यह कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। इसलिए धनराशि व्यय होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब यह पहले कार्य शुरू किया गया था, 7 साल तक लाखों रुपये खर्च किये गये और जब यह फाईनल स्टेज पर था तो इसे बन्द कर नया कार्य शुरू करने की क्या जरूरत थी ? जब कि पहले किया हुआ था उसमें क्या दिक्कत थी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : निश्चित तौर पर यह कार्य आरम्भ किया गया, जिलाधीश

(श्री रामपाल उपाध्याय)

के स्तर पर। सैटलमेंट विभाग के द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। इसके बारे में सचाई तो यह है कि अजमेर जिले की भू-व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए गहराई में आना पड़ेगा। वहां पर खालसा ग्रामों का भू-प्रबन्ध 41-42 में किया गया था और इस्तमरारदारी गांवों का भू-प्रबन्ध 51-52 में किया गया। उसके बाद जागीरों को पुनर्ग्रहण की व्यवस्था की गई। इसलिए यह जितनी भी व्यवस्था है चाहे वह इस्तमरारदारी की है चाहे जागीरदारी की ऐसी कोई व्यवस्था है तो इस सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूप से बन्दोबस्त कराने की आवश्यकता है। कई प्रकार के भुगतान हैं, उनमें कोई भुगतान नहीं हुआ है। जितनी कमी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए भूतपूर्व सरकार ने 1970 में तत्कालीन जिलाधीश ने यह कार्य अपने ऊपर लिया था। उसके बाद में आने वाले जिलाधीशों ने तकनीकी नेचर का कार्य होने के कारण से भू-प्रबन्ध द्वारा कराये जाने का सुझाव दिया। इसके बाद 3-4-78 को विधान सभा में भी व्यवस्था के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया और तत्कालीन राजस्व मंत्री ने 16-4-78 को अजमेर में राजस्व मण्डल के भवन में बैठक की। उस बैठक में माननीय सदस्य परसराम मदेरणा, अध्यक्ष राजस्व मण्डल मेजर फतह सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र भटनागर श्री भंवर लाल ऐरन, श्री आनन्द मोहनलाल, सदस्य, राजस्व मण्डल ने भाग लिया। इन सबने मिल कर वहां पर ज्ञापन प्राप्त किया। उस ज्ञापन पर तत्कालीन मंत्रिमण्डल ने विचार किया और विचार करने के बाद तय किया कि यह सारा कार्य भू-प्रबन्ध के द्वारा कराया जाये, नहीं तो काम रह जायेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : Is it a reply or a speech ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं....

श्री अध्यक्ष : मामला जटिल है इसलिए विस्तार से उत्तर आ रहा है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरा यह निवेदन संक्षेप में है। इसके लिए सरकार ने तय कर दिया है, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट ..

श्री सी० एल० कंवरिया (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1970 से लेकर जो सेटिलमेंट का कार्य हुआ, उसमें लाखों रुपये खर्च हुए....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया। उसके पहले का रिकार्ड नहीं रखा गया है।

श्री सी. एल. कंवरिया : सैटलमेन्ट करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष: उसकी विस्तृत जानकारी दे दी मंत्री जी ने।

श्री गोविन्दसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 77 तक जो रिकार्ड हो चुका है या जो नया सैटलमेंट है, वह लाखों रुपये खर्च करके तैयार किया गया। जो पहले हुआ था उसमें सात साल लगे। अब उससे ज्यादा 14 साल

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

और लगेंगे। इस कारण जो वहां के किसान हैं उनको जो लोन मिलता था वह नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि वहां जितना हो चुका है कम से कम उसको तो पूरा करें। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो नया सैटलमेंट करा रहे हैं इसमें जो सैटलमेंट अफसर हैं जो उस तहसील के लिए हैं, क्या उनका हैड क्वार्टर जयपुर में होगा? ब्यावर में जो होगा उसके लिए भीलवाड़ा में बनेगा। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या उनके हैड क्वार्टर अजमेर और ब्यावर में किये जायेंगे?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो भू-प्रबन्ध के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है, उससे राज्य सरकार सहमत है। अनेक प्रकार की वहां पर किसानों को परेशानियां होना स्वाभाविक है। यह भी सही बात है जैसा कि माननीय सदस्य ने खर्चे के लिए पूछा, 17,10,708/– रुपये जुलाई, 70 से मार्च, 78 तक खर्च हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तक जो किया है, उसका अलग उत्तर है, यह कहा गया है, परन्तु इस वक्त राज्य सरकार द्वारा कार्य को मान्यता नहीं दी गई है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा था, जैसे माननीय सदस्य महानुभाव ने चिन्ता व्यक्त की है कि सैटलमेंट अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तहसीलों में किया गया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सुव्यवस्थित रूप से सैटलमेंट कार्य को सम्पादित करने के लिए अजमेर में एक अधिकारी की और व्यवस्था कराई जाएगी। उसके द्वारा युद्ध स्तर पर इस कार्य को पूरा कराकर किसानों की रोज उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : सेटिलमेंट अधिकारी कई जगह हैं। जो सवाई चक की जमीन है....

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार उनको अपील करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष: कहां के बारे में सवाल पूछ रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे राजस्थान में सैटलमेंट में गड़बड़ हुई है।

श्री अध्यक्ष: अजमेर जिले में 1978 में जो सैटलमेंट हुआ उस बारे में यह सवाल है।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

सुजानगढ़ नगर की जल विकास योजना

679. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) सुजानगढ़ नगर की जल विकास योजना सर्व प्रथम कब तैयार की गई थी तथा योजना कितनी राशि की थी?

(2) क्या इस योजना का कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ है और कब पूर्ण हुई है?

(3) क्या इस योजना का निर्माण कार्य घटिया सामान उपयोग में लेने व टेंडर की शर्तों के अनुसार नहीं होने के कारण इस

(श्री भंवर लाल) :

वर्षा काल में टूट गयी है और टूटे हुए नाले जनजीवन व पशुओं के जीवन के लिए घातक हो गए हैं ? यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) नगर की जल निकास योजना वर्ष 1976 में तैयार की गई थी। इस वर्ष के अनुमानों के अनुसार योजना की अनुमानित लागत 17.41 लाख रुपये की है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1978 में योजना के प्रथम चरण, जिसकी अनुमानित लागत 8 लाख रुपये थी, स्वीकृत की गई। मार्च, 1980 तक योजना पर 9.97 लाख रुपये का व्यय हुआ है तथा कार्य अभी प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण जल निस्सारण व्यवस्था करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। कार्य अब शीघ्र पूरा करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री भंवरलाल : मैं पूछना चाहता हूं कि जो जल निकास योजना 1976 में स्वीकृत हो चुकी थी वह चार वर्ष में क्यों पूरी नहीं हुई ? दूसरे जब 1976 में इस योजना के लिए 17.41 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे तो क्या यह राशि अब कम नहीं है ? तीसरे, क्या सरकार सीमेंट और लोहा इस ड्रेनेज योजना को पूरा करने के लिए देने की कृपा करेगी ? चौथे, क्या ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत बनी हुई सड़कें, जो कि वर्षा ऋतु में बनाई गई थी, की दुबारा जांच कराकर नए सिरे से ड्रेनेज योजना की पूरे तरीके से जांच करायेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सचाई है यह योजना 17.41 लाख की अनुमानित रूप से प्रस्तुत की गई लेकिन भारत सरकार ने और उसके टेक्निकल विभागों ने इसमें जो 7 आइटम्स हैं, उनमें से केवल मात्र तीन आइटम्स ही मंजूर किए। 6.97 लाख रुपये का व्यय हो चुका है मार्च 1980 तक, तथा कार्य अभी प्रगति पर है। इसका मतलब यह नहीं कि 17.41 लाख रुपया स्वीकृत हो ही गए। प्रस्तावित योजना है, फिर भी इस काम के महत्व को देखते हुए सरकार गंभीरता से प्रयत्न कर रही है कि इस योजना को कम से कम समय में पूरा कराया जाना चाहिए। वास्तव में यह ऐसी योजना है कि यदि इसको क्रियान्वित नहीं किया जाता तो जो गांव का स्तर नीचे है या आस पास की हरिजन बस्तियां हैं, वहां पर पानी भरा रहता है, वहां परमानेन्ट रूप से दो पम्प इन्सटाल करने की चेष्टा की जा रही है। जहां तक आपके दूसरे प्रश्नों का सवाल है, मेरा अनुरोध है कि हम इसको तेजी से करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील हैं।

श्री भंवरलाल ; यह बड़ा ही अहम सवाल है। सुजानगढ़ के लिए तालाब और जल निकास योजना 4 साल पहले बनवा रखी थी वह अभी तक यह पूरी नहीं हुई। इस समय मामूली वर्षा से ही सुजानगढ़ का पूरा मार्केट पानी से भर गया था। ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत सड़क थी, वह भी ऐसी बनाई गई है कि अचानक बरसात होती है

(श्री भंवरलाल)

तो बरसात आते ही पानी भर जाता है। इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? इसके बाद

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री भंवरलाल : 8 लाख रुपये की ड्रेनेज योजना जो स्वीकृत की गई है उसमें से 6½ लाख रुपये लगाए हैं। इसके अलावा जल्दी से जल्दी उस अधूरे पड़े कार्य को सरकार पूरा करने के लिए कब तक विचार रखती है?

श्री रामपाल उपाध्याय : महानुभाव की इस बात से मैं सहमत हूं कि भौगोलिक स्थिति इस गांव की ऐसी है कि वहां पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है इसलिए 17.41 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है। जहां तक सड़क वगैरह की बात आपने कही है उसके लिए मेरा निवेदन है, यह सही है कि वहां के ठेकेदार ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी की है। उसके लिए उनके 6 हजार रुपये रोक लिए गए हैं और उनको आगाह किया गया है कि तत्काल सड़क को ठीक करायें। जहां तक इस योजना के सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वयन का प्रश्न है, इस बारे में मेरा अनुरोध है कि इसको वहां प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। धन की उपलब्धि भी आवश्यक है।

श्री भंवरलाल : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो तालाब अधूरे रह गए वे अभी भी अधूरे हैं और एक हजार घर ऐसे हैं जहां 6 महीने का समय बीत जाने के बाद भी उनके आगे नाले खुले पड़े हैं जिससे बच्चों को इधर उधर आने-जाने में बड़ी असुविधा होती है। उसके लिए क्या सरकार सीमेंट की जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराएगी?

श्री रामपाल उपाध्याय : यह सही है कि सीमेंट के अभाव में कार्य अधूरा है। सरकार गम्भीरता से प्रयत्न करेगी कि अधिकाधिक सीमेंट देकर समस्या को जल्दी निपटाए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी!

पंचायत समिति धोरीमन्ना व चौहटन के अपूर्ण कुएं

680. श्री हेमाराम चौधरी (गुडा-मालानी) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धोरीमन्ना व चौहटन पंचायत समिति में काम के बदले अनाज योजना के तहत स्वीकृत करीब 350 कुए सीमेंट की आपूर्ति के अभाव में अपूर्ण पड़े हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि अपूर्ण कुओं के लिए यदि अविलम्ब सीमेंट की व्यवस्था नहीं की गई, तो बरसात में नष्ट हो जायेंगे? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है, और कब तक सीमेंट उपलब्ध करा दिया जायेगा?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हनुमान-प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी नहीं, धोरीमन्ना के 185 कुओं में से 35 एवं चौहटन के 181 कुओं में से 35 कुएं ही अपूर्ण हैं।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

(2) तृतीय त्रैमास में सीमेंट का आवण्टन कर दिया गया है। कृषकों से सीमेंट की मांग प्राप्त होते ही उन्हें उपलब्धि के आधार पर सीमेंट उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय कुएं जब से खोदने शुरू किए तब से सीमेंट बराबर मांगा जा रहा है। सीमेंट न मिलने के कारण कई कुएं अधूरे पड़े हैं। अब कह रहे हैं कि कृषकों से सीमेंट की मांग प्राप्त होते ही उन्हें दे दिया जाएगा। इसका मतलब सीमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं, यह बात कैसे मान ली ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 7-8-80 को सीमेंट कोटा में अलाट हुआ है, धोरीमन्ना को 84 और चौहटन को 112 मैट्रिक टन, उसके बाद क्या प्रगति हुई, मालूम नहीं। निर्देश दिए हैं कि जो अधूरे कुएं पड़े हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट दिया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी : धोरीमन्ना व चौहटन पंचायत समितियों को विशेष कोटा कुओं के निर्माण के लिए नहीं दिया गया है, यह जनरल कोटा है। केवल इन कुओं के लिए सीमेंट दिया गया तो बाकी एक भी आदमी को सीमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए अलग सीमेंट दें तभी कुए पूरे होंगे, साधारण कोटा से नहीं होंगे। केवल धोरीमन्ना व चौहटन में कुओं का निर्माण चल रहा है, बाकी पंचायत समितियों में इतने कुओं का निर्माण नहीं हुआ। अधिक काम है, अधिक दें स्पेशल कोटा दें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : वितरण प्रणाली के अनुसार सारे राजस्थान में सीमेंट दिया जाता है। एक पंचायत समिति के साथ विशेष रियायत नहीं की जा सकती।

प्रश्न संख्या 681

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा लाल आर्य (अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

विद्युत् मण्डल द्वारा प्रेसट्रेस कान्क्रीट पोल्स की खरीद

682. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रेसट्रेस कान्क्रीट पोल्स के 1.5 करोड़ रुपयों के सप्लाई ऑर्डर राजस्थान के बाहर की फैक्ट्रीज को दिये गये हैं जब कि राजस्थान में इस प्रकार के कारखाने मौजूद हैं जो उनसे 10 प्रतिशत कम दर पर पोल्स देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : जी नहीं, राजस्थान की कोई भी पोल फैक्ट्री राजस्थान के बाहर की पोल फैक्ट्री द्वारा स्वीकृत दरों से 10 प्रतिशत कम दर के हिसाब से पोल देने को तैयार नहीं थी। टेन्डर नोटिस नं. 1040 और 1041 के अन्तर्गत मण्डल ने एक ही दर पर राजस्थान की फर्मों व राजस्थान के बाहर की फर्मों को पी. सी. सी. पोल्स के आर्डर दिये हैं। राजस्थान की फर्मों को कुल ऑर्डर 7.68 करोड़ रुपये के दिये गये जब कि राजस्थान के बाहर की फर्मों को 2.90 करोड़ रुपये के दिये गये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश है कि यदि 15 प्रतिशत तक राजस्थान की फैक्ट्री बाहर की फैक्ट्री कम पर देती है तो राजस्थान का ही माल लिया जायगा।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : 10 पर्सेन्ट का प्रावधान था लेकिन ऐसा कोई टेन्डर नहीं आया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। आपको अधिकृत रूप से इस बात की जानकारी देता हूं कि मेरे पास नोटिफिकेशन की कापी है कि राजस्थान के कारखानों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की रेट यदि 15 प्रतिशत भी ज्यादा है तो भी राजस्थान के लोगों को रोजगार देने के लिए राजस्थान के लोगों को ही उसका ऑर्डर दिया जायेगा। यह मैं अधिकृत रूप से आपसे निवेदन कर रहा हूं।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : एक बार में एक ही प्रश्न।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि 10 पर्सेन्ट और ज्यादा रेट आती है तो उसमें कुछ सब्सिडी देकर फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता लेकिन ऐसा कोई टेन्डर नहीं आया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने सुन लिया इसलिये आप संतुष्ट हो जाओ।

कुछ माननीय सदस्य : हम सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इस पूरक प्रश्न का दुबारा उत्तर दे दीजिए। थोड़ा जोर से बोलने की कृपा करें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं उत्तर दे चुका हूं 10 पर्सेन्ट राजस्थान की फर्म की रेट ज्यादा है बाहर की फर्म से तो उसको देने के लिए कन्सीडर किया जाता है लेकिन जो इस बार टेन्डर काल किये गये उसमें ऐसे संकेत नहीं मिले कि उन्होंने टेन्डर ज्यादा का दिया है बल्कि यह था कि जितने भी टेन्डर्स दिये आम तौर से सब ने मिल कर एक ही रेट बना कर दिये थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पहले तो मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि 10 प्रतिशत नहीं है यह 15 प्रतिशत है। दूसरी बात जो ऑर्डर्स दिये गये हैं, मन्त्री महोदय ने बताया कि 2 करोड़ 90 लाख के दिये गये हैं, जब कि 3 करोड़ 3 लाख 25 हजार के आर्डर दिये गये थे। जयपुर के बाहर की, दिल्ली की, गाजियाबाद की फर्मों को इस तरह से 8 फर्मों को वह आर्डर्स दिये गए। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो नेगोसियेशन हुआ उन नेगोसियेशन में जो राजस्थान में पोल फैक्ट्रीज है जो कि जनता पार्टी के

8

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

राज्य में लोगों को कह कह कर लगवाई गई थीं और पहले की भी पोल फैक्ट्रीज हैं वह देने के लिए तैयार थी उनके पोलों को नहीं लिया गया और बाहर की इन फैक्ट्रीज से लिये गये–

1. Jai Hind Investment & Industries Ltd., New Delhi.
2. Adarsh Cement Works Gaziabad.
3. BNBS Cement & Products (P.) Ltd., Faridabad (Haryana).
4. Hindustan Prefale Ltd., New Delhi.
5. Hindusthan Prestress Concrete Structures (P.) Ltd., New Delhi
6. Uma Prestress Industries, Delhi.
7. Gulmohar Industries Corpn., New Delhi.
8. Rajendra Prestress Concrete Industries, New Delhi.

इनको 1½ लाख पोल के आर्डर्स दिये गये इससे न राजस्थान को सेल्स टैक्स मिला, न इन्कम टैक्स मिला और न राजस्थान को एक्साइज मिली। उसमें इतना बड़ा घोटाला नवम्बर, 1979 में हुआ तो मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर की फैक्ट्रीज को आर्डर दिये जाने के क्या कारण थे जब कि नेगोसियेशन से यहां की फैक्ट्रीज वाले उनसे दस प्रतिशत कम रेट पर सारे माल की सप्लाई करने को तैयार थे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी . एक तो, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि 3 करोड़ और कुछ ज्यादा के आर्डर बाहर वालों को दिये। मैं बता चुका हूं कि 2.90 करोड़ के दिये गये हैं जैसे कि आंकड़े मेरे पास हैं। इसके अलावा शायद इनका यह ख्याल है कि राजस्थान की पार्टी ने वही रेट दी थी लेकिन उनको आर्डर नहीं दिया। तो आप चाहें तो बता सकता हूं कि तीन फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी रेट कम थी। वह हैं लक्ष्मी पोल इन्डस्ट्रीज अलवर, हिन्दुस्तान सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज, जयपुर। और न्यू एसोसियेटेड इनवेस्टमेंट कं जयपुर इन तीन फैक्ट्रीज की रेट जरूर कम थी लेकिन इनकी फैक्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और न आज तक हैं। इसलिए इनको नहीं दिया गया। जो दूसरों को कन्सीडर किया गया तो उनकी क्षमता के अनुसार कन्सीडर किया गया कि किस व्यक्ति की क्या केपेसिटी है, वह मेनुफेक्चर करके सप्लाई कर सकेगा या नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि राजस्थान वालों को छोड़ा गया है और बाहर वालों को लिया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, आप फैक्ट्री की बात कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी मनी डिपाजिट कराया होगा। जैन इन्वेस्टमेंट कम्पनी को 90 लाख का आर्डर दिया गया। वह डिफाल्टर हैं। उसने माल सप्लाई नहीं किया और किया है तो बड़ा डिफेक्टिव किया है। वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिफाल्टर है। माननीय

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 3 करोड़ के पोल सप्लाई के अन्दर दस-दस रुपया पोल का तय करके बाहर की फैक्ट्री को आर्डर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से इस बात की जांच करने के लिए मांग करता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान की फैक्ट्रीज बन्द पड़ी रहें, उनको सीमेन्ट नहीं, मिले उनको काम नहीं और बाहर की दिल्ली और गाजियाबाद की फैक्ट्रीज को राजनैतिक दबाव के कारण से आर्डर दिया और दस रुपया प्रति पोल लेकर घपला किया गया। मैं मंत्री महोदय से इसकी जांच की मांग करता हूं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस अनुरोध पर कि इसमें घोटाला ज्यादा हुआ है तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 10 परसेंट मार्जिन देने का प्रावधान है। जो टैन्डर्स आये थे मैं सरकार से जानकारी करना चाहता हूं कि 10 परसेन्ट का प्रावधान है इसके समान रेट्स आयी थी तो समान रेटस होने के बावजूद भी राजस्थान की फैक्ट्रीज को क्यों नहीं आर्डर दिया गया और बाहर की फैक्ट्रीज को क्यों दिया गया?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आने दीजिए।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : जिस फर्म की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है वह सदन के लिए चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला के पास काफी जानकारी है और मंत्री महोदय ने इसकी जांच कराने का आदेश भी दिया है तो उचित यह होगा कि जांच की जाये उस समय श्री गोटेवाला को भी कान्फिडेन्स में लिया जाये, क्योंकि पर पोल दस रुपये देने की सूचना उनके पास है तो लिखित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी वह रखते हैं। माननीय सदस्य स्पेसिफिक उदाहरण देते हैं तो इन्क्वायरी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि शिकायतकर्त्ता माननीय सदस्य को उस इन्क्वायरी से एसोसियेट नहीं किया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): आप तो इतना सा कह दें कि एसोसियेट किया जायेगा। इसमें आपत्ति क्या है?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री सम्पतराम : स्पेसिफिक पूछा है। फैक्ट्स सदन में आने के बाद भी क्या राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जो माननीय सदस्य जानकारी काफी रखते हैं उनको मेन्डेटरी तरीके से इन्क्वायरी में शामिल किया जाये?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैंने आपसे निवेदन किया ना कि आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, सभी ने रेट तय करके टेन्डर भरे थे। अब अगर बाहर का 100 रुपये का देता है और यहां का 110 रुपये की रेट देता है तो यहां वाले को प्रिफरेन्स दिया जाता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 10 परसेन्ट तक नहीं 15 परसेन्ट तक छूट है। इसमें सभी ने बैठ कर नेगोशियेशन किया है और बाद में टेन्डर दिया है। अब, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब 80 फैक्ट्रीज हैं जो सीमेन्ट के पोल बना रही है और बिजली बोर्ड ही एक मात्र ऐसी एजेन्सी है जो इनको खरीदती है। अगर वही इनका माल नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की फर्मों ने बाहर की फर्मों से 10 प्रतिशत अधिक रेट पर टेन्डर दिया तो क्योंकि दस परसेन्ट की छूट तो है ही वह अपने आप बाहर की फैक्ट्रीज के बराबर हो गयी तो फिर राजस्थान की फैक्ट्रीज को आर्डर क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है राजस्थान में आजकल सीमेन्ट का ज्यादा ब्लेक हो रहा है, उसमें ज्यादा फायदा होता है इसलिये वह टेन्डर नहीं देकर इसका ब्लेक ही कर रहे हैं? यह बतावें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जांच की जायेगी तो सारे मुद्दे सामने आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न! श्री शिवसिंह, श्री बनवारीलाल!

राजकीय संस्कृत स्कूल सरमथुरा में उपाध्याय कक्षा आरम्भ करना

683. श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी) श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किस किस स्थान पर राजकीय संस्कृत संस्था में उपाध्याय कक्षा के अध्ययन की स्वीकृति प्राप्त है?

(2) किस किस शिक्षण संस्थान में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जहां पर 5-7 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वहां भी उपाध्याय की कक्षायें चल रही हैं एवं राजकीय संस्कृत स्कूल, सरमथुरा जहां करीब 500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वहां काफी समय से मांग के उपरान्त भी उपाध्याय की कक्षायें चालू करने की स्वीकृति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार वहां निकट भविष्य में उपाध्याय कक्षायें चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों?

शिक्षा मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर):

(1) जिन राजकीय संस्थाओं में उपाध्याय पाठ्यक्रम पढ़ाने की स्वीकृति है उसकी सूची संलग्न है।

(2) बिन्दु एक की सूची में छात्र संख्या का उल्लेख कर दिया गया है।

(3) जी हां। संस्कृत स्कूल सरमथुरा में कक्षा 1 से 10 तक केवल 370 विद्यार्थी

(हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

पढ़ रहे हैं। वर्ष 80-81 में किसी राजकीय संस्था को उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[सूची के लिये कृपया परिशिष्ट I देखें]

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में उपाध्याय कक्षायें चालू करने का क्या क्राइटेरिया है ? दूसरा, जहां पर 77 विद्यार्थी हैं वहां पर तो आपने कक्षायें चालू करदी हैं और सरमथुरा में जहां 370 विद्यार्थी हैं वहां पर आपने उपाध्याय की कक्षायें चालू नहीं की हैं, इसका क्या कारण है? क्या राज्य सरकार वहां पर विचार उपाध्याय की कक्षायें चालू करने का रखती है। रखती है, तो कब तक? और नहीं रखती तो क्यों ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह सही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 77 विद्यार्थियों पर उपाध्याय कक्षायें खोली गयी हैं पर चूंकि 80-81 में उपाध्याय कक्षायें खोलने का राज्य सरकार का प्रस्ताव नहीं है इसलिये वहां पर अभी उपाध्याय की कक्षायें खोलने का राज्य सरकार का विचार नहीं है। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में उपाध्याय कक्षायें प्रारम्भ करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है तो उस समय उचित प्राथमिकताओं को देखते हुए उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न ! श्री भूरीराम।

आबू पर्वत कर्मचारियों को पर्वतीय व शीतकालीन भत्ता

681. श्री भूरेराम (पिण्डवाड़ा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के एक मात्र पर्वतीय स्थल आबू पर्वत पर राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पर्वतीय भत्ता एवं शीतकालीन भत्ता देने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब से ? और यदि नहीं तो क्यों।

(2) क्या आबू पर्वत पर कार्यरत राज्य सरकार के एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच कोई अन्तर है ? यदि नहीं तो कब तक राज्य कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता एवं शीतकालीन भत्ता देने का निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी नहीं। क्षतिपूर्ति भत्ते संबंधी मामले वर्तमान वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में हैं और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार विचार करेगी ?

(2) केन्द्रीय कर्मचारियों एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अन्य सुविधायें तथा सेवा की शर्तें भिन्न हैं और पृथक-पृथक नियमों से विनियमित होते हैं।

श्री भूरेराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आबू पर्वत राजस्थान का कश्मीर है। जो केन्द्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको हिल स्टेशन का अलाउन्स मिलता है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को वह अलाउन्स क्यों नहीं मिल रहा है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जैसे कि केन्द्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता है उसी तरह से हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को वह भत्ता दिया जाये।

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा मई, 1979 में वेतन आयोग का गठन किया गया है उसमें सभी प्रकार के क्षतिपूर्ति भत्ते के मामले विचाराधीन हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सी. पी. जोशी!

राहत कार्यों के अधीन निर्मित बान्धों की डूब में आई भूमि का मुआवजा

68. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

क्या यह सच है कि अकाल राहत में निर्माणाधीन बान्धों की डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजा दिलाने के प्रयोजनों से नियमों में आवश्यक प्रावधान करने पर विचार करेगी?

अकाल राहत मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): राहत कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जमीनों का मुआवजा राहत विभाग नहीं देता है, मुआवजा देने की सरकार की नीति नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो पंचायतों द्वारा बान्ध बनाये जाते हैं, उनमें जिन लोगों की जमीन डूब में आ जाती है उनको मुआवजा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है और पंचायतें भी उनको मुआवजा नहीं देती हैं लेकिन जिन बान्धों को पंचायतों द्वारा पहले बनाया जाता है बाद में उनको अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लेता है तो उसको मुआवजा सिंचाई विभाग देता है। तो फिर पंचायतों द्वारा जो बान्ध बनाये जाते हैं रिलीफ वर्क के अन्तर्गत उनमें जिन लोगों की जमीन डूब में आती है उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसकी मुझे जानकारी है। इनके निर्वाचन क्षेत्र में कड़ाई बान्ध बन रहा है वह पंचायत के माध्यम से रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत बन रहा है। उसमें काफी लोगों की जमीन डूब में आ गयी है लेकिन रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत जो बांध बनाये जाते हैं उनमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत अनाज और कुछ दिया जाता है। जब तक नियमों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक जिन लोगों की जमीनें डूब में आ जाती हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: इसमें किसी का घर या खेत भी आता है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: यह सही है, अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति भी नहीं है। मैं खुद जहां कड़ाई बान्ध बन रहा है वहां मौके पर गया था, कुछ लोगों की जमीन डूब में आ रही है लेकिन रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत जो जमीन डूब में आती है उसका मुआवजा देने का अभी नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : लेकिन इसके बाद अगर उन बान्धों को पंचायत से इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लेता है तो वह तो मुग्रावजा देता है। तो फिर पंचायतों के माध्यम से बान्ध बनाये जाते हैं उनमें जिन लोगों की जमीन डूब में आ जाती है उनको मुग्रावजा क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अलग-अलग नियम बने हुए हैं। अलग-अलग स्टेज पर यह डिपेन्ड करता है।

(व्यवधान)

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि अकाल राहत के जरिये जो काम पंचायतों के माध्यम से कराये जाते हैं उनमें तो मुग्रावजा नहीं दिया जाता है लेकिन अगर अकाल राहत के अन्तर्गत सड़कें बनाई जाती हैं तो लोगों को मुग्रावजा राज्य सरकार देती है। तो फिर पंचायतों द्वारा बान्ध बनाये जाने पर जिनकी भूमि डूब में आती है उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता ? सड़कों के बीच में किसी की जमीन आती है तो उसमें लोगों को मुग्रावजा क्यों दिया गया ? देना है तो दोनों को दो।

श्री सुखलाल सेंगवा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के जमाने में जो बान्ध बने थे उनमें जिन लोगों की जमीन डूब में आई सरकार ने अभी तक उन लोगों को पाली जिले में भुगतान नहीं किया है। वह कब तक कर देगी ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करेंगे, अकाल राहत के कार्यों में और दूसरी सड़कें राज्य सरकार ने बनायी हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र में कई लोगों की जमीनें उनके बीच में आ गयी हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है वह कब तक मिल सकेगा ? यह बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री सम्पत राम !

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य सरकार की इस प्रकार की नीति होने के बाद भी कई गांवों में जिन लोगों की जमीन एक्वायर कर ली जाती है इन कार्यों के लिये उनको समय पर उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है ? इससे लोग राज्य सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट में अगर चले जायेंगे तो क्या यह सभी कार्य रुक नहीं जायेंगे ? इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिये क्या राज्य सरकार कोई रास्ता निकालने के लिये तैयार है ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की जमीनें गईं, मंत्री महोदय ने बताया उनको मुग्रावजा देने का प्रावधान नहीं है। जिनकी जमीनें थीं उनको राहत देने की क्या योजना है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं स्थिति का पहले ही विश्लेषण कर चुका हूं। जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि किसी व्यक्ति के पास एक खेत है, मकान है, यों ही चला जायेगा। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की वह वजनी रूप से मैं स्वीकार कर चुका हूं। न केवल प्रान्तीय सरकार बल्कि केन्द्रीय

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सरकार के सामने भी बात रखी जायेगी। अब प्रश्न यह है, किस तरह से कितना रिलीफ किया जायेगा, तमाम जवाब तुरन्त देने की स्थिति में नहीं हूं। बाकी माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : दूसरी जगह जमीन देने के लिये सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन(टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें जांच प्रतिवेदन की कापी सदन की मेज पर रखने के लिये निवेदन किया था। इसमें काट दिया है....

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न छपा है, वही प्रश्न माना जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक के लिपिक के विरुद्ध जांच

686. **श्री महावीर प्रसाद जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या गबन के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश, लिपिक, कृषि उपज मण्डी समिति टोंक के विरुद्ध कोई जांच की गई है ?

(2) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं और इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) :

(1) जी हां।

(2) श्री ओम प्रकाश मण्डी समिति की धनराशि का गबन करने के दोषी पाये गये हैं। श्री ओम प्रकाश को निलम्बित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के नियमानुसार कितने समय तक ससपेण्ड कर सकते हैं और उस कर्मचारी को कितना समय हो गया है ?

श्रीमती कमला : आम तौर पर सस्पैन्शन के बाद चार्ज शीट दी जाती है। डिटेल्ड इन्क्वायरी की जाती है। उससे जवाब मांगा जाता है। उसका निर्धारित समय तो मुझे इस वक्त ख्याल नहीं है, किस-किस सर्विसेज के लिये कितना-कितना समय निर्धारित है लेकिन सम्बन्धित व्यक्ति को मण्डी समिति द्वारा 6-8-79 को निलम्बित किया गया उससे पहले जो भी शिकायतें आई मुख्यालय द्वारा जांच पड़ताल हुई।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया ! श्री नन्दलाल मीणा !

श्रमिक खेल-कूद प्रतियोगिता, उदयपुर

687. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता, उदयपुर 1979 में कुल कितना व्यय हुआ ? क्या यह बजट प्रावधान के अनुसार था ? यदि नहीं, तो अतिरिक्त व्यय कहां से किया गया ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) क्या यह सही है कि इस व्यय की पूर्ति हेतु सरकारी आदेश के माध्यम से उद्योगों से अतिरिक्त वसूली की गई ? यदि हां, तो किस-किस उद्योग ने कितना-कितना धन दिया ?

(3) आदेश देने वाला अधिकारी कौन था? क्या उसे आदेश देने का अधिकार था? यदि नहीं, तो विभाग ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्रीमती कमला) :

(1) प्रतियोगिता में विभागीय व्यय कुल रुपये 10,000) हुआ, जो बजट प्रावधान के अनुसार था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दो और तीन में उत्तर आया है कि अन्य औद्योगिक संस्थानों से कोई पैसा नहीं लिया गया। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ, विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ कह रहा हूं कि जो खर्चा वहां पर किया गया वह इससे लगभग पांच गुना था। आप चाहे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो वहां हुआ उसको देख लें, अन्य जो खर्चे हुए उनको देख लें, 10 हजार से कई गुना था। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में जांच करायेंगे, वह खर्चा कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसने उस खर्चे की वसूली की ? किस-किस फैक्ट्री से कितना-कितना पैसा लिया गया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर इस प्रकार की खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं उनमें कुछ खर्चे विभाग की तरफ से किये जाते हैं और शेष जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का है, उनके कोई नाश्ते पानी का है, खाने-पीने का है, वह कुछ संस्थायें अपने पास से करती हैं। यह परम्परा रही है। इसलिये जो रुपया खर्च किया है 10 हजार के अन्तर्गत किया है। इसके अलावा वहां की संस्थाओं ने किसी ने प्राइज देने का जिम्मा लिया, किसी ने उनके नाश्ते-पानी का जिम्मा लिया, किसी ने खाने खिलाने का। कैश पैसा किसी से वहां पर इकट्ठा नहीं किया गया है। जो कुछ कार्य किया गया है, संस्थाओं ने अपने हिसाब से किया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री गुलाबचंद कटारिया : केवल एक प्रश्न और। यह आपका उत्तर आया कि उन फैक्ट्रियों ने किया। मेरी जानकारी यह है कि उन फैक्ट्रियों ने पैसा दिया और पैसा विभाग के अधिकारियों ने लेकर फिर उस पर खर्च किया। यह प्रश्न इसीलिये पैदा हुआ अन्यथा प्रश्न होने का सवाल नहीं था। उनसे पैसा लिया और अधिकारियों ने खर्च किया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी एक संस्था ने यह कहा कि प्रथम प्राइज वह देगी, द्वितीय प्राइज के लिये फलां संस्था देगी और उसके लिये इतनी-इतनी चीज लेनी है, इतनी-इतनी कीमत लगेगी, यह वस्तु दी जायेगी। अगर उनके साथ अधिकारी जाकर के या पैसा लेकर लाते हैं तो वह उनसे लेना नहीं हुआ। वह संस्था की तरफ से प्रजेन्ट देने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री गुलाबचंद कटारिया : सवाल यह है कि इस नाम से बहुत बड़ी धन राशि एकत्रित की गई और उसका खर्चा उस मात्रा में नहीं हुआ। अगर हो जाता तो कोई चिन्ता की बात नहीं थी। अधिकारियों ने ज्यादा पैसा एकत्रित किया। प्राइज दे देते तो तो एतराज नहीं होता।

श्रीमती कमला : अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे कि प्राइज और दूसरे कामों में जो खर्चा हुआ है उसके अलावा अधिकारियों ने कोई पैसा लेकर अपने पास रखा है, उसका कोई सबूत मिलेगा तो जांच जरूर कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 जुलाई, 80)

विभिन्न किस्म के खाद के विक्रय में गड़बड़ी

172. **श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में बिकने वाले विभिन्न प्रकार की खाद की कीमत मई, 1980 में क्या थी एवं जून, 1980 में और बढ़ने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त खाद की दैनिक बिक्री होलसैल व रिटेल मई, 1980 में क्या थी और माह जून, 80 में क्या रही ?

(3) क्या यह सही है कि कीमतें बढ़ जाने के कारण सहकारी समितियों तथा मार्केटिंग सोसाइटीज आदि खाद विक्रेताओं द्वारा पिछली तारीखों में खाद का भारी मात्रा में फर्जी बेचना दिखाया गया ?

(4) क्या उसी खाद को अधिक कीमत से बेचकर हजारों रुपया कमाने की छूट सरकार ने किसी आदेश के तहत दी ? यदि नहीं तो अधिक कीमत लेने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) माह मई, 1980 एवम् जून, 1980 से लागू विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों की कीमत संलग्न तालिका "क" व "ख" में दर्शायी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है। खाद का विक्रय मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(2) खाद का क्रय-विक्रय, राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ, राजस्थान कृषि उद्योग निगम एवं पंजीकृत निजी व्यापारियों के द्वारा उनके उप वितरक के माध्यम से किया जाता है। अतः दैनिक विक्रय की सूचना तत्काल एकत्रित नहीं हुई है।

(3) इस संबंध में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सहकारी विभाग के माध्यम से की जा रही है।

(4) जी नहीं। प्राप्त शिकायत पर जांच होने के उपरान्त अगर शिकायत सही पाई गई तो आगे आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भूपाल सिंह : यह शिकायत कहां की प्राप्त हुई है ?

श्रीमती कमला : यह शिकायत बिजयनगर की प्राप्त हुई है। 17-7-80 को

(श्रीमती कमला)

प्राप्त हुई और 1-8-80 को अतिरिक्त पंजीयक को जांच पड़ताल करके रिपोर्ट देने की दी।

श्री भूपाल सिंह : निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय संघ की शिकायतें हुई हैं। इसी तरह राजस्थान की कई जगह की शिकायत हैं। यह आपको गलत इन्फार्मेशन दी गई है।

श्रीमती कमला : मेरे पास सिर्फ विजयनगर की है। दूसरी जगह की माननीय सदस्य कोई बतायेंगे तो उसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मेरे पास सिर्फ यही उपलब्ध है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भूपाल सिंह : आपने यह जानकारी प्राप्त की है। कितनी बिक्री हुई, यह जानकारी आपके पास उपलब्ध है। उसमें यह भी जानकारी है, कितनी सहकारी समितियों ने इसमें घोटाला किया है। अटक क्रय विक्रय संघ में यह घोटाला हुआ है जिसकी जांच स्टेट रजिस्ट्रार और ज्वोइन्ट रजिस्ट्रार ने की है किन्तु यहां बताया गया है कि केवल एक सहकारी समिति की शिकायत प्राप्त हुई है। जो घोटाला हुआ है उसकी यदि जांच करायेंगे तो अच्छी परम्परा होगी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि विभाग से सिर्फ एक शिकायत की जानकारी मुझे मिली जिसकी मैंने जानकारी दी। माननीय सदस्य को और भी शिकायत की जानकारी हो तो मुझे दें, मैं अपनी तरफ से; विभाग की तरफ से मालूम करूंगी। आप भी अपनी तरफ से सूचित करें। मैं खुद इस बात से चिन्तित हूं कि इस प्रकार के जो घोटाले होते हैं उनके सम्बन्ध में सख्ती से कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राम सिंह!

श्री राम सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि टैक्स बढ़ाने की तारीखें होती हैं। जब बजट पेश होता है तो टैक्स बजट में बढ़ाते हैं। इस सम्बन्ध में ऐसे दिनों के अन्दर करीब पांच सात दिन पहले सावधानी बरती जाय। यह सावधानी बरती जानी आवश्यक है। इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं जिसका उल्लेख किया है; गड़बड़ी होती है, जहां सीमेन्ट की हजारों बोरियां होती हैं तो एकदम रात को ही उसकी रसीदें काटकर हजारों रुपयों का गबन हो जाता है। इस प्रकार की घोषणा के पहले 4·5 दिन देखना आवश्यक हो जाना चाहिए। इसके दरम्यान जितनी बिक्री हुई है उसको देखना चाहिए। किन्तु वह नहीं देखा जाता। यही कारण है उनकी रेट बढ़ने के पहले उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की बेईमानी न हो और उस पर रोक लगे।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, जो स्टाक होता है रेट बढ़ाने की तारीख से पहले, जिन जिन समितियों के पास होता है उसका लेखा जोखा उस तारीख से होता है। उसके बाद, रेट बढ़ाने के बाद रसीदें कटती हैं, उसका भी इन्द्राज होता है। इसलिए हम देखें कि सामान को आगे बढ़ी हुई रेट के अन्दर बेचा गया है तो उसको डिडक्ट किया जा सकता है लेकिन

(श्रीमती कमला)
इसके ऊपर कार्यवाही शिकायत करने के बाद ही सम्भव हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री भूपाल सिंह : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गड़बड़ियां की गयीं हैं क्या इनकी जांच जन प्रतिनिधियों को भी साथ रखकर करायेंगे ? ऐसा तो राजस्थान में ही हुआ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, सारे राजस्थान में एक साथ इस प्रकार की जांच करवाना सम्भव नहीं है जब तक ऐसी शिकायत न हो। आपके क्षेत्र में और दूसरे माननीय सदस्यों के क्षेत्र में ऐसी कोई शिकायत है तो उनकी यथासम्भव जांच की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया !

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मन्त्री महोदय से मेरा एक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तारीख को ये भाव बढ़े, उसके दो दिन पहले बिक्री कितनी हुई, उसका पता लगायें और उसके बाद दस दिन का पता लगायें कि कितनी बिक्री हुई।

श्री अध्यक्ष: यह विस्तृत जानकारी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: विस्तृत जानकारी कहां है। इसमें घोटाला है

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक दृष्टि से आप सुझाव दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बहुत भारी घोटाला है, सारे राजस्थान में हजारों बोरी एक ही रात में; एक ही पर्ची से बेच दी गई और इस प्रकार गलत ढंग से बिक्री करके बहुत पैसा कमाया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना बड़ा घपला है। उनकी जांच करायें जो सिर्फ एक दिन में इतनी सेल करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने इस विषय को एप्रोप्रिएशन बिल के समय उठाया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जो दो तीन प्रश्न किये थे, जो माननीय कटारिया जी ने किया है कि राज्य सरकार अपनी ओर से जो इससे पूर्व तीन प्रश्न किये हैं उनकी जांच करे। इतनी बड़ी जो बात हुई है, उसकी जानकारी दी है। उस की जांच करें, ऐसा निवेदन है।

श्रीमती कमला : राज्य सरकार ही अपनी तरफ से इस मामले की जांच करायेगी लेकिन जिन जगहों पर खास तौर से माननीय सदस्यों की निगाह में कोई ऐसा मुद्दा है, उसको मेरी निगाह में लायेंगे तो उनकी जांच तत्परता से करायी जा सकती है।

खान एवं भू-गर्भ विभाग के वाहनों का पंजीकरण

517. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खान एवं भूगर्भ विभाग में भार ढोने एवं अन्य कार्यों के लिए कितने वाहन हैं व उन पर कार्यरत कर्मचारी कितने हैं ?

(2) क्या यह सही कि जिस विभाग में दो या उससे अधिक वाहन होने पर मोटर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, 1962 के तहत श्रम विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक है? यदि हां, तो इस विभाग ने अपना रजिस्ट्रेशन कब से करवा रखा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री, खान एवं भू-गर्भ (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) खान एवं भू-विज्ञान विभाग में 10 ट्रकें, 7 ट्रैक्टर्स एवं 51 जीप व कारें हैं। इन वाहनों पर 85 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। इनका उत्तर 'जी नहीं' तो मेरी समझ में नहीं आया। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, 1962 के अन्तर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण होता है या नहीं? जिन दो या दो से अधिक वाहन अगर हों तो उनके कर्मचारियों की सुविधाओं को जीवन को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के अन्तर्गत श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले उत्तर दिया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव ने जो 1962 अंकित किया है, वह 1962 के बजाय 1961 है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, 1961 में मोटर ट्रांसपोर्ट की परिभाषा यह है कि ऐसे वाहन जो किराये पर भार अथवा यात्रियों को ढोने में काम नहीं आवे, उसका रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं। खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग इस परिभाषा में नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह बात कह कर स्थगित किया गया कि इसमें जानकारी पर्याप्त नहीं हुई। बहुत विस्तृत प्रश्न है, आज इसका उत्तर होना तो चाहिए। इस प्रश्न को बिल्कुल दबा दिया गया। क्या प्राइवेट मोटर में जो मजदूर और ड्राइवर जो काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है जो सरकार के इतने सारे ड्राइवर हैं, वाहन हैं, 85 आदमी कार्यरत हैं, उनके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं क्या?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्य महानुभाव को निवेदन किया कि 85 आदमी एक जगह कार्यरत नहीं हैं, सारे राजस्थान में अलग-अलग तौर पर, जो खनिज अभियंता हैं, अधीक्षण अभियन्ता हैं, वहां कार्यरत हैं। ये वाहन भी अलग-अलग होते हैं। जैसा पूर्व में परिभाषित किया है, उस प्रकार हैं। इसमें लिखा है कि ऐसी मोटर ट्रांसपोर्ट संस्था, जो किराये पर अथवा पारितोषिक पर यात्री अथवा भार ढोता है, के लिए है न कि विभाग के वाहनों के लिए।

प्रश्न संख्या 562

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन!

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामकिशोर मीणा!

सिकराय क्षेत्र में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उपलब्धि

563. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री रामकिशोर मीणा)

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अब तक कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सिकराय क्षेत्र में अन्त्योदय योजना में कितने परिवारों का चयन हुआ तथा कितनों को लाभान्वित किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, पंचायत(श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राज्य में 2,28,288 परिवारों को दिनांक 31-5-80 तक लाभान्वित किया गया है। जिलेवार सूची सदन की पटल पर प्रेषित की जा रही है। .

(2) सिकराय क्षेत्र में दोनों चरणों में अन्त्योदय परिवारों का चयन एवं लाभान्वयन दिनांक 31-5-80 तक निम्न रूप से हुआ है:–

प्रथम चरण 712 चयनित 690 लाभान्वित
द्वितीय चरण 587 चयनित 582 लाभान्वित
मदवार सूचना सदन की पटल पर रखी जा रही है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो सूची के बारे में कहा गया है कि सदन की पटल पर रखी जा रही है कोई सूचना जो राजस्थान के बारे में है वह देते क्यों नहीं, देते क्यों नहीं....

(व्यवधान)

दूसरा मेरा निवेदन है कि यदि सूची नहीं मिलेगी तो मैं क्या पूछूंगा।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : सूची भेज दी गयी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह आये दिन होता रहता है, आज की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्न के बारे में।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 702 के बारे में। यह 563 है।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी: जब यह पहले प्रश्न आया था, उस समय यह सूची दे दी गयी थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : बार बार सूची किस बात की ?

श्री अध्यक्ष : आज के लिए अलग से नहीं आएगी।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अभी तक तो प्रथम चरण पूरा किया गया है और दूसरे चरण में भी लोगों को लाभान्वित किया गया है। अब तीसरे चरण का कार्य कब प्रारम्भ किया जा रहा है, इसको स्पष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष : तीसरा चरण कब प्रारम्भ होगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : तीसरे चरण के बारे में आपने प्रश्न में पूछा नहीं था।

श्री अध्यक्ष : तीसरा चरण अभी विचाराधीन है।

श्री मांगीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों का सवाल है, इसकी इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय भी समाप्त हो गया है और प्रश्नकर्ता भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : इसको स्थगित किया जावे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्षमा करें, माननीय सदस्य। अब सोमवार को तो प्रश्नकाल भी नहीं है। इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया है, इसलिए मजबूरी होगी।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों से सम्बन्धित प्रश्न है ...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और आदिवासियों से सम्बन्धित है इसलिए इजाजत दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आप कौन से प्रश्न के बारे में कह रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : मैं प्रश्न 569 के बारे में निवेदन कर रहा हूं। यह आखिरी प्रश्न है स्थगित ...

श्री अध्यक्ष : केवल उत्तर पढ़ दिया जावे।

श्री नानालाल : मेरे प्रश्न सं. 702 का उत्तर ही पढ़ दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले वाले की इजाजत नहीं दूंगा। मजबूरी है।

आदिवासी किसानों को जीवन निर्वाह के साधन मुहैय्या कराना

569. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) [श्री भैरुलाल मीणा उदयपुर ग्रामीण की अनुपस्थिति में] : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि के अभाव में आदिवासी किसानों ने मजबूरी से जंगल में जहां काबिल काश्त भूमि मिली वहीं काश्त कर ली क्या यह भी सही है कि वे वहां 10 वर्षों से काश्त कर रहे हैं और पैनल्टी के रूप में हजारों रुपये भर चुके हैं ?

(2) क्या सरकार ऐसे आदिवासी किसानों को उनके कब्जे की भूमि आवंटित करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो उन किसानों के जीवन निर्वाह के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) अन्य क्षेत्रों की तरह आदिवासी क्षेत्रों में भी वन भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति है। अतिक्रमियों के खिलाफ नियमान्तर्गत कार्यवाही की जाती रही है।

(2) राजकीय नीति के अनुसार 1-1-71 से पूर्व के अतिक्रमियों का निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमन किया जायेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है कि 1-1-71 के लिए जो नीति निर्धारित की गई उसके आधार पर जो आदिवासी काश्तकारों के कब्जे थे जनता सरकार ने उनको रेगुलेराइज किया था परन्तु 1-1-71 के पहले भी अधिकांश आदिवासियों के कब्जे थे परन्तु वह कब्जे रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो

22

(श्री नन्द लाल मीणा)

पाए क्योंकि समय समय पर अधिकारी वहां जाते थे और सम्बन्धित जिन काश्तकारों ने कब्जे किये थे उनसे पैसा ले करके सरकारी रिकार्ड पर इन्द्राज नहीं किया गया था। क्या राज्य सरकार मौके पर स्थिति को देख कर, जमीन की स्थिति को देख कर, जिन पर कब्जे किए गए हैं उनका आधार बना कर इस तरह के नाजायज कब्जों को रेगुलेराइज करने का प्रयास करेगी ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन काश्तकारों के पास में नियमानुसार रिकार्ड है और 1-1-71 के पहले के कब्जे हैं उनमें तो दिक्कत नहीं है लेकिन जिनके पास रिकार्ड नहीं है लेकिन ऐसे सबूत हैं कि जिनसे जाहिर हो कि जैसे कुआ बना लिया है, नाला बना हुआ है, लोन लेकर वहां पर काम किया हुआ है, उसका कोई सब्स्टेंशियल सबूत होना चाहिए जिससे जाहिर हो कि 1-1-71 के पहले से काबिज थे उनके लिए तो हो जाएगा लेकिन अगर कोई भी सबूत नहीं है तो उनके लिए यह सम्भव नहीं होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : पांच सात सालों से खेत जोतते रहे तो वह जमीन से मालूम हो जाएगा। उस पर मकान बने हुए हों, पेड़ लगे हुए हों....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उत्तर दे दिया है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न मुझे पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, उत्तर दे दिया है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न मुझे पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि आदिवासी एरिया में जिनके नाजायज कब्जे हैं और जिन पर हमेशा पैनल्टी लगती है उनके बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

श्रीमती कमला : मैंने उल्लेख किया है कि जो 1-1-71 के पहले के हैं उनको तो नियमित कर दिया गया है बहुतों को और बहुतों का नियमन कर दिया जावेगा जैसे जैसे रिकोर्ड सामने आता जाएगा। बाकी नियमान्तर्गत नहीं आते हैं, अनियमित रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर केस भी किया जाएगा और वसूली भी की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री मानसिह देवड़ा (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आने बाकी रह गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। सभी प्रश्न समाप्त हो गए या उनका उत्तर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न समाप्त हो गए।

श्री मानसिह देवड़ा : विधान सभा में जिनका उत्तर नहीं दिया गया वे लैप्स हो जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उनके लिए अलग से नियमों में दिया हुआ है। उसमें सब प्रावधान दिया हुआ है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न

पीपल्दा क्षेत्र के गांव की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

681. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल, इन्द्रगढ़ बमोरी कलां गांव की हरिजन बस्ती में बिजली लगाने हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है ?

(2) क्या इन बस्तियों में बिजली लगा दी गई है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक इन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इनमें से केवल बमोरी कलां की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु ही आवेदन प्राप्त हुये हैं।

(2) जी नहीं। बमोरी कलां की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा आवश्यक सामग्री एकत्र की जा रही है। शेष में बिजली लगाने की कार्यवाही आवेदन पत्र प्राप्त हुये बिना सम्भव नहीं है।

(3) बमोरी कलां की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 अगस्त, 1980)

झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत सीमेंट का वितरण

562. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1980 को पंचायत समिति झोटवाड़ा में सीमेंट प्राप्त करने हेतु किन-किन व्यक्तियों के आवंटन पत्र प्राप्त हुये और किस-किस कार्य के लिये कितनी सीमेंट मांगी गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जून, 80 के पश्चात् अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? कृपया प्रश्न के भाग (1) के अनुरूप ऐसी तालिका भी सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) इनमें भी किन किन आवेदन-पत्रों के अनुसार कितनी-कितनी सीमेंट कब-कब आवंटित की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस सीमेंट के कालाबाजार में बिकने के सम्बन्ध में जांच एस.डी.ओ., जयपुर द्वारा की गई है ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जून, 1980 में पंचायत समिति झोटवाड़ा में सीमेंट प्राप्त करने हेतु 128 व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में अंकित कर दिया गया है।

(पंचायत मंत्री)

(2) 1 जून के पश्चात अब तक 353 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में अंकित कर दिया गया है।

(3) वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित कर दी गई है।

(4) सीमेंट के काले बाजार में बिकने के सम्बन्ध में शिकायत की जांच जिलाधीश जयपुर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी से कराई गई। जिला रसद अधिकारी ने जांच को अधूरी मानते हुए उप जिलाधीश को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राष्ट्रपति शासन के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण

531. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दि. 20 फरवरी, 1980 से लेकर 5 जून, 1980 तक राष्ट्रपति शासन के दौरान किन-किन राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

20 फरवरी, 1980 से लेकर 5 जून, 1980 तक 957 राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गए। स्थानान्तरित अधिकारियों की विभागवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

आबकारी आयुक्त द्वारा उपार्जित अवकाश अवधि में जारी आदेशों की वैधता

533. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल) श्री शिवराम शर्मा (वनी पार्क) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबकारी आयुक्त श्री मायाराम इस वर्ष माह अप्रेल-मई में उपार्जित अवकाश पर थे ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उपार्जित अवकाश के दौरान उन्होंने कुछ आदेश/निर्देश जारी किये ? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या कोई अधिकारी उपार्जित अवकाश के दौरान आदेश जारी कर सकता है ? यदि हां, तो किन-किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 21-4-80 से 1-6-80 तक उपार्जित अवकाश पर रहे थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

मारवाड़ जंक्शन रेलवे यार्ड पर उपरिपुल का निर्माण

534. **श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मारवाड़ जंक्शन रेलवे यार्ड पर उपरिपुल बनाने के लिए सरकार की ओर से कुछ धनराशि स्वीकृत करने का विचार है ? यदि हां, तो कितनी राशि ?

(2) ऐसे पुल निर्माण हेतु केन्द्रीय रेलवे मंत्रालय सम्पूर्ण व्यय भार उठाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा भी व्यय के संदर्भ में कुछ प्रतिशत योगदान दिया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) ऐसे पुल के निर्माण हेतु सम्पूर्ण व्यय भार केन्द्र सरकार को नहीं उठाना पड़ता है। राज्य सरकार को भी लगभग 60 से 70 प्रतिशत व्यय भार उठाना पड़ता है। किन्तु अन्त में यह वित्तीय भार केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप रेलवे सुरक्षा कोष के माध्यम से राज्य सरकार को वापस पूर्ति कर दी जाती है।

तहसील जैतारण में भू-जल का सर्वेक्षण

535. **श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)** : क्या मंत्री, भू-जल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जैतारण तहसील में क्लस्टर ट्यूब वैल खोदने की योजना थी ? यदि हां, तो अब क्या यह योजना बन्द कर दी गई है ?

(2) क्या जैतारण तहसील में भू-जल का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जैतारण तहसील में लगातार दस वर्ष तक अकाल की स्थिति के कारण सर्वेक्षण की रिपोर्ट सही नहीं होने के फलस्वरूप सरकार का वहां का पुनः सर्वेक्षण कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) क्लस्टर ट्यूब वैल स्कीम वर्ष 1972-73 में आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत जैतारण तहसील में भी ट्यूब वैल खोदे गये थे। यह स्कीम वर्ष 1974-75 के पश्चात् बन्द कर दी गई थी।

(2) जैतारण पंचायत समिति में भू-जल विभाग द्वारा वर्ष 1968-69 में सर्व प्रथम भू-जल सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन गोपनीय प्रतिवेदन होने के कारण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां, जैतारण तहसील में वर्ष 1968-69 के अन्तर्गत किये गये भू-जल सर्वेक्षण के उपरान्त वर्ष 79-80 में विभाग द्वारा पुनः सर्वेक्षण करवाया गया है एवं प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

जिला बीकानेर में पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी लाइसेंस

536. **श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में सन् 1973 से जून, 1980 तक पुलिस अधीक्षक, बीकानेर

(श्री देवीसिंह भाटी)

ने हथियार रखने हेतु लाइसेंस के कितने प्रार्थना-पत्रों को अनुशंसित किया है ? कितने प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के अभाव में रुके पड़े हैं ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस सिफारिश के नाप दण्ड सभी प्रार्थना-पत्रों के लिये एक से नहीं थे ?

(3) क्या सीमान्त क्षेत्र के ग्रामीण नागरिकों को हथियार रखने हेतु लाइसेंस जारी करने की कोई विशेष नीति है ? इन क्षेत्रों के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं ?

(4) क्या राजस्थान नहर के नये सिंचित क्षेत्रों में नये बसने वाले नागरिकों को हथियार रखने के लाइसेंस देने की कोई नई नीति विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी नहीं।

(3) सीमान्त क्षेत्र के ग्रामीण नागरिकों को हथियार रखने हेतु लाइसेन्स जारी करने की कोई अलग से विशेष नीति नहीं है। बीकानेर सीमान्त क्षेत्र के कुल 69 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला बीकानेर के थाना प्रभारियों के खिलाफ शिकायतें

537. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले के भिन्न-भिन्न थाना प्रभारियों के खिलाफ फरवरी, 1977 से 15 जुलाई, 1980 तक नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या कितनी है ? हर शिकायती प्रभारी की अलग-अलग कितनी शिकायतें इस अवधि में की गई ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त अवधि में शिकायतों पर प्रभारियों को स्थानान्तरण अथवा कोई अन्य सजा दी गई ? ऐसे अलग-अलग प्रभारी की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नागरिकों द्वारा उक्त अवधि 22 थाना प्रभारियों के विरुद्ध कुल 40 शिकायतों की सूची (परिशिष्ट 'अ') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस अवधि में शिकायत पर किसी थाना प्रभारी को सजा नहीं दी गई। एक थाना प्रभारी का शिकायत पर स्थानान्तरण अवश्य किया गया था। सूची (परिशिष्ट 'ब') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

भीमसागर बांध योजना

538. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) भीमसागर बांध की योजना कब प्रारम्भ हुई तथा इस पर वर्षवार कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(2) यह योजना कब तक पूर्ण होगी व इससे कुल कितना क्षेत्र सिंचित होगा ?

उत्तर

(1) भीमसागर बांध योजना वर्ष 1954-55 में प्रारम्भ हुई थी इसका वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है : –

वर्ष	व्यय (लाखों में
1954-70	14.31
1970-71	7.94
1971-72	13.43
1972-73	3.34
1973-74	2.74
1974-75	—
1975-76	—
1976-77	16.08
1977-78	13.87
1978-79	102.27
1979-80	90.10
कुल व्यय	254.09

(2) यह योजना अक्टूबर, 82 में पूर्ण करना प्रस्तावित है तथा उससे 7900 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा ।

बिक्री कर चोरी का प्रकरण

539. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (कोलायत) : क्या वित्त मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर नगर में ठठेरों के रास्ते स्थित मकान नम्बर 1602 में मैसर्स सुन्दरलाल एण्ड सन्स के नाम से कोई बर्तनों की दुकान थी ? यदि हां, तो क्या इस दुकान पर बिक्री कर अधिकारी, जयपुर ने बिक्री कर की चोरी पकड़ने के लिए कोई छापा 16 जून, 1970 को मारा था ?

(2) क्या यह सही है कि इस छापे के बाद बिक्री कर विभाग ने इस फर्म पर करीबन दस लाख का टैक्स लगाया था ? यदि हां, तो क्या इस टैक्स की वसूली सरकार ने कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को पता है कि इस फर्म के मालिक श्री सुन्दर लाल के रेवाड़ी में मकान है जिनको उसने अपने पुत्र व उनकी पत्नियों के नाम स्थानान्तरित कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच कर इस फर्म पर लगाये टैक्स को वसूल करने का प्रयत्न करेगी ?

(4) सरकार ने इस टैक्स की वसूली के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं ? कृपया उसकी विगत देने का कष्ट करें ।

(5) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सुन्दर लाल रेवाड़ी में मैसर्स नाथूराम मंगत राय कसेरा ठठेरा का मोहल्ला में स्थित फर्म में पार्टनर थे ? यदि उक्त फर्म के पार्टनर थे तो उक्त फर्म से वसूली क्यों नहीं की गई ?

(6) क्या सरकार को पता है कि श्री सुन्दरलाल ने मोटर गैराज राजस्थान से एक मोटर गाड़ी आर. जे. एल. 305 अपने पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद के नाम से खरीदी थी और जिसका इन्द्राज उक्त फर्म के बहीखातों में है ? यदि हां, तो कर वसूली के लिये उक्त मोटर गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया ?

(7) क्या यह भी सही है कि श्री सुन्दर लाल जयपुर शहर छोड़ कर आज-

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

कल रेवाड़ी में रह रहे हैं ? वहां उससे कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 16-6-1970 को कोई छापा नहीं मारा गया था। अपितु दिनांक 10-6-1971 को वाणिज्यिक कर अधिकारी (एन्टी इवेजन) जयपुर द्वारा इस व्यापारी के विरुद्ध करा पवचन का अभियोग बनाया गया था।

(2) जी हां, इस व्यवसायी पर दिनांक 2-4-73 को विभिन्न वर्षों के लिए कुल रु० 9,90,218.85 की कर एवं शास्ति आरोपित की गई थी। इस मांग राशि की वसूली अभी तक व्यवसायी से नहीं हो सकी है। व्यवसायी ने दिनांक 16-6-71 को व्यवसाय बन्द कर दिया था। बन्द फर्म के एक मात्र स्वामी श्री सुन्दर लाल के नाम से राजस्थान में कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है। व्यवसायी रेवाड़ी (हरियाणा) का निवासी है। रेवाड़ी से जांच कराये जाने पर स्वयं श्री सुन्दर लाल के नाम से कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं पाई गई। श्री सुन्दर-लाल के पिता स्वर्गीय श्री मंगतराम के नाम से रेवाड़ी स्थित मकान से वसूली करने के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा जिलाधीश जयपुर के माध्यम से जिलाधीश महेन्द्रगढ़ मुख्यालय नारनौल हरियाणा को वसूली-पत्र भेजा गया है।

(3) श्री सुन्दर लाल के पिता स्वर्गीय श्री मंगतराम के नाम से रेवाड़ी में एक मकान है। श्री सुन्दर लाल के पुत्र एवं पत्नियों के नाम मकान स्थानान्तरित करने की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। इस तथ्य की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) व्यवसायी श्री सुन्दर लाल को बकाया राशि जमा कराने के बारे में नियमानुसार बार-बार नोटिस दिये गये थे, परन्तु उसने कोई राशि जमा नहीं कराई। अतः जरिये पत्र दिनांक 20-6-74 द्वारा जिलाधीश, जयपुर के माध्यम से जिलाधीश महेन्द्रगढ़ नारनौल को वसूली के लिए लिखा गया था। किन्तु जिलाधीश महेन्द्रगढ़ नारनौल ने अपने पत्र दिनांक 27-12-74 के द्वारा श्री सुन्दर लाल की अचल सम्पत्ति के अभाव में वसूली करना सम्भव नहीं बताया। पुनः इस विभाग द्वारा जांच की जाकर व्यवसायी के पिता के नाम से रेवाड़ी स्थित मकान की कुर्की द्वारा वसूली किये जाने के लिये जिलाधीश महेन्द्रगढ़, मुख्यालय नारनौल को जिलाधीश जयपुर के माध्यम से पत्र दिनांक 4-4-79 को भेजा गया। जहां कार्यवाही जारी है। श्री सुन्दर लाल के विरुद्ध न्यायालय में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 16 (3) (एच) के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) श्री सुन्दर लाल का रेवाड़ी स्थित फर्म में पार्टनर होने की कोई सूचना इस विभाग में नहीं है। इस तथ्य की जांच की जायेगी।

(6) इस सम्बन्ध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। व्यापारी की अभिग्रहीत व्यापार पुस्तकें एडीशनल मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जयपुर के न्यायालय में सन् 1976 से पड़ी हुई हैं। इस तथ्य की भी जांच की जायेगी।

(वित्त मंत्री)

(7) जी हां, वसूली की कार्यवाही का विवरण खण्ड (2) एवं (4) में दिया गया है।

उच्च माध्यमिक पाठशाला सांचौर के प्रोक्टर के विरुद्ध शिकायतें

540. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री गोमाराम अध्यापक, उच्च माध्यमिक पाठशाला सांचौर शास्त्री सदन अनुसूचित छात्रावास में प्रोक्टर का कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो वे उक्त छात्रावास में कुल कितने वर्ष से प्रोक्टर हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षक की शिकायत होने से उनको दो बार इस पद से हटाया गया था ? यदि हां, तो कब-कब एवं उनको वापस प्रोक्टर लगाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उन्होंने छात्रावास समिति के आदेश के विरुद्ध ज्यादा भत्ता उठा लिया था ? अगर हां, तो कुल कितना भत्ता ज्यादा उठाया एवं ज्यादा उठाया हुआ भत्ता अब तक वापस क्यों नहीं जमा कराया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षक ने गत लोक सभा विधान सभा चुनावों में कांग्रेस (आई) का टिकिट प्राप्त करने को आवेदन किया था ? यदि हां, तो इस कार्य में व्यस्त होने के कारण वे छात्रावास कार्य एवं शिक्षक कार्य से कितने दिन अनुपस्थित रहे ? इस अनुपस्थिति अवधि के बारे में विभाग द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि स्थानीय लोगों ने उनके पार्टीबाजी में भाग लेने एवं शास्त्री सदन छात्रावास का प्रशासन बिगाड़ने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उसके बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गोमाराम, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचौर शास्त्री सदन अनुसूचित छात्रावास में प्रोक्टर का कार्य कर रहे हैं। कार्य करने की अवधि निम्न प्रकार से है:–

दिनांक 2-7-73 से 10-5-76
दिनांक 4-10-76 से 13-10-79
दिनांक 6-5-80 से लगातार

(2) अध्यक्ष, शास्त्री सदन के कथनानुसार यह सही है कि इन्हें दो बार प्रोक्टर के पद से अलग किया। त्याग पत्र देने के कारण 26-7-76 को कार्य मुक्त किया गया और दूसरी बार अक्टूबर, 1979 में मध्यावधि अवकाश की मांग करने व तार द्वारा अवकाश बढ़ाने के कारण श्री गोमाराम की जगह श्री भैराराम का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने से तथा बिना पूर्व सूचना के श्री भैराराम द्वारा छात्रावास का कार्य बन्द करने के कारण पुनः श्री गोमाराम 8-5-80 को प्रोक्टर लगाया गया।

(3) अध्यक्ष शास्त्री सदन, अनुसूचित छात्रावास सांचौर से प्राप्त सूचना के आधार पर छात्रावास की प्रबंध एवं सलाहकार

(शिक्षा मंत्री)

समिति के निर्णय के अनुसार मासिक 100 रुपये भत्ता तय किया गया था। इसी के अनुसार मासिक 100 रुपये भत्ता उठाया गया।

(4) अध्यक्ष, शास्त्री सदन अनुसूचित छात्रावास, सांचोर से प्राप्त सूचना के आधार पर यह सत्य है कि उक्त शिक्षक ने गत लोक सभा, विधान सभा चुनावों में कांग्रेस (आई) का टिकट प्राप्त करने का आवेदन किया था। इस कार्य में व्यस्त होने के कारण वह छात्रावास कार्य एवं शिक्षण कार्य से निम्नानुसार अनुपस्थित रहे:—

दिनांक 30-7-79 से 8-10-79 तक 71 दिन

दिनांक 10-10-79 से 9-12-79 तक 60 दिन

दिनांक 7-3-80 से 15-3-80 तक 8 दिन

दिनांक 19-3-80 से 3-5-80 तक 46 दिन

इस अनुपस्थिति अवधि का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है। अवकाश के सही औचित्य के बारे में जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जावेगा।

(5) स्थानीय लोगों से उनके पार्टीबाजी में भाग लेने एवं शास्त्री सदन छात्रावास का प्रशासन बिगाड़ने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बीकानेर शहर में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे

541. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में अब तक सरकारी भूमि पर कितने अनधिकृत कब्जे हुए हैं जिन्हें कब्जे हटाने के नोटिस दिए गए हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इन अनियमित कब्जों में से किसी का नियमन भी किया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में बीकानेर नगर विकास न्यास की तरफ से अदालतों में कितने मुकदमे चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) नगर विकास क्षेत्र में कुल 8421 नाजायज कब्जे न्यास भूमि पर हुए। नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 150 नाजायज कब्जे हुए। नगर परिषद द्वारा 50 मामलों में कब्जे हटाने के नोटिस दिए गए हैं जिनकी सूची संलग्न है। नगर विकास न्यास के क्षेत्र में कितने मामलों में नोटिस दिए गए इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) नगर विकास न्यास ने 1807 कब्जे और नगर परिषद ने 21 कब्जे नियमित किए। सूचियां संलग्न हैं।

(3) नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में बीकानेर नगर विकास न्यास की तरफ से 50 मुकदमे सम्पदा अधिकारी की अदालत में चल रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नियोजन कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति

442. श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट, हायर सैकण्डरी और साक्षर बेरोजगार पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 1976-77 व 1977-78 की सालवार अलग अलग क्या थी ?

(2) कितने पंजीकृत बेरोजगारों को उपरोक्त श्रेणियों के अन्दर सालवार काम दिलाया गया ?

(3) इनमें अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्ति 1976-77 व 1977-78 में कितने पंजीकृत थे और इनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया ? जिलेवार व जातिवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार इन नियोजन कार्यालयों के क्रियाकलापों में रद्दोबदल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में निम्नानुसार पंजीकृत आशार्थी उपलब्ध थे:—

योग्यता	1976	1977	1978
पोस्ट ग्रेजुएट	5355	5440	5312
हायर सैकण्डरी	50028	47712	51301
साक्षर	148159	144447	166905
योग:—	203542	197599	223518

(2) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों द्वारा निम्नानुसार आशार्थियों को योग्यतानुसार नियोजित करवाया गया: –

योग्यता	1976	1977	1978
पोस्ट ग्रेजुएट	42	59	70
हायर सैकण्डरी	3001	2937	3932
साक्षर	10419	9766	12696
योग :–	13462	12762	16648

(3) अल्प संख्यक आशार्थियों की सूचना का संकलन इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूचना (पंजीकृत नियोजित) परिशिष्ट 'अ' पर एवं अनुसूचित जन जाति की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। जातिवार सूचना एकत्रित नहीं की जाती।

(4) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 व 18 अगस्त, 1980)

जयपुर राजघराने की भूमि

270. **श्री भैरू लाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर राजघराने के कब्जे में कितनी भूमि कहां-कहां पर स्थित है ? सीलिंग कानून के बावजूद उनके पास अभी तक इतनी अधिक भूमि क्यों है ?

(2) क्या राजघराने द्वारा सीलिंग में आई हुई भूमि पुरानी तारीखों में बेची गई है ?

(3) क्या इस भूमि पर सीलिंग के पश्चात दूसरे लोगों ने खरीद कर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो कितने और किन-किन लोगों ने कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा किया है ? इस भूमि पर काश्त करने वाले भूमिहीन किसानों को यह भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में भू. पू. महाराजा जयपुर के कब्जे में राजस्व रिकार्ड के अनुसार 14026 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी। उसका विवरण परिशिष्ट "क" में दिया हुआ है। इसमें से 9354-10 बीघा भूमि राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड एक्वीजिशन आफ लैण्ड ओनर्स स्टेट एक्ट 1963 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होकर अवाप्त करने का आदेश प्रसारित किया गया है। किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका होने के कारण कब्जा नहीं लिया गया है। शेष भूमि उक्त अधिनियम के प्रावधान में वेस्टिंग की तिथि से पूर्व ही सद्भावी हस्तान्तरण के द्वारा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित मानी जाकर अथवा अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित भूमि न होना या भूमिधारक की भूमि न होना मानकर अवाप्त नहीं की गई है।

भू. पू. महाराजा के अलावा राजघराने के अन्य सदस्य श्री पृथ्वीसिंह के नाम ग्राम थोलाई व खवारानी जी में 511 बीघा 11 बिस्वा भूमि को सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त किये जाने का आदेश दिया जा चुका है एवं कब्जा लिया जा चुका है। जिसमें खवारानीजी की भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ग्राम थोलाई की भूमि का आवंटन शीघ्र ही कर दिया जावेगा। तहसील दौसा में महाराज कुमारी प्रेमकुमारी के नाम 1265 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार थी। इससे सम्बन्धित मामले में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर 981 बीघा 8 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई। इसमें 552 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटन न करने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर से स्थगन आदेश हैं। शेष भूमि आवंटित की जा चुकी है।

ग्राम पड़ासोली में 679 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में पहले ग्राम फार्म महाराज कुमार के नाम अंकित थी। इस भूमि को राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड एक्वीजिशन आफ लैण्ड ओनर्स स्टेट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय में सद्भावी हस्तान्तरण माना गया है। उप जिला अधिकारी जयपुर के न्यायालय से भी इस भूमि में से 329 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश प्रसारित हुये थे परन्तु न्यायालय में मामला

(राजस्व मंत्री)

विचाराधीन होने से अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

ग्राम झालाना चौड में भू. पू. महारानी जयपुर श्रीमती गायत्री देवी जयपुर के नाम से 416 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी जिसमें से सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 336 बीघा 4 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दिये जा चुके हैं। किन्तु न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने से आवंटन नहीं किया जा सका।

सवाई माधोपुर जिले में जयपुर राजघराने के निम्नांकित व्यक्तियों की खातेदारी में उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि है जो सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार उन को छोड़ी गई है:–

क्र. सं. व नाम	गांव का नाम	तहसील	खाते में कुल भूमि	अधिग्रहण की गई भूमि	शेष रही भूमि
1	2	3	4	5	6
1-महाराज कुमार श्री जयसिंह	भगवतगढ़	स. माधोपुर	881 एकड़	827 एकड़	54 एकड़
2-महाराज कुमार पृथ्वीसिंह	महरवा	टोडाभीम	1422 एकड़	1374 एकड़	48 एकड़
	कमालपुरा	,,	91 एकड़	91 एकड़	..

(2) राजस्व रेकार्ड के अनुसार सीलिंग में आई हुई भूमि को पुरानी तारीखों में बेचान का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। किन्तु ऐसी जानकारी मिली है कि राज्य घराने के सदस्यों द्वारा पूर्व के कुछ पट्टे जारी किये हुये हैं।

सवाई माधोपुर में ग्राम भगवतगढ़ के 29 व्यक्तियों एवं ग्राम बन्नोटा एवं लोरवाडा के 97 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 16-4-68 को श्री जयसिंह से भूमि क्रय करना सीलिंग प्रकरण की सुनवाई के दौरान बताते हुये उज्रदारी पेश की थी किन्तु उज्रदारों द्वारा न तो भूमि क्रय करने का कोई पर्याप्त प्रमाण पेश किया और न राजस्व रेकार्ड में भूमि क्रय बाबत कोई प्रविष्टियां थीं अतः उज्रदारियां खारिज की गई थीं। उपलब्ध रेकार्ड से भूमि सही रूप में किसी के द्वारा क्रय करना साबित नहीं होता। श्री पृथ्वीसिंह द्वारा भी उक्त दोनों ग्रामों की भूमि विक्रय की गई है किन्तु विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं हुये हैं। जिसके कारण इन हस्तान्तरणों को सीलिंग प्रकरणों में मान्यता नहीं दी गई थी।

(3) राजस्व रेकार्ड के अनुसार सीलिंग अधिनियम के पश्चात् खरीद कर कब्जा किये जाने के मामले प्रकाश में नहीं आये हैं सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि जो आवंटन के लिए उपलब्ध है के शीघ्र आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। जिन मामलों में प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है उनमें निर्णय के पश्चात् ही कार्यवाही निर्णयानुसार होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से मथुरा तैल शोधक कारखाने से दूषित होने वाले पर्यावरण के कारण घाना पक्षी बिहार के पक्षियों को क्षति होने की सम्भावना के विषय में।

(2) सर्व श्री हंसराज शर्मा, चुन्नीलाल जेलिया, गोपाल पचेरवाल, व बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर मेडिकल कालेज में गत 16 अगस्त की रात्रि को अनुसूचित-जाति तथा जन-जाति के छात्रों पर सवर्ण छात्रों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

(3) श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से लघु उद्योग निगम में कार्यरत प्रबन्ध संचालक द्वारा सामान की खरीद आदि में अनियमितता एवं घोटाले करने के विषय में।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर-पालिका के प्रांगण में एक औद्योगिक मेले में एक पार्टी द्वारा जुआ खेलने के विषय में।

(5) सर्वश्री रघुवीरसिंह कौशल व हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में हजारों किसानों की भूमि नहरें व ड्रेनेज के लिये अवाप्त की गई थी किन्तु उसका मुवाअजा न देने के विषय में।

(6) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कक्षा 9 व 10 के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित संस्कृत गद्य पुष्पांजलि नामक पुस्तक में काफी अधिक गलतियां होने के विषय में।

(7) श्री मोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर के रानी बाजार में घनी आबादी के क्षेत्र में एक छविगृह निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है, इस विषय में।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से गोवर्धन से 10 किलो मीटर दूर ग्राम पलसों में एक 35 वर्षीय महिला द्वारा सती होने की घटना के विषय में।

(9) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा सांगानेर में असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक का वातावरण फैलाने के विषय में।

(10) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में चरागाह भूमि पर किये गये नाजायज कब्जों के विषय में।

(11) श्री रतनलाल तांबी, सदस्य, विधानसभा की ओर से नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड मे अधिशाषी अधिकारी द्वारा कई कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर देने के विषय में।

(12) सर्व श्री लच्छूराम व मास्टर भवरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील सरदारशहर के कुछ सरपंचों द्वारा काम के बदले अनाज योजना व अकाल सहायता में घोटाले करने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सर्व श्री रामरघुनाथ चौधरी, महाराम चौधरी, घनश्याम तिवाड़ी व यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय के 14 अस्थायी अध्यापकों को सेवामुक्त कर उनके स्थान पर अन्य प्रान्त के लोगों को इन पदों पर नियुक्त करने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी, जो अस्वीकार किया जा चुका है।

माननीय सदस्य आज इस विषय में अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं और यदि सम्बन्धित मन्त्री महोदय यदि उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो वे भी कह सकते हैं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:-

(1) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 30 जुलाई, 80 को हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों द्वारा सतलज नदी के पानी के आधार पर बिजली उत्पादन हेतु एक प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में।

इस विषय पर दिनांक 25 अगस्त को एक वक्तव्य सरकार की ओर से दिया जावेगा, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील इन्द्रगढ़ में इन्द्रायन नामक बांध के डूब में आने वाली जमीन के विषय में।

(3) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में चीनी वितरण में हुई अनियमितताओं के विषय में।

(4) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील फागी में दो बालकों को बन्धवा मजदूर बना कर रखने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के जो स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किये हैं, वह अपनी बात दो-दो मिनट में कह सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

एक माननीय सदस्य : कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, एक माननीय को मारने की धमकी दी जा रही है, उसके बारे में क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में माननीय सदस्य ने एक पत्र भेजा है।

व्यवस्था का प्रश्न

केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विभाग के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : पाइन्ट आफ आर्डर। मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की व्यवस्था सुधारें।

श्री अध्यक्ष : बैंकों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, राज्य सरकार से नहीं है। बैंकों की व्यवस्था में सुधार केन्द्र सरकार ला सकती है। राज्य सरकार से ......

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं यह कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, सदन के द्वारा कि केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, इसलिये मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केन्द्रीय सरकार के जिम्मे, जो महकमे हैं, रेलवे, तार, डाक, सेना, वह जनहित के हैं, तो उनका सम्बन्ध अपने से है। लेकिन उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव अथवा अन्य तरीके की कोई सूचना केन्द्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार नहीं दे सकती है।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, स्थिति बिलकुल स्पष्ट है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने यह निवेदन किया था, मैंने इसलिये पेश किया था, सदन के माध्यम से·······

श्री अध्यक्ष : केन्द्र सरकार के जितने विभाग है, उन पर अपने माध्यम से चर्चा हो सकती .. यह सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य, आप स्थिति को अच्छी तरह समझ गये हैं।

श्री राजबहादुर !

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, जिसके लिए सरकार से जानकारी चाही थी, उसके लिए क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : जिनमें जानकारी प्राप्त हुई है, उन पर मैंने व्यवस्था दे दी।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव में भरोसीलाल की रक्षा के लिये कहा था। उनको गोली मारने की धमकी दी है और यह कहा है कि तुम चुनाव लड़ने के लिये इस्तीफा नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा। उन्होंने पत्र लिखा है। आप उनके लिये व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस विषय को उठा रहे हैं, वह स्थगन प्रस्ताव में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव में है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव में ऐसा नहीं है। स्थगन प्रस्ताव में सुरक्षा का प्रश्न था। इसलिये अविलम्ब कार्यवाही हेतु गृह मन्त्री को भेजा। उनसे दुबारा बुला कर कहा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सम्पर्क कर रहे हैं। पत्र लिख रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरी आपसे गुजारिश है, स्थगन प्रस्ताव का जिक्र किया, उसके बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके निवास पर आकर धमकी दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी ले रहा हूं। इसलिए जब अस्वीकृति दे देता हूं या अस्वीकृत कर देता हूं, उस स्थिति में यहां बोलने का अवसर मिलता है, अन्यथा नहीं।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय भरोसीलालजी सदस्य हैं। वह अपनी सारी स्थिति का स्पष्टीकरण सारे सदन के सामने कर देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं उस पर कार्यवाही कर रहा हूं। स्थगन प्रस्ताव नहीं देते, उनको कोई कठिनाई होती, यहां कह देते तो मुझे एतराज नहीं था। स्थगन प्रस्ताव दिया, काफी गंभीर था, उनके जीवन को खतरा था, इसलिये उस दृष्टि से उसको मैंने देखा है। गृह मंत्रीजी को बुला कर मैंने उनको दिया।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। आपने कह दिया, आप सरकार से मांग कर रहे हैं। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा रात को, दिन को, गोली मार देगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना लाइटली इसको नहीं लिया है। अन्यथा वह स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास जानकारी हेतु जाता। मैंने व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री को बताया, वह पत्र दिखाया, उसकी गम्भीरता को बताया। उन्होंने मेरे समक्ष एक पत्र का डिक्टेशन दिया। मुझे आश्वाशन दिया। उन्होंने कहा मैं अभी भरोसी लालजी को बुलाकर बात करता हूं। उनको यदि कोई खतरा हुआ तो उसका इन्तजाम करेंगे। इतने आश्वासन के बाद भी आप यह कह रहे हैं कि इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। आपकी बिना जानकारी के यह सारी बात हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी के लिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बाद में जोड़ना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, वह इस स्थगन प्रस्ताव में नहीं है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सरकार से विनती करनी है, जो स्टेप लिया है, कदम उठाये हैं, वह आवश्यक हैं। यह मामला सचमुच बहुत गंभीर है ..

श्री अध्यक्ष : बिलकुल आवश्यक है। सबसे पहले गृह मन्त्रीजी को बुलाकर दिया, उनसे चर्चा की। उनकी सुरक्षा का इन्तजाम हो। उनके जीवन की सुरक्षा हो। इतना मैं कर सकता था, इतना मैंने कर दिया।

श्री राजबहादुर : किन्तु जब बयान आ जाता है, जवाब आ जाता है प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: प्रबन्ध पहले होना चाहिये। यह मैं मानता हूं। और प्रबन्ध मैंने पहले कर दिया है।

श्री राजबहादुर : आखिरकार खुली चिट्ठी लिखी जाती है। आदमी धमकी देने वाला खुद आता है, कहता है, गोली मार दूंगा। इसलिये चर्चा का विषय हो जाता है। मैं आपसे विनती करता हूं जब जवाब आ जाता है, उसके बाद चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष : आपको चर्चा में पड़ने की की बजाय पहले उस पक्ष को····

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव थम्स अप के बारे में रखा है।

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : थम्स अप के बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): इस मामले का क्या होगा !

श्री अध्यक्ष : कौन से का।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य को धमकी दी जा रही है, उनको क्या प्रोटेक्शन दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें मैंने निवेदन कर दिया....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : कर रहे हैं बन्दोबस्त....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बन्दोबस्त क्या कर रहे है? विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी ...

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, उससे पहले, उनको बुलायेंगे। वह क्या चाहते हैं, यह भी लिख दिया है। आप गार्ड चाहते हैं या कुछ और, उसकी बात कर लेंगे।

(व्यवधान)

न आप कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकता हूं। जितना मैं कर सकता था, मैंने कर दिया।

एक माननीय सदस्य : जो धमकी दे रहा है गोविन्दसिंह नाम का, आदमी उसने गवर्नमेंन्ट होस्टल, राजकीय प्रवास भवन में जाकर धमकी दी हैं। इसकी सरकार पूरी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसके लिये कुछ मार्गदर्शन कीजिये। उसके अनुसार कर देंगे। बताइये, इससे ज्यादा कब क्या करें। जो करना था मैंने कर दिया। इसके बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो मुझसे और आकर मिलें। मुझसे थोड़ी देर के बाद चैम्बर मे मिल लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य सुनेंगे, किस प्रकार की समस्या उनके सामने हैं। एक बार सुन लीजिये उनको।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, मैंने यही बात कही है; सब विस्तार से सदन के समक्ष अर्ज कर दिया। इसके बाद यदि उनको कोई ऐसा महसूस हुआ हो, इंतजाम नहीं हुआ है, तो मेरे से मिल लें। उनकी सुरक्षा के पूरे प्रबन्ध हो गये हैं।

श्री भरोसी (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 जुलाई, 1980 को श्री गोविन्दसिंह, जो 302 का मुजरिम है, एक ब्राह्मण को मार कर हिण्डौन से आया हुआ है और जयपुर में रहता है। मेरे से आकर उन्होंने यह कहा कि या तो आप इस्तीफा दे दें, या मुझ से एक लाख रुपया ले लो, मैं आपको किसी का चैयरमेन बनवा दूंगा। मेरी जमानत जब्त हो सकती है। आप इस्तीफा दे दो नहीं तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। मेरे को बराबर धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा मेरे को पत्र प्राप्त हुए हैं। मेरी गाड़ियां बाहर चलती हैं इसलिये मेरी जान-माल का पूरा पूरा खतरा है। मैं निवेदन करता हूं कि उस मुल्जिम जो कि यहां रहता है, को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है वह सीट खाली करने के लिये कहता है, तो सीट खाली कराने का क्या कारण है। इसलिये उसको बन्द किया जावे और मेरी सुरक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था की जावे।

श्री अध्यक्ष : जब मैं चैंबर में जाऊं उस वक्त आप कृपया मुझसे मिल लीजिये।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों के बारे में यहां जबानी जानकारी नहीं दी जा सकती। जितने आज प्रस्तुत हुए उन पर व्यवस्था दे दी। जिन पर सरकार की जानकारी आ गई उनको मैंने लिया है। जिन पर सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आ सकता उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया। आपको अवसर दे दिया जायेगा। जितने माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं वे 2-2 मिनट अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों के बारे में जबानी यहां पर कहने की स्थिति में नहीं हूं।

*श्री भरोसीलाल : बार बार मुझसे कहते हैं कि मुझे सीट पहाड़ियाजी के लिये खाली करनी हैं इसलिये आप इस्तीफा दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : अभी अभी कमलाजी ने कहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : नहीं, पहाड़ियाजी ने न तो यह कहा है कि अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा न कहीं क्षेत्र बताया है जहां से ...

(व्यवधान)

पहाड़ियाजी को चुनाव लड़ना है। वे इस प्रकार की बात बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पहाड़िया।

*श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में लीडर रहे हैं पहाड़ियाजी उन्होंने जब से सीट चेंज की है पहले टोंक से लड़े, फिर सवाई-माधोपुर से लड़े फिर भरतपुर में जब से चेंज किया है तब से दूसरी सीट का सपना भी नहीं देखा। अच्छी है तो हमारी और बुरी है तो हमारी है। वह गलत कहते हैं कि पहाड़ियाजी मेरी सीट से लड़ेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपालसिंह !

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे तो विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्य पहाड़ियाजी का नाम लेने के लिये कंपेल कर रहे थे। यह हम प्रत्यक्ष देख रहे थे। श्रीमती उजला अरोड़ा कह रही थीं कि किसके लिये खाली कराने की बात थी। इसी को माननीय दूसरे सदस्यों ने कहा। यह बड़ी संदिग्ध बात है। इससे संदेह होता है कि इस सारी बात में सभी विरोधी दल के सदस्यों का हाथ है। बदनाम करने के लिये ....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जिनको अपने जीवन का खतरा है, वह अपनी बात नहीं कर सकते थे। क्यों पहाड़ियाजी का नाम लेने को कंपेल कर रहे हैं, यह नाम लेना कहां तक ठीक है? माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह बात कहने के लिये बाध्य किया जा रहा था कि पहाड़ियाजी के लिये सीट खाली की जाय। मैं मान सकता हूं कि यह पहाड़ियाजी ने नहीं कहा होगा लेकिन इसमें लिप्त वे कांग्रेसी भी हैं जो पहाड़ियाजी को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस तरह की धमकियां दिलवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : ये नाम बोलने के लिये कंपेल कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ (फतहपुर) : इधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी दोनों ही अपनी बात को छिपा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। यह बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि भरोसीलाल जी कल मेरे पास में आये और पत्र उन्होंने गोविन्दसिंह का दिया जिसके लिये कह रहे थे जो जाट है, जिसने मर्डर किया है वह पत्र मैंने पढ़ा है, उसमें धमकी दी गई है। वह उससे पहले मिले, आपने आश्वासन दिया यह भी बताया। मैंने उनसे कहा कि सीट खाली करने की बात लिखी है, पहाड़ियाजी के लिये राजस्थान में 33 सीटें हैं और यदि मुझे भी वे कह दें तो मैं खाली करने के लिये तैयार हूं। आपसे खाली कराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात हमने तो सुनी नहीं और न उन्होंने स्वयं कही, न हमने उनको कोई सुझाव दिया लेकिन अभी उनके कानों में इस तरह की बात डलवाई गई है तो इस प्रकार की कोई....

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाऊ किया है बोलने के लिए। मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, पहले नियमों का पालन कीजिये फिर अपनी बात कहिये।

श्री दिनेश डांगी : मैंने अपनी बात नहीं कही। इसमें दूसरों को बोलने की आवश्यकता ही क्या है जब पहाड़ियाजी पर क्लेम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैंने प्रोटेक्शन की बात कह दी। लच्छूराम जी कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने डेलीबरेटली कहलाया है कि पहाड़िया जी सीट खाली कराना चाहते हैं। इसके सम्बन्ध में मैं आपसे मिल सकता हूं चेम्बर में।

(श्री लच्छू राम)

गोविन्दसिंह 14 जुलाई को गवर्नमेंट होस्टल में रात को तीन बजे आकर दरवाजा खटखटा कर नीचे ले गया और उनसे कहा कि यह सीट खाली कर दो।

श्री अध्यक्ष : 14 जुलाई। आर्डर, बात कहने दीजिये।

श्री लच्छूराम : 14 जुलाई को नीचे ले गया गवर्नमेंट होस्टल में रात को। उनको पता नहीं था। उनको गोविन्दसिंह से कोई वैर-भाव नहीं। गोविन्दसिंह जाति से जाट है, गुण्डा है और उसमें एक ब्राह्मण का मर्डर किया है, 302 में मशरूफ है। उसने नीचे लाकर कहा, मेरी जिन्दगी खतरे में है मेरी जमानत तभी हो सकती है जब तुम सीट खाली कर दो। यह मैं लांछन नहीं लगाना चाहता। मैं कहता हूं वह बात शायद झूठ हो सकती है लेकिन गोविन्दसिंह ने 14 जुलाई की रात को कहा। फिर इन्होंने तीन तारीख को पत्र में लिख दिया फिर हमने यह कहा कि यह बात कहने को आवश्यकता नहीं है, वह हम कर लेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरी बात पूरी नहीं हुई है....

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से इसमें और कोई बात हो तो आप बाद में स्पष्टीकरण कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, यह बताइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, जिन गोविन्दसिंह के बारे में सदन में कहा गया है, उस बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक षड़यन्त्र है और जान बूझ कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। पहाड़िया जी के लिए कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कोई सीट खाली नहीं की जा रही है इसलिए माननीय भरोसीलाल जी ही एक ऐसे व्यक्ति रह गये हैं जिन पर दबाव डाल कर सीट खाली करवायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह एक षड़यन्त्र है और हमको बदनाम करने की एक साजिश है। जहां तक भरोसीलाल जी की सुरक्षा की बात है हमारे उप गृह मन्त्री उनको एक अंगरक्षक देने को तैयार है। जो हर समय आपके साथ रहेगा और आपकी हिफाजत करेगा। इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि गोविन्दसिंह से हमारे दल का कोई ताल्लुक नहीं है। वह हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। हमारे दल की इस सदन में 134 सीटें हैं। कोई भी व्यक्ति सदस्य जहां से लड़ना चाहेंगे, सीट खाली करेगा और पहाड़िया जी को वहां से चुना जाएगा।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : हमारे पास 134 सीटें हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य.... (व्यवधान) कृपया नियमों का ध्यान रखें। कृपया नियमों का ध्यान रखें। कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है।

श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री गोपाल पचेरवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो पत्र लिखा गया है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह विचारणीय विषय नहीं है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यों का, कांग्रेस यू के अतिरिक्त, का बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय सन् 1952 से लेकर आज तक विरोधी दल द्वारा कई अवसरों पर वाक आउट किया गया है। यह पहला मौका है। जब वाक आउट करने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण होता तो उनकी बात समझ में आती। उनकी यह आदत हो गई है।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : अखबारों में नाम निकलवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य : आपस में बात न करें।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, जब से मुख्य मंत्री के पद पर पहाड़ियाजी आए हैं यह प्रचार हो रहा है कि मुख्य मंत्री दिल्ली जा रहे हैं। इसके पीछे कोई हीन भावना काम कर रही है। आदमी समाज में रहता है वह पिछड़े हुए वर्ग को किसी पद पर देखना नहीं चाहता है। पहाड़िया जी की ओर कोई बात हो सकती है लेकिन जो राजस्थान का मुख्य मंत्री बना है उससे वह साजिश करके सीट खाली करवाना चाहे, यह सोचा नहीं जा सकता है। इस तरह की हल्की बात नहीं कहनी चाहिये। यह आपका कर्तव्य होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए कि माननीय सदस्य यदि कोई संरक्षण चाहें तो वह संरक्षण उनको दिया जाए और जो मुलजिम है उनको पकड़ने की कोशिश करें। इसे दरगुजर करने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य हो, वह अपनी पार्टी के बल पर ही रहेगा। अपनी पार्टी का बल उसके पास नहीं है, तो वह नहीं रहेगा। हर मुद्दे पर आलोचना, आलोचना उचित नहीं है। आज एक हीन भावना समाज में जागरूक हो रही है। मैं तो प्रधान मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर !

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी-अभी यहां पर उपस्थित हुआ तो मुझे यह सूचना मिली। उसके तत्काल बाद, पांच मिनट के अन्दर-अन्दर मैंने माननीय भरोसी लालजी को यह पत्र लिखा है, जो। मैं यहां पढ़ कर सुना रहा हूं।

"श्री भरोसी लालजी,
विधायक,
दिनांक 23 अगस्त, 1980

महोदय,

मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप द्वारा दिए गए तथ्यों से अवगत किया है। इस सम्बन्ध में आप कृपया मुझ से अविलम्ब मिलने का कष्ट करें ताकि आपकी सुरक्षा के बारे में समुचित व्यवस्था की जा सके। यदि आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी गनमेन या अंगरक्षक को रखना चाहें तो यह बताने का कष्ट करें।"

यह पत्र माननीय सदस्य को मिल गया है और रसीद मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आपस में बात न करें।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है। माननीय सम्पतरामजी ने जो बात कही है वह दूसरे संदर्भ में कही है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि वह पत्र पढ़ने दिया जाए जो पत्र गोविन्दसिंह ने माननीय सदस्य को लिखा है। वह सदन में आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आग्रह कर रहा हूं वह पत्र कम से कम सदन के नोटिस में आ जाए। यह मेरी भावना है। इस पत्र को पढ़ने दिया जाए तो अच्छा होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस पर तो इन्होंने वाक आउट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं वह पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई चर्चा नहीं होगी। आप नाराज होकर वाक आउट कर गये थे।

माननीय राजबहादुर जी !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शांत रहें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। माननीय राजबहादुर जी। मथुरा के तेल शोधक कारखाने के विषय में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपकी कोई कठिनाई है तो बाद में सुन लूंगा, पहले विषय पर चर्चा हो जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर मैंने व्यवस्था दे दी है

आर्डर प्लीज। माननीय राजबहादुरजी !

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इनके बाद अपनी बात कह सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत दूं तो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस संशोधन के साथ।

श्री राजबहादुर : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और उसका मुख्य उद्देश्य यह है और उसका आधार समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार है। जो बहुत ही अच्छा और महत्व का समाचार निकला है, इसके आधार पर यह स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता हूं। समाचार यह है :

"Government of India has appointed a high powered seven-member Committee to over-see the measures being taken to save the Taj Mahal from the danger

(श्री राज बहादुर)

of pollution from the proposed Mathura oil Refinery. According to offical sources, the Committee consists of the Secretaries of the Ministries of science and Technology, works and Housing, Education, petroleum and Technical Development. Also on the Committee are the Chief Secretary Uttarpradesh Government and the Chairman of the Indian Oil Corporation. The Science and Technology Secretary is the Chairman of the Committee."

कमेटी के सामने बहुत सी चीजें आयेंगी। उनमें से तीन पढ़ता हूं समय बचाने के लिये ज्यादा नहीं पढ़ूंगा....

श्री अध्यक्ष : पढ़ना नहीं। कोई भी चीज है जुबानी ही होनी चाहिये।

श्री राजबहादुर : गवर्नमेन्ट आॅफ इण्डिया ने इतनी इम्पोर्टेन्स दी है इसके बारे में तेल शोधक कारखाना मथुरा में लगा रहे....

(व्यवधान)

इससे पर्यावरण दूषित होने के कारण ताजमहल को खतरा हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आदरणीय माननीय रामकरणजी, कृपया शान्त रहें।

श्री राजबहादुर : ताजमहल और दूसरे जो हमारी पर्यटन सम्पदा है घना पक्षी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री राजबहादुर : उसको खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन पत्थरों से ज्यादा खतरा हो सकता है जीवों को। इन जीवों की वजह से एक बहुत बड़ा आकर्षण है हमरा घना पक्षी विहार बोर्ड सेन्क्चुरी है जहां पर साईबेरिया और दूर दूर से पक्षी आते हैं। उनको देखने के लिए दुनियां के कोने-कोने से पर्यटक लोग आते हैं, बहुत बड़ा इसका नाम है। पर्यावरण दूषित हो जाने के कारण इसको जो खतरा पहुंचता है तो निश्चय ही वह इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, इतनी बड़ी दुर्घटना होगी जितनी ताजमहल को नुकसान होने से। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बर्ड सेन्क्चुरी को भी देखना चाहिए, इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिये। उसके लिये आज चीफ सेक्रेटरी उत्तरप्रदेश इसमें मौजूद है, सारी मिनिस्ट्रीज कि सेक्रेटरी इसमें मौजूद हैं तो राजस्थान का सेक्रेटरी इसमें मौजूद होना चाहिये। आगरे का फासला मथुरा से 35 मील है और ताज का फासला 40 मील है। लेकिन बर्ड सेन्क्चुरी का फासला मथुरा से 20–25 मील है। पर्यावरण दूषित होने से ज्यादा खतरा उसको मौजूद होगा। जो कमेटी नियुक्त की गई है इस बात के लिये उसमें भरतपुर की बर्ड सेन्क्चुरी पर प्रदूषण को नहीं छोड़ना चाहिए। अब भी कुछ करना चाहिये। जितने काम उसे दिये गये हैं वह बताना चाहता हूं कि क्या-क्या चीजे हैं जिनका परीक्षण किया जायेगा।

(श्री राजबहादुर)

"At least 3 or 4 pollution monitoring stations would be established at suitable locations between the refinery and Agra.

एक तो यह है।

"These stations should become operational well before the commissioning of the refinery"

रिफायनरी एस्टेब्लिश हो रही है, आ रही है। इसके बाद में है।

"Scientific studies should be undertaken to find out effects of sulpher di-oxide as well as oxides of nitrogen on marble and red sand stone."

मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार को इसके बारे में अपना रुख जाहिर करना चाहिये कि वह क्या करने जा रही है। वह इसमें ज्यादा और न दे सके, लेकिन इस चीज कि कम से कम केन्द्रीय सरकार से कहे कि वह इसके बारे में कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठायें कि यह बर्ड सेन्चुरी, जो इतने महत्व की है, की भी चिन्ता करे। उसको उतना ही महत्व दे जितना ताजमहल को दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा, श्री चुन्नीलाल जेलिया, श्री गोपाल पचेरवाल व श्री बहादुर सिंह ने अनुसूचित जाति के छात्रों पर, मैडिकल कॉलेज के विद्यार्थी पर हमले के बारे में। उनमें से चुन लें, कोई भी एक माननीय सदस्य इस तथ्य को सदन के सामने रख सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था 'थम्स अप' के बारे में जो आपके पास पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : साहब, एक पेय पदार्थ होता है जिसका यह नाम है जिस पर अंगूठे का निशान है। मैं अभी दिखाउंगी तो लोग कहेंगे कि अंगूठा दिखा रही हैं। मेरी मजबूरी है, अध्यक्ष महोदय......

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोकाकोला की तरह होता है।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां पर नियम है कि एक माननीय सदस्य एक दिन में एक ही स्थगन प्रस्ताव दे सकता है। आपने आज दो प्रस्ताव दिये हैं। सतो वाला प्रस्ताव दिया था उसको ले लिया है व्यवस्था दी है। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपसे कोई चर्चा नहीं कर रही हूं। चर्चा नहीं करने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जब अन्य माननीय सदस्य बोल लें तब देख लेंगे। आज अन्तिम दिन है किसी को निराश नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट में समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, मुझे विशेष अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष : विचार कर लेंगे। दे देंगे।

श्री हंसराज !

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आसन की ओर से समय-समय पर व्यवस्था दी जो दोहराई गयी है कि 24 घंटे के अन्दर स्थगन प्रस्ताव दिया था। डेढ़ सप्ताह हो चुका है। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : मुझे पुरानी बात याद नहीं है। माननीय सदस्य मुझे सूचित करते हैं और मैं जब जानकारी करता हूं तो यह स्थिति निकलती है कि उस पर मैंने सदन में व्यवस्था दे दी है। सम्भवतः उस समय सदन में उपस्थित नहीं हों ऐसे मामले में कृपया आप मुझे अलग से मिल लें।

श्री बंसीलाल पटवा : जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यहां मैं कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता हूं। आप कृपया मुझसे मिल लें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : राज्य सरकार का ध्यान....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है कृपया स्थान ग्रहण करें। 4 माननीय सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है तो आपस मे तय कर लें। आप तो बोल लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : पहले आप बोल लें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 16 अगस्त, 1980 को रात्रि को 11 बजे उदयपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के अन्दर एक अप्रिय घटना हुई। उसके बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उस दिन वहां गुण्डा तत्वों ने वहां के विद्यार्थियों से मिलकर रात्रि के करीब 11 बजे मेडिकल छात्रावास के अन्दर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उन्होंने वहां की बिजली की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बन्द कर दिया। उसके तुरन्त पश्चात् उन लोगों ने एस. सी. और एस. टी. के जो विद्यार्थी छात्रावास के अन्दर रहते थे उनको बुरी तरह पीटा, उनके हाथ पैर तोड़ दिये।

[1.48 म.प.]

[श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन]

सभापति महोदय, यहां तक हुआ कि 10-12 विद्यार्थियों को इतना घायल कर दिया कि उनके 10-12 जगह चोटें आयीं हैं और वे अस्पताल में हैं। इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अप्रिय घटना घटी, विद्यार्थी को बुरी तरह से घायल कर दिया फिर भी सरकार ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एस. सी. और एस. टी. के विद्यार्थी जो बाहर से आये हैं दूर दूर के क्षेत्रों से, शिक्षा के लिये और पढ़ने के लिये इतनी दूर आये हैं से इस प्रकार के असामाजिक तत्व ने मिलकर वहां के विद्यार्थियों से मिलकर जो घटना की है

(श्री हंसराज शर्मा)

वह उसकी जांच करे। इसके साथ मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य कॉलेजों में परीक्षायें चल रही हैं। उनको पीटा गया है और वह हास्पिटल में हैं वे परीक्षा देने में असमर्थ हैं इसलिये उनके लिये हर प्रकार की व्यवस्था की जाये। जिन तत्वों ने इस प्रकार की घटना की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाये और बर्खास्त किया जाये। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय बात लोगों के साथ न हो। उनको बचाने का प्रयास किया जाये।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमान, हम 3-4 माननीय सदस्यों ने उदयपुर मैडिकल कॉलेज के कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हरिजन छात्रों की निर्मम और जानलेवा पिटाई की उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना है कि सरकार उनको संरक्षण प्रदान करे। स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, मैं विषय पर अपनी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, परन्तु अपनी बात कहने से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि हरिजन मुख्य-मंत्री और हरिजनों के मंत्री प्रभाकर, जो उनके हित की चिन्ता करने वाले हैं, ने बड़े गौरव से और बड़े नाटकीय ढंग से कहा था कि मजबूत हाथों से उन्होंने झंडा फहरा दिया है वह झंडा आजादी का फहराया था जो हमको बड़ी मुश्किल से मिली है। मंत्री महोदय, उस दिन वहीं थे वह आजादी की कुर्बानी की बात करते हैं और 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात करते हैं। जिस दिन हरिजन छात्रों की जानलेवा पिटाई की जा रही थी उस समय उस दिन उनका जमीर कहां था। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुयी। वे 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात कर रहे थे और गांधी जी के प्यारे हरिजनों की पिटाई हो रही थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पहाड़िया जी पहली बार हरिजन मुख्य मंत्री बने हैं इसलिये उनके खिलाफ प्रचार करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जानकारी कराना चाहता हूं कि इस सदन में मैंने सबसे पहले प्रधान मंत्री और राज्य सरकार दोनों को बधाई दी थी। सदन में इसलिये नहीं कहना चाहता था कि माननीय सदस्य समझेंगे कि मैं कांग्रेस सरकार की चमचागिरी कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बधाई दी थी, लेकिन आज माननीय सदस्य इस तरह की बात करें, किसी माननीय सदस्य के साथ ज्यादती हो यह कहां तक सही है श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से, और सरकार से, आज हमारे साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। हमारी मां बहिनों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। नौजवानों को पीटा जा रहा है। उनको शिक्षा प्राप्त करने से रोका जा रहा है। मात्र इसलिए कि वह पिछड़े वर्ग के हैं। कहीं इस समाज में राजनैतिक चेतना हीं आ जाये। शिक्षा प्राप्त करने से चेतना ही आये। इतिहास में पहली बार पिछड़े वर्ग के मुख्य मन्त्री बने हैं राजस्थान में बने हैं। इस समाज के लोगों को रोका गया है, आगे बढ़ने से। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 13 तारीख को विद्यार्थियों का छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसमें एक छात्र की निर्मम पिटाई की गई। मैनेजमेण्ट और वहां के

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की। एक छात्र के सर में चार पांच टांके आये। उनको बुरी तरह से पीटा गया। वहां के अधिकारियों ने उनका राजीनामा कराने के लिए 14 तारीख को बुलाया। लेकिन बुलाकर उनको धमकी दी गई। उनको कहा गया कि अगर तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसका बुरा अन्जाम होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बावजूद जिला अधिकारियों ने उनको कोई संरक्षण नहीं दिया है। इसका नतीजा क्या हुआ, 15 तारीख की रात को, 15 अगस्त को, जब आप स्वतन्त्रता दिवस मनाने जा रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा इन मन्त्री जी को, यह मन्त्री जी हैं, यह वह मन्त्री जी हैं, एक हनुमानजी के पूंछ थी जिन्होंने लंका को जलाया था, लेकिन यह बिना पूंछ का हनुमान राजस्थान सरकार और पहाड़िया सरकार को जलाने में लगा हुआ है। हरिजनों को तबाह करने में यह बिना पूंछ का हनुमान लगा हुआ है। इसकी सदारत में, इसकी मौजूदगी में, मन्त्री की मौजूदगी में वहां हरिजन पिटते रहे हैं। मन्त्री वहां ऐश करते रहे, आराम करते रहे, झण्डा फहराते रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान् आप सरकार को निर्देश दें। हरिजनों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। आप उनके साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती पर कार्यवाही करें। उनके साथ न्याय करें। मांगीलाल आर्य हैं। बहिन भगवती देवी हैं। हरिजनों का पक्ष करने के लिए आप इन को मन्त्री बनाते हैं। राजस्थान में पहली बार एक मुख्य मन्त्री बना है। मैं तो यह गर्व से कहना चाहता हूं। इसके बावजूद हरिजनों पर अत्याचार हो और ये कानों में तेल डालकर सोते रहें। माननीय सम्पतराम जी ने भी एक बात कही थी। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पहली बार गृह मन्त्री जनता सरकार में बना था। जहां हमारे अधिकारों पर चोट होगी। हमारे अधिकारों पर प्रहार होगा हम चुप नहीं रह सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, उनके कमरों में घुस गये और लाइट बन्द कर दी। उनको तलवारों और लाठियों से मारा गया है। आज की तारीख में भी जो विद्यार्थी अस्पताल में भर्ती हैं, वहां पर उनका उपचार नहीं किया जा रहा है। वहां मैडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा डाक्टरों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुमने सही उपचार नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो इन छात्रों के साथ हुआ। मैं कहना चाहूंगा, सारे उदयपुर के माननीय सदस्य आर. एस. एस. की बात करते हैं तो माननीय कटारिया जी बहुत भभक कर बोलते हैं। कानून पर प्रहार किया जाता है। वहां पर हरिजनों को पीटा गया। सारे उदयपुर के माननीय सदस्य मौन साधे बैठे रहे। ऐसे माननीय सदस्य को हटाया जाना चाहिए। वह सोचते हैं, हमें क्यों बोलना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले सरकार में भैरोंसिंहजी मुख्य मन्त्री थे। नेहरू कॉलेज में एक छात्र को पीटा गया। तो माननीय भैरोंसिंह जी ने तीन राजपूत छात्रों को गिरफ्तार करवा कर चालान करवाया। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिफारिश करना चाहूंगा, सरकार और सदन से, यह हरिजनों का सवाल है। आप संरक्षण प्रदान करें। चाहे हरिजनों का सवाल हो चाहे और सवाल हो। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वहां के गुंडे छात्रों के द्वारा इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। वह छात्र यहां जयपुर में पड़े हुए हैं। आप उसकी जांच करा लें। मैं उनको आपके चैम्बर में पेश कर सकता हूं। वह वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आप इसी तरह से संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं? इसी तरह समाज को आगे ले जाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या भाषण देने से चेतना आ जाएगी। बड़े-बड़े बयान देने से चेतना आ जायेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करूंगा कि सरकार से बयान दिलवायें। उन छात्रों को वहां पहुंचायें। उनको सुरक्षा प्रदान की जाये। उनको न्याय दिलाया जाये। यही मेरी मांग है।

श्री सभापति : श्री अनंगकुमार जैन !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो घटना है, यह एक सामान्य घटना थी। इसे इस ढंग से उछाला जा रहा है। माननीय सदस्य का आरोप है। सामान्य घटना थी। एक ही मीणा जाति के विद्यार्थी हैं। दोनों मैडिकल कालेज के एक ही होस्टल में रहते हैं। अलग-अलग होस्टल भी नहीं हैं। वहां विद्यार्थियों के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के लड़के को पीटा। कुछ दिन पहले एक लड़के को पीटा। उन्होंने वापिस उस को पीटा। दुबारा पिटाई इकट्ठी अधिक पड़ गई। तो एक दिन मीणा जाति के विद्यार्थियों को पीटा। मैं प्रिंसिपल साहब से भी मिला। उनसे भी मैंने बात की। बातचीत करने के बाद समझौता कराने के लिए दोनों ग्रुपों को बैठाया। समझौता कराने का प्रयत्न किया परन्तु समझौता नहीं हुआ। यह कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। हमने यह प्रयत्न किया दोनों को मिला कर झगड़ा शांत कराया जाये। माननीय सदस्य, उसी बात को कह रहे हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें! माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह जांच करा लें। जो भी दोषी व्यक्ति हो उसको सजा मिले। चाहे वह मीणा जाति का ही क्यों न हो उसको भी सजा मिले। उन्होंने पहले दूसरे लोगों को पीटा जिसके कारण यह सब हुआ। यह नहीं हो सकता कि आप एक को माफ कर दो और दूसरे को सजा दे दो। जो गुनहगार हो उसको सजा दी जाये।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मैडिकल कॉलेज के छात्र तलवार और भाले रखते हैं। वहां के प्रिंसिपल महोदय को आदेश दें कि जो मैडिकल छात्र मेरिट पर आते हैं, वह इस प्रकार से हथियार न रखें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ! श्री अनंगकुमार जैन !

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लघु उद्योग निगम में जो बड़ा घपला है उसके बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान लघु उद्योग निगम में लाखों रुपयों का घोटाला है। अभी मार्च के महीने में 13 लाख रुपये का एक टेण्डर शिक्षा विभाग से निगम को मिला है। लघु उद्योग निगम के नियमानुसार वह उन्हीं चीजों के टेण्डर ले सकते हैं जिनको वह खुद बनाते हैं। जिन चीजों को वह नहीं बनाते हैं, उन चीजों का ऑर्डर लेने का उनको अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 5 महीने पहले टेण्डर प्राप्त किया गया। 5 महीने पूर्व शिक्षा विभाग ने रुपये जमा करा दिये गये। माल अभी तक सप्लाई नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि वह न तो फर्नीचर बनाते हैं और न पट्टी बनाते हैं।

सभापति महोदय, इसमें एक तरफ शिक्षा विभाग को नुकसान होगा, पहले लघु उद्योग निगम दूसरी पार्टी से माल प्राप्त करेगा उसके बाद अपना मुनाफा लेकर शिक्षा विभाग को देगा। इसलिये अगर शिक्षा विभाग डाइरेक्ट माल प्राप्त करता तो लघु उद्योग निगम को दिया जाने वाला प्रोफिट बच सकता था। इसके अन्दर लघु उद्योग निगम ने टेण्डर इन्वाइट किये थे और प्रबन्ध निदेशक महोदय ने एक ही व्यक्ति को ऑब्लाइज करने के लिये या कहना चाहिए सांठ-गांठ करके तीनों टेण्डर एक ही व्यक्ति को दिये। उन चीजों के दूसरे व्यक्तियों ने लो रेट पर टेन्डर दिये किन्तु उनको आर्डर नहीं दिया गया बल्कि उस व्यक्ति को हाई रेट पर टेण्डर मन्जूर कर दिया गया। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच करवाई जावे।

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

दो महीने पूर्व भी समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि लघु उद्योग निगम में लाखों रुपयों का घोटाला है। माननीय सभापति महोदय, हैण्डीक्राफ्ट्स के एम्पोरियम चल रहे हैं, वे प्रॉफिट में नहीं चल रहे हैं। 50 लाख रुपयों का केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिला था उसको घाटे में एडजस्ट करके बैलेन्स शीट बनाई गई है। इसलिए

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी

निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जावे और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिलाया जावे।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया!

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था।

श्री सभापति : मैं क्रमवार बोल रहा हूं, अगर अध्यक्षीय व्यवस्था में आपका नाम है तो निश्चित तौर पर आपको समय दूंगा माननीय सदस्या। श्री गुलाबचन्द कटारिया!

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, उदयपुर नगरपालिका के प्रांगण में एक औद्योगिक मेला प्रदर्शनी के नाम से एक पार्टी बाहर से आई और वहां पर प्रदर्शन लगाने की स्वीकृति मांगी। श्रीमन पिछली बार भी यही पार्टी उदयपुर में औद्योगिक मेला लगाने के नाम से आई थी और उसको स्वीकृति दी गई और उसने औद्योगिक मेला

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वहां लगाया। इस बार मेरे से कुछ आदमियों ने आकर कहा कि आप इसका उद्घाटन करेंगे। अभी पांच दिन पहले ही मुझे पता लगा कि औद्योगिक प्रदर्शनी के नाम पर वहां पर जुए का अड्डा है और इस प्रकार के नृत्य वहां किये जाते हैं जिनको देखकर एक सभ्य आदमी का शर्म से सिर झुक जाता है और घृणा होने लगती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त बोरी बिस्तर गोल करने के लिये कहना चाहिए। पुलिस थाना सूरजपोल की पिछले वर्ष की रिपोर्ट है कि इस औद्योगिक मेले में ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री-शीटर हैं, थाने पर जिनके फोटो लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों की यह एक गैंग है। जब उन्होंने परमिशन मांगी तो प्रशासक ने एस. पी. को लिखा, एस. पी. ने स्पष्ट लिखा है कि चूंकि इसमें इस प्रकार के लोग हैं, पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, कानून और व्यवस्था के लिहाज से इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जा सकती, कलेक्टर ने भी लिखा है। लेकिन इस देश में ला एण्ड आर्डर के नाम पर केवल नारा लगाया जाता है। वहां की एक कांग्रेस की कार्यकर्त्ता हैं जो मन्त्री महोदय के बहुत नजदीक हैं, वह एस.पी. पास भी गई, जब एस. पी. ने कहा कि इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती तो कहा कि आपको काले पानी जाना है क्या। एस. पी. ने कहा आप उचित समझें जैसा करें। उसके बाद वह उदयपुर से जयपुर आई और मन्त्री महोदय से बात की, इसको मैं देश का दुर्भाग्य ही समझूंगा या उदयपुर का दुर्भाग्य समझूं कि उद्योग मन्त्री महोदय ने लिखकर दे दिया कि इनको परमिशन दे दी जावे। वहां के एस.पी. ने लिखा कि लॉ एण्ड आर्डर का मामला है इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि औद्योगिक मेले के नाम पर वहां पर मात्र जुआं खेला जाता है। फिर उसका उद्घाटन किया गया, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें रिश्वत की बू आती है। एक तरफ कानून और व्यवस्था बनाये रखने की बात की जाती है और दूसरी तरफ मंत्री महोदय ने रोब और दवाव में आकर उसका उद्घाटन किया। उद्योग मन्त्री जी क्या करें, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, आर्डर यहां से निकला, कलेक्टर से बात करते, एस. पी. से बात करते उसके बाद हुक्म निकालते, इसीलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस तरह से गुण्डागर्दी का माहौल उत्पन्न करके सभ्य नागरिकों के खिलाफ जुल्म किया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त वहां से हटा दिया जाय और बोरी बिस्तर गोल करने के लिये कहा जाय।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जिस मेले के बारे में बात की, इस बारे में मेरा निवेदन है कि पिछली साल जब यह मेला लगा तब तो इसको परमिशन मिल सकती थी, अबकी बार कांग्रेस ने दे दी तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंची, फिर गई साल क्यों दी गई ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री शिवराम शर्मा : गई साल दी जा सकती है तो इस साल क्यों नहीं दी जा सकती ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने कहा है कि जानकारी आने के बाद....

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : उस वक्त कितनी घूंस ली, यह क्यों नहीं कहते ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य !

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां : सभापति महोदय, कोटा जिले में किसानों की भूमि ड्रेन्स और बांध के लिये अवाप्त की गई थी, लेकिन उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जब उनकी भूमि ली गई तो लोग इस आशा में थे कि उनको मुआवजा दिया जायेगा इसलिए उन्होंने रोक नहीं लगाई। आज कई नहरें और ड्रेन्स ऐसे हैं जिनको बने पांच-6 साल हो गये हैं किन्तु आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। कई गरीब किसान ऐसे हैं, सभापति महोदय, जिनकी सारी की सारी जमीन इन बांधों में और नहरों के अन्तर्गत आ गई, वे आज दाने-दाने को तरस रहे हैं, मजदूरी करते हुए भटक रहे हैं किन्तु अभी तक लैण्ड एक्वीजिशन ऑफिसर ने उनके केसेज को डिसाइड नहीं किया। लैण्ड एक्वीजिशन ऑफिसर मानो इस पद पर बैठ कर उनको ऐसा लगता है कि जेल भुगत रहे हों, कहीं एस. डी. ओ. रहते या किसी दूसरे पद पर रहते तो ठीक रहता, अक्सर छुट्टी चले जाते हैं, केसेज को डिसाइड नहीं करते हैं, पांच-पांच साल के केसेज डिसाइड नहीं हुए हैं। कई किसानों की सारी जमीन चली गई, उनमें असन्तोष बढ़ता जा रहा है। उन किसानों को 20 दिसम्बर तक, मुआवजा नहीं मिला तो सिंचाई विभाग के काम में झगड़ा करने का, आन्दोलन करने का नोटिस दे दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाय कि उनको मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र मिले। यदि अफसरों के भरोसे रहे तो उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गये हैं, इतने साल और लग जायेंगे। किसानों को पैसे की आवश्यकता है क्योंकि उसको जमीन में लगा सकें। इसलिए वह समझौता करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जिससे किसानों को अपनी भूमि का मुआवजा जल्दी मिल सके उनका असन्तोष कम हो सके वरना यह विवाद बढ़ गया तो हजारों किसानों की हजारों बीघा जमीन है, यह हजारों किसानों का मसला है यह विवाद उग्र रूप धारण करें, इससे पहले मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी !

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : इसमें मेरा भी....

श्री सभापति : इसमें आपका नाम नहीं है, स्थगन प्रस्ताव में आपका नाम नहीं है। अच्छा बोलिये दो मिनट के लिए।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, कोटा जिला सिंचित है। वहां तीन तहसीलों में सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त बहुत छोटे-छोटे बांध बन रहे हैं उनमें किसानों की भूमि ली गई है। नहरें निकाले बहुत साल हो गये हैं लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। खास तौर से मुझे नहरों के अतिरिक्त दूसरी चीजों के बारे में कहना है। क्योंकि नहरें निकालने से खेती खराब हो गयी है, खेती में असर हो गया है उसको समाप्त करने के लिए, पानी को निकालने के लिये, पानी वहां जा रहा है। उन ढालों में किसानों की हजारों बीघा जमीन है जमीन ही नहीं, जब ड्रेन निकाली जाती है तो किसानों की फसल को नष्ट करके वह निकाली जाती है। उनको फसल का और उनकी जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जिससे वहां के किसानों में भारी असंतोष है। अगर मुआवजा नहीं मिला तो आन्दोलन के लिए और हड़ताल के लिए बाध्य हो जायेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

है कि उनको मुआवजा दिलाया जाय।

सभापति महोदय, मेरी एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहां पर एक बांध जो बन रहा है उसमें 36 किसानों की जमीन का सर्वे हुआ। सभापति महोदय, लेकिन उनको जो सम्पत्ति है वह उन लोगों को नहीं दी। कई किसानों की वहां पर जमीन है, वहां पर मकान हैं, बाग बगीचे हैं, लेकिन उनका सर्वे नहीं हुआ है। मैंने असेम्बली में भी एक प्रश्न उठाया था, उसमें मैंने सम्पत्ति मांगी थी उन किसानों की लेकिन देखने से आश्चर्य होता है कि उनकी सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं उनको मुआवजा नहीं मिल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है जिन किसानों की सम्पत्ति मांगी गई हैं, उनका उल्लेख नहीं है। राम नारायण सन आफ शंकर माली, उनका मकान है, बाग बगीचे में पपीता, नींबू और जामुन हैं। सकिया बेगम विडो आफ घासी और मरियम वाइफ आफ नासिर का बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है इन्द्राज नहीं हुआ भूरा सन आफ नाथू माली इसका मकान है, बाग है, बगीचा बहुत बड़ा है। कस्तूरा ग्यारसिया सन आफ लक्ष्मन माली, उसका बगीचा इन्द्राज नहीं है। कल्याण सन आफ भूरा, इसका मकान है, बगीचा है जो इन्द्राज नहीं है। इसी तरह से पन्नालाल सन आफ बिरधीलाल की 10 बीघा जमीन इन्द्राज नहीं है, 10 बीघा जमीन को हजम कर गये। बिरधीलाल सन आफ नाथूलाल माली, इसका मकान है, बाग बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है। सोला सन आफ श्री राम माली।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। कान्हा सन आफ डालू माली, नैनगा सन आफ नाथू माली, इनका मकान भी है और बाग-बगीचा भी है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको अपनी सम्पत्ति का मुआवजा नहीं मिल सकेगा। वहां बांध बन रहा है और बांध में उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है। जो फसल उनकी है वह नष्ट हो रही है। यह बेचारे 36 किसान हैं। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सम्पत्ति उठ गई है, इसकी जांच करायें और

(श्री हीरालाल आर्य)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनकी सम्पत्ति का उल्लेख कर उनको शीघ्र मुआवजा दिलाया जाय ताकि जो फसल नष्ट हो गयी है उससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। उनको शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा देने का कष्ट करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी !

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल शर्मा !

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान बीकानेर जिले के रानी बाजार में बनने वाले छविगृह के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। सिनेमा जिस क्षेत्र में लगाया जा रहा है वह स्थान ऐसा है, जिस जगह सिनेमा लगाने की बात की जा रही है वह क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है इसलिए वहां सिनेमा नहीं लगाया जा सकता दूसरे, वहां पर बच्चों के स्कूल राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय और बाल निकेतन हैं। तीसरे, जितनी भूमि सिनेमा के लिए होनी चाहिए उतनी नहीं है। सड़क 40 फीट की है जबकि 100 फीट की होनी चाहिए। मास्टर प्लान बीकानेर का बना हुआ है उसमें भी उस क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया है। बीकानेर के जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, सचिव, यूथ कांग्रेस, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस, उपाध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी यूनियन....

श्री सभापति: परमिशन दे दी गई क्या?

श्री मोहनलाल शर्मा: विधायक, कोलायत श्री हरिसिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक बीकानेर, आयकर कर्मचारी यूनियन, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के मुख्य सचिव, स्टूडेन्ट फैडरेशन बीकानेर शाखा के अध्यक्ष युवा अभिभाषक संघ, रेलवे मैन्स यूनियन, बीकानेर, विधायक श्री मालू राम, रानी बाजार जागृति समिति, बीकानेर, कांग्रेस सेवा दल, नार्थर्न मैन्स यूनियन, अध्यक्ष, जनता पार्टी द्वारा रोष प्रकट किया गया और जनता में भी काफी रोष है।

इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सिनेमा नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह का परमिशन पत्र नहीं दें। सरकार इस तरफ ध्यान रखे आगाह करूं कि इस तरह से नाजायज बनने वाले सिनेमा का निर्माण जल्दी से जल्दी रोकने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अंगूठा दिखाऊं। सभापति महोदय, यह पेयजल जो थम्स अप है वह मैंने राज्य सरकार की सूचना में भेजा है उस पर उन्होंने क्या व्यवस्था की।

श्री सभापति : मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा कि आसन ने व्यवस्था दी है या नहीं दी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जानकारी प्राप्त कर लूंगा। अगर आसन ने कोई व्यवस्था दी है तो मैं निश्चित रूप से आपको अवसर दूंगा। तब तक आप स्थान ग्रहण करेंगी, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक !

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव सांगानेर में असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाए जाने के विषय में दिया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, कुछ वर्ष पूर्व एक विधिवेत्ता ने एक सभा में बोलते हुए कहा था :

The white cap and the white collar forms such a formidable combination which even the police can not penetrate.

और पुलिस को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है। अब माननीय सदस्य, आप इमेजिन करिए अगर इन तीनों का काम्बीनेशन एक जगह हो तो वहां कितना बड़ा सत्यानाश हो जाएगा और अगर यह देखना है ...

श्री राज बहादुर : वह तो रेड से भी नफरत करते थे, ब्लैक से भी नफरत करते थे व्हाइट से भी नफरत करते थे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं कह रही थी कि सांगानेर की कुछ घटनाओं के बारे में अभी कुछ सप्ताह पूर्व मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उसमें उन घटनाओं का विवरण दिया था। पिछले 1½ महीने में करीब करीब पौने दो महीने के अंतराल में 4 वारदातें सांगानेर पुलिस थाने में दर्ज हुईं उनमें से दो केसेज मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में। एक कन्हैयालाल अहीर और मुन्ना, ये दोनों इन्वाल्व्ड थे। ये वहीं में रहने वाले हैं, जो 4 में से 3 केसेज में इन्वाल्व्ड हैं और आज तक वहीं रहने के बावजूद भी नहीं पकड़े गए। इसके पीछे क्या कारण है, यह समझने योग्य बात है। सभापति महोदय, उनमें से एक श्री लक्ष्मण सिंह रावत को पकड़ा गया, मेडिकल इन-डिस्पोजीशन के लिए उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया बताया यह गया कि वह हार्ट पेशेन्ट है। आज तक कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, न ई. सी. जी. रिपोर्ट कभी आई। न आज है न. वह कभी हार्ट पेशेंट था। श्री रावत राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और सोशल वेलफेयर बोर्ड दोनों से काफी संख्या में पैसा, अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षण संस्थायें चला रहे हैं। ऐसे लोग जब शिक्षण संस्थायें चलायेंगे तो किस तरह की शिक्षा इम्पार्ट करेंगे और इसमें हमारे भावी नागरिकों का क्या होगा, यह विचारणीय विषय है।

इसके अतिरिक्त दूसरे मुल्जिम जिस पर लोगों को शंका थी जिसको पकड़ा भी गया और जमानत पर था राजस्थान परिवहन विभाग में सरकारी कर्मचारी भी है और कई केसेज में पहले भी इन्वाल्व्ड है, इस व्यक्ति का नाम जुम्मा जिसको पिछली बार पकड़ा भी गया उसका यही हाल हुआ। उसको भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, कौनसी बीमारी के तहत ? उसका क्या हुआ ? उस बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं। इसी तरह से जितनी भी वारदातें हुई हैं अब तक उनमें या तो रिवाल्वर बनाने वाले को पकड़ा गया है या उपरोक्त को जिनको बाद में छोड़ दिया गया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को सबसे पहले यह सुझाव देना चाहूंगी कि जहां तक मेडिकल एक्जामिनेशन का प्रश्न है, यह इनिशयल स्टेजेज में ही हो जाना चाहिए जबकि उसको पकड़ा जाता है ताकि वह फिर इस तरह का बेनी-

(श्रीमती विद्या पाठक)

फिट कोर्ट में न ले सके। इस तरह की वारदातें रोज कोर्ट में हो रही हैं और आज भी लोग जब छूटकर आते हैं तो फिर चौराहे पर खुले बाजार में मारपीट करते हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं फिर मारपीट करते हैं। उसके बावजूद केसेज उन लोगों पर लगाए जाते हैं aggrieved हैं, आज भी बुला बुलाकर उनको हेरेस किया जाता है।

जहां तक पुलिस विभाग के जन-सम्पर्क का सवाल है, मैं स्वयं अपना अनुभव बता रही हूं, पब्लिक को ये लोग क्या जानकारी बतायेंगे। स्वयं मैंने जब इस बारे में जानकारी मालूम करनी चाही तो वे किसी चीज का कान्क्रीट जवाब नहीं देते रोज अपराध धारा बदलते रहते हैं कभी इस धारा को पकड़ा, उसके बाद दूसरी धारा लगा दी और न ही एफ. आई आर. की कापी इस तरह के लोगों, जो पार्टीज होती हैं को दी जाती है। उनको कापी दे दी जाए तो कान्क्रीट पोजीशन का पता चल जाए और आगे हैरेसमेंट न हो। इस तरह की घटनायें आज भी जारी हैं, धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है ताकि सरकार और इसके माध्यम से पुलिस और जनता दोनों का ध्यान आकर्षित हो जिससे इस तरह की घटनायें आगे न बढ़ें और पुलिस ज्यादा रेसपान्सिबिली काम करे।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा ! संक्षेप में। बहुत छोटी बोतल है आज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन बहुत बड़ा गुनाह लिए हुए है। मान्यवर, यह विवेक जनरल स्टोर से खरीदी है। कई दिनों से सुना था कि थम्स अप, पेय पदार्थ में गड़बड़ी चल रही है तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया था क्योंकि मैं ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करती पर कल मेहमान आए थे, उनके लिए मेरा लड़का लेने गया जैसे ही आया कोई चीज ऐसी जो शीशे में हो तो मै ऐसे नहीं पीने देती। ग्लास में डालकर जब मैंने देखा तो ऊपर की तरफ एक कीड़ा और नीचे की तरफ भी कीड़ा। यह पैक्ड बोतल है मैंने खोली नहीं है। इसलिए नहीं खोली कि यहां पर दिखाऊं। इसकी जांच कराई जाए। हमारे इन्सपेक्टर्स क्या करते हैं ? खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के बारे में जो कानून बने हुए हैं, उनके बारे में क्या करते हैं ? ऐसी अशुद्ध चीजें अगर बेची गईं, लोग अचानक मुंह में डालकर पीने लगते हैं, उनके अन्दर घट में उत्तर गई तो क्या क्या नुकसान नहीं कर सकतीं ? मैंने यहां पर पहले भी मंत्री महोदय को बताया था, यहां घी की थैली पेश की थी ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ध्यान आकर्षित करके बैठ जाती हूं।

श्री सभापति : आप बोलने के बाद बोतल को मंत्री महोदय को दे दें, वह इसकी जांच करायेंगे, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है। सभापति महोदय, आपके आदेश का पालन करूंगी।

मैं चाहूंगी कि घी में, मसालों में, पेय पदार्थों में इस तरह से मिलावट चल रही है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसलिये अपने विभाग को सक्रिय करें, ऐसी चीजों को पेश करने का अवसर फिर न मिले ताकि लोग पीकर बीमार पड़े। मैं समझती हूं जितने पेय पदार्थ पीने वाले हैं वे खोलते ही गले में डालकर पी लेते हैं, उनको ऐसा ध्यान नहीं रहता। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने विभाग को ऐसा सक्रिय करेंगे ताकि ऐसा अवसर न आए। कानून बने हुए हैं। अब आयुर्वेद की दवाइयों के लिए कह दिया कि कानून नहीं हैं, लेकिन इसके लिए तो कानून है, इन्सपेक्टर्स हैं। मैं आपके आदेशानुसार जहां से खरीदी है उसकी रसीद और बोतल दोनों चीजें मंत्री को देती हूं ताकि वह निश्चित जांच करा लें। केवल इसी की ही नहीं जो अन्य पेय पदार्थ बिक रहे हैं लोग पी पी कर बीमार पड़ते हैं, मैं समझती हूं कि इसकी ओर तवज्जोह दी जाएगी।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्यवीर !

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव झालावाड़ जिले में गोचर भूमि पर कई लोगों ने अपने कब्जे कर रखे हैं उस पर हैं। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में ...

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप बोतल को बाहर भिजवा दें, यहां मत रखें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपका जो संबंधित विभाग है उस बारे में उनका थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं।

सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में कुल चरागाह भूमि 2 लाख 28 हजार बीघा 824 बिस्वा है। इसमें अलग अलग तहसीलों में झालरापाटन तहसील में 1229 बीघा 6 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसी प्रकार अकलेरा तहसील में 3127 बीघा एक बीस्वा जमीन पर कब्जा कर रखा है, पिड़ावा तहसील में 1338 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, खानपुरा तहसील में 1751 बीघा एक बिस्वा जमीन पर कब्जा कर रखा है। तहसील पचपहाड़ में 328 बीघा 4 बिस्वा जमीज पर कब्जा कर रखा है।

सभापति महोदय तहसील गंगाधर में 391 बीघा भूमि जमीन पर कब्जा कर रखा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि आज कई जगह वन विभाग वालों ने भी अपने प्लान के तहत जमीन पर कब्जा कर रखा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि किसानों के पास अपने पशुओं को चराने के लिये कोई चरागाह भूमि नहीं रह गयी है। आज गांवों में स्थिति यह है कि चरागाह भूमि नहीं होने के कारण कई बार लोगों के पशु एक दूसरे के खेत में चरने चले जाने की वजह से झगड़े होते रहते हैं क्यों कि पशु चराने के लिये कोई जमीन नहीं है। कई बार तो इन झगड़ों में हत्यायें भी हो गई हैं। इसलिये मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कृषि मन्त्री जी जनता सरकार का अनुसरण करके, जनता सरकार से प्रेरणा लेकर राजस्व अभियान चलावें। झालावाड़ जिले में कई लोगों ने चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके विरुद्ध जांच करवायी जाकर

(58)

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। किसानों को असुविधा हो रही है उनको चरागाहों की सुविधायें दिलाने की व्यवस्था करावें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी !

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश में वैष्णव संप्रदाय की नाथद्वारा में प्रधान पीठ है। भगवान के भोग लगाने के लिये सामान की खरीद के बारे में प्रश्न को लेकर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय क्या मुख्य मन्त्री जी बदल गये हैं ? वह काफी समय से दिखायी नहीं दे रहे हैं और उनके बदले में दूसरे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। हमारे सदन की परम्परा के अनुसार पहली सीट पर मुख्य मन्त्रीजी ही बैठते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य नये हैं इन्हें पता नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर कर्मचारियों के बीच और निष्पादन अधिकारी के बीच काफी झगड़ा हुआ है। इसकी चर्चा नाथद्वारा की जनता में भी काफी है। वहां के कर्मचारियों ने निष्पादन अधिकारी का मुंह काला करके उसको ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : काला मुंह किया तो वह मुंह धो लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया व्यवधान नहीं डालें। आर्डर, आर्डर !

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, उनका मुंह काला करके उनको वहां के नागरिकों ने घुमाया। इस बात से वहां के निष्पादन अधिकारी ने वहां के जो छोटे कर्मचारी थे उनका स्थानान्तरण सूरत, बड़ौदा, बम्बई, अहमदाबाद, वगैरह कर दिया। इसके अलावा वहां पर जो भोग लगाया जाता है वह भी समय पर नहीं लगाया जाता है। उसमें बहुत व्यवधान हो रहा है जिससे वहां के नागरिकों के मन में ठेस पहुंचती है उनकी भावनाओं पर कुठाराघात होता है। मेरा निवेदन है कि आप वहां पर जो निष्पादन अधिकारी हैं उनको वहां से हटावें और छोटे-छोटे कर्मचारियों के वहां से जो स्थानान्तरण कर दिये हैं उनको वापस केन्सिल करावें। इसके अलावा जो भोग में व्यवधान हो रहा है उसको भी ठीक करावें। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सामान की खरीद में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करायी जावे तथा निष्पादन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे जिस से कि जो असन्तोष वहां पर कर्मचारियों में और नागरिकों में है उसको मिटाया जा सके। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए कार्यवाही की जावे।

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था वह जानकारी के लिये राज्य सरकार के पास भेजा गया था उसके बारे में....

श्री सभापति: इसके बारे में आप अध्यक्ष महोदय से जानकारी प्राप्त करें तो ज्यादा उचित होगा, माननीय सदस्य। आप अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में जाकर मिलें।

(श्री सभापति)

श्री लच्छूराम !

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ चौधरी !

सारी, श्री राम रघुनाथ चौधरी !

श्री राम रघुनाथ चौधरी: सभापति महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जोधपुर विश्वविद्यालय में 14 अस्थायी प्राध्यापकों को सेवा मुक्त करने संबंधी दिया था। सभापति महोदय, मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से दिनांक 4 अगस्त, 1980 को कुल सचिव के कार्यालय के आदेशों द्वारा 14 अस्थायी प्राध्यापकों को नौकरी से हटाये जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक सन् 1976 से कार्य कर रहे थे। जिन 14 अस्थायी प्राध्यापकों को हटाया गया है उनमें 2 वाणिज्य संकाय के 3 मनोविज्ञान संकाय के और 9 विधि संकाय के प्राध्यापक हैं। सभापति महोदय जोधपुर विश्वविद्यालय ने जब इन प्राध्यापकों को नियुक्ति अस्थायी तौर पर दी थी तब जो क्वालीफिकेशन निर्धारित की गई थी वह मैं आपको बता रहा हूं।

"The first class Master's degree in the subject concerned or second class Master's degree with three years teaching experience or second class with Ph. D. in the subject concerned.

इस योग्यता के आधार पर इनको अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी गई थी। सभापति महोदय, बाद में जोधपुर विश्वविद्यालय में यू. जी. सी. स्केल को लागू किया गया। यू. जी. सी. वेतनमानों को लागू किया गया था उस वक्त राज्य सरकार ने इन पदों की नियुक्तियों के लिये मापदण्ड बदला। गवर्नमेंट ने आदेश माप दण्ड के बदलने 30-12-76को निकाले। इस मापदण्ड के अनुसार यह दिया गया है:—

"The qualification to the recruitment to the post of teachers in Arts Social Science. Commerce and Science faculties shall be:-

(a) a doctorate degree or published work of equal merit of high standard,

(b) consistant good academic record with Ist Class or 2nd Class master's degree in a relevant subject."

इसके तीसरे भाग में यह है।

"The existing teachers who did not possess at the time of their initial recruitment minimum qualification prescribed by the University will be required to attain these qualifications within five years from the date of placement in the re-

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

vised scale. They will not be allowed future increments till they satisfy this condition during the five years period."

तो, सभापति महोदय, जब यू. जी. सी. स्केल लागू किया गया तो गवर्नमेंट ने यह स्पष्ट आदेश निकलवाया था कि जिस प्राध्यापक की नियुक्ति सन् 1976 के पहले हुई है उसकी चाहे यह क्वालीफिकेशन नहीं होगी तो भी उसको हटाया नहीं जायेगा लेकिन उसमें यह कहा गया कि उक्त प्राध्यापक को पांच साल के अन्दर-अन्दर वह क्वालीफिकेशन हासिल करनी होगी। पर इस संबंध में यह स्पष्ट था कि कि अगर वह इस क्वालीफिकेशन को फुलफिल भी नहीं करेगा तो भी उसको नौकरी से नहीं हटाया जायेगा पर यह कर दिया कि उसको जब तक वह क्वालीफिकेशन नहीं पूरी कर लें तब तक उसका वार्षिक इन्क्रीमेन्ट नहीं दिया जायेगा। इसके बाद में जोधपुर विश्वविद्यालय ने जहां भी जो भी विज्ञापन प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु निकाले उनमें जगह-जगह इस बात को ध्यान में रखा। तो मैं, यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1-1-80 को प्राध्यापकों की नियुक्ति के हेतु जो विज्ञापन निकाला था उसमें भी यह स्पष्ट लिखा था कि "(1) Good academic record means an average at least 50% marks of the aggregate of the two examinations prior to master's degree(viz. Higher Secondary/ Pre-University/ Intermediate or any equivalent examination and B. A./ B. Sc./ B. Com./ B. Music.

(ii) A High Second Class means a Second class with at least 54% marks."

इसमें साफ लिखा है तो, सभापति महोदय

(2) The above conditions may be relaxed in the case ofthose temporary lectureres who were in service of the affiliated college concerned or on the last working day of the session 1978–79 i.e. on the 30th November, 1978 or on the 14th June, 1979 subject to the condition that they fulfilled at the time of their first appointment. The minimum eligibility qualifications which were in force at that time.

इसके साथ राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी जब अभी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला तब उसने इस बात को ध्यान में रखा और उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि "The aforesaid qualifications can be relaxed but they shall in no case be lower than those which existed immediately before these amended provisions came into force."

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

तो मुझे इसमें निवेदन यह करना है, सभापति महोदय, कि राज्य सरकार ने जब आदेश निकाला और आदेश निकाल कर यू. जी. सी. वेतनमान बढ़ाकर लागू किये गये तो उसके साथ ही यह क्वालीफिकेशन्स भी रिवाइज की गयी थीं। जब क्वालीफिकेशन्स रिवाइज की गयी तो स्पष्ट बताया गया था कि जिन प्राध्यापकों की नियुक्ति 1-9-76 से पूर्व हो गयी है उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा लेकिन जोधपुर यूनिवसिटी का जब विज्ञापन निकला तो, सभापति महोदय, जून, 79 को विज्ञापन जारी किया और विज्ञापन जारी करने के बाद में उन्होंने दूसरा एक और विज्ञापन निकाला, तारीख को बढ़ाने के लिए और वह निकाला दिसम्बर, 1979 में, जिसकी लास्ट तारीख फार्म आने की 31 दिसम्बर थी। तो 31 दिसम्बर तक उन्होंने फार्म प्राप्त करने की लास्ट तारीख दी थी उसके बाद में उन्होंने जो विज्ञापन में क्वालीफिकेशन दी थीं उसको रिवाइज किया उस समय कोई विज्ञापन नहीं निकाला और अपने आप ही रिवाइज की और उसमें उन्होंने यह बढ़ाया। पहले जो विज्ञापन दिया था उसमें इतना सा लिखा था "The qualifications for recruitment to the post of teachers in arts, social scince, commerce and science faculties shall be :-

(a) a doctorate degree or published work of equal merit of high standard.

उसके बाद में (बी) में यह था: "consistent good academic record with 1st or 2nd class master degree in a relevant subject."

इसमें इसका तीसरा पोशर्न था जो प्राध्यापकों के पुराने के लिए था कि वह इफेक्टेड नहीं होंगे। एक तो वह क्वालीफिकेशन एड नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि जो विज्ञापन दिया था, उसमें वह इफेक्टेड होते थे और वह एप्लाई करने के अधिकारी नहीं होते थे। उसके बाद में दूसरी त्रुटि यह थी कि उसमें यह स्पष्ट करना चाहिए था consistently good academic record का मतलब क्या होता है जब कि हर विज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट दिया है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला उसमें लिखा है :

"Good academic record means at least 50% marks throughout leading to the master's degree."

एकेडेमिक कौंसिल का प्रस्ताव है 8 मई, 80 का। तो, सभापति महोदय, उन्होंने विज्ञापन दिसम्बर, 79 में दिया था और एकेडेमिक कौंसिल में जो प्रस्ताव पारित किया है वह 8 मई, 80 को किया और उसकी सूचना नहीं। तो एक बार जब विज्ञापन निकला तो एकेडेमिक कौंसिल को लेटर स्टेज के ऊपर बदलने का उनको कोई अधिकार नहीं था और यह उन्होंने बताया है कि "Consistently good academic record means over all record of all assessment throughout the academic career leading to the mas-

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

ter's degree, which should at least be B or high second class.

सभापति महोदय, उन्होंने विज्ञापन निकाला किसी पोस्ट के लिए तो पहले तो राज्य सरकार के जो आदेश थे उसके अन्तर्गत वह भी उसमें रखनी चाहिए थी कि जो पुराने प्राध्यापक हैं वह उससे इफेक्टेड नहीं होंगे । दूसरे, जो क्वालीफिकेशन की गयी हैं एकेडेमिक कौंसिल की उसका उनको अधिकार नहीं था क्योंकि जब विज्ञापन उसके पूर्व निकाल दिया और उसमें जितने भी लोग एप्लाई करने वाले थे उन्होंने फार्म भर कर दे दिये और लेटर स्टेज पर उनके आधार पर इन्टरव्यू लिया है तो उनको अधिकार नहीं था कि वह दूसरी क्वालीफिकेशन का स्पष्टीकरण करते । यह उन्होंने करके जो आलरेडी प्राध्यापक नियुक्त थे वह उस कैटेगरी में नहीं आते थे । उस समय उन प्राध्यापकों ने निवेदन किया कि हमको भी इन्टरव्यू में बुलाओ तो उनके निवेदन करने पर तो उनको इन्टरव्यू पर नहीं बुलाया लेकिन आखिरी दो दिन पहले ही उनको इन्टरव्यू में बुला लिया क्योंकि उनको तो लेना ही नहीं था । उन्होंने सोचा कि चलो इन्टरव्यू के लिए तो बुला लो नहीं तो झगड़ा हो जायेगा । इसलिए उनको इन्टरव्यू पर तो बुला लिया और कहा कि आप क्वालीफिकेशन फुलफिल नहीं करते इसलिए उनको रिजेक्ट करके निकाल दिया।

तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन 14 प्राध्यापकों, जिनको निकाला गया है,को वापस लें । दूसरा, यह नम्र निवेदन है कि मैलाफाइड इन्टेन्शन से जो इस तरीके से लेटर स्टेज पर इन्क्लूड किया है इसको हटाओ और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें क्योंकि प्राध्यापकों को हटा दिया गया है और उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए उनका कन्टीनुएशन रखा जाये और हटाये हुए पीरियड में भी आन ड्यूटी समझा जाय ।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, इस संबंध में मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रखा है....

श्री सभापति : इसकी मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री सी. पी. जोशी : हम चार सदस्यों ने इस संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह स्थगन प्रस्ताव है और हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था तीन, चार रोज पहले ।

श्री सभापति : दो मिनट में अपनी बात कह दें । क्योंकि श्री रामरघुनाथजी ने काफी विस्तार से चर्चा कर दी है अगर आप डिटेल में गये तो बहुत समय लग जायेगा । मेरा आपसे अनुरोध है कि ठीक दो मिनट में आप अपनी बात कह दें ।

श्री सी. पी जोशी : सभापति महोदय, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में 1-1-76 से यू. जी. सी. ग्रेड आई उस समय विश्वविद्यालय ने माना कि यह क्वालीफिकेशन लेंगे । यह जो 14 प्राध्यापक जोधपुर विश्वविद्यालय के हैं यह वह हैं जिनकी नियुक्ति 1-1-76 से पूर्व हुई थी और उससे पूर्व जो विश्वविद्यालय ने क्वाली-

(श्री सी. पी. जोशी)

फिकेशन दी उसमें कहीं यह नहीं था कि यह जरूरी है। विश्वविद्यालय के रिक्रूटमेन्ट रूल्स के अन्दर क्लियरली मेन्शन है कि किस तरह से एप्लीकेशन इन्वाइट की जायेंगी और कैसे क्या होगा। सिन्डीकेट को लेटर स्टेज पर किसी भी क्वालीफिकेशन को चेन्ज करने का अधिकार नहीं है। जो सारी स्थिति है उसमें इसका एक सोल्यूशन हो सकता है और वह यह है कि जिस तरह से जनता पार्टी सरकार ने अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून, 79 को क्राइटेरिया बनाया, यह किसी भी कैपेसिटी में हों चाहे एडहॉक हों या परमानेन्ट हों उनको कन्फर्म कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय के उन प्राध्यापकों, जो कि 1-1-76 को जब कि यू.जी.सी. ग्रेड मिली उसके पहले कार्यरत थे, को कार्यरत रहने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वह आर्डिनेन्स लायें कि आज दिन तक जिस कैपेसिटी में लेक्चरर काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज कन्फर्म की जायेंगी अगर 14 और 58 प्राध्यापकों के लिये आप ऐसा कर देते हैं तो इसका समाधान हो सकता है। यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय में बन रही है उसका समाधान केवल मात्र एक है कि आर्डिनेन्स आये और उसमें क्लियरली मेन्शन होना चाहिये कि जिस कैपेसिटी में जो आदमी काम कर रहा है उसको उसी कैपेसिटी में एब्जार्ब किया जायेगा।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई ! बहुत संक्षिप्त में।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैं केवल दो बात कहूंगा।

जोधपुर विश्वविद्यालय में अभी जो सलेक्शन हुआ उसमें 14 अस्थाई प्राध्यापकों को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि जो मौजूदा उनकी कन्डीशन थी वह फुलफिल नहीं करते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जिस समय पांच साल पहले इनका सलेक्शन हुआ तो उस समय जो उनकी कन्डीशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए इनका सलेक्शन होना चाहिए था न कि आज की कन्डीशन को देखते हुए। हालांकि सलेक्शन कमेटी का अलग अधिकार क्षेत्र होता है लेकिन आपका बहुत विशाल क्षेत्र होता है चूंकि उनके जीवन का प्रश्न है, उनकी नौकरी का प्रश्न है। उनकी 35 साल की उम्र हो चुकी है इसलिए आप यह देखें कि जिस समय उनका सलेक्शन हुआ था उस समय जो उनकी कन्डीशन्स थी, जो उनकी क्वालीफिकेशन थी वह अगर फुलफिल करते हैं, कम से कम जो उनका सलेक्शन हुआ है उनको इतना एक्सपेरीयेन्स है तो यह सब देखकर उनका सलेक्शन किया जाना चाहिए।

दूसरे, सभापति महोदय, राजस्थान के बाहर के आदमी जो प्राध्यापक यहां पर कार्य कर रहे हैं उनकी हमेशा यह नीति रहती है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं उनको आपस में लड़ा कर वह अपना राजनीतिक खेल खेलते रहते हैं। वह बाहर से आये लोग यह कभी नहीं चाहते कि लोकल आदमी यहां एडजस्ट हो जायें। इसलिए वह हमेशा वाइस चान्सलर और गर्वनर साहब से मिलकर यह प्रयत्न

(श्री रामसिंह विश्नोई)

करते हैं कि राजस्थान के लोग जोधपुर विश्वविद्यालय में नहीं रखे जायें और बाहर के आदमियों को ही लेना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस समय सलेक्शन हो उस समय कम से कम राजस्थान के लोगों को कन्सीडर किया जाना चाहिए। जो 14 प्राध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है उसकी तरफ विशेष तवज्जोह देकर अपने अधिकारों का प्रयोग करके इनके पक्ष में आप अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी !

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मेरा भी नाम है ..

श्री सभापति : काफी हो गया माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : श्री रामसिंह जी ने विस्तार से कह दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनको सर्विस से निकाला गया उनको वापस लिया जाय।

श्री सभापति : आप भी इनकी भावनाओं में शरीक हैं।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में इस घटना से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय में इसी प्रकार की घटना हुई। विश्वविद्यालयों के कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में बात करने का अवसर आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन स्वायत्त है, उसकी आटोनामी बनी रहनी चाहिये। सरकार यह चाहती है कि विश्वविद्यालय शिक्षा मन्दिर है इनमें हस्तक्षेप नहीं हो। यह सब बातें सही हैं लेकिन जो कुछ घटनायें सामने आ रही हैं वे इस बात पर पुनर्विचार करने के लिये विवश कर रही हैं कि कोई न कोई इन समस्याओं का निदान किया जाना चाहिये। जोधपुर विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया कि 14 अध्यापकों को जो एक तरीके से निष्कासित कहिये या सेवामुक्त करना कहिये, वह बात हुई है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कुछ अध्यापक सन् 76 से काम कर रहे हैं और दूसरा आश्चर्य यह है कि विश्वविद्यालय के नियमों के अन्दर जो चयन समिति है उसकी बैठक कुछ विषयों के लिये जैसे विधि संकाय का प्रश्न है, जिनमें अध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है, सन् 76 के बाद हुई ही नहीं। आपका अधिकार है कि आप 6 महीने के लिये नियुक्ति दें। यह कहां का अधिकार है कि 76 के बाद 80 तक आप उनके चयन की जो प्रणाली है उसे पूरा नहीं करें। अब प्रश्न यह है कि 76 में आपने अस्थाई रूप से नियुक्ति दे दी। 6-6 महीने से नियुक्ति बढ़ाते रहे। कुछ समय होना चाहिये, वह अस्थाई नियुक्ति कब तक होती रहेगी। एक मजदूर मजदूरी करता है शायद उसको 240 दिन के बाद निकाला नहीं जा सकता। एक शिक्षक वर्तमान व्यवस्था में 76 के बाद 77, 78, 79 और 80 के बाद निकाला जा सकता है।

अब जैसा मैंने आपसे कहा इसी तरीके से मनोविज्ञान में हुआ है। इसी तरीके से वाणिज्य में हुआ है और यह भी सही है कि जो क्वालीफिकेशन्स हैं, उनका विधिवत् प्रावधान हो, इन्टरव्यू काल में कुछ बातें पैदा हुई हैं अन्ततोगत्वा उनको बुलाया गया। स्पष्ट है कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर प्रशासन को सोचना चाहिये, राज्य सरकार को सोचना चाहिये। वर्त्तमान परिस्थितियों

65

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

में केवल इतना ही कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति बनती जा रही है विश्वविद्यालय में एक तरीके से शिक्षकों पर कुठाराघात होने की स्थिति पैदा होती जा रही है, कुछ मनमानी बातें होती जा रही हैं, उन सब बातों के लिये सरकार को कदम उठाना पड़ेगा किन्तु वह कदम कब और कैसा हो यह मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, आज मेरी कुछ विवशतायें हैं। इतनी ही कह सकता हूं कि आज जो प्रश्न सामने रखा है इस बारे में मैं कुलपति महोदय से व्यक्तिशः सम्पर्क करके उनके सामने सारी परिस्थितियां रखूंगा। जोधपुर विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ है यह बातें तो ऐसी हैं कि सरकार अपने तरीके से काम करती रहती हैं। एक प्रक्रिया बनी हुई है। सरकार चलती रहती है। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो बातें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिये। सरकार जागरुक है निश्चित रूप से तत्काल कोई न कोई कदम उठायेगी जिसके परिणाम आपके सामने आयेंगे।

श्री सभापति : यह चर्चा का विषय नहीं बनेगा। सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट उत्तर आ चुका है I will not allow any debate on this.

श्री राम रघुनाथ चौधरी : प्रश्न इतना है ..

श्री सभापति : How can I allow any question on this Hon'ble Member ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अगर आप इजाजत दें। माननीय सभापति महोदय, आप बहुत उदार रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कभी कभी आसन की उदारता परम्परा बन जाती है इसलिये मैं इसको अलाऊ करने में असमर्थ हूं। मंत्री महोदय से आप मिलकर जानकारी ले लें, उचित रहेगा।

श्री बंशीलाल !

उदारता की परम्परा जब बन जाती है, तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

श्री बंशीलाल !

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, पिछले महीने शाहपुरा जो भीलवाड़ा जिले की तहसील है, भालचंद लखपतानी, जो दैनिक पत्र का प्रतिनिधि है के साथ वन विभाग के कुछ कर्मचारी तथा अन्य कुछ लोगों ने मिलकर मार पीट की। यह मार पीट पुलिस चौकी के नाक के नीचे हुई है और इसी तरह से पूरे जिले में अन्य पत्रकारों, जो दैनिक पत्रों के प्रतिनिधि हैं नवज्योति है, नवजीवन है, कोई तरूण देश के हैं बारी बारी से उन लोगों के साथ पिटाई की गई है। पत्रकार लोग यदि पुलिस में अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हैं तो वहां की पुलिस इनकी शिकायत नहीं सुनती। मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़ता है। इस्तगासा करना पड़ता है। शाहपुरा में जो घटना घटी पिछले महीने के प्रथम सप्ताह में वन विभाग के कर्मचारियों ने और कुछ दीगर आदमियों ने मिलकर शाहपुरा तहसील के एक गांव में घास कटवाकर बिकवा दी, लकड़ी काट कर चोरी की गई। इस घटना को पत्रकार प्रेस में लाया। इसको ले के पिछले 5-7-80 को पुलिस

66

(श्री बंशीलाल पटवा)

चौकी की नाक के नीचे उसकी पिटाई की गई। शिकायत की गई लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज इस तरह से बारी बारी से भीलवाड़ा जिला के पत्रकारों की पिटाई की जाती रही है। जिला प्रशासन, पुलिस उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। सरकार की ओर से जन-सम्पर्क मंत्री पर दायित्व जाता है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाय। पिछले दिनों हमने देखा था कि पत्रकारों की न केवल पिटाई की गई, यहां तक कि गंगानगर में पत्रकार की हत्या कर दी उसके बाद सरकार इस प्रकार मौन रहे और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करे। छोटे पत्रकार नहीं, जो डेली अखबारों के पत्रकार हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके साथ हरकत करें, मारपीट करें, सरकार सोती रहे, यह लज्जा की बात है। जहां तक मैं सोचता हूं हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, पत्रकार से भी गलती हो सकती है। मुझे मालूम है, आज पत्रकार भी गलती करता है किसी के खिलाफ समाचार छापता है तो सीधा उसके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करने का राइट है ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन डिफेमेशन सूट फाइल करने के बजाय सीधी कार्यवाही की जाये, पत्रकारों को पीटा जाय और सरकार मौन रहे, सरकार सोती रहे, मैं सोचता हूं इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार के जन सम्पर्क मंत्री से विशेष रूप से अनुनय विनय है कि शिकायत के रूप में नहीं यथार्थ के रूप में है। पत्रकार की पिटाई हुई, फिर दूसरे की हुई, फिर तीसरे की हुई इस तरह से बारी बारी से पिटाई होती जायेगी, इसका कोई अन्त भी नहीं होगा। इस दृष्टि से इसको गम्भीरता

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

से लेते हुए पत्रकारों को राजस्थान में सुरक्षा प्रदान की जाये। सरकार विशेष रूप से रियायतें देने की बात करती है। रियायतें तो दूर रहीं, पत्रकारों की सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जाता है इससे अधिक शर्म की बात कोई नहीं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाये। इतना कहकर मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है कि नीम का थाना तहसील में गावड़ी पंचायत के अन्दर एक ढाणी खादरा है और उसके अन्दर एक झालरा नाम का कुआं है, पुश्त दर पुश्त उसमें 8 माली परिवार काश्त करते आये हैं। 1958 के अन्दर भूतपूर्व जागीरदार ने उस पर कब्जा करना चाहा, इस पर झगड़ा हुआ और उस माली परिवार में से एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। 1959 में वह जमीन कुर्क हुई और कुर्क होने के बाद उसका अलग कब्जा उन माली परिवारों को तय हुआ। इसके बाद जागीरदार, भूतपूर्व जागीरदार ने दावा दखलिया भी पेश किया वह भी अदालत ने खारिज कर दिया। उस वक्त से और 1977 तक बड़े आराम से, माली परिवार उस भूमि को काश्त करते आ रहे थे लेकिन जैसे

(श्री मोहनलाल मोदी)

ही जनता पार्टी बनी, उनमें कुछ चेतना आयी और चेतना आ करके उन्होंने देखा कि कानून के जरिये से इसको नहीं रोक सकते, लाठी के जरिये से रोका जाय, वह 2 साल से बड़ी परेशानी में हैं उनको जबर्दस्ती उनकी भूमि काश्त नहीं करने देते। उनकी झोपड़ियों को भी वहां से हटा दिया गया और आज वहां स्थिति ऐसी हो गयी है कि पुलिस किसी प्रकार की मदद उनको देती नहीं है, अभी बीस दिन पूर्व पुलिस वहां काश्त कराने के लिए गयी थी तो थोड़ी सी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

भूमि काश्त हुई। इसके बाद डिप्टी एस. पी. और एस. एच. ओ. ढाणी गांव में चले गये, ढाणी से। इसके बाद उनके बैल ले गये, ऊंट ले गये और उनको बुरी तरह से मारा, उनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई उस पर पुलिस ने आज कोई कार्यवाही नहीं की। बैल और ऊंट जंगल में छुड़वा दिये और बरामद करा दिये। आज स्थिति ऐसी है मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था नहीं की तो उन 8 मालो परिवार में से फिर किसी का मर्डर होगा। इसलिए मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी तौर से पुलिस की व्यवस्था करके उनकी जमीन को काश्त कराया जाय और उनको वहां पर आबाद रहने दिया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। मुख्य मंत्री जी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, राजस्व : मैं निम्नांकित सदन की मेज पर रखता हूं: —

1. वर्ष 1978-79 के लिये नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल)
2. वर्ष 1978-79 के लिये नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)

3. वर्ष 1978-79 के लिए नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

4. विनियोग लेखे 1978-79

5. वित्त लेखे 1978-79

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सूरतगढ़ कृषि फार्म पर केन्द्र सरकार द्वारा गत दस वर्षों से अनधिकृत कब्जा

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कृषि फार्म पर केन्द्र सरकार द्वारा गत दस वर्षों से अनधिकृत कब्जा करने एवं किसानों से हथियाई गई जमीन का मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी !

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह शुक्रवार का बिजनेस आज क्यों हुआ ?

(68)

श्री सभापति : यह 23 अगस्त का बिजनेस है, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस पर शुक्रवार लिखा हुआ है, श्रीमन्, यह शुक्रवार का बिजनेस है, आज तो शनिवार है ।

श्री सभापति : आप सही कह रही हैं, यह सैक्रेटेरिएट का आर्डर है। मैं सेक्रेटरी साहब से पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

देखिये तारीख सही है, माननीय सदस्या । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आज तारीख गलत हो गई, कल कुछ और....

श्री महाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है....

श्री सभापति : किस विषय में ।

श्री महाराम चौधरी : जिले में शक्कर वितरण के बारे में ।

श्री सभापति : इसकी जानकारी सचिवालय को प्राप्त हो चुकी है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी इस सम्बन्ध में बोलने की तो....

श्री सभापति : यह गलत परम्परा पड़ जायेगी । चीनी के बारे में माननीय मन्त्री जी, माननीय सदस्य आपसे जो बात करें, कृपया उस पर ध्यान दीजिए । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अतएव राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों में नियम 131 के अन्तर्गत मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप-मन्त्री, राजस्व) : भारत सरकार ने इस सरकार के सहयोग से एक यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में 1956 में स्थापित किया था । राज्य सरकार ने 48708.12 बीघा भूमि भारत सरकार को उपलब्ध करायी थी । जो भूमि कृषि यांत्रिक फार्म को दी गयी है उसमें जिन किसान परिवारों से भूमि ली गयी थी उनको अन्य स्थानों पर भूमि नियमानुसार आवंटित कर दी गयी है ।

2. यह भूमि भारत सरकार को निम्नलिखित शर्तों पर दी गयी थी:–

(1) यह भूमि अस्थायी लीज पर आरजी काश्त पर रहेगी जिसकी अवधि 15 साल होगी ।

(2) भारत सरकार को काश्तकार माना जावेगा और वही चार्जेज उनसे वसूल किये जायेंगे जो अन्य काश्तकारों से लिये जाते हैं ।

[क] बन्दोबस्त विभाग ने जो भू-राजस्व निश्चित किया है वह भारत सरकार से लिया जायगा। काश्तकार जो सरचार्ज/सैस देते हैं वे भी भारत सरकार द्वारा देय होगी ।

[ख] मालिकाना 2 रुपये प्रति बीघा लिया जायेगा जब तक कि कैनाल नॉन पैरीनियल है । जब नहर पैरीनियल हो जावेगी तब 4 रुपये प्रति बीघा मालिकाना लिया जायेगा ।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(3) जो मशीनरी इस सरकार ने दी है वह राज्य सरकार को बिना कीमत पर दी जावेगी। जो अतिरिक्त मशीनरी भारत सरकार खरीद कर देगी वह बुक वेल्यू पर राजस्थान सरकार को दी जावेगी। जो भवन और दूसरे निर्माण हों वे (सड़क, कलवर्ट, नहर, पौध आदि को छोड़कर) भी राज्य सरकार को बुक वेल्यू पर राज्य सरकार चाहेगी तो किये जायेंगे।

3. भूमि का लीज अनुबन्ध लिखित में नहीं हुआ था। 1974 में 1913-14 बीघा रकबा रक्षा विभाग को इस भूमि में से दे दिया गया। अब केन्द्रीय यांत्रिक कृषि फार्म, सूरतगढ़ के पास 46552-06 बीघा भूमि रही है।

4. इस फार्म की व्यवस्था सन् 1970 में स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने अपने हाथ में ले ली और तब से यह इसको चला रहा है। भारत सरकार से जो शुल्क तय हुआ था वह कुछ वर्षों तक ही दिया गया। सन् 1968–69 में मालिकाना की दर राजस्थान सरकार ने असिंचित भूमि की दो रुपये से चार रुपये प्रति बीघा और सिंचित भूमि की 4 रुपये से 8 रुपये प्रति बीघा कर दी। इस बढ़ी हुई दर से मालिकाना जमा नहीं कराया गया। अभी राजस्व एवं मालिकाना चार्जेज भी जमा नहीं कराया गया और भारत सरकार ने सरचार्ज की अदायगी के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया और अभी तक वह विचाराधीन है।

5. भारत सरकार लीज की अवधि सन् 1971 में समाप्त हो जाने के बाद बढ़वाने की इच्छुक थी परन्तु राज्य सरकार इसके लिये तैयार नहीं हुई। भूमि अभी फार्म आथॉरिटीज के कब्जे में ही है। राज्य सरकार ने बढ़ी हुई मालिकाना दर देने के लिये बार बार भारत सरकार को लिखा परन्तु वह अदा नहीं की गयी। सन् 1972 से दो तीन वर्षों तक राज्य सरकार के मुख्य मंत्री महोदय व भारत-सरकार के कृषि मंत्रीजी के बीच कई बार वार्ता हुई। परन्तु दोनों को मान्य कोई हल नहीं निकला और अन्ततः सन् 1975 में यह तय हुआ कि इस विवाद को तय करने के लिए एक कमेटी बनादी जावे। फलस्वरूप सूरतगढ़ फार्म इन्वेस्टमेंट इवेल्यूवेशन कमेटी की नियुक्ति भारत सरकार के निर्णय नं० 11-33168-एफ आर (वोल्यूम) दिनांक 31-7-76 द्वारा की गई। इस कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, श्री जानकीनाथ भट्ट और वित्त आयुक्त, राजस्थान सरकार द्वारा डा. राजगोपाल, चीफ कॉस्ट अकाउन्ट्स आफिसर, वित्त मंत्रालय भारत-सरकार नियुक्त हुए। समिति को निम्न-लिखित तथ्यों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया :

1. To assess the value of investment made by the Rajasthan Govt. in the Suratgarh Farm by way of land;
2. To assess the value of investment made by the Govt. of India in the Suratgarh Farm by way of the development machinery, inputs, services etc.

(श्री रामपाल उपाध्याय)

3. To evolve a formula for sharing the profits of the Farm on the basis of the investments made by the two Government and to suggest the periodicity of review of the formula.

4. To suggest arrangements for associating the Rajasthan Government with the running of the Suratgarh Farm.

5. To assess the value of the land for purpose of outright purchase by the Government of India.

6. कमेटी ने जांच कर नवम्बर, 1979 में रिपोर्ट दी है। कमेटी ने पहले दो बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जो इनवेस्टमेंट इस फार्म पर किया गया है उसका अंकों में असेसमेंट करना सम्भव नहीं है। इसलिए दोनों का इनवेस्टमेंट बराबर माना जावे। तीसरे बिन्दु पर कमेटी की रिपोर्ट है कि चूंकि दोनों का इनवेस्टमेंट बराबर माना जा रहा है, इसलिए जो भी लाभ है वह बराबर बराबर ही दोनों सरकारों को देय होगा परन्तु भारत सरकार अथवा स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया राज्य सरकार को प्रति वर्ष 50 लाख रुपये देगा। इन आंकड़ों पर पुनः विचार के लिए 15 साल का समय निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक कि भारत सरकार इस जमीन को खरीद नहीं लेती। चौथे बिन्दु पर कमेटी की राय है कि इस फार्म की व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि राजस्थान सरकार का सहयोग व्यवस्था (मैनेजमेंट) में जरूर लिया जावे कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि एक नया बोर्ड या कम्पनी बनाई जावे जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधि बराबर रखे जावें। यह व्यवस्था जब तक भारत सरकार द्वारा जमीन खरीद नहीं ली जावे तब तक के लिये रहेगी। पांचवें बिन्दु पर कमेटी की यह राय रही कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को 22.5 करोड़ रुपये भूमि की कीमत दी जावे और यह कीमत 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 15 साल तक जमीन की कीमत के रूप में सन् 1976-77 से भुगतान की जावें।

7. कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह कहा है कि इस फार्म के लिए राज्य सरकार ने भूमि दी है और केन्द्रीय सरकार ने इस भूमि पर सुधार किये हैं व इसकी व्यवस्था की है। इसलिये दोनों का इनवेस्टमेंट प्रत्येक का आधा-आधा माना जावे। इसके लाभ का यथोचित फार्मूला (हल) निकाल कर लाभ का हिस्सा बांट लेना चाहिये। लाभ को बराबर बांटना चाहिये परन्तु राज्य सरकार को भारत सरकार स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम लाभ का हिस्सा देय होगा। भविष्य में भारत सरकार ही इस फार्म पर विकास हेतु पैसा लगायेगी।

8. राज्य सरकार सूरतगढ़ इनवेस्टमेंट वेल्यूवेशन कमेटी की सिफारिशों से सहमत नहीं है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि---

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(1) सूरतगढ़ इनवेस्टमेंट वेल्यूवेशन कमेटी ने जो इस फार्म की भूमि की कीमत 12.5 करोड़ रुपये आंकी है वह बहुत कम है और इस रिपोर्ट में इस कीमत को आंकने का कोई न्यायोचित तथा ठोस आधार नहीं है। इसलिये भारत सरकार को राजस्थान के क्लेम के अनुसार बाजार दर पर इस भूमि की कीमत चुकानी चाहिये।

(2) दूसरा यह है कि जो भूमि अकृषि कार्य के लिए काम में ली गई है उनकी कीमत भी नियमानुसार भारत सरकार को अदा करनी चाहिये।

(3) सूरतगढ़ फार्म आथारिटीज ने इस फार्म पर स्थित पेड़ों को अनधिकृत रूप से काट लिया है। इनकी कीमत भी भारत सरकार को चुकानी चाहिये।

(4) सूरतगढ़ फार्म के लिए पानी देने में भी भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए भी अलग से कीमत चुकानी चाहिए।

9. भारत सरकार को तदर्थ रूप में 50 करोड़ रुपये भूमि की कीमत के रूप में भुगतान करने का निवेदन किया गया है। लीज मनी, भू-राजस्व सरचार्ज, मालिकाना, सिचाई शुल्क आदि जो बकाया है उनको चुकाने के लिये भारत सरकार को निवेदन किया गया है। अभी तक भारत सरकार से जवाब अपेक्षित है। जवाब आने पर यदि आवश्यक हुआ तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार से उच्च स्तर पर वार्ता की जावेगी।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो तथ्य रखे हैं, मेरा निवेदन करना यह है कि फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया ने जो इस फार्म पर कब्जा कर रखा है वह सरासर अवैध है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को लीज पर यह भूमि दी और भारत सरकार ने बिना राजस्थान सरकार की अनुमति लिए फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया को यह भूमि हस्तान्तरित कर दी। इस प्रकार फार्म कारपोरेशन ऑफ इण्डिया इसमें ट्रेसपासर्स के रूप में है। दूसरा, 28 हजार से ज्यादा हरे पेड़ काटे गये और 22 लाख रुपया पेड़ों के फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया से राजस्थान सरकार को लेना है। उनको कोई अधिकार नहीं था इसका। ठीक इसी प्रकार बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए संचालकों ने काफी भूमि केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म को हस्तान्तरित कर दी और वहां पर मकान बना लिए तथा इसी प्रकार से बंटाई की, ठेकेदारी की। नियमों के खिलाफ, काश्तकारी नियमों के खिलाफ वे वहां पर खेती करा रहे हैं। और बंटाई पर फार्म को चला रहे हैं। फार्म पर छः लाख रुपया राजस्थान सरकार का पहले बाकी है।

इसी प्रकार से फार्म कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया ने जब से खेती शुरू की है आज तक कोई लगान नहीं दिया है। इसके अलावा बीस लाख रुपया सिंचाई, बिजली और अन्य कार्यों का राजस्थान सरकार का फार्म कारपोरेशन ऑफ इण्डिया पर बाकी है। फार्म ने बिना भूमि रूपान्तरित कराए कृषि भूमि पर मकान बना लिए हैं उसकी कीमत भी डेढ़ लाख रुपया आती है। इस फार्म द्वारा जो सूरतगढ़ फार्म है उसमें भाखरा, गंग कैनाल और राजस्थान नहर तीनों का पानी आता है और विशेष रूप में सुविधायें दी गई हैं। भारत

(श्री घनश्याम तिवाडी)

सरकार ने, जिन शर्तों पर भूमि दी गई थी उन शर्तों का भी पालन नहीं किया। उन शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने जो मालिकाना बढ़ाया था और 4 रुपये से 8 रुपये किया था उसका हिस्सा राजस्थान सरकार को आज तक नहीं दिया है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 48452 बीघा भूमि है। राजस्थान सरकार ने जो कीमत आंकी है भूमि की, न्यायाधीश जानकीनाथ भट्ट ने जो निर्णय दिया है, उसमें भी उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने जो इसकी कीमत 145 करोड़ रुपये मांगी है, इस फार्म की कीमत के रूप में मांगा है, उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि राजस्थान सरकार ने जो पैसा मांगा है वह वास्तविक कीमत से कम है। यानि इस समय के वास्तविक बाजार भाव से देखा जाय तो सूरतगढ़ फार्म की भूमि की कीमत दो सौ करोड़ रुपया होती है और दो सौ करोड़ रुपया सरकार ने नहीं मांगा है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि राजस्थान सरकार को डेढ़ करोड़ रुपया प्रति साल के हिसाब से और 15 साल का साढ़े 22 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार देने वाली है और सभापति महोदय, इससे होने वाली आय के अन्तर्गत अतिरिक्त साधन जुटाने की दृष्टि से ढाई करोड़ रुपया सूरतगढ़ कृषि फार्म से होने वाली आय में जोड़ा गया है। इस प्रकार से मेरा आरोप है कि जो जानकीनाथ भट्ट कमीशन ने रिपोर्ट दी थी और जिसको पिछली सरकार ने ठुकरा दिया था और उस रिपोर्ट के आधार पर 145 करोड़ की मांग की थी और उस रिपोर्ट के अन्तर्गत इसी जानकीनाथ भट्ट कमेटी ने 145 करोड़ की कीमत से भी ज्यादा माना था। उस फार्म पर जो गैर कानूनी ढंग से, ट्रेसपासर के रूप में फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया ने कब्जा कर रखा है, मेरी मांग है कि जो राज्य सरकार ने ढाई करोड़ रुपया और 15 साल के अन्दर केन्द्रीय सरकार ने देने का फैसला किया है, जो बजट प्रोविजन है, मेरा आरोप है कि अन्दर ही अन्दर इस प्रकार समझौता हो गया है। मेरी मांग है कि उस सम्पत्ति को किसी भी कीमत पर भारत सरकार को नहीं दें और उस सम्पत्ति को वापस अधिग्रहण करें और फार्म कोरपोरेशन आफ इंडिया ने जो ट्रेसपास कर रखा है कब्जा कर रखा है, उससे तुरन्त खाली करावें। उस फार्म के अन्दर जिन किसानों की जमीन ली गई थी उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, कुछ लोगों को जमीनें नहीं दी गई हैं, उनको उनकी जमीनें वापस लौटाई जावें या उनकी खुले बाजार में बिक्री की जावे। अगर दोनों ही नहीं हों तो कृषि विश्वविद्यालय खोल कर जो वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने की बात है, उनके लिए वह बनाया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह काम किया जावे या और कोई काम किया जावे। लेकिन मैं इस प्रकार की मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार दो सौ करोड़ का जो सम्पत्ति है उस सम्पत्ति से खिलवाड़ नहीं करे और सख्ती से निपट कर फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया से रकम वसूल करे जितना भी बकाया है वह राजस्थान सरकार तुरन्त वसूल करे, यही मेरा निवेदन है।

कृषि विपणन बोर्ड के अधीन निर्माणाधीन सड़क व पुलियाओं के कारण अस्त-व्यस्त जन-जीवन

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री गोविन्दसिंह। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीगोविन्दसिंह, सदस्य विधान सभा कृषि विपणन बोर्ड के अधीन निर्माणाधीन सड़क व पुलियाओं के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं कृषि विपणन बोर्ड के अधीन निर्माणाधीन सड़क व पुलियाओं के कारण मेरे क्षेत्र में जन जीवन अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : कृषि मंत्री।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में निम्न प्रकार से निवेदन है। माननीय सदस्य द्वारा बतलाया गया है कि 10 सड़क एवं पुलियाओं के कार्यों में से निम्नांकित सड़कें बोर्ड अथवा मंडी समिति द्वारा निर्मित नहीं की जा रही हैं:

1. विड़कंयावास सम्पर्क सड़क।
2. राताखेड़ा-बैवन्जा करनपुरा सड़क।

अस्तु इन सड़कों के बारे में प्रगति सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है। शेष सड़कों के बारे में वांछित स्थिति इस प्रकार है :

1. दिलवाड़ी–आगापुर रोड

दिलवाड़ी आगापुर रोड के नाम से कोई रोड स्वीकृत नहीं है। अपितु दिलवाड़ी सम्पर्क सड़क के नाम से स्वीकृत है। इसका निर्माण कार्य मैसर्स सतीश चन्द दोषी ठेकेदार को कृषि उपजमंडी समिति, अजमेर द्वारा दिनांक 7.10.76 को आवंटित किया गया था, किन्तु ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया। केवल आधा किलोमीटर कुटाई का कार्य शेष है। सड़क की कुल लम्बाई 1.5 किलोमीटर है। अतः उसके ठेके को आदेश संख्या 2444–46 दिनांक 17.7 80 द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा शेष कार्य के लिये निविदायें दिनांक 31.7.80 को आमंत्रित कर ली गई थीं, जो दिनांक 19 8.80 को प्राप्त होनी थीं किन्तु कोई निविदाएं प्राप्त न होने पर विभागीय कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

2. नसीराबाद से देराठ सम्पर्क सड़क

इस सड़क का डब्ल्यू. बी.एम स्तर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु डामर की उपलब्धता न होने के कारण इस कार्य में विलम्ब हो रहा है। डामर उपलब्ध करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्राप्त होते ही पूर्ण करा दी जायेगी।

3. नसीराबाद नांदला सड़क पर पुलिया का कार्य

इस कार्य के ठेकेदार ने 94000/– आवंटित राशि के स्थान पर 60000/–

(74)

(श्रीमती कमला)

रुपये का कार्य पूरा कर दिया है। यह 6 किलोमीटर की सड़क है जो 1978-79 में ही पूर्ण हो चुकी थी किन्तु 450 मीटर पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका कार्य विभाग की तरफ से जारी है।

4. लवेरा मोदी सड़क व पुलिया [1.5 किलोमीटर]

इस सड़क पर डेढ़ किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. तथा एक कलवर्ट का कार्य पूर्ण होना शेष है। इसके लिये ठेकेदार द्वारा मैटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है और शीघ्र ही सड़क पूर्ण करादी जायेगी तथा सीमेन्ट की उपलब्धता होते ही कलवर्ट का कार्य भी पूर्ण करवा दिया जाएगा।

5. बांध पुरा सम्पर्क सड़क

इस सड़क का निर्माण मास्टर प्लान के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। इस कार्य का सर्वे एवं तखमीना अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर द्वारा पूर्ण करा दिया गया और निविदायें आमंत्रित कर ली गई हैं। कार्य में देरी ले आउट को निश्चित करने के अभाव में हुई है।

6. लावाना–लोडी सड़क

इस सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है।

7. इडवास–मटियाणी सम्पर्क सड़क

इस सड़क पर डब्ल्यू. बी. एम. के स्तर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। डामर की अनुपलब्धता के कारण कृषि डामर नहीं डाली जा सकी है।

8. लोखाड़ा हनुमन्तिया सड़क की पुलिया

यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपरोक्त विवरण अनुसार नसीराबाद-नांदला व लवेरा मोदी सड़कों के अतिरिक्त सभी सड़कों पर यातायात का आवागमन सुचारू रूप से सम्पन्न है।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह। संक्षेप में प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि दिलवाड़ा-आगापुर सम्पर्क सड़क आपने बताई है, वह कार्य चार साल से इस हालत में है कि वहां पैदल आने-जाने का रास्ता था, वह रास्ता बन्द कर दिया गया और खुले पत्थर वहां चुन दिये गये। मैं समझता हूं ना तो उस पर मिट्टी डाली गई है और ना डब्ल्यू बी. एम. और ना डामर हुई है। रास्ता आने जाने का बन्द हो गया। नतीजा यह है कि वहां दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। वह रास्ता भी बरसात नहीं होती है, फसल नहीं होती है, तब तक चल जाता है। फसल खड़ी होती है, तो दिलवाड़ा-आगापुर गांव जाने का एकमात्र वही रास्ता है, वह चार साल से बन्द पड़ा है। मुझे गांव वालों ने निमंत्रण दिया है कि आप यहां आकर पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों को हटाने के लिये यहां उसका उद्घाटन करिये। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क, जहां दूसरे गांव तक जाने के लिये मार्ग नहीं है, को कम से कम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। अगर चार साल से वह नहीं कर सके, ठेकेदार ने काम नहीं किया 76 से

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

आज तक उसकी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, यह बड़े खेद की बात है, इससे एक-डेढ़ हजार आदमी को परेशानी हो रही है। इसी तरह से जो लवरी मोडी की सड़क है, उसके रास्ते पर से यह सड़क बनायी है लेकिन जो पुलियायें कलवर्ट हैं, वह अधूरी पड़ी हुई हैं। सभापति महोदय, होता क्या है सड़क का काम पहले ले लेते हैं और पुलियायें जो कलवर्ट हैं, उनका काम बाद में लेते हैं। नतीजा यह होता है कि सड़क बनती है और वह बरसात में बह जाती है। सारे पत्थर निकल आते हैं और आम आदमी का आने जाने का रास्ता दूभर हो जाता है। इसलिए खास तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिलवाड़ा-आगापुरा के गांव को जोड़ने वाली पुलियां टूटी पड़ी हैं, बरसात का पानी भरा हुआ है आम आदमी न आ सकता है, न जा सकता है। इसी तरह नांदलों की पुलियां हैं वह बरसात में बह गई। उसके टेण्डर भी लिये। बरसात आई और गांव अस्त-व्यस्त पड़े हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कामों को जो चार-चार साल से पड़े हुए हैं, उनके लिये कृषि उपज मंडी ने पैसा भी मुहैया कर दिया और ठेकेदार की लापरवाही से डामर की कमी के कारण काम पूरा नहीं हो रहा है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और कम से कम दिलवाड़ा-आगापुर की सड़क है, उसे युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश करें।

श्री सभापति : आप कुछ कहना चाहेंगी ?

श्रीमती कमला : वैसे तो मैं सारा विवरण दे चुकी हूं। इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि इनकी जो तकलीफ है उसका अनुभव सारे माननीय सदस्यों को मेरी समझ में होगा। जहां जहां इस तरह के काम चलते हैं, सड़क नयी बनती रहती है, दूसरे रास्ते चलते हैं, तकलीफ बहुत होती है, स्वाभाविक है, उसको महसूस करना चाहिये। लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया, ग्राम तौर पर सड़क बन चुकी है और जो काम बाकी है उसके लिये विभागीय कार्य कराया जा रहा है। मेरी समझ में वह जल्दी पूर्ण हो जायेगा। और आपको शायद पत्थर हटाने के लिये नहीं जाना पड़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उद्घाटन के लिये आप ही को ले जाना पड़ेगा, साहब।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

पेयजल तथा जल-मल निस्सारण की योजनाओं का क्रियान्वयन

श्री सभापति : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत श्री राजबहादुर, पेयजल तथा जल-मल निस्सारण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सिद्धांत निर्धारित न करने पर थोड़े समय के लिये चर्चा करेंगे।

श्री राजबहादुर। थोड़े समय के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय ने थोड़े समय पर बल दिया, इसलिए मैं नियम 128 को पढ़ लेता हूं, दो घंटे तक हो सकता है। यह थोड़ा समय दो घंटे तक है। लेकिन आप जितना दें, ठीक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टू आवर्स मैक्जीमम है । आप अकेले हैं । बहुत लम्बा बिजनेस है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा, विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है आप पूरी बात कह लें ।

श्री राजबहादुर : मैं पूरा सहयोग दूंगा और संक्षिप्त से संक्षिप्त में कहूंगा । मैं समझता हूं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, विरोधी दल के नेता भैरोंसिंह प्रकाश डालेंगे । समस्या ऐसी है जो सारे राजस्थान को सता रही है।

(2.27 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन) पेयजल की ओर जल-मल निस्सारण की । और पेयजल की समस्या अधिक तीव्र है मैं विश्वास करता हूं, इसकी ओर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है। उनकी कुछ घोषणाएं हैं । मैं सारी पृष्ठभूमि वर्ल्ड बैंक के प्रस्ताव की नहीं जानता । मुझे खेद है । मुझे बहुत मैटेरियल पढ़ने को मिला नहीं है। इसकी क्या हिस्ट्री है, मिल पाती तो शायद अधिक उपयोगी बात कह पाता । इतना कहना चाहता हूं कि अखबारों में जो कुछ आया है तथा एक प्रश्न संख्या 161 का 6.8.8(को सदन में उत्तर दिया गया था जिसमें सूचना दी गई है, उसके आधार पर थोड़ा बहुत प्रश्न है वह रखना चाहता हूं । अन्त में, अपनी बात कहूंगा । मैं आपसे विनती करूंगा कि पहली चीज यह है इस ओर ध्यान दें कि सिर पर मैला ढोने की शर्मनाक प्रथा शीघ्र बन्द होनी चाहिये, That should not to be delayed too much. जितना शीघ्र यह बन्द होता उतना ही अच्छा था । लेकिन केवल बातों में ध्यान देना ही काफी नहीं होता जब तक ध्यानपूर्वक काम न हो । हम पहले ध्यान देते हैं। फिर योजना बनाते हैं फिर उसे क्रियान्वयन करने की चेष्टा करते हैं जो साधनों और धन पर सीमित होती है । पहले सुना गया कि 170 या 171 करोड़ रुपये रखे हैं इस योजना पर, फिर 170 से 138 पर आये, फिर 100 करोड़ और कल परसों सुना गया कि और कम हो गये हैं। जो भी कमी हुई हो, जितनी भी साधन हमारे पास अब हैं उनके साथ ही हमारी प्राथमिकताएं क्या हों इसके संबंध में मैं विशेष रूप से अपनी बात कहना चाहूंगा और मैं विनती करूंगा इस बात की कि इस दृष्टिकोण से देखें । पहली चीज, पेय जल की समस्या के ऊपर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह पर्याप्त है या अपर्याप्त है इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन सीवरेज से अथवा जल-मल निस्सारण का जहां तक संबंध है इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है अगर ध्यान है भी तो प्राथमिकता कुछ विकृत है, टेढ़ी है । हमारी जो संस्कृति है, आपने देखी है वह यह है कि हमारी छोटी-छोटी बस्तियों में हमारी कुछ बहनें, भाई सिर पर मैला लेकर चलते हैं । क्या इस कलंक से, अभिशाप से हम उनको मुक्त कर सकते हैं ? वस्तु स्थिति तो यह है कि आपने बड़े-बड़े शहरों को अपने ध्यान में रखा है । जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर की ही तरफ आपका ध्यान रहा है । मैं कोई किसी के नगर के खिलाफ नहीं हूं लेकिन इतना मानता हूं कि पहले सहायता की आवश्यकता जिसको है उनको देखकर पहले आप उनका लें तो अच्छा हो । फिर जो बड़ी सिटीज हैं वहां तो म्युनिसिपैलिटीज अपनी किस्म से सेवा दे सकती है,

(श्री राजबहादुर)

कुछ और तरीकों से उनको इस योजना के लिये आत्म-निर्भर बना सकते हैं। अपने विभिन्न करों चुंगी कर आदि का उपयोग कर सकें तो यह इतने साधन प्राप्त कर सकते हैं कि वह इन योजनाओं का खर्च उठा लें लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जिनकी आबादी 10-20 हजार होती है और वहां इन्सान के माथे पर मैला ढोया जा रहा है यह देखने को मिलता है। वहां क्या कुछ ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, क्या कुछ विशेष सेवा कर सकते हैं राज्य के जरिये ऐसा कोई विशेष धन प्राप्त करके या पार्टिसिपेशन म्युनिसिपैलिटीज द्वारा अथवा स्थानीय नगरपालिकाओं की सहायता हो और यह जल मल निस्सारण की स्कीमें चालू हो जाय ? यह हो सकता है कि जो कंपनीज हैं जो सेनीटेशन इक्विपमेंट, पाइप, सेनेटरी वेयर्स जो कुछ वे बनाती हैं वे इस काम को लें। मैं एक सुझाव के रूप में कह रहा हूं, विचार है, जिसको आप ले सकते हैं। थोड़ी केन्द्र की सहायता के रूप में, केन्द्र की भी स्कीम है, वह केपिटल टाउन्स के लिये है, पब्लिक इंपार्टेंस के सेंटर्स के लिये है यह भी मैं बताना चाहूंगा कि जो बड़े टाउन्स हैं जिनका मैंने नाम लिया उनको भी इस स्कीम के अन्तर्गत आधा पैसा मिल सकता है। यह निश्चित रूप से केन्द्र सरकार की योजना है, स्वीकृत योजना है। इस ओर चेष्टा की या नहीं, कोई योजना भेजी या नहीं और उन्होंने कितना उपयोग किया होगा इन केन्द्रीय योजनाओं का लेकिन यह निश्चित है कि There is central scheme for financing such development projects इसलिये प्रश्न यह है कि जो ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज में उन्होंने निश्चित रूप से रखी है। इसमें इस वर्षावधि के लिये आपने कोई स्कीम भेजी है या नहीं ? हमारे टाउन्स इसका उपयोग कर सकते हैं और यह जो विश्व बैंक से आपके पास सहायता आ रही है उसकी भी आप यह सोचलें, कि छोटे नगर, पर यह तो नगरपालिकाओं पर व्यय करने को हम बार बार कहते हैं–अन्य जो बात है कि The rich becomes richer while the poor becomes poores. उसको हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। जितना अधिकार जीवन की स्थिति को ऊंचा करने का बड़े शहरों में रहने वालों का है उतना ही छोटे शहरों में 20-50 हजार की आबादी वालों का है। मैं 1-2लाख की भी बात कह रहा हूं, उनको भी स्वावलम्बी बनाइये लेकिन छोटी बस्तियों की ओर ध्यान नहीं जायेगा तो गलियां सड़ती रहेंगी, संडास सड़ते रहेंगे, कोई नहीं देखेगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं, उनको जानकारी होगी, उन्होंने क्या आधार रखा है प्राथमिकताओं का जो उत्तर आया है उससे तो मुझे आशा है नहीं। अब जल मल निस्सारण के लिये 3-4 टाउन्स के नाम थे अब जो चार जिले रखे गये उनमें 4 टाउन रखे गये। तो क्या राजस्थान के निष्पक्ष विकास के लिये, जिसमें क्षेत्रीयता की भावना न हो, आप निष्पक्षता से कह सकते हैं कि सारे राजस्थान को लेंगे। इसलिये मैं कहता हूं बिना यह देखे कि कौन कहां से आता है, कौन कौन ग्राम कस्बे हैं, सबसे ज्यादा जिनको आवश्यकता है उनको आप ले सकते हैं और जहां आप सीवरेज सेनेटरी पिट्स नहीं बना सकते वहां दूसरे साधनों से कैसे आप जल मल निस्सा-

((श्री राजबहादुर)

रण सेवा कर सकते हैं जिससे मानव के माथे पर मल न ढोया जाय। मैं विनती करूंगा जहां पेय जल की समस्या है, जल मल निस्सारण की समस्या है उसके लिये आपका आधार क्या हो। मैं समझता हूं विश्व बैंक को स्कीम भेज दी होगी, अब उसमें परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं तो उसमें यह आधार बन जाता है कि विश्व बैंक मना कर देगा। जो आबादी वाले नगर हैं जिनमें कुछ घनी आबादी के लोग रहते हैं, जिनमे उद्योग बड़े धन्धे भी हैं वहां अगर आप क्रांति चाहते हैं सेनीटेशन व्यवस्था में नगरपालिका व्यवस्था, में, यदि आप सोचे इसमें क्रांति हो तो सारी नगरपालिकाओं में तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखे हैं कोई नगरपालिका ऐसी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर न हो?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर हैं।

श्री राजबहादुर : और उनकी हालत क्या है ?

एक माननीय सदस्य : बहुत खराब है।

श्री राजबहादुर : सीधा आपका कन्ट्रोल है फिर भी नगरों में सड़कों पर, नालियों पर पत्थर तक नहीं हैं। घटनाएं घटती हैं। तो इस प्रकार नगरपालिका कभी अपना विकास नहीं कर सकती। आपको बड़े प्रेम के साथ बड़ी सद्भावना के साथ देखना पड़ेगा कि छोटी बस्तियों के लिये क्या मदद बन सकती है। यहां बाहर से पर्यटक आते हैं वे हमारी छोटी छोटी बस्तियां और गांव देखते हैं और जितने संतुष्ट होकर गांव में जाकर आते हैं, वह वहां की गंदगी से नहीं, वहां के जो हमारे गांव के लोग व्यवहार करते हैं, खातिर करते हैं, आवभगत करते हैं, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, बड़ी बड़ी सड़कों पर गांव आते हैं वहां पर पर्यटक ठहरते हैं उनको भी आप सुधार सकते हैं। तो यह चीज ऐसी है कि हमारा प्राथमिकता का दृष्टिकोण क्या हो। आप कहेंगे, निर्णय वर्ल्ड बैंक ही करेगा तो वर्ल्ड बैंक हमारी सहायता करने जा रहा है या प्राथमिकता देखने। मुझे विश्वास है, ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं जो स्वावलंबी हो और 10-15-20 वर्ष में सारा पैसा दे दें। आपके पास इन्जीनियर्स, फर्म्स हों जो सारे सेनीटेशन के कन्स्ट्रक्शन वर्क्स का इन्तजाम करें फिर आप टैक्स भी लगा दें तो भी लोग बड़ी खुशी से देंगे। 15-20 वर्ष में पूरा हो सकता है। मैं चाहूंगा कि शासक दल और हमारे शासक इस पर समग्र रूप से विचार करें, खुले दिल से विचार करें, एक नये तरीके से विचार करें। पुराना ढर्रा चलता आया है जो कुछ भी हो जयपुर में हो, जो कुछ भी आएगा वह जोधपुर में आएगा, जो कुछ आएगा वह बीकानेर में आएगा, उदयपुर, कोटा में आएगा। बाकी बस्तियां कहां जाएं, यह? व्यवस्था आप देखें। इसके आधार पर सोचिए। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, चयन का आधार, मापदण्ड क्या है, वह बताया जाए। आपका क्या क्राइटेरिया है ? कृपया मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : अन्य कोई माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। यह विश्व बैंक की योजना के सम्बन्ध में है।

श्री देवीलाल (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। कल भी मैं खड़ा हुआ था। उसके पहले भी निवेदन किया था परन्तु मुझे मौका नहीं दिया गया। मेरी विनती है। जो कांस्त कार हैं वे बारह बारह बिजे सेके खेत में काम करते हैं। उनके बारे में मेरा निवेदन है। तहसील शाहपुरा है। यह शिडयूल्ड कॉस्ट की तहसील है। हमारी तहसील में खारी नदी के ऊपर एक बांध करीब 10/-12 साल पहले बांधा गया था। उस बांध से करीब 15/-20 गांवों को पानी की सप्लाई होती है। इसके अन्दर जो पानी आता है वह कच्ची नहर में बह जाता है इस कारण से वह बांध पूरा नहीं भर पाता है। मेरा निवेदन है कि इसको पक्का बनाया जाए। इससे कुओं को भी पानी सप्लायी होगा और पीने का पानी मिल सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि इसको जरूर जरूर ही कराया जाये। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर एक एनीकट बनवा दिया जाय।

दूसरा निवेदन यह है कि जो सेमण गांव है वहां पर एक खाल है। 8-9 साल पहले इसका सर्वे कराया गया था। उसके बाद अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। इस वास्ते मेरा आपसे निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, सेमणा गांव के अन्दर जो बांध है वह बांध बांधा जाय।

अध्यक्ष महोदय दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस बांध को बांधने से कम से कम 10-15 गांवों के अन्दर जो एक ही फसल होती है, सियालू की फसल होती है, ऊंदालू की फसल नहीं होती है, इस बांध के बन्ध जाने से वहां के खेतों में ऊंदालू की फसल हो सकेगी। तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो बांध है हमारी तहसील में उसकी नहरें, सड़कें कच्ची हैं वह पक्की होनी चाहिये। कम से कम 7-8 मील तक जा रही हैं, यह कच्ची हैं। इससे पानी खराब होता है। हमारे खेतों की फसल खराब होती है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वह नहर पक्की हो जानी चाहिए।

एक अर्ज मेरी और है। जो बांध है उससे नाला, धोरा जा रहा है। वहां हमारे घरू कुंए, तालाब छोटे छोटे हैं। मगर जो नागिया है उसनागिय से पिलाई होती है। उससे पांच-सात बीघा जमीन की पिलाई कर लेते हैं परन्तु सौ बीघी जमीन की, पचास बीघा जमीन की पिलाई की वसूली की जाती है। इसकी ऐसी पद्धति है। बार-बार किसानों को जाना पड़ता है कोई सुनवाई नहीं होती है, जुर्माना किया जाता है। मेरी अर्ज है कि जहां हमारे घरू तालाब से पानी जाता है, नहर से पानी सप्लाई नहीं होता है, तो फीस नहीं ली जानी चाहिए। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे। विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता के सम्बन्ध में।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मन्त्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से जाने वाले सम्माननीय वयोवृद्ध सदस्य महानुभाव ने जो मूल्यवान सुझाव रखे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता से जो योजनाएं, मरू विकास योजनाएं अभी तक राज्य सरकार द्वारा हाथ में ली गई हैं और ली जाने वाली हैं उसके बारे में उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया है। मैं समझता हूं कि भगवान करे हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी हो और हम काम

(84)

(श्री रामलाल उपाध्याय

कर सकें। इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए मैं कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा।

विश्व बैंक द्वारा सहायतार्थ राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज योजनाएं प्रस्तावित की गई थी जिनकी कुल लागत 177 करोड़ रुपये थी जिसके अन्तर्गत जयपुर जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में जल प्रदाय एवं सीवरेज योजनाओं तथा राजस्थान के सभी 26 जिलों में ग्रामीण योजनाएं सम्मिलित थी।

भारत सरकार इतने बड़े योजना समूह को सम्मिलित करने के लिए तैयार नहीं हुई। उनका आग्रह था कि योजना समूह को छोटा करके करीब 100 करोड़ रुपये रखा जाए तथा ऐसी योजना को सम्मिलित किया जाए जो वित्तीय दृष्टि से समक्ष हों। चूंकि राजस्थान में चार बड़े मुख्य नगरों में जल प्रदाय योजनाओं में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सुधार की अत्यन्त आवश्यकता थी अतः इन चार बड़े नगरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा को सम्मिलित करना आवश्यक था। चूंकि इन चार बड़े नगरों की योजनाओं पर काफी बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है इसलिए इन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए इन योजनाओं का पुर्नगठन करना ज्यादा आवश्यक था। इस दृष्टि से इन चार नगरों को विश्व बैंक योजना समूह में सम्मिलित किया गया इन नगरों में जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन के साथ-साथ पानी का निकास भी आवश्यक हो जाता है इसलिए विश्व बैंक का मत था कि इन नगरों में सीवरेज योजनाएं भी लगायी जाए। चूंकि भारत सरकार योजना समूह की राशि को सीमित करने में इच्छुक थी इसलिए कोटा सीवरेज योजना को छोड़ना पड़ा तथा केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में सीवरेज योजनाओं को सम्मिलित किया गया। वैसे कोटा सीवरेज योजना जीवन बीमा निगम की सहायता से पहले ही निर्माणाधीन है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी 26 जिलों में योजना समूह को सीमित राशि के कारण जल प्रदाय योजनाएं लेना संभव नहीं था अतः प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे जिले सम्मिलित करना आवश्यक था जो इन चार बड़े नगरों के पास पड़ते हों तथा इन जिल में जो योजनाएं ली जाएं वे तकनीकी दृष्टि से फिजेवल होनी चाहिये। दूरदराज रेगिस्तानी जिले की योजनाओं की लागत बहुत अधिक आती है तथा साधारण व्यय भी वित्तीय सक्षमता की दृष्टि से खर्चीला पड़ता है। ऐसे जिलों को योजना समूह में सम्मिलित करना उचित नहीं था। बाड़मेर एवं जैसलमेर जैसे जिलों में जहां पर पानी के स्रोत बहुत ही सीमित ज्ञात हैं वहां योजनाओं का व्यय बहुत अधिक आता है। ऐसे जिलों में गत कुछ समय पश्चात् सर्वे का कार्य पूर्ण हो जावेगा तब नजदीक जल स्रोत उपलब्ध होने के कारण योजनाएं कम खर्चीली बनेंगी। उस समय ऐसे जिलों को विश्व बैंक सहायतार्थ द्वितीय चरण योजना समूह में सम्मिलित करने हेतु प्रयास किये जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से 10 जिले अजमेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्री गंग नगर, पाली जोधपुर, नागौर, कोटा जिलों को इस योजना समूह में सम्मिलित किया गया। इन सभी जिलों की सीमाएं कोटा जिले को छोड़ कर आपस में मिलती हैं। कोटा जिले को कोटा की नगरीय योजना लेने के कारण सम्मिलित करना पड़ा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मन्त्रिमण्डल ने आज्ञा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

संख्या 176/79, दिनांक 13-6-79 द्वारा उपरोक्त योजनाओं के लिये 117 करोड़ रुपये का योजना समूह अनुमोदित किया परन्तु विश्व बैंक जांच दल के दौरान इस योजना समूह की राशि कीमतों में अधिक वृद्धि इत्यादि का प्रावधान हो जाने के कारण 137.68 करोड़ रुपये की हो गयी जिसमें 53.37 करोड़ रुपये 10 जिलों की ग्रामीण योजनाओं एवं 84.31 करोड़ नगरीय क्षेत्र में व्यय की जायेगी।

वैसे इन योजनाओं पर होने वाले व्यय की राशि पंचवर्षीय योजनाओं का अंग है अतः जल प्रदाय एवं सीवरेज सैक्टर में पंचवर्षीय योजना के प्रावधान में से इन योजनाओं पर राशि आवंटन के बाद शेष राशि और जिलों में व्यय की जायेगी। उदाहरण स्वरूप 1978 से 1983 की छठी पंचवर्षीय योजना में 110 करोड़ रुपये का ग्रामीण योजनाओं पर प्रावधान था। शेष प्रावधान अन्य योजनाओं पर था अब चूंकि छठी पंचवर्षीय योजना को 1980–85 के लिए संशोधित किया जा रहा है अतः राजस्थान सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि विश्व बैंक के अन्तर्गत योजनाओं पर निर्धारित राशि आवंटन के साथ-साथ अन्य जिलों में भी पर्याप्त राशि आवंटन करके समस्याग्रस्त गांवों को पानी उपलब्ध कराने की दिशा में सफलता प्राप्त करें। संशोधित योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सरकार के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने की सम्भावना है। इन पांच वर्षों में विश्व बैंक योजनाओं पर दस जिलों में 53.37 करोड़ रुपये व्यय होंगे शेष राशि अन्य जिलों व अन्य योजनाओं के लिये उपलब्ध रहेगी।

अब चूंकि विश्व बैंक द्वारा सहायतार्थ योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है तथा प्रोजेक्ट तथा ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुका है अतः इन नगरों एवं जिलों के चयन में रद्दोबदल सम्भव नहीं है। इन जिलों में गांवों का चयन हर वर्ष राज्य सरकार के निर्धारित गाइड लाइन्स के मुताबिक एवं फीजीबिलिटी रिपोर्ट में दर्शाये गये सिद्धांतों पर किया जाता रहेगा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इन योजनाओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होगा। सहायता की राशि राज्य सरकार के स्रोतों में वृद्धि के रूप में होगा अतः राज्य सरकार आय के स्रोतों में वृद्धि को और अधिक बढ़ाने के लिए और जिलों की योजनाओं को भी प्रस्तावित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। जयपुर जिले की योजना नीदरलैण्ड की सहायता के लिये भेजी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार नीदरलैंड सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। शेष 15 जिलों को भी आवश्यक सूचना भारत सरकार के आवास एवं निर्माण मंत्रालय में प्रेषित की जा चुकी है तथा जैसे जैसे भारत सरकार और प्रदेशों को योजना प्रस्तावित करती रहेगी वैसे वैसे राज्य सरकार भी इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करती रहेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सेनीटेशन दशक के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1981 से 1990 के मध्य 10 वर्षों के दौरान सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं। राज्य सरकार इस दिशा में भी ठोस कार्यवाही करने के लिये अग्रसर है।

श्री रामपाल उपाध्याय)

राज्य सरकार इस बात के लिए भी प्रयास करेगी की विश्व बैंक द्वितीय चरण में शेष जिले एवं कुछ नगर सम्मिलित करके योजना समूह प्रस्तावित करें।

मैं, माननीय सदस्य महानुभवों को इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि क्राइटेरिया की बात फर्मायी थी उन्होंने. इसके बारे में मेरा यह कहना है कि करीब सभी गांव क्राइटेरिया के अन्दर है। लेकिन फिर भी जो जो क्राइटेरिया रखा था जो विश्व बैंक की शर्तें थीं उन सब को मैं थोड़ा संक्षेप में बताना ठीक समझूंगा। पहली शर्त थी कि ग्राम 500 की जनसंख्या वाले होने चाहिये। यह जिलों में भी हो सकते हैं। ग्राम योजना में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उनमें वितरण के आधार पर किया गया। डीजल की कमी के कारण ..

श्री राजबहादुर : अपने दूसरे जो शब्द कहें वह सुनने में नहीं आये।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य महानुभाव मेरी सारी बात सुनें तो मेहरबानी होगी।

श्री राजबहादुर I will be obliged if you please repeat it.

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने यह निवेदन किया कि विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत जो लिये जाने वाले हैं, राजस्थान के सभी ग्राम लिये जा सकते हैं।' इसके लिये प्रारम्भ में विश्व बैंक की टोली ने 26 जिलों को सर्वे किया था, 26 जिलों के तथ्यात्मक आंकड़े देखे उसके बाद 177 करोड़ का जो प्रावधान था उसको घटाकर 100 करोड़ किया। भारत सरकार यह चाहती थी कि यह सारी योजना समग्र रूप से लागू हो, इन्टेंसेज रूप से लागू हो। इसलिए जैसा निवेदन किया था ऊपर अपने वक्तव्य में कोटा को छोड़कर के बाकी 9 जिले जो लिये गये थे, में समग्र रूप से एक इकाई के रूप में है। मेरा यह अनुरोध है कि इसके बारे में जहां तक समन्वित रूप से करने की, नये तरीके से सोच विचार करने की बात है और उसके मापदण्ड वगैरह की बात है, निष्पक्षता की बात है, मैं समझता हूं, पेयजल जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है और राज्य सरकार निश्चित रूप से हर सम्भव तरीके से पेयजल समस्या का निदान करेगी।

श्री राजबहादुर : आप क्राइटेरिया क्या कह रहे थे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : क्राइटेरिया के लिये निवेदन किया कि जिन गांवों को लिया जाय वे 500 से अधिक जनसंख्या वाले हों और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से जहां तक सम्भव हों गांव लिये जायें। डीजल की कमी प्रायः है इसलिये जहां तक सम्भव हो जो विद्युतीकृत गांव हैं उनको लिया जाय। उसके बाद 1971 की जनसंख्या के बाद 2000 से अधिक बताया है, वह लिया जाये जहां तक सम्भव हो क्षेत्रीय योजना को महत्व दिया जाये। समस्याग्रस्त गांव पहले 400 थे जो अब 24000 और कुछ हैं उनको प्राथमिकता दी जाय। घुलनशील लवण जहां 2500 हो और 16.3 किलोग्राम प्रतिलीटर से कम हो ऐसे गांवों के अन्दर परम्परागत तरीके और हैंड पम्प की योजना प्रस्तावित की जाय और जहां पर भू-जल की गहराई 150

(श्री रामपाल उपाध्याय)

फीट से कम है वहां भी इसको प्रस्तावित किया जाय। प्रत्येक जिले में कम से कम 2 ऐसी योजनायें हों। प्रत्येक जिले से मेरा मतलब 10 जिलों से है। उनको इस योजना के रूप में प्रस्तावित किया जाये। जहां पर विद्युत उपलब्ध न हो तो वहां सौर ऊर्जा से विद्युत उपलब्ध किया जाय इस प्रकार की सम्भावनाओं का पता लगाने की बात कही गयी। विद्युत उपलब्ध हो और भू-जल की गहराई 150 फीट हो वहां परम्परागत तरीके और हैंड पम्प की निश्चित योजना ली जाय ऐसे गांवों की संख्या सन् 71 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक होनी चाहिये। इन योजनाओं में परम्परागत स्रोतों से सुधार करने और वहां हैंड पम्प लगाने की बात है। भू जलाशय हैं, ऐसी जहां की स्थिति है तो उनको शामिल करने का प्रावधान रखा गया। लास्ट में, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां अकाल के समय टैंकों से पानी दिया जाता है अगर सम्भव हो तो उनको भी लिया जाना चाहिये।

इस प्रकार की कुछ बातें उन्होंने बतायीं जिसके आधार पर यह तय किया गया मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के सभी 26 जिलों के सभी गांवों में हो सकता है लेकिन मोटे रूप से समग्र दृष्टि से कोटा जिले को छोड़कर बाकी 9 जिले लिये हैं वह समग्र रूप से एक हैं, एक इकाई के रूप में हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य महानुभावों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमको 137.68 करोड़ रुपया विश्व बैंक के हिसाब से भारत सरकार देगी। विश्व बैंक से वह 67 करोड़ रुपया होगा और 67 करोड़ में से 70% भारत सर-सरकार राज्य सरकार को इस योजना के अन्तर्गत देगी और वह 47 करोड़ रुपया होगा। अब इस 47 करोड़ का छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पेयजल समस्या के लिये 308 करोड़ का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत और इसके अलावा त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 करोड़ और मिलने की सम्भावना है। मेरा यह निवेदन करना है कि इसमें से 47 करोड़ लेने के बाद 261 करोड़ रुपया अन्य जिलों के लिये बचता है। मैं समझता हूं कि इस धनराशि से हम लगभग सभी जिलों में और जहां पर मैंने ऊपर बताया लवण पानी में और फ्लोराइट जैसी प्राथमिकता के आधार पर उसको निश्चित तौर पर रखना चाहेंगे। जयपुर शहर और जयपुर जिला है उसके लिये नीदरलैंड से करीब 5.50 करोड़ रुपये की अलग से योजना चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार के निरन्तर प्रयत्नशील रहने से वह शुभ दिन आयेगा जब इसकी कार्यवाही हो सके। इनकी क्रियान्विति जल्दी होगी।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी महानुभावों से सुना, इस योजना के बारे में सुझाव दिये हैं मैं उनका सम्मान करता हूं।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर): मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। यह वर्ल्ड बैंक की योजना के बारे में जो ऋण दिया गया है उसमें अजमेर जिला भी है या नहीं?

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नाम गिनाये हैं उनमें यह है।

श्री विष्णुप्रकाश बाजारी: उसके लिये बतलाने का कष्ट करें।

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, योजना अभी विचाराधीन है। इसके लिये कई प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : निवेदन यह है कि आपकी सरकार कब तक इस निर्णय पर पहुंच जायेगी, अजमेर ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ, इनके बारे में कोई रूपरेखा सरकार के सामने है ? कोई यूटिलिटी सरकार के सामने होगी ? यह तो होगा कि यह कौनसा सोर्स हैं, जहां से पानी दिया जायगा ? इस सिलसिले में कोई योजना सरकार के पास होगी, कहां से पानी मिलेगी ? मन्त्री महोदय बताने की स्थिति में हैं या नहीं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अजमेर जिले के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों में जो समस्यायें हैं उनके बारे में कहा है। सिंचाई आदि का प्रश्न भी है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, बनास नदी पर सिंचाई विभाग के माध्यम से बनाने की योजना है। जैसा की मैंने पहले भी निवेदन किया इसके बीच में पड़ने वाले कस्बे और शहरों को भी लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा मैंने यह भी निवेदन किया कि सिंचाई विभाग ने इसके मूल्यांकन और क्राइटेरिया के बारे में अपनी असमर्थता जाहिर की है। अब पुन: जलदाय विभाग विचार कर रहा है इनको हम किस रूप में किस जगह लें। फिर भी, मैं यह नहीं मान सकता कि उनकी समस्या का निदान हमेशा के लिए हो जायेगा और निरन्तर पानी मिलता रहेगा, क्योंकि जनसंख्या की जिस अनुपात से निरन्तर वृद्धि हो रही है, इससे इसका खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि फलां शहर या फलां कस्बे में यह समस्या समाप्त हो जायेगी और वहां निरन्तर पानी मिलना रहेगा। मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि अजमेर जिले की सभी बस्तियों में समुचित रेट से पानी मिलना चाहिए। सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही कोई हल होगा। इसके स्रोत पर भी विचार होगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 7 करोड़ लागत आयगी। मेरे को लिखित में सरकार की तरफ से जवाब मिला था। बीसलपुर वाया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

7 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा रखी गई है वर्ल्ड बैंक से जो ऋण मिला है, उसके बारे में। इसके बारे में अपने अपने यहां के बारे में कहना ठीक नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय मन्त्री महोदय ने अजमेर जिले के बारे में अभी कहा है। माननीय सदस्य पूछ रहे थे।

श्री अध्यक्ष : वह तो विषय है, योजना है, उसके बारे में बता दिया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आपको बनास योजना के बारे में फर्मा रहे हैं।

श्री केसरीचन्द चौधरी : पेयजल की समस्या के बारे में मैं निवेदन करूंगा ....

श्री अध्यक्ष : यह पेयजल की समस्या के बारे में नहीं है। विश्व बैंक से जो ऋण मिला है ? उसके बारे में है।

श्री केसरीचन्द चौधरी : मेरा एक ही निवेदन था। विश्व बैंक की योजना में पहले अजमेर को इनक्लूड किया गया फिर अजमेर को एक्सक्लूड किया। निवेदन यह है कि इस बारे में 10 साल से बराबर आश्वासन मिलता आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं आपका फाइनेंशियल अरेंजमेण्ट नहीं होता है सरकार की स्थिति नहीं है। तो कम से कम यह तो मालूम पड़े कि विश्व बैंक योजना में हमारा अजमेर क्यों नहीं शरीक किया गया ?

एक माननीय सदस्य : जवाब आने दें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जो कि वर्ल्ड बैंक स्कीम में शामिल किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय दे चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वर्ल्ड बैंक योजना रावतसर से सरदार शहर लाने के लिए अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय सरदार शहर में नियुक्त किया गया था लेकिन उस कार्यालय को हटा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत प्रभारी मन्त्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि विश्व बैंक के अन्तर्गत जोधपुर को पीने का जो पानी दिया जाने वाला है, वह हेमावास व जवाई बांध से है। जिस वक्त वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार हो रही थी, राज्य सरकार के सामने दो विकल्प थे। आया जोधपुर को पीने का पानी जवाई और हेमावास से दिया जाये, या राजस्थान कैनाल से दिया जाये। इकानॉमिक थी नहीं विलेजेज के सम्बन्ध में तो उस वक्त सरकार ने इस पर काफी एक्सरसाइज की थी। राजस्थान कैनाल से पानी की चैनल लाने में 26 करोड़ का खर्चा था जवाई से पानी लेने में 16 करोड़ का खर्चा है। 16 करोड़ आप खर्च करने जा रहे हैं। अगर यह कह कर आपने जवाई योजना को इम्प्रूव किया कि जिस बांध से हम पानी जोधपुर के लिए राजस्थान कैनाल से लेना चाहते हैं, उस जगह पानी पहुंचेगा 5 साल के लिये यह तथ्य एक बिलकुल निराधार और गलत था। परिणाम यह हुआ कि आपने जो योजना बनाई है जवाई से पानी लेने के लिए जवाई का जो सिंचित क्षेत्र है वहां तो कमाण्ड एरिया को सहन करेंगे। राजस्थान कैनाल और जोधपुर के बीच में जो फ्लोराइड वाटर है खारे पानी का एरिया है, वह हमेशा के लिए आने वाले कई वर्षों के लिए वंचित हो जायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से कि क्या वर्ल्ड बैंक के अन्दर जो गलत फैक्ट के आधार पर योजना बनाकर स्वीकार कराई है, उस पर पुनर्विचार करने का इरादा रखते हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव ने जो एक दूर-गामी योजना के बारे में बताया है, मैं समझता हूं कि वह काफी महत्वपूर्ण बात है। हेमावास और जवाई बांध से जोधपुर शहर को पानी देने के बारे में 16 करोड़ की धनराशि के आधार पर मानकर योजना बनाई गई है। ऐसा है, इस योजना पर इससे ज्यादा रुपया लगने के कारण योजना का ड्राफ्ट किया गया है। मेरे अपने विचार से–

श्री राजबहादुर: ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिये।

श्री रामपाल उपाध्याय: क्षमा करियेगा। मैं निवेदन कर रहा था, जहां तक मैं स्वयं इस बात को सोच रहा था कि पेयजल की समस्या आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, नगरों के क्रमिक विकास, पानी का अधिक प्रयोग इन सब बातों को देखते हुए जोधपुर और हेमावास के जो बांध है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल से पानी उपलब्ध कराये जाने की क्या-क्या संभावनाएं हैं उनका पता लगाया जायेगा और विश्व बैंक से जो पैसा मिल रहा है, इस वर्ष हम 8 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, आवश्यकता हुई तो इसका प्रावधान बढ़ाया भी जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा: इस योजना को प्रारम्भ कर दिया You will be spending public money for nothing इसलिए मैं कह रहा हूं इस स्टेज पर आप दुबारा विचार नहीं करेंगे। एक तरफ आप जवाई से पानी ला रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल की बात कह रहे हैं। लिफ्ट योजना का जहां तक प्रश्न है, सरकार का कोई उत्तर नहीं है अगर उसको डेजर्ट एरिया में नहीं लाते हैं तो पानी की समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, पाश्चर डवलपमेंट की समस्या भी उसी से जुड़ी हुई है। इस तरह से आप 16 करोड़ की योजना को खटाई में डाल देंगे, जोधपुर की डिमाण्ड को मीट आउट करने के लिए आपने योजना बनाई, इसलिए आप इस योजना पर पुनर्विचार करें।

श्री रामपाल उपाध्याय: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव के बहुत ही मूल्यवान और दूरदर्शी विचार हैं, मैं उन के प्रस्ताव से सहमत हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये, पुनर्विचार किया जायेगा, रेगिस्तानी इलाके में भी यह योजना प्रस्तावित है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह इजाजत चाहता हूं कि विश्व बैंक से जो रकम प्राप्त हो रही है, बाड़मेर की जनता को भी इसका लाभ मिले इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि यह योजना केवल मनुष्यों की आबादी के लिये ही है या पशुओं की आबादी के लिये भी है? इसके अतिरिक्त यह भी बताने की कृपा करें कि आपने इस का आधार क्या रखा है? कहीं पर आधा स्क्वायर माइल में गांव हैं, जबकि हमारे यहां 50-60 स्क्वायर माइल्स में गांव बसे हुए हैं। क्या आप उन गांवों को भी सच्युरेट करके चलना चाहते हैं या एक गांव से दूसरे गांव में ले जाकर यह दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने गांवों को सुविधा प्रदान कर दी?

श्री रामपाल उपाध्याय : जो योजना अब तक बनाई गई है, क्रियान्वित की गई है या चालू की गई है उसमें जनसंख्या का ध्यान रखा गया है।

श्री देवदत्त : बिलकुल नहीं रखा गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : जितनी बार विचार किया गया कि योजना अधूरी है, या आंशिक रूप से सफल है, या बीच वाले गांव पानी लेते है, इस बारे में काफी विचार किया गया है, मैं समझता हूं, पानी की बूंद बूंद की आवश्यकता है, जनसंख्या के आधार पर भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री डांगी !

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जोधपुर के आस-पास पानी का मसला कई बार आया है, जवाई और हेमावास मे जो पानी आता है वह रास्ते में खतम हो जाता है उससे नुकसान होता है। इसी बीच गंगा के पानी को भी लाने का प्रयास किया गया, जब नागौर में किया जा सकता है तो जोधपुर में भी लाया जा सकता है और बाड़मेर में भी आ सकता है। इसलिए विश्व बैंक से जो पैसा मिल रहा है.....

श्री अध्यक्ष : विश्व बैंक से लोन मिला है, फ्री में नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : मैं आपके माध्यम से यह क्लियर करना चाहता हूं कि पेयजल को प्रमुखता दी जावे, विश्व बैंक से कर्जा मिले, ढिलडी मिले या भारत सरकार से मिले, योजना के बारे में परमानेन्ट सोल्यूशन होना चाहिये, तब तक जवाई बांध और हेमावास से पानी आवे कोई एतराज नहीं है।

पाली जिले में भी पानी की बहुत अव्यवस्था है टैंकरों से पानी लाना पड़ता है, जो पाली से आने वाले भूतपूर्व माननीय सदस्य थे वे पाली जिले में पानी की समस्या के लिये कूकते थे कि हमको पानी क्यों नहीं दिया जाता। इन बांधों में जमीन हमारी दी है पानी हमारे यहां भरा है, लेकिन हमारे यहां उससे सिंचाई नहीं होती, न पानी दिया जाता है, इसलिए आप इसकी जानकारी करेंगे यह कह दिया, लेकिन इसमें जानकारी का कोई प्रश्न नहीं है, आपको फैसला कर लेना चाहिये, गंगा का पानी लाना है, जवाई का लाना है या राजस्थान कैनाल से लाना है, कहीं से लाओ, इस योजना को अब तक बना लेना चाहिये। आपको पाली क्षेत्र का भी खयाल करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर वालों के साथ मेरा भी ध्यान रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा वर्ल्ड बैंक की स्कीम स्वीकृत हुई, जवाई बांध और हेमावास बांध से जोधपुर को पानी देने की योजना है, आपने इसके लिये 16 करोड़ का प्रावधान किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आपने पाली के गांव भी शामिल किये हैं ?

श्री अध्यक्ष : गांवों की संख्या का अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। ग्रामीण इलाका कितना है यह पूछ लीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा नीदर लैण्ड से कर्ज मिल रहा है 6 करोड़ का जयपुर के लिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जल निस्सारण की दृष्टि से जयपुर को दो हिस्सों में बांटा गया है, जयपुर नार्थ और जयपुर साउथ। नार्थ का एक पार्ट तो पूरा हो गया और रिजल्ट्स भी अच्छे आये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से साउथ की जो योजना है जल निस्सारण की, यह पूछना चाहता हूं कि आप उसको कब तक क्रियान्वित करने जा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है ? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि आज भी जयपुर के कई हिस्सों में पानी की कमी है उसको दूर करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पी. एच. ई. डी. का प्रश्न है माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

तकलीफों को दूर करने के लिये कई मसलें विचाराधीन हैं। प्रश्न यह है कि वर्ल्ड बैंक से कुछ रुपया गन्दे पानी की निकासी के लिये मिल रहा है, लेकिन माननीय सदस्य यह पूछने लग गये कि हमारे एरिया में पानी आयेगा या नहीं, यह पूछने लग गये। उसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि चर्चा में मैं माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहता था। उसका लाभ केवल देवी लाल जी, शाहपुरा के माननीय सदस्य ने उठाया। तो उसके सम्बन्ध में सुझाव आया नहीं और माननीय सदस्य पूछने लगे कि अमुक गांव में या अमुक कस्बे में योजना कब बनायेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आने दें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, दो-तीन सवाल पूछे हैं। उनका उत्तर आने दीजिये। उसके बाद में विचार करूंगा कि आपके सुझाव लिये जायें। माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं ...

एक माननीय सदस्य : पानी के लिए तड़फ रहे हैं, उसके लिए बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पानी पीने का सवाल नहीं आया।

(व्यवधान)

पूरक प्रश्न माननीय सदस्यों ने दो-तीन पूछे हैं, उनका उत्तर आने दें....

(व्यवधान)

पहले उत्तर आने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : जोधपुर का सवाल है। वहां पर पानी के सोर्सेज नहीं है। जवाई कैनाल का पानी आता है। पिछली सरकार ने स्कीम बनाकर जोधपुर के लिए योजना बनाई थी। उसके बारे में, मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जवाई का पानी जो लिया जाता है, वह केवल अधूरे रूप में पानी आता है। 2 या 3 साल में वह नहीं आता है। जोधपुर बहुत इम्पोर्टेन्ट

(एक माननीय सदस्य)

जगह है, जो परमानेंट सोर्सेज राजस्थान में हैं, उनकी योजना बनाकर उसको पानी दिया जाये ताकि जो गांव हैं, पूरे जिले के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, भाषण नहीं आप अब सुन लें। श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम : विश्व बैंक से जो कर्जा मिल रहा है, उसके लिए 10 जिलों में प्लान बनाया गया है। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि गांवों को, पांच सौ की आबादी का क्षेत्र 1970 की जनगणना के हिसाब से लिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में अगर पांच सौ की आबादी का क्राइटेरिया के हिसाब से लिया जाता है तो गांव की आधी आबादी को फायदा मिलता है। एक सवाल यह था मेरा। दूसरा सवाल यह है कि रेवेन्यू एरियाज के हिसाब से जैसे पहले जलदाय विभाग की योजना के लिए है उसकी योजना के लिए केवल रेवेन्यू विलेज में लोने देकर किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि रेवेन्यू विलेज की 3-4 प्रतिशत आबादी अलग हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय की मार्फत कि जो ढाणिया रेवेन्यू एरिया के अन्दर हैं उनके लिए क्या योजना है ?

दूसरी बात, यह पूछना चाहता हूं कि अभी मैंने इस विभाग से जानकारी की थी। विजिलेन्स कमेटी विचार हुआ कि उसमें ढाई सौ तक की आबादी का विचार किया गया है। अब माननीय मन्त्री मन्त्री महोदय 5 सौ की बता रहे हैं। यह जो स्थिति है, जो देहाती क्षेत्र है, जहां पर पानी की बहुत प्राब्लम है, आधी आबादी बिना पानी के रह जायेगी कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि इससे पहले जो योजना बनी है, आदमियों के हिसाब से नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है, इसकी पुनरावृत्ति न करें।

श्री लच्छूराम : 5 सौ की आबादी की गई, यह बहुत ही ज्यादा है, इसको ढाई सौ किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार ! पूरक प्रश्न को इजाजत नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : हम अपनी बात सदन में रखेंगे, जरूर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। भरतपुर की तरफ से एक माननीय सदस्य को तो अवसर दिया जायेगा। आर्डर प्लीज, ज्यादा अवसर नहीं दूंगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करूंगा कि उदयपुर जिले में पानी के लिए, जल के बारे में क्या योजना है ? यह जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारे क्षेत्र में है जो जलमल निस्सारण की योजना थी यहां सीवरेजकी स्कीम लागू हुई। मान्यवर में यह कहना चाहूंगी कि इसमें काफी खर्चा आया। मैं नहीं कहती कि बात चल रही है।

श्री अध्यक्ष : विश्व बैंक से कर्ज की बात चल रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय दें। मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह से स्कीम को शुरू किया गया और उसको कम्पलीट करने की चेष्टा की गई लेकिन वह जरूरी चीज रह गई। उस कारण यह स्कीम फेल हो गयी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य प्रश्न पर आ जाये। विश्व बैंक से सम्बन्धित।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निवेदन है कि एक वैक्यूम पम्प है। योजना उसके साथ है और कहना चाहूंगी कि प्राथमिकता के आधार पर जो शुरू में योजना बनी है वह सफल नहीं हुई है। आज इस बात की चर्चा है कि विश्व बैंक से इतना पैसा लेकर के ....

श्री अध्यक्ष श्री हरिसिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो कमी है, सीवरेज का काम अच्छी तरह से करें, जिससे यह योजना पूरी हो सके। ताकि हम कह सकें कि जो उन्नति होई है उसमें योजना पूरी हुई। इसमें जो कमियां हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : विश्व बैंक से जो लोन राजस्थान के लिए लिया जा रहा है। यहां पेयजल की समस्या है। राजस्थान का कोई भाग हो वहां उसका उपयोग होना चाहिये। मैं निवेदन कर रहा था कि भरतपुर जिले में ऐसे अनेक गांव हैं। जो पहाड़ी स्थल या ऐसे स्थल पर हैं, जहां खारा पानी है। वहां पर यदि पैसे का उपयोग नहीं किया या यह लाभ उनको नहीं मिला तो आने वाले अनेकों वर्षों में नहीं मिलेगा। यह ऐसी योजना है कि अभी विश्व बैंक से पैसा मिला है, आप इस पैसे को राजस्थान के विशेष भागों में सीमित नहीं रखें बल्कि राजस्थान में जहां उपयोग हो, वहां पर लगायें और भरतपुर जिले को भी देखें। यही मेरा निवेदन है।

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया वह अधूरा रहा। पिछली सरकार ने उसको चालू करवा दिया, जनता सरकार आई तो जिन अधिकारियों ने उस प्लांट बनाने में मेहनत की उनको निरुत्साहित कर दिया और यहां तक कि उनको जाना पड़ा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा कराया जाए। दूसरी बात, जयपुर के पश्चिम हिस्से में एक फार्म है, सरकार उसके बारे में क्या योजना रखती है? तीसरे, एक जो नई सीवरेज लाइन जिसके लिए विश्व बैंक के मार्फत कर्ज मिल रहा है, जिसके लिए बड़ी पाइप लाइन डाली गई है, 10 साल हो गए ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिटेल में नहीं।

श्री शिवराम शर्मा : तो मैं निवेदन करूंगा कि यह ऐसा प्लांट है जो राजस्थान को लाभ पहुंचाने वाला है उसकी ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकी दास कल्ला : सिद्धांत की बात ही बतायें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर, चूरू व गंगानगर में विश्व बैंक की योजना बनी है वहां पर कई स्थानों पर पानी उपलब्ध है केवल विभाग द्वारा बिजली के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सकता है। दूसरी जगहों से पाइप लाइन के द्वारा यदि पानी पहुंचाया जाएगा तो कुओं की ऊंचाई तक पानी पहुंच नहीं पाएगा। मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों पर जहां गांव के लोग स्वयं कुंए बना पाए हैं वहां पर बिजली आसपास से दिलाकर वहीं से पानी दिलाने की व्यवस्था की जाए तो अति उत्तम रहेगा। खास कर जैसे बीकानेर को राजस्थान नहर से पानी दिया जा रहा है, विश्व बैंक का कार्यक्रम है, राजस्थान नहर 6-6 महीने तक 4-4 महीने तक बंद रहती है इसलिए वहां आल्टरनेटिव स्कीम्स के माध्यम से, नलकूपों के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री अहमद बक्श सिंधी। कोई सिद्धांत की बात हो, जो इससे ताल्लुक रखती हो, यह नहीं कि अमुक योजना ली जाए

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं वही बात कहूंगा जो आप चाहते हैं। विश्व बैंक की योजना में 1.25 लाख रुपये जोधपुर के लिए रखे गए हैं, उस पानी के सिलसिले में भाई परसराम ने आपको विस्तार पूर्वक कह दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल से जोधपुर को पानी सप्लाई होना चाहिए, यह योजना बनानी चाहिए न कि जवाई बांध से जो पानी सप्लाई होता है

श्री अध्यक्ष : वह बात कही जा चुकी है, दुबारा नहीं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जो पैसा मुकर्रर किया गया है पी. एच. ई. डी. को वह अभी तक नहीं दिया गया है। एक भी काम नहीं हुआ है जो अधूरे पड़े हैं वे काम भी जल्दी कराये जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कवांर।

श्री राम कवांर बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक के चेयरमैन मैकनमारा राजस्थान में आए थे उन्होंने राजस्थान के लिए इतना उत्साह बढ़ाया था तब हमें यह आशा थी कि राजस्थान के सम्पूर्ण विकास में पूरा योगदान करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इतने जल्दी कदम उठाएगी ताकि, जितनी उनके मन में आशायें थीं वे बनी रहें, राजस्थान के प्रति हमेशा के लिए तत्परता से तैयार रहें ?

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था कि जो छोटी मोटी स्कीम्स आप बनाते हैं वे सक्सेसफुल नहीं होतीं। इसलिए जहां पानी कतई उपलब्ध नहीं है या बहुत खारा है, निश्चित तौर से वहां आपको लार्ज स्केल पर पानी लेजाने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। जो आपको यह अवसर मिल रहा है, नागौर और दूसरे जिलों के लिए लिफ्ट योजना का प्रस्ताव था, लिफ्ट योजना से 90 फीट लिफ्ट करके पानी लायेंगे उस पानी से सिंचाई होगी तो निश्चित तौर से पीने का पानी मिलने की सम्भावना होगी तो ऐसी व्यवस्था की जाए, जहां छोटी मोटी जल प्रदाय

(92)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
योजनायें हैं, उनसे पानी मिलने वाला नहीं है तो संपूर्ण क्षेत्र में पानी की कमी को नजर में रखते हुए आप इतना सा पानी उपलब्ध करावें तो सारे नागौर क्षेत्र को कवर कर सकेंगे और आगे के क्षेत्रों में पानी दिला सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भारद्वाज !

श्री भैरू'लाल भारद्वाज(जमवा रामगढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, यह दुर्भाग्य है कि राजधानी जयपुर जिसमें आप और हम सब बैठकर राज करते हैं और दूसरे सारे अधिकारी योजना बनाने वाले यहां बैठकर राज करते हैं, बावजूद उसके जयपुर और जयपुर जिले की जल योजना के लिए अभी तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ। जमवारामगढ़ रियासत काल से मेरी तहसील के गांवों के किसानों के खेतों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया था, जयपुर में केवल पानी लाने केलिए उसको बंद कर दिया। सारा पानी इधर लाया जाता है इसके बावजूद जयपुर में जितना पानी चाहिए उसका लगभग 1/10 भाग वहां पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर, जो राजधानी है जिसमें न जल निस्सारण की योजना है, मल निस्सारण के बिना वह अधूरी है, पानी के बिना दूसरी योजनाएं कामयाब नहीं हो रही हैं, जयपुर इतना बड़ा है, एक लाख के लिए योजना बनाई थी और आज 10 लाख आदमी जयपुर में निवास करते हैं। ऐसी हालत में भी सरकार इस प्रकार द्रुत गति से चल रही है। 5 करोड़ और कुछ पैसा जयपुर और जयपुर जिले के लिए नीदरलैंड्स से बात हो रही है न मालूम कब नतीजा निकले। इसलिए उसका क्या होगा ? इस समय का जो जमवारामगढ़ का बांध है उससे जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको बहुत दिनों से पता है कि विश्व बैंक के जरिए ...

श्री अध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं....

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : जो योजना लाई जा रही है उससे लोगों में असंतोष है, वे जमवा रामगढ़ का पानी बीच में रोकेंगे। उनको दूसरा कदम न उठाना पड़े इससे पूर्व ही जयपुर के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से बार-बार मैंने निवेदन किया कि यह कोई जलदाय विभाग के महकमे की बहस नहीं है कि उसमें अपने अपने जिलों की मांग रखी जाए। प्रश्न सीधा सादा यह था कि विश्व बैंक कुछ योजनाओं चाहे जल निस्सारण की योजना हो चाहे पेयजल की योजना हो, उसके लिए रुपया देने जा रहा था। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा उसके कोई आधार और सिद्धांत तय नहीं हैं। इतनी चर्चा हुई, उसमें एकाध बात मुझे ठीक लगी जैसे ढाणियों का प्रश्न है और गांवों की आबादी का प्रश्न है। ठीक बात है जवाई हो, राजस्थान कैनाल हो ऐसे बड़े मुद्दे आ सकते थे लेकिन किस गांव में कौन से कस्बे की योजना अधूरी पड़ी है, कौन सी पूरी हो गई है, यह सब प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए अलग आप सूचना दें तो एकत्रित करवाई जा सकती है। काफी समय हो गया है बहुत ज्यादा लंबी सूची है अतः माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपकी पानी की तकलीफ के बारे में कोई हल्का विचार

(श्री अध्यक्ष)

हुआ हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें सहयोग करें, बहुत लंबी सूची है। मंत्रीजी यदि माननीय सदस्यों ने जो पूरक प्रश्न पूछे हैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहें तो दें।

(व्यवधान)

फिर वह की वह बात हो गई। इतना निवेदन किया....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दूलाराम (रायसिंह नगर) : गंगानगर के बारे में, पानी की निकासी के बारे में, गंदे पानी की निकासी के बारे में, हनुमानगढ़ मंडी, सूरतगढ़ मंडी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वर्ल्ड बैंक की स्कीम में वे नहीं आते हैं, मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): यह माननीय सदस्यों ने सवाल नहीं पूछे, मंत्री महोदय, जो अभी बोल रहे थे, ने कह दिया कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हुई तो सरकार विचार करेगी। आपने इन्वाइट किया, सदस्य उस समय अपनी-अपनी राय रखें। आप यह एक स्पष्टीकरण देते कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता तो माननीय सदस्य ये बातें नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पर्टीक्यूलर गंगानगर जिले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो भी स्कीम बनाये इसमें पहले वह जल स्रोत को देख लें। नहीं तो जब कभी कोई कैनाल बन्द हो जाती है तो वहां के लोगों को वह इलाका खाली करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल साइड के लांग जितने भी विलेजेज हैं, सूरतगढ़ तहसील और राजस्थान कैनाल के लांग साइड जो गांव हैं, जैसे ठठार, इटा, ठुकराता आदि वे ऐसे गांव हैं जहां पर अगर कैनाल बन्द हो जाती है तो वहां के लोगों को वह इलाका खाली करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है अगर राज्य सरकार इस एरिया में पानी देना चाहती है तो वहां पर राजस्थान कैनाल से पाइप लाइन लगानी चाहिये ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान कैनाल का पानी बन्द हो जाता है तो लोगों को उस इलाके में पीने का पानी नहीं मिलता है। इसलिये मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान कैनाल से पाइप लाइन लानी चाहिये ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या नहीं रहे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से जब यह योजना मन्जूर हुई तो मन्त्री महोदय के अनुसार यह योजना 137 करोड़ की मन्जूर हुई। वर्ल्ड बैंक का यह सिद्धांत है कि जितनी योजना मंजूर होती है उसका आधा पैसा वह देती है। मन्त्री महोदय के अनुसार वर्ल्ड बैंक इस योजना के लिये भारत सरकार को 97 करोड़ रुपये देगा। उसमें से 47 करोड़ रुपया भारत सरकार राजस्थान सरकार को इस योजना के लिये देगी। मैं मंत्री महोदय

(भैरोंसिंह शेखावत)

से दो बातें पूछना चाहूंगा। एक तो यह कि जब इस योजना का श्रीगणेश हुआ तब भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच एक विवाद चल रहा था। राजस्थान सरकार यह कह रही थी कि विश्व बैंक से जितना पैसा मिलता है जिस परियोजना के लिये उसमें भारत सरकार को किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिये। अर्थात् 67 करोड़ रुपया जो वर्ल्ड बैंक देगा वह राजस्थान सरकार को पूरा का पूरा इस परियोजना के लिये स्वीकृत हुआ है इसलिये वह उसको मिले। इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में विवाद था उसका निर्णय किस आधार पर किया गया ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा मिलता है वह सस्ते ब्याज की दर पर मिलता है लेकिन भारत सरकार हमसे ज्यादा ब्याज चार्ज करती है। इस संबंध में विवाद चल रहा था उसको राज्य सरकार ने किस प्रकार निपटाया ? इसमें राज्य सरकार को कितना ब्याज देना पड़ेगा ? अध्यक्ष महोदय, जितना ब्याज वर्ल्ड बैंक वसूल करता है उससे अतिरिक्त ब्याज भारत सरकार राज्य सरकारों से वसूल करती है। वह बीच में एक्सटोर्शन का काम करती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जितने रुपये की योजना राज्य सरकार बनाती है उसका आधा वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देता है। तो तीन वर्षों पहले यह स्थिति थी कि भारत सरकार उसमें से 30 प्रतिशत तो राज्य सरकार को देती थी, बाकी जो 70 प्रतिशत होता था वह रुपया देश के अन्य क्षेत्रों में काम में लेती थी। उसके लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विवाद किया। फिर क्राइटेरिया बदल कर अब जो योजना के लिये पैसा मिलता है उसमें से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उस योजना के लिये 70 प्रतिशत रुपया देती है और बाकी जो 30 प्रतिशत रुपया होता है वह भारत सरकार अपने अन्य क्षेत्रों में काम में लेती है। इस पर भी राजस्थान सरकार ने विवादास्पद स्थिति उत्पन्न की और यह मांग की कि योजना हम बनाते हैं और जब कोई योजना बनाई जाती है तो लोगों को आशायें बंधती हैं तो भारत सरकार को वह बची 30 प्रतिशत रकम रखने का क्या अधिकार है ? उसको कोई अधिकार नहीं कि 30 प्रतिशत रकम भारत सरकार अन्य क्षेत्रों में काम में लेवे। अगर भारत सरकार को ऐसा करना हो तो उसको चाहिये कि वह अलग से परियोजनायें बना कर वर्ल्ड बैंक से पैसा स्वीकृत करावे और उसे वहां पर खर्चे। इसलिये मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जो 67 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं उसमें से राजस्थान सरकार को सिर्फ 47 करोड़ रुपया ही मिलेगा। तो बाकी का रुपया भारत सरकार दूसरी परियोजना पर कैसे खर्च कर सकती है ? जब योजना हमारे यहां पर स्वीकार हुई तो वह रकम हमें ही मिलनी चाहिये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की प्रतिक्रिया इस बारे में जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ब्याज के प्रश्न पर भी मेरा यह निवेदन है कि दो तीन प्रतिशत का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, आप फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट देखें या भारत सरकार का बजट देखें तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको जानकारी हो जायेगी कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता है उस पर ब्याज किस दर से लगता है। भारत सरकार राज्यों की सरकारों से ज्यादा ब्याज वसूल करती है। कई बार ऐसा होता है, वर्ल्ड बैंक उसको बाद में रिजेक्ट कर देता है। मान लो इस योजना के लिये दो करोड़ रुपया स्वीकार हुआ तो उसमें भारत सरकार को एक करोड़ रुपया देय होगा। बाद में भारत सरकार पत्र व्यवहार करके इस पर ब्याज को माफ करा लेती है लेकिन राज्य सरकार को तो ब्याज देना पड़ता है। जो पैसा ब्याज के रूप में राज्य सरकारों से वसूल करती है वह उसको वापस नहीं करती है। जो ब्याज ज्यादा वसूल किया जाता है उसके बारे में जो विचार चल रहा था राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में वह भी अनिर्णीत पड़ा था, उस पर क्या फैसला हुआ? इसकी जानकारी भी दें।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, इसके पेश्तर कि मन्त्री महोदय उत्तर दें मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप कहें तो पहले पूछूं या आप कहें तो बाद में पूछूं।

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा दें।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह विनती करनी है कि अभी अभी यहां पर यह मुख्य प्रश्न उठा कि विश्व बैंक से लोन के रूप में जो पैसा मिलता है वह राज्य सरकारों को देने का क्या क्राइटेरिया है? वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता है उसमें से परियोजना के तहत कितना पैसा मिलता है? अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है विश्व बैंक से जो पैसा मिलता है सहायता के रूप में यह आई. डी. बी. के नियमों तहत मिलता है। मतलब इन्टरनेशनल डवलपमेंट बैंक से मिलता है। इस योजनाओं का एक विशेष स्थान होता है। अध्यक्ष महोदय, आई. डी. बी. में अन्य प्रकार की कई योजनाओं के लिये पैसा मिलता है। वर्ल्ड बैंक योजनाओं के लिए बहुत ही नामीनल सर्विस चार्जेज लेता है उसके सर्विस चार्जेज अथवा दर तीन बटा चार प्रतिशत होती है। जहां तक मेरी जानकारी जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक का है वह कौनसी योजना है उसके अनुसार फिक्स हो सकता है। यह देखना है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने इलेक्ट्रिफाई करने के लिए कोई स्कीम बनाई है तो उसमें क्या मापदण्ड हैं? अगर किसी गांव की आबादी 500 की है तो उसके अनुसार स्कीम बनेगी। इसी प्रकार से एक क्राइटेरिया बना हुआ है वर्ल्ड बैंक का पैसे पर ब्याज की दरों का। अब आप जो क्राइटेरिया बता रहे हैं यह क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक का नहीं है आपने अपना क्राइटेरिया स्वयं बनाया है वह चैन्जेबल हो सकता है, बदला भी जा सकता है। इस पर नजरसानी हो सकती है।

यहां पर जो प्रश्न उठाये गये हैं वह सारे प्रश्न बहुत ही विचारणीय है भयंकर ज्वलंत है उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अभी जो बात कही है 67 करोड़ रुपये जो मिले या मिलने वाले हैं उसका आवश्यकता, उचित प्राथमिकताओं के आधार पर ही उपयोग होगा यह आप देख लें। जब कि यह परियोजना प्रथमत 137 करोड़ की थी और अब आप मान कर चलते हैं कि 67 करोड़

96

(श्री राज बहादुर)
मिलेंगे । यह 137 में से 67 करोड़ ही रह गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाबूजी, यह आपके जमाने की व्यवस्था है।

श्री राजबहादुर : यह 137 करोड़ के 67 करोड़ क्यों हो जाते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह 137 का प्रोजेक्ट बना था इसमें वर्ल्ड बैंक का यह कायदा है कि जितने करोड़ की परियोजना बनती है उसमें से आधा रुपया वर्ल्ड बैंक उस योजना के तहत देता है ।

यह योजना 137 की स्वीकृत हुई, जो योजना थी कभी इसमें आधा वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगी या नहीं।

श्री राज बहादुर : मेरे जमाने में और आपके जमाने में कोई अन्तर की बात नहीं है। 137 करोड़ रुपया मिलेगा। तो यह सहायता पूरी की पूरी मिलनी चाहिए ।

(व्यवधान)

यह फिक्शन है अंग्रेजी उसका आन्सर है। अब आपने जो यहां कहा कि सिर्फ 70 पर्सेन्ट ही मिलेगा वह शायद आपने जो 70 करोड़ मिलने का कहा उसका 47 पर्सेन्ट होता है। यह आपने ठीक कहा लेकिन बाकी जो बचा है वह क्यों रख लिया जाय। कायदे की बात कहता हूं तो कायदा तो आपने बनाया है। यह बहुत ही कोलोजल समस्या है। पेयजल और जलमल निस्सारण की। मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह जलमल नीति का प्रश्न है इसका निस्तारण होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार से भी निस्तारण होना चाहिये। यह जो मैला सर पर ढोने की प्रथा है इसके लिए अगर आप एक कारगर स्कीम बनाकर प्रस्तुत करें, अगर आप इस समस्या को वर्ल्ड बैंक की टीम के सामने भी रखें, अगर प्रोपर पर्सपेक्टिव को रख कर समझा दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको वर्ल्ड बैंक से भी मानवता पर इस कलंक को दूर करने के लिए पैसा मिल सकता है, आप को इस परियोजना के लिए अधिक से अधिक पैसा मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं आपका कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपने देखा होगा कि कितनी दिलचस्पी है सदन को इस विषय में क्योंकि इस योजना के मुद्दों और प्राथमिकताओं के बारे में कनफ्यूजन है इसलिये इस कनफ्यूजन को दूर करने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर ।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाव खां जी, आप कृपया स्थान ग्रहण करे। यह तो विश्व बैंक का मामला है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खुशी की बात है कि इस सदन के माननीय सदस्य इस चिन्तनीय समस्या के प्रति इतने जागरूक हैं। ज्वलंत समस्या जो

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हमारे सामने है उस समस्या के बारे में इतनी चिन्ता रखने, इतनी जिज्ञासा रखने के लिये मैं सब को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक वर्ल्ड बैंक के पैसे का प्रश्न है मैं भरतपुर से पधारने वाले सम्माननीय सदस्य महानुभाव से निवेदन करूंगा कि यह त्रिपक्षीय अनुबंध है, वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में है और इस अनुबंध के आधार पर जो शर्तें हैं, मैं समझता हूं कि आप ज्यादा भिज्ञ हैं मुझसे, जो शर्तें हैं उन्हीं के आधार पर 137 और कुछ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक के डाइरेक्शन्स के आधार पर है तो उसका कुल पैसा 67 करोड़ रुपया मिलेगा और उसमें 30 करोड़ रुपया भारत सरकार अपने पास रखेगी। यह ठीक है कि पहले 30 पर्सेन्ट मिलता था और अब 70 पर्सेन्ट मिलने लगा है, उसके ही आधार पर 47 करोड़ रुपया हमें पंचवर्षीय योजना में खर्च करना है जिसमें से इस वर्ष 8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से स्वयं चिंतित हूं लेकिन मैं उनको स्पष्टीकरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई वर्ल्ड बैंक का जीवन का अंतिम चरण नहीं है। वर्ल्ड बैंक का यह प्रथम चरण है और जिस प्रकार से कदम उठाया जा रहा है इसकी क्रियान्विति के लिए चाहे वह सीवरेज की समस्या हो, चाहे पेयजल के निदान की समस्या हो जो इसका अनुभव बनेगा उसके आधार पर द्वितीय और तृतीय चरण में रखेंगे।

जहां तक कुछ माननीय सदस्यों ने यह फर्माया कि केवल यह फिक्शन या घोटाला है मैं बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि एक तथ्यात्मक निर्णय है और तथ्यात्मक निर्णय की क्रियान्विति होगी तब जाकर हर इन्सान को पानी मिल सकेगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां 24 हजार गांव हैं उन गांवों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर और उसमें भी जहां, लवण युक्त पदार्थ ज्यादा है, जहां फ्लोराइड ज्यादा है, जहां कड़वा पानी है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी योजना बना रही है और उस पर पुनर्विचार करना होगा।

छबड़ा से पधारने वाले हमारे विरोधी पक्ष के नेता महोदय के सुझाव पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा था अपने वक्तव्य में, मैं उसको फिर दोहरा देता हूं। अब चूंकि विश्व बैंक द्वारा सहायतार्थ योजनाओं को विश्व बैंक के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा प्रोजेक्ट तथा ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित हो चुके हैं अतः इन नगरों एवं जिलों के चयन में रद्दोबदल सम्भव नहीं है। मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो जिस बात को ठीक समझता हूं चाहे जोधपुर की समस्या हो या बीकानेर की समस्या हो अगर उसका स्थाई निदान निकालते हैं और स्थाई निदान निकालने के पहले ही यदि 16 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं तो सरकार पुनर्विचार कर सकती है न कि इन गांवों को बदलने की सोचे। मैं समझता हूं कि शायद मेरे स्पष्टीकरण को माननीय सदस्य ग्रहण करेंगे।

जहां तक विश्व बैंक के बारे में प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय

(श्री रामपाल उपाध्याय)

सदस्य महानुभावों की व्यग्रता को देखते हुए मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि 47 करोड़ हैं पंचवर्षीय योजना में जब कि हम 308 करोड़ रुपये वाली पंचवर्षीय योजना में ले रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है है कि विश्व बैंक का पैसा जहां लगेगा वहां काम होगा और 261 करोड़ रुपया बचा है वह सारा राजस्थान में अगले पांच वर्षों में इस समस्या के निदान के काम में आयेगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सीवरेज के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि सीवरेज योजना काफी संतोषप्रद है। हमारी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माननीय सदस्या का जहां तक प्रश्न है उन्होंने कहा कि इस योजना में कुछ कमियां हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप समझे नहीं। सीवरेज की जो पुरानी योजना थी वह ठीक से नहीं बनाई गई है। मैंने कहा कि प्लान बना ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया। मैं उसी को लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप, मंत्रीजी, समाप्त करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सीवरेज की योजना बनाई है वह पूर्ण अभी नहीं हुई है। उसका अभी थोड़ा काम बकाया है। उसको देखने के बाद इसके ऊपर विचार करेंगे तो उत्तम होगा। जहां तक दक्षिण भाग की सीवरेज लाइन का सवाल है उसके लिए 7.7 करोड़ रुपये दोनों योजनाओं में आवंटित कर पर जल्दी ही उसका काम हाथ में लिया जायेगा।

जहां तक पानी का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि कोई रेवेन्यू विलेज 500 या 2000 की आबादी का है उसके लिए हैण्ड पम्प की स्कीम है। उसका क्राइटेरिया बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विलेज में कोई स्कीम है और पास में मेजर समस्या के हैं तो वहां समस्या के निदान के लिए हैण्डपंप की स्कीम जो भी होंगी उसको प्राथमिकता से किया जायेगा। इस योजना के इन्ट्रेस्ट के बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है, कोई ब्याज नहीं है। केवल ¾ परसेन्ट उसके सर्विस चार्जेज हैं और 5 वर्ष के बाद जो धन मिलेगा उसकी किश्तें चालू होंगी जो कि लगभग 20 वर्षों में वापस देय होंगी। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मन्त्रियों द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

दिनांक 25 जुलाई, 1980 को जोधपुर शहर के सरदारपुरा स्थित फर्म एसीस केमिकल वर्क्स में कार्यरत दो लड़कों की विस्फोटक एवं खतरनाक पदार्थों से जलने से मृत्यु

श्री रामपाल उपाध्याय (उप-मंत्री, गृह): दिनांक 25-7-80 को सायंकाल करीब

(श्री रामप्रसाद उपाध्याय)

5 बजे सरदारपुरा डी रोड स्थित एसीस केमिकल वर्क्स के गोदाम में अचानक आग लग गई जिसके कारण गोदाम में कार्य कर रहे दो लड़के सर्व श्री गणेशसिंह उम्र 18 वर्ष व गजेन्द्रसिंह उम्र 19 वर्ष आग से झुलस गये जिन्हें तत्काल कुछ नागरिकों द्वारा अस्पताल भिजवाया गया।

इस घटना की सूचना थाना सरदारपुरा पर सायं 5.35 पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई जिस पर थाने से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं कन्ट्रोल रूम व फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर नागरिकों की सहायता से आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर घटनास्थल से जले हुए केमिकल की शीशियां, कागज व दवाइयां कब्जे में लिये एवं सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ की।

इस दुर्घटना में जले दोनों लड़कों को इलाज हेतु भर्ती कर लिया गया जो कई रोज तक बेहोशी की हालत में रहे, इस कारण पुलिस द्वारा उनके बयान नहीं लिये जा सके। दिनांक 20-7-80 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन दोनों लड़कों को बयान कलमबन्द कराने हेतु निवेदन किया गया, मजिस्ट्रेट साहब अस्पताल पहुंचे परन्तु दोनों लड़कों के बेहोश होने के कारण बयान नहीं लिये जा सके। दिनांक 1-8-80 को इन दोनों घायलों में से गजेन्द्र लड़का होश में आया जिस पर मजिस्ट्रेट द्वारा बयान कलमबन्द करवाये गये। उसी रोज दूसरे घायल लड़के गणेश सिंह का देहान्त हो गया। जिस पर पंचायतनामा मुर्तिब किया जाकर पोस्टमार्टम कराया गया। डाक्टरी जांच से मौत जलने के कारण होना पाया गया। दिनांक 7-8-80 को दूसरे घायल लड़के गजेन्द्र की अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिस पर उसका भी पोस्टमार्टम कराया गया।

एसीस केमिकल वर्क्स के मालिक श्री शान्तिचन्द्र ने निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से लाइसेन्स प्राप्त कर रखा है जिसकी मुख्य दुकान जालोरी गेट पर है एवं सरदारपुरा डी रोड स्थित अपने मकान पर दवाइयों का गोदाम बना रखा है उसके ऊपरी भाग में वह स्वयं अपने परिवार के साथ रहता है। जांच से फर्म के मालिक शान्तिचन्द्र की लापरवाही पाये जाने पर पुलिस ने अभियोग सं 160 दिनांक 7-8-80 धारा 304 आई. पी. सी. में पंजीबद्ध किया है, जिसका अनुसंधान जारी है। दिनांक 1-8-80 को मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक गजेन्द्र के बयान की प्रति प्रयत्नों के बावजूद भी अभी तक सी. जे. एम. जोधपुर ने नहीं दी है एवं फर्म द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में पुलिस जांच जारी है। आग लगने का अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया न ही कोई विस्फोट होने का तथ्य सामने आया है। अनुसंधान जारी है।

श्री अहमद बक्स सिंधी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी घटना है, जोधपुर शहर में घनी आबादी है। वहां पर इस किस्म के खतरनाक विस्फोटक पदार्थ रखना कहां तक उचित है ? सरकार भी लोगों को किस तरह से कह देती है, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं उसके अन्दर एक बूंद पानी के गिरने से, पसीने की एक बूंद गिरने से विस्फोट होता है, आदमी जल मरता है। ऐसे खतरनाक कामों के लिये

(श्री अहमद बक्स सिंधी)

जो कमरा उन्होंने मुकर्रर किया है, वह कोठी की शक्ल का है। पसीना न आने के लिये न कोई पंखें की व्यवस्था है, न आग बुझाने का यन्त्र उन्होंने वहां रखा हुआ है। ऐसी सूरत में एक लड़की के पसीने की एक बूंद विस्फोटक पदार्थ के ऊपर गिरी और विस्फोट हुआ। यही नहीं लड़कों ने उस वक्त बालटियों में मिट्टी लाकर आग बुझाई। मकान मालिक को इत्तला की जो बेपरवाह है, उसने परवाह ही नहीं की। वह बहुत देर के बाद आया और जो कीमती विस्फोटक पदार्थ थे बाहर निकालने लगा। बाहर निकालते टाइम पर, जो नौजवान लड़के थे उनसे कहा कि यह चीजें बाहर लाओ। विस्फोट हो गया। दोनों लड़के झुलस गये। आखिर आपको मालूम है, पांच छः दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक लापरवाही की मालिक मकान ने, जो उस फैक्ट्री का मालिक है, उसने घर वालों को नहीं बताया। न बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। दूसरे लोगों ने रहम खाकर अस्पताल पहुंचाया। आदमी ऐसा है जिसके खिलाफ कानून के जरिये से जुर्म बनता है। 304 ए, 304 का जुर्म बनता है और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जुर्म बनता है उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई और न उसका चालान किया गया। मंत्री महोदय ने फर्मा दिया, जांच जारी है। कब तक जांच जारी रहेगी। क्या विस्फोटक पदार्थ हैं, क्या कुकर्म करते हैं, वे जाने। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को शहर के अन्दर कहीं भी ऐसी कार्यवाही करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। टी. बी. के अस्पताल की तरह जंगल में जाकर कारखाना लगायें। शहर में कारखाना लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

यह पहला वाकया नहीं है। तीन चार मर्तबा पहले आग लग चुकी है और उसने कोई परवाह नहीं की मजदूरों की सेफ्टी के लिये। जो 20, 25 नौजवान बच्चे वहां पर काम करते हैं, उनको इतनी दीगर तनख्वाह दी जाती है 180 रुपया, आप तसव्वर फर्माइये, 180 रुपये के लिये वे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। लड़कों ने कई बार कहा, हमारी सेफ्टी का इन्तजाम कीजिये या कम से कम यह तो कीजिये कि आग बुझाने का यन्त्र हो। वह भी नहीं है। उसकी कोई परवाह न कर, इतनी लापरवाही से काम करना, जानों से खेलना, अपना धन्धा समझ रखा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, पुलिस इन्क्वायरी नहीं कर सकती है। आपकी जोधपुर की पुलिस नाकाबिल है। पुलिस ने परवाह नहीं की न मौका देखने की, न नक्शा बनाने की। शीशियां भरी हैं। उन तमाम विस्फोटक पदार्थों की बाबत कहना चाहता हूं जो वहां रखे जाते हैं। आप सुनेंगे तो हैरान हो जायेंगे। सोडियम, पोटेशियम परमैंगनेट, मैगनेशियम, मैटल, ग्लैसरीन, क्लोरोफार्म, एसीटिक एसिड, मोनोक्लोराइड, आइडीन, सोडियम फास्फेट, एसीटेन कास्टिक पौटाश। यह दुनिया भर की चीजें जो आग लगाने वाली चीजें हैं। न मालूम पुलिस से सांठगांठ है, इसको संभालने वाला ही कोई नहीं है। ऐसी सूरत में इसका चालान करना चाहिये था, उसको गिरफ्तार करना चाहिये था लेकिन पुलिस

(श्री अहमद बक्स सिंधी)

ने इस चीज को नहीं किया। तो मेरी गुजारिश यह है, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सी. बी. आई. से इसकी जांच करवाई जाये ताकि असलियत मालूम हो। आपके सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जो एक्स-प्लोसिव कमिश्नर से जांच कराई जाये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सप्लोजिव कमिश्नर नहीं, इन्सपेक्टर।

श्री अहमद बक्स सिंधी : कमिश्नर बड़ा होता है। दोनों से जांच कराई जाये तब असलियत मालूम होगी। दुबारा अर्ज करता हूं इस प्रकार की खतरनाक चीजों के लिये गिरफ्तारी होनी चाहिये, चालान होना चाहिये। जो सैक्शन्स मैंने बताये हैं, 304 और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जो प्रोविजन्स हैं, उनके तहत चालान होना चाहिये। अब तक चालान नहीं हुआ, इतनी मुद्दत हो गई है। आप खासतौर से इस पर ध्यान दीजिये। शहरों में जानों से खेलने के जो कुकर्म करते हैं, मिलावट करते हैं, विस्फोटक पदार्थों में मिलावट करके बेचते हैं ऐसे लोगों को शहर में कारखाना खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। सरदारपुरा डी रोड, घनी आबादी में बैठ कर ऐसा काम नहीं होना चाहिये। जितनी जल्दी हो, गिरफ्तारी होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज द्वारा उनको लाइसेन्स दिया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि लाइसेन्स की जो कन्डीशन्स थीं उन कन्डीशन्स का पालन किया गया या नहीं। उन कन्डीशन्स के अनुसार वहां फायर-एस्टीगुवेशर आवश्यक है या नहीं? फर्स्टएड बाक्स लगाने की आवश्यकता है या नहीं? क्या लाइसेन्स देने के पहले इस बात को अच्छी तरह से देख लिया था, कि इस प्रकार का लाइसेन्स देने के लिये किस स्थान की उपयोगिता किस तरह ठीक रहती है।

(4.07 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति-पदासीन)

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। आपने कहा, 304 ए में केस रजिस्टर किया है। एक व्यक्ति शांतिचंद का आपने नाम लिया। आपसे जानकारी करना चाहता हूं उस फर्म के पार्टनर्स कौन कौन है या शांतिचंद अकेला ही मालिक है। यदि पार्टनर्स हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि डाइंग डिक्लेरेशन की कापी नहीं मिली....

श्री अहमद बक्स सिंधी : मेरे पास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास है, मेरे पास भी है। अगर इसी के लिये काम रुका हुआ है तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के पास कापी है। मेरी कापी का तो आप भरोसा नहीं करेंगे। वे हस्ताक्षर करके आपको दे देंगे। वह कापी भी आपको मिल गई।

सभापति महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केस रजिस्टर होने के बाद आज तक पुलिस ने उन सारी ड्रग्ज, जिनका नाम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लिया और जैसा वह कह रहे है कि पसीने की एक बूंद गिरने से आग पैदा हो सकती है, पानी गिरने से आग पैदा हो सकती है, इस प्रकार की जितनी ड्रग्स हैं, जिनके कारण आग लगी और दो बच्चे मरे गये, आज तक जब्त क्यों नहीं की गई ?

मैं यह जानकारी करना चाहूंगा इसी आधार के ऊपर कि पुलिस ने इस समय तक कितने व्यक्तियों की गवाहियां ली हैं, क्या इन्वेस्टीगेशन किया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक पुलिस ने इसकी कोई इन्वेस्टीगेशन शुरू नहीं की। इसलिए मृतक के परिवार में बड़ा संदेह हो रहा है कि इस इन्वेस्टीगेशन द्वारा मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। क्या इन सारी बातों को देखते हुए माननीय मन्त्री महोदय यह उचित समझेंगे कि इस मामले की इन्वेस्टीगेशन, सी बी. आई. की बात तो नहीं लेकिन सी. आई. डी. के माध्यम से करवा ली जाय तो इसमें माननीय मन्त्री महोदय को क्या किसी प्रकार की आपत्ति होगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एक्सप्लोजिव्स एक्ट और एक्सप्लोजिव्स सब्सटेन्सेज एक्ट, इन दोनों एक्ट्स में जो एक्सप्लोजिव्स की डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनिशन में डायरेक्टली यह सारे ड्रग्स नहीं आते लेकिन एक्सप्लोजिव्स की इस परिभाषा में एक बात लिखी है, जिसको शायद मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने इसको अच्छी तरह से देखा। इसमें ऐसा है कि "Other substances, whether similar to those above mentioned or used or manufactured with a view to produce in practical effect, an explosive."

अब जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पसीने की बूंद गिरने से आग पैदा होती है निश्चित रूप से एक्सप्लोसिव्स मैटीरियल में तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस बात की जांच चीफ इन्सपैक्टर आफ एक्सप्लोजिव्स, जिनका कार्यालय, मैं समझता हूं, नागपुर में है, इस मामले की जांच करवाने को तैयार है। उस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मामला इतना काम्प्लीकेटेड है कि इस काम्प्लीकेटेड मामले में लाइसेंस देने की प्रक्रिया, स्थान का चयन, किस किस प्रकार के ड्रग्स रहते हैं, इस फर्म के पार्टनर कौन कौन हैं, फर्म के पार्टनर को लाइसेंस की कन्डीशन पता करनी चाहिए थी या नहीं, नहीं की तो ड्रग्स कन्ट्रोल आर्डर के तहत उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ? इस सारे मामले में मुझे इस प्रकार का संदेह स्वतः ही होता है कि इन्वेस्टीगेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, इस मामले को मन्त्री महोदय सी. आई. डी. में देने को तैयार होंगे।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं मुझे यह पूछना है कि डाइंग डिक्लेरेशन के सम्बन्ध में अभी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने बताया कि उनके पास ड्रग्स हैं। जोधपुर से आने वाले सदस्य ने बताया कि उनके पास नहीं हैं मन्त्री महोदय ने यह बताया कि अभी तक पता नहीं लग सका कि आग कैसे लगी। चलिये लगी, जब पुलिस वहां गयी,

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, केस पुलिस में दर्ज हो गया है। आज आपने स्टेटमेन्ट दिया तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि आग कैसे लगी। जब डाइंग डिक्लेरेशन पेशेन्ट ने होस्पिटल में मरने से पहले दिया, उसने यह स्पष्ट बताया है कि यह आग कैसे लगी है। तो आपने यह तथ्य छिपाया कैसे ? आपको बता देना चाहिए था कि उस आदमी जिसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है, ने क्या बताया था कि आग कैसे लगी ? जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी में यह है कि आग दिन में भी लगी थी। दिन में जब आग लगी थी तो श्री गजेन्द्र ने उस आग को बुझाया था। उसके मालिक को टेलीफोन किया था कि इस तरह की यह घटना हो गयी। जब वह मौके पर पहुंचे तो मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने लड़कों से कहा कि अन्दर से यह सामान बाहर निकालो। वे खुद भी थैला लेकर आये। सम्भवतया उसमें क्या हो सकता है, यह तो पता नहीं लेकिन उस लड़के ने बताया कि उसमें पोटाश था। वह गिरा और गिरने से आग लगी। क्योंकि कैमिकल्स सारे के सारे 70 कैमिकल्स के जिनके माननीय सदस्य ने नाम बताये वे सारे कैमिकल्स एक ही जगह रखे थे। क्यों ? उनके पास अलग स्थान नहीं था ? सारे कैमिकल्स एक जगह रखते थे? आपने जो बताया था, वह नाम मैं आपको बताता हूं कि पोटेशियम परमेंगनेट में अगर ग्लेसरीन गिर जाती है तो आग पकड़ लेता है, अगर कास्टिक पोटाश गिर जाता है तो आग पकड़ लेता है। इसी प्रकार से जो आपके सारे एसिड्स हैं, वे तो खुद ही जलाने वाले हैं, कन्सन्ट्रेटेड एसिड्स हैं। ये करते क्या थे, जितने भी कैमिकल्स बाहर से आते थे, उनका रि-पैकिंग करते थे। उनका यह काम था, आने वाले कैमिकल्स को खोल करके डिब्बों में से निकाल करके, बड़े ड्रम्स में निकाल कर उनकी रि-पैकिंग करते थे तो निश्चित तौर से इनको मिलाकर तैयार करना पड़ता था। जब यह घटना हुई तब श्री शान्ति चन्द जी दरवाजे पर थे जो बाहर निकल गये। और आपने यह नहीं बताया कि जहां पर ये कैमिकल्स रखते थे और जहां लड़के अन्दर सामान लाने गये थे या कार्य कर रहे थे, उसके दरवाजे कितने थे ? चूंकि उसका एक ही दरवाजा था और उसी पर यह घटना घट गयी थी तो सारे कैमिकल्स का धुआं इतना पोयजनस था कि वे लड़के तो बाहर नहीं निकल सके और अन्दर ही अन्दर जलते रहे, भागते रहे, उस सेठ की इतनी नैग्लीजैन्सी रही कि उसने कोशिश भी नहीं की कि किसी कम्बल से या किसी तरह से उनको बाहर निकाला जाय। दूसरा कोई दरवाजा था ही नहीं। नहीं तो हर जगह जहां पर इस तरह के काम होते हैं। जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने बताया कि कोई भी अथोरिटी लाइसेंस देने के पहले यह देखती है कि जिस जगह पर इस तरह के कैमिकल्स रखे जायेंगे, वहां पर रखे जाने की व्यवस्था है या नहीं। उस मकान में इमरजेंसी दरवाजा है या नहीं, एग्जास्ट फैन लगा हुआ है या नहीं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, उस स्थान को देखे बिना, कैमिकल्स रखने का लाइसेंस कैसे दे दिया निश्चित तौर से जिस जगह ये कैमिकल्स रखते थे उस मकान में एक ही

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

दरवाजा था, दूसरा कोई दरवाजा ही नहीं था। अगर होता तो पासिबल यह हो सकता था कि वे लड़के उस दरवाजे को तोड़कर निकलने की कोशिश करते लेकिन जिस दरवाजे से निकलने की कोशिश कर सकते थे, उसी पर यह घटना घटी और उस धुएं से निकलना नामुमकिन था।

इसके साथ ही यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुलिस को जब पता था कि इस तरह के कैमिकल्स से यह डीलिंग करते हैं तो उन्होंने चीफ इन्सपैक्टर आफ एक्सप्लोजिव्स को क्यों नहीं बुला करके कैमिकल्स दिखाये ? आपको अब मिलेंगे नहीं क्या आप सोचते हैं कि जो ड्रम्स और कैमिकल्स वहां पर इस तरह के थे, एक्सप्लोजिव्स या जो जल जली गये वे वहां मिलेंगे ? इसलिए आप उनकी जानकारी के लिए जो बिल्स और डीलिंग हुए हैं वह देखने पड़ेंगे और इसमें आप देखें जो दो दुर्घटना हुई हैं, उनमें जिस गणेश की मृत्यु हुई है, जिसके लड़के की मृत्यु हुई है, उस गणेश के परिवार वाले इसमें कोई प्रयत्न या चेष्टा नहीं कर रहे कि उनको न्याय मिले। क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गणेश के पिता यूनिवर्सिटी के अन्दर कर्मचारी हैं और इसी यूनिवर्सिटी में श्री शान्तिचन्द्र के भाई असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं। एसिस जो कम्पनी है, इस कम्पनी के 6-7 लाख रुपये के कैमिकल्स जोधपुर यूनिवर्सिटी को जाते हैं। ये तो भेजते हैं, इनके भाई असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं वह इनके बिल अकाउन्ट से पास कराते हैं और उनको पेमेन्ट करवाते हैं। तो आप अन्दाज लगाइये, कालेज के अन्दर किस किस तरह के कैमिकल्स ये देते हैं और वे लेते हैं। इनके बिल और डीलिंग हैं, उनको कौन पास करता है और इसमें कितना घोटाला है ? इतना ही नहीं है, यह घटना जो घटी है, इसके ऊपर आप ध्यान करिये, इसके साथ यह नहीं बताया कि जब ये एक्स्प्लोजिव थिंग्स थी और जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने आपको पढ़ कर बताया

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने एक्सप्लोजिव्स सब्सटेंशियल एक्ट के सैक्शन 3 और सैक्शन 5 के अन्दर क्यों नहीं उसका मुकदमा दर्ज किया, इसके जितने भी पार्टनर्स थे, उनके खिलाफ आपने सैक्शन 6 में क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया ? फिर पुलिस आपकी क्या करती रही। ये नेग्लीजेन्सी से हुआ है तो 304 ए में दर्ज करके आपको सांत्वना हो गयी, को 304 में क्यों नहीं दर्ज किया ? इसका मतलब यह है कि शुरू से आखिर तक इस घटना को एक साधारण घटना बनाने की कोशिश की गयी है। इसके बाद मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जो मंत्री महोदय ने अपने रिप्लाई में चीजें नहीं कही हैं....

श्री सभापति : संक्षेप में, प्रश्न पूछ लीजिए, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं आपको यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या इस फर्म के मालिक और पार्टनर्स कांम्पीटेन्ट थे ऐसे व्यक्तियों को रखने के, जो स्पेशलाइज्ड नहीं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

थे। इस तरह के कैमिकल्स की डीलिंग के लिए उनका स्टाफ कास्पीटेन्ट होना चाहिए जो इस तरह के कैमिकल्स जानते हों, जब कि ये दोनों लड़के नहीं जानते थे, इनको एम्पलायमेन्ट कैसे दिया? एम्पलायमेन्ट दिया भी तो इस लालच से कि उनको 150 रुपये मात्र एक महीने में देते थे। इसके साथ मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इनके पास में पैकिंग करने की मशीन थी या सारे कैमिकल्स का हाथ से पैकिंग कराया करते थे? यह बहुत जरूरी है। उनको हाथ से पैकिंग करना पड़ता था इसलिये वे केमिकल बिखरते थे। जब हाथ से पैकिंग होता है तो बिना साथ मिले बगैर रह नहीं सकते।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी विस्तार से सवाल पूछ लिए हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : हास्पिटल में आने के बाद, अनकांशस हालत में लगातार कई दिनों तक रहने के बाद और होश में आने के बाद डाइंग डिक्लेरेशन के बाद मृत्यु हुई तो उसका अंतिम बयान ही जांच का आधार बनेगा, उसी के आधार पर आपको जांच करनी पड़ेगी। उस मृतक व्यक्ति गजेन्द्र के अंतिम बयान हैं उसको, मन्त्री महोदय, आप पढ़ कर सुनाइये। उसको बेस मान कर इसकी जांच सी. बी. आई. को हैंडओवर की जाये ताकि सारे तथ्य जितने भी हैं वे न्यायिक तरीके से सामने आ सकें।

श्री माणकमल मेहता : सभापति महोदय, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सभी स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, इस बारे में काफी विस्तार से विरोधी पक्ष के नेता ने, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है ....

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय Short and sweet.

श्री सभापति : You will never be short.

श्री भंवरलाल शर्मा : I will be short.

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि आपके समक्ष ऐसे कौन से तथ्य थे जिनके आधार पर आपने इस केस को 302-ए के अन्तर्गत रजिस्टर किया ?

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक !

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, पूरी चर्चा को सुनने के बाद नट शैल में कुछ प्रश्न स्वाभाविक तरीके से उठते हैं। उनमें पहला है लोकेशन का। जो माननीय सदस्य जोधपुर से आते हैं उनको मालूम है कि यह सरदारपुरा बहुत थिकली पापुलेटेड एरिया है जिसमें फैक्ट्री बनी हुई है। न केवल फैक्ट्री थिकली पापुलेटेड एरिया में है, उसका एक गोदाम भी उसी सरदारपुरा जोधपुर, शहर के बीच में तंग गली में बना हुआ है। वहीं एक्सप्लोजिव की उनकी दुकान भी है। इस तरह से इनकी तीन कंसर्न्स उस लोकेशन में बनी हुई हैं। इस तरह से कौन से विभाग ने इसकी परमिशन दी, इसको देखने की जरूरत है। इस तरह की फैक्ट्री को इस तरह की बस्तियों में रखने की कानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती है।

दूसरा प्रश्न आता है सैफ्टी का। जो इतनी डेलीकेट फैक्ट्री डील करता है, उसके लिए स्वाभाविक कण्डीशन है कि सैफ्टी का इन्तजाम होना चाहिए। इनके यहां फायर एस्टिंग्यूसर नहीं था, मिट्टी और कम्बल तक की व्यवस्था नहीं थी। कंस्ट्रक्शन भी बिल्डिंग का सूटेबल नहीं था। एक ही दरवाजा था। सैफ्टी दरवाजा भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, इस तरह से इन लोगों ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड आफ सैफ्टी होना चाहिए उसका भी पालन नहीं किया। इस तरह की यह पहली घटना नहीं थी। इसके पहले भी एक ट्रक जल चुका है। वह एक्सप्लोजिव्स कैरी करता था, इससे पहले तीन दुर्घटना हो चुकी हैं। एक तारीख को डाइंग डिक्लेरेशन उस लड़के ने दिया जो आज तक आपके पास कैसे नहीं पहुंच सका, यह आश्चर्य की बात है। उसने उसमें रेफरेंस दिया है कि उसने पहले भी वार्न किया था कि इस तरह की दुर्घटना घट सकती है। यह पहली दुर्घटना नहीं है।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगी कि उनके पेपर्स और उनके अन्दर रखा मैटीरियल जब्त करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी फैक्ट्री यूजअली रोंग रिकार्ड करती है। इसलिए आवश्यक है....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट में खतम करती हूं।

इसलिए आवश्यक है कि यह देखा जाय कि जो उनके माल की आवक होती है वह कहां से होती है? जिन-जिन मैटीरियल में, जिन-जिन एसिड्स में डील कर रहे हैं उनके अतिरिक्त कौन से एसिड यूज कर रहे हैं, उनमें से कितनों के लाइसेंस हैं और कितनों के लाइसेंस नहीं हैं, यह भी विचारणीय बिन्दु होगा। फायर ब्रिगेड ने आग जब बुझाई तो आग एक साथ भड़की। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और स्टेटमेंट आफ रिकार्ड एक ही उस फैक्ट्री के मालिक का किया गया? चार उस फैक्ट्री के पार्टनर थे और मुकदमा दर्ज किया गया है सिर्फ एक का। ओन दी स्पोट पूरी इन्क्वायरी नहीं की गई। इसलिए यह आवश्यक मैं समझती हूं कि जो ड्रग लाइसेंस एक्ट है, उस सम्बन्धित विभाग से इसकी जांच कराई जाय और सारे पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाय। केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से कुछ नहीं होगा।

श्री सभापति : यह पहले आ चुका है, माननीय सदस्या। It has already been made by Shri Ram Raughu Nath.

श्रीमती विद्या पाठक : इसको सी. आई. डी. में भेज कर जांच कराई जाय और ड्रग इन्स्पैक्टर से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जावे।

श्री सभापति : श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता: सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें दो नौजवान व्यक्तियों की मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए जिस इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी ने, जिस इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है और इसमें इतने लैप्सेज रखे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है? It is a very important point

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री माणकमल मेहता : मेरा यह निवेदन है कि इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर, जिसने शुरू से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत ही जागरूक होकर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री माणकमल मेहता : इसलिये उनके खिलाफ इन लेप्सेज के लिए an enquiry should be made against that person and he should be taken to task.

श्री केसरीचन्द चौधरी : एक सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर, एक पर्टीक्यूलर जोधपुर के केस को रेफर किया गया है, लेकिन अजमेर में आग लगी और किशनगढ़ में आग लगी, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन शहरों में ऐसे एक्सप्लोजिव्स के स्टाक, दुकानें है मुख्य बस्तियों में जहां घनी आबादी है वहां से परिवर्तन कराने का प्रयत्न सरकार करेगी क्या?

श्री सभापति : गृह मंत्री जी!

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के दो नौजवान 18-19 वर्ष के इस दुर्घटना से ग्रसित हुए और हमेशा के लिए यहां से चले गए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि दोनों नौजवान जो तथाकथित फैक्ट्री में काम करते थे उनमें एक को 180) रुपया महीना और एक को 150) रुपया महीना मिलता था। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है, उस चिन्ता का मैं सम्मान करता हूं और उनके द्वारा रखे गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं।

(108)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जहां तक डाइंग डिक्लेरेशन की प्रति प्राप्त करने का प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल उचित है। माननीय सभापति महोदय; जिसके 1-8-80 को मजिस्ट्रेट ने बयान लिए उस समय में वहां के पुलिस आफिसर ने निवेदन किया लिखित में कि हमको इसकी प्रति दी जाय पर उस पर उन्होंने यह कहा कि स्टेटमेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : उन्होंने वह प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, काफी प्रयत्नों के बावजूद भी प्रति नहीं मिली अच्छा होता कि वह प्रति मिल पाती। क्योंकि वह दूसरा जो लड़का मरा है और मरने से पहले ...

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। यह घटना होने के उपरान्त बयान लेते समय पुलिस का कोई कर्मचारी वहां मरीज के वैड के आसपास नहीं था, यह कितने शर्म की बात है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मजिस्ट्रेट साहब के आदेशानुसार वहां कोई रह नहीं सकता है ...

(व्यवधान)

मैं आपकी राय से इत्तफाक कर रहा हूं, आप मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिये। एक बहुत गम्भीर मसला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह डाइंग डिक्लेरेशन की प्रति ही सारे केस की जान है अगर यह मिलती है तो यह सारा केस उसके आधार पर चलता है। वैसे........

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं देने को तैयार हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरे पास लिखित रूप में प्रति नहीं आई है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने थोड़े समय पहले यह विदित कराया था कि उनके पास तार से प्रति आई है। मैंने विनम्र शब्दों में उनसे निवेदन किया कि यह अधिकृत प्रति नहीं मानी जा सकती है। यह वन साइडेड है। जब तक अधिकृत रूप से प्रति नहीं आये, राज्य सरकार उसके बारे में कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं है।

जहां तक दूसरे प्रश्नों को उठाया गया है। दूसरे प्रश्न के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केस जब रजिस्टर हुआ उस समय में उसकी जो छानबीन की गई.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : 25-7-80 शाम को 5 बजे यह दुर्घटना हुई और 26-7-80 को शाम को ही 5 बजकर 25 मिनट पर रिपोर्ट दर्ज की गई और उस दिन मौका मुआयना किया गया। उसमें निम्न सामान जब्त किया गया 1. जला हुआ पैकेट जिस पर मैगनेसियम सल्फेट आई. डी. ऐ. सम साल्ट लिखा है। 2. बन्द शीशी कैरट्रोल सा 1 लेबल पढ़ने

(श्री रामपाल उपाध्याय)

में नहीं आता। 3. हाथ का रबड़ का दस्ताना। 4. जले हुए कागज व कांच के टुकड़े। 5. बुरादा जला हुआ और कोई किसी प्रकार की चीज की राख थी, वह इकट्ठी करके.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है, क्या उस दुकान या फर्म में जितना स्टाक पड़ा था वह सारा का सारा जब्त कर लिया गया ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरी सूचना के अनुसार ऐसा ही है। मैं निवेदन कर रहा था कि इसके बाद यह सारा किया गया और बयान लिये गये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : गोदाम को शायद छेड़ा ही नहीं होगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य, आप अपने अनुमान से बता सकते हैं। जो सूचना है सरकार के पास में उसकेआधार पर मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमको डाइंग डिक्लेरेशन की प्रति मिल जाती तो उसके आधार पर सारी कार्यवाही हो जाती, फिर भी जिस प्रकार की सूचना मिल पाई है, उसके आधार पर इस प्रकार निवेदन है, जो अभी तक पुलिस ने जांच करना शुरू किया है, वहां इन लोगों के बयान लिये हैं, शांति चन्द्र सोहनलाल एडवोकेट, कानसिंह, प्रहलाद सिंह, ईश्वर लाल, तेजसिंह, सुरेश चन्द मेहता, लक्ष्मणसिंह, मोहनसिंह और अश्विनी कुमार, सहायक औषधि नियंत्रक हैं। 18-8-80 को अश्विनी कुमार, सहायक औषधि नियंत्रक का यहां पर बयान लिया गया। उनकी जानकारी के अनुसार जो हमने पता लगाया उसके आधार पर उद्योग व नागरिक रसद विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 1964 में मेडिशन वस्तुए उत्पादन हेतु इसको लाइसेंस दिया गया। ड्रग कन्ट्रोलर राजस्थान द्वारा 11.12.61 को दो वर्ष हेतु नवीनीकरण। प्रत्येक दो वर्ष बाद अन्तिम नवीनीकरण 29.10.79 को 31-12-80 तक के लिये हुआ। ड्रग कन्ट्रोलर राजस्थान द्वारा जो लाइसेंस दिया गया है, वह रिपैकिंग आफ मेडीशन का दिया गया है और कुल 67 दवाइयों के रिपेकिंग का लाइसेंस है। जो लिस्ट मेरे पास है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया रिपोर्ट एक समान है, जलने से मृत्यु हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया, पहले कोई छोटी आग की घटना घट गई, यह सच्चाई लगती है, और इसलिये लगती है जैसा कहा गया वहां बयानों में। उसके बाद मृतकों में किसी एक लड़के ने उनकी जो दुकान दूसरी जगह है, वहां पर से टेलीफोन किया। टेलीफोन करने के पश्चात संबंधित मालिक वहां आया और उसके बाद ऐसा लगता है विस्फोट हुआ हो। विस्फोटक शब्द बयानों में नहीं है, कोई धमाका हुआ हो। ठीक, जहां पर आग लगी थी, उसके ऊपर उसी फर्म के मालिक का परिवार रहता है। इस प्रकार कुल जो स्थिति सामने आयी, मैं समझता हूं, इसके मूल में, हमें डाइंग डिक्लेरेशन की रिपोर्ट मिल जाती तो अधिकृत चीज होती। उसके आधार पर जो कुछ कार्यवाही तेजी से की जानी चाहिये थी, ऐसी भयंकर शोककुल घटना के लिये, मैं समझता हूं, वह तेजी से की जानी चाहिये थी। यह भी निवेदन करना चाहता हूं जो इनके साथ चार लड़के थे, जिनको पार्टनर्स बताया गया, यह खुद मालिक,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

उसके अलावा दो-तीन, तीन चार नाम हैं और वह फर्म के मालिक हैं, उसके नाम से लाइसेंस दिया गया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद चार लड़के उसके साथ गये थे, उसमें यू. एस. सिंघवी, पी. सी. सिंघवी, आर. सी. सिंघवी, और एक और कोई हैं, यह चार लड़के काम करते पाये गये। क्या 304 [ए] में दर्ज करने के लिये पूर्ण तथ्य हैं, ऐसा माननीय सदस्य ने पूछा है। फिर माननीय सदस्या ने यह पूछा है उसकी लोकेशन थिकली पापुलेटेड क्षेत्र में है, वास्तव में वह थिकली पापुलेटेड क्षेत्र होगा। क्योंकि 61 में लाइसेंस दिया था, और आज करीब 20 साल हो गये है, 20 साल पहले भवन में कार्य करने का लाइसेंस दिया था, 20 साल में जिस तरह से निर्माण हुए हैं और पापुलेशन में वृद्धि हुई है, उसके आधार पर जो नये नये मकान, जितने भी ....

[व्यवधान] ...

श्री भगवानदास शास्त्री: बरसों से बसे हुए हैं।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज। No interruption.

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात 61-64 तक दिये गये लाइसेंस के आधार पर कह रहा हूं। मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं। अब जहां तक सख्ती से कदम उठाने का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सख्ती से कदम उठाये जाने चाहिये भी। मैंने सरकारी अधिकारियों सम्पर्क किया, उसके बारे में केवल एक बात कहता हूं कि डांइग डिक्लेरेशन रिपोर्ट नहीं मिल पाई, उसके आधार पर इस केस को आगे नहीं चला सकते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री: सभापति महोदय, क्या मजिस्ट्रेट इन्कार कर सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन रिपोर्ट नहीं दी जाये?

श्री रामपाल उपाध्याय: जहां तक जब्त की गई सामग्री का प्रश्न है, उसमें एसिस्ट्रेट ड्रग था या नहीं था, क्योंकि 67चोजों के रीपेकिंग के लिये लाइसेंस दिया गया और 67 की नामावली है, उसमें जो नाम बताये गये उसमें अधिकृत अधिकारी ने बताया कि उसमें कोई विस्फोटक नहीं है। उसको यह भी पूछा गया कि क्या इसमें पानी या पसीने की बूंद गिर जाती तो आग लग जाती। जैसा कि चर्चा दौरान मालूम हुआ होगा, उन्होंने बताया कि इसमें पानी की बूंद गिरने से भी कोई किसी तरह की आग नहीं लग सकती है। इस तरह से यह सारा मामला है। मैं समझता हूं, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और जो हमारी पुलिस के द्वारा इसमें 10-12-13 दिन जितने हुए हैं, उनमें जो कार्यवाही की जानी चाहिये थी तेजी से, मैं स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों की आतुरता और व्यग्रता को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से निश्चय करता हूं कि इसकी सारी जांच सी. आई. डी. से करालेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। Please take your seat.

श्री ग्रहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई है। क्या उसमें विस्फोटक पदार्थ शामिल है? ग्रगर शामिल

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

नहीं है तो धोखा दिया गया है गवर्नमेन्ट को और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सभापति : An enquiry has been instituted by C. I. D., Hon. Members.

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कई मर्तबा यह बात कही है कि डाइंग डिक्लेरेशन की कापी प्राप्त नहीं हो सकी। पूरा सदन यह जानने को उत्सुक है कि क्या आपने डाइंग डिक्लेरेशन रिपोर्ट की सर्टिफाइड कापी के लिये एप्लाई किया या नहीं किया? अगर किया तो अर्जेन्ट किया या आर्डिनरी किया? क्या कारण थे कि सर्टिफाइड कापी एप्लाई करने के बावजूद राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो पाई?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सरकार की तरफ से मंत्री महोदय खुद संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। उसके आधार पर, इन्हीं बातों को देखते हुए सी. आई. डी. क्राइम को सौंप दिया है।

चर्चा समाप्त हुई।

दिनांक 13 फरवरी, 1980 को उत्तर प्रदेश के जगनेर स्थित सब इंस्पेक्टर एवं उनके सहयोगी पुलिस द्वारा एक वृद्ध के लड़के श्री मोहर सिंह तथा श्री जंवाई बिहारी का उनके निवास स्थान से अपहरण

दिनांक 13 फरवरी, 1980 को उत्तर प्रदेश पुलिस के जगनेर स्थित सब इंस्पेक्टर एवं उसके सहयोगी पुलिस द्वारा एक वृद्ध के लड़के श्री मोहर सिंह तथा श्री जंवाई बिहारी का उनके निवास स्थान से अपहरण किये जाने के विषय में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, गृह): पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामसिंह पुत्र विष्णु जाति बावरिया सा० जहांगीर पुर थाना नदबई ने दि0 14-2-80 को पुलिस अधीक्षक भरतपुर के समक्ष एक लिखित दरख्वास्त प्रस्तुत की कि उसका लड़का मोहरसिंह गई रात को घर में सोया था। कोई अनजान व्यक्ति उसको घर से पकड़ कर ले गया। उसका अभी तक पता नहीं लगा है। ऐसा मालूम हुआ है कि ग्राम सिगोरा के पास एक पुलिस का ट्रक इस इलाके में गया था। यदि पुलिस ने उसे बन्द किया है तो उसका पता ठिकाना ज्ञात करा दिया जावे। इस दरख्वास्त को जांच हेतु उप अधीक्षक पुलिस बयाना के पास में भेजा गया।

श्री रामसिंह ने पुनः दिनांक 18-2-80 को एक दरख्वास्त प्रस्तुत की कि 4-5 रोज पूर्व उसके पुत्र मोहरसिंह को जहांगीरपुर से एवं दामाद बिहारी को ग्राम पनाह से सोते हुए पकड़ कर ले गये हैं जिनको तलाश करने पर भी पता नहीं लगा है। यह परिवार जांच व रिपोर्ट हेतु थाना प्रबन्धक नदबई के पास भेजा गया। इन दोनों परिवारों में प्रार्थी रामसिंह ने उसके पुत्र एवं दामाद को ले जाने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।

दिनांक 22-2-80 को रामसिंह ने थाना प्रबन्धक नदबई को विस्तृत ब्योरा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

देने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया कि दिनांक 12-2-80 की रात को जब उसका दामाद बिहारी अपने घर ग्राम पनाह में बैठा हुआ था तो रात्रि को करीब 8.45 बजे उच्चैन का सिपाही नन्नू व 4 पुलिस वाले एवं 5-6 अन्य व्यक्ति उसके घर पर आये। उसके दामाद बिहारी को पकड़ लिया और उसकी लड़की के प्रतिरोध करने पर भी उसे ट्रक में बिठा कर ले गए। रात्रि को दस बजे ये लोग उसके स्वयं के घर ग्राम जहांगीर पुर थाना नदबई में आये और उसके लड़के मोहरसिंह को पकड़ कर जबरदस्ती ले गए। उससे पूछताछ की तो नन्नू सिपाही ने उसे सूचना दी कि बिहारी को जगनेर जिला आगरा की पुलिस किसी मुकदमे में ले गई है। जिस पर वह थाना जगनेर गया और पूछताछ की तो उन्होंने इन दोनों को लाने से इन्कार किया जिस पर उसने उच्चाधिकारियों को दरख्वास्तें दीं।

ऐसे ही प्रार्थना पत्र श्री रामसिंह ने उच्च पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस महानिरीक्षक को भी भेजे जिन पर पुलिस अधीक्षक की जांच कराने के निर्देश दिये गये। उप अधीक्षक बयाना ने जांच के पश्चात यह रिपोर्ट की, दिनांक 13-2-80 की शाम को दिन छिपे बाद एक प्राइवेट ट्रक में थाना जगनेर जिला आगरा के कुछ पुलिस वाले आये और वह मौजा पनाह से बिहारी बावरिया व मौजा जहांगीरपुरा से मोहरसिंह बावरिया को किसी तफतीश के सिलसिले में साथ ले गये। थाना प्रबन्धक उच्चैन ने भी इसी प्रकार की रिपोर्ट जांचोपरान्त प्रस्तुत की है कि नि. नन्नूसिंह तैनात थाना उच्चैन का जगनेर पुलिस के साथ जाना नहीं पाया गया तथा रोजनामचे की रिपोर्ट एवं उसके कथन के अनुसार वह थाने पर ही ड्यूटी पर था।

पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने इस संबंध में सीनियर पुलिस अधीक्षक, आगरा को 28-7-80 को एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिख कर यह सूचना चाही कि 12/13-2-80 की रात को जगनेर पुलिस, बिहारी सा० पनाह एवं मोहरसिंह नि. जहांगीरपुरा को ले गई है जो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। अतः वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

इस पत्र का उत्तर न आने पर दिनांक 6-8-80 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को पुनः स्मरण कराया गया जिनका उत्तर अब प्राप्त हो गया है। पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र आगरा ने सूचित किया है कि 13/14-2-80की रात को ग्राम करकटपुरा थाना जगनेर (यू. पी.) जिला आगरा के बीहड़ों में पुलिस और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 व्यक्ति मोहरसिंह व पदमा धराशायी हुए जिनके पास से एक देशी और 12 बोर बन्दूक, एक देशी तमन्चा और कारतूस बरामद हुए थे। इस विषय मे अभियोग सं 29/80 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 आई. पी. सी. एवं 25 आर्म्स एक्ट थाना जगनेर (यू.पी) में पंजीकृत है तथा इस विषय में मजिस्ट्रीयल जांच के लिये जिला अधिकारी आगरा से अनुरोध किया जा चुका है। इस पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र आगरा में क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रति भी संलग्न की है जिसमें जगनेर पुलिस थाने से किसी पुलिस कर्मचारी का दिनांक 13-2-80 को थाना उच्चैन, ग्राम पनाह अथवा मौजा जहांगीरपुरा में जाना

(श्री रामपाल उपाध्याय)

एवं वहां से बिहारी-मोहरसिंह को लेकर आने से इंकार किया है एवं उपरोक्त मुठभेड़ में मोहरसिंह व पदमा की मृत्यु होना अंकित किया है। इन दोनों व्यक्तियों को थाना जगनेर के 3-3 मुकदमों में मफरूर (भगोड़ा) होना भी इस रिपोर्ट में दर्ज है।

उपरोक्त तथ्यों से मोहरसिंह बावरिया का जगनेर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा जाना स्पष्ट है परन्तु बिहारी के बारे में अभी तक आगरा पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी है। हो सकता है कि पदमा नाम का जो व्यक्ति मोहरसिंह के साथ मारा जाना बताया गया है वह बिहारी बावरिया ही हो, परन्तु इस बारे में जांच के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

वृताधिकारी बयाना एवं थाना अवस्थक उज्जैन की रिपोर्ट से थाना जगनेर पुलिस का ग्राम पनाह एवं जहांगीरपुर ग्राम में उस रोज आना एवं उन दोनों व्यक्तियों को ले जाना पाया गया है जबकि पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र आगरा एवं क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ ने इसे अस्वीकार किया है। चूंकि मामला उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है अत: सही तथ्यों की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही कराई जा सकती है।

इस विषय में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को निवेदन किया गया है।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, यह अत्यन्त दर्दनाक और बहुत ही क्रूर घटना है। जब हमारी पुलिस, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, कहा है कि जगनेर की पुलिस आई और दोनों आदमियों को ले गई उसके बाद उनका पता नहीं लगना, गोली से उड़ाया जाना, जो लड़का मारा गया उसका फार्म पर पहिले यह कहना कि झगड़ा था जमीनों के ऊपर, उसके विरोधी जगनेर थानेदार के गांव सरूरपुर थाना फराह में काम करते थे उन्होंने जगनेर थानेदार से कहा कि उनको आतंकित करो, किन्तु उनका तो गोली से उड़ा दिये गये, उनकी बेचारी जवान बहुएं विधवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गये व सब के सब दुखी हैं, पुलिस ने कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखी, वह कुछ करे. तफतीश नहीं करें, बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस वालों द्वारा उन दोनों लड़कों को ले जाना, जब हमारी पुलिस कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ले जाये गये और बाद में उन्हें गोली से मार दिया गया, मोहरसिंह की डेड बाडी पाई गई-यह ऐसी चीजें हैं कि हाइएस्ट लेवल पर इन मामलों को लिया जावे, इन अफसरों को सस्पेन्ड करें। यू. पी. पुलिस का इन्वालवमेंट है। क्या यह सत्य नहीं है कि ये लड़के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग थे? क्या यह भी सत्य नहीं है कि उनका झगड़ा था किसी और लोगों से? क्या यह भी सत्य नहीं है कि इस जगनेर के थानेदार का सरूरपुर गांव में फराह थाना के अन्तर्गत फार्म था और जो लड़के मारे गये हैं वह उन विरोधी थानेदार के फार्म पर काम करते थे? क्या यह भी सत्य नहीं है कि उन दोनों लड़कों को पकड़ कर जगनेर थानेदार ले गया नन्नू कांस्टेबल की मदद से? उसने भी कहीं कंप्लेंट नहीं की क्यों नहीं की? वह जगनेर गया या गांव में गया,

(श्री राजबहादुर)

अगर तफतीश के लिये गया, तो पुलिस चौकी में इन्द्राज क्यों नहीं हुआ? यह सवाल जवाब मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है दो वोटर आपके हैं जो मुख्य मंत्री जी के लोक सभा क्षेत्र के वोटर हैं और वोटर का ही सवाल नहीं, राजस्थान के दो नागरिकों को इस तरह ले जायें, कौन से कानून के अंतर्गत पुलिस ले गई, कौन जवाबदार है. क्या राजस्थान की या यू. पी. की पुलिस जवाबदार है ? यह अराजकता की चरम सीमा है। मैं विनती करूंगा, मंत्री महोदय इसको खुद देखें। आपकी पुलिस ने कहा, तो जगनेर उत्तर प्रदेश की पुलिस या कौन सेशन देगा, कौन उनके बच्चे पालेगी ? कौन उनके वृद्ध माता-पिता को देखेगा ? इस सारी चीज की जिम्मेदारी यू. पी. की पुलिस है। जिस पुलिस कर्मचारी ने किया उसको सजा मिले। इन्क्वायरी हो एन्ड They should be brought to book.

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, इस घटना को देखने से तो मालूम पड़ता है कि राजस्थान के नागरिकों का जीवन सुरक्षित है या नहीं, यह प्रश्न उठता है। क्या यू. पी. की पुलिस राजस्थान में प्रवेश करके राजस्थान के गरीब नागरिकों को ले जाय और शूट कर दे, यह स्थिति होने के पश्चात भी सोते रहें-यह सदन के लिये विचारणीय है। जो तथ्य सामने आये हैं उनसे स्पष्ट रूप से साबित हो गया कि राजस्थान का पुलिस महकमा कहता है कि राजस्थान के दो नागरिक जगनेर पुलिस द्वारा ले जाये गये और उसके बाद यू. पी. पुलिस ने उनको शूट कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जगनेर पुलिस के जो भी सिपाही आये थे उन पर 302 का मुकदमा तो नहीं बनाया गया, जो पुलिस अधिकारी आये उन पर अपहरण का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, गृह): सभापति महोदय, यह घटना निश्चित ही गंभीर है....

(4.50 म. प्र.)

(श्री पूनमचन्द, विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

इसकी गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता है। जहां तक राजस्थान की पुलिस का प्रश्न है, जो इनका पिता है श्रीराम सिंह उसने समय समय पर 12-2, 14-2, 18-2 और 22-2 को अपनी दरख्वास्तें पेश की हैं। उनके आधार पर तत्काल कार्यवाही की गई जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है। थानाधिकारी और डीवाई. एस. पी. की रिपोर्ट है, उसके आधार पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दोनों को किसी ट्रक में ले गई है। जहां तक नानू कान्स्टेबल का प्रश्न है उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से जितनी ज्यादा जानकारी प्राप्त की गई वह एक रिकार्ड है परन्तु दुर्भाग्य है कि वहां के पुलिस अधीक्षक, आगरा ने हमको यह लेटेस्ट सूचना दी है, उसमें उन्होंने इस बात को नकारा है, हमारे यहां से कोई नहीं गया और न किसी को पकड़ा है। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार की एक घटना हुई है। पुलिस से

(श्री रामपाल उपाध्याय)

झगड़ा हुआ और गोली लगने से दो व्यक्ति मारे गये। मेरा निवेदन यह है कि इसके बारे में हमने वहां के प्रशासन को लिखा, होम सैक्रेटरीज को टेलीफोन किया, परन्तु वे नकार गये। हमारे यहां से मुख्य सचिव महोदय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक लम्बा चौड़ा वायरलेस किया। दुर्भाग्य की बात है कि वहां से अभी तक आगरा के पुलिस अधीक्षक को छोड़ कर जिसने कि सब तथ्यों से इन्कार किया है, और किसी का पत्र नहीं आया है। यह मामला गंभीर है और वास्तव में राजस्थान की जनता के साथ मैं समझता हूं कि भयंकर वारदातें हैं। इन घटनाओं से राज्य सरकार ने ना नहीं किया है। मैं समझता हूं कि यथा समय और यथाशीघ्र राज्य सरकार इस समस्या को सुलझाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसका राजस्थान की पुलिस ने केस रजिस्टर किया है या नहीं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : राजस्थान की पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : Abduction with intent to murder a person is an offence, and the offence has been committed in our territory.

हमारे अधिकार क्षेत्र के अन्दर मारा नहीं गया परन्तु कम से कम एब्डेक्शन हुआ है। एब्डेक्शन किया इस उद्देश्य से और इनको मार दिया गया। यह घटना बताती है।

श्री रामलाल उपाध्याय : यह बात सही है कि हमारे यहां से उनका अपहरण किया गया। हमारी पुलिस ने इसकी रिपोर्ट नहीं की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह सूचना दी है कि दुर्घटना हुई, आपस में लड़ाई हुई और दो बदमाश मारे गये। इनमें एक नाम वही है।

श्री राज बहादुर : वह मारा गया और उसकी डेड बाडी पाई गयी। यह कैसे मान ले कि दुर्घटना हुई ?

श्री अध्यक्ष : एब्डेक्शन हुआ है। यह क्लीअर केस है। उसके बाद मार दिया गया। केस यहां पर रजिस्टर करे, यह मेरे ख्याल से ठीक होगा।

श्री रामलाल उपाध्याय : केस रजिस्टर नहीं हुआ है।

श्री राजबहादुर : मैं यह विनंती करूंगा।

श्री भगवान दास शास्त्री : यू.पी. गवर्नमेन्ट को पाबन्द किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त हो तब तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

दिनांक 13 फरवरी, 1980 को उत्तरप्रदेश पुलिस के जगनेर स्थित सब इन्सपेक्टर एवं उसके सहयोगी पुलिस द्वारा एक वृद्ध के लड़के श्री मोहरसिंह तथा श्री जंवाई बिहारी का उनके निवास स्थान से अपहरण

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें एब्डेक्शन का केस क्लीअर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि स्थिति का आपने विश्लेषण किया। उनकी डेड बाडीज पाई गई। यह केस यहां पर रजिस्टर होना चाहिए। जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि इमीजिएट उस फेमिली को आप क्या दे रहे हैं? उनके बच्चे हैं, पत्नी हैं, बूढ़े मां बाप हैं उनको आप रिलीफ दें। यू. पी. सरकार से रिलीफ लें। कम से कम दो लाख का हर्जाना यू. पी. सरकार देने के लिए जिम्मेवार है। उनके बच्चों के जीवन का प्रश्न है। यह प्रश्न गंभीर है। सरकार इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि राजस्थान के नागरिकों का अपहरण किया गया। उसके बाद भी क्या मंत्री महोदय आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है?

श्री रामपाल उपाध्याय : सरकार की संवेदना सदन के साथ है। यह कोई अच्छी घटना नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : संवेदना से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट घोषणा करें।

(व्यवधान)

इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती?

(व्यवधान)

वक्तव्य में आपने स्वीकार किया है। राजस्थान की पुलिस ने इस बात को माना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : केस रजिस्टर नहीं हुआ यह सिद्ध नहीं करता कि हमारी पुलिस और हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। उनकी सुरक्षा करने की इच्छा भी नहीं रखते।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का हल....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : सरकार का दृढ़ इरादा है कि इस अपहरण के केस को रजिस्टर नहीं करने में हमारे पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी....

श्री अध्यक्ष : इसका कानूनी पक्ष भी देखें।

श्री रामपाल उपाध्याय : और इसका कानूनी पक्ष देखकर भी आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : और जहां तक इस परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, यह मानवीय प्रश्न है। सरकार इस पर विचार कर के निर्णय लेगी।

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय आपने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कह दिया परन्तु जिन्होंने अपहरण किया है उन पर आप मुकदमा दायर करेंगे या नहीं ?

प्रदेश में गो हत्या पर प्रतिबंध होते हुए भी सवाई माधोपुर—गंगानगर से गायों की निकासी

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री का वक्तव्य। गंगानगर से गायों की निकासी के सम्बन्ध में कृषि मंत्री एक वक्तव्य देंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य आ जाए उसके बाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह विषय एक डेढ़ महीने पहले रखा था। तब तक 26 जुलाई से लदान शुरू नहीं हुआ था। मेरी यह अर्ज थी कि सरकार चेत जाती तो ठीक था। मैंने यह कहा कि पिछले कई महीनों से प्रदेश के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से बूढ़े बैलों के नाम पर बढ़िया नस्ल के कम उम्र के बैल, सांड, गायें बांदा काटने हेतु ले जायी जा रही हैं। बूढ़े बैलों के नाम पर अच्छी नस्ल की गायें भी ले जायी जा रही हैं। उसमें मैंने चित्र भी दिये और सारे कागजात भी पेश किये थे वह इसलिये कि हमारी सरकार समय रहते चेत जाये और यह ले जाये जाने वाले बैल बछड़े या गाय की हमारी नस्ल का नाश न हो।

मैं कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने 19 मई, 1979 को इस तरह का अध्यादेश निकाला, उसका जो पूर्व कानून था उसमें संशोधन करने के लिये यह प्रावधान निकाला, चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं है इसलिये यह अध्यादेश निकालते हैं कि गाय की निकासी बिना किसी पत्र के, अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं की जा सकेगी कटने के लिये। ऐसा उन्होंने संशोधन निकाला। इस अध्यादेश की प्रति भी सदन की मेज पर रखी। मेरा यह आशय था कि हमारी गायें जो गंगापुर रेलवे मार्ग से जो बांदा जा रही हैं वह न जायें। मेरे कहने का अर्थ यह था कि हमारे यहां तो बैल गाय का काटना बंद है, यह कानूनन बंद है। लेकिन यह बाहर होता है और कटने के लिये जाती हैं। इसमें आपत्ति है। इन सब तथ्यों को लेकर श्री गोकुल भाई भट्ट और श्री बजाज जो 26 जुलाई से निरन्तर वहां लगे हुये हैं लोगों की जन भावनायें यह हैं सरकार हमारी भावनाओं संरक्षण नहीं दे रही है। इसलिये भूख हड़ताल भी वहां के लोगों ने की है। राजस्थान में जहां जहां भी यह तथ्य पहुंचा है वहां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लोगों में बड़ी बेचैनी हुई है । लोग इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि सरकार ऐसा आदेश निकाले । पहले आदेश निकाला था यहां पर देवेन्द्र मेहता ने कि यह निकास रोका जाये और कलेक्टर्स ने स्टेशन मास्टर को यह आदेश दिया था, निकास नहीं हो । मेरा कहने का मतलब यह था कि यह थोड़े समय के लिये, थोड़े दिनों के लिये था। हमारे यहां जो कानून हैं उसमें हम ऐसा प्रावधान रखें कि इस काम के लिये गो वंश का निकास न हो । मेरा यही कहने का तात्पर्य है। मुझे आशा है कि सरकार ने इस बीच में कुछ किया होगा । मैं समझती हूं कि सरकार इसको कानून का रूप देगी और उन्होंने कुछ कर लिया है तो निश्चित-रूप से बतायेगी ।

श्रीमती कमला (पशुपालन मंत्री) : राजस्थान प्रदेश में गो हत्या पर राजस्थान प्रिजर्वेशन आफ सर्टेन एनिमल्स एक्ट, 1950 (एक्ट नं. 4 आफ 1950) के अनुसरण में गो हत्या पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । राज्य सरकार की एक अधिसूचना संख्या 20/ 3 '/कृषि-5/ दिनांक 3 सितम्बर 1955 के द्वारा यह आदेश दिया गया कि दुधारू पशुओं को राज्य के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है जब तक कि जिलाधीश से लिखित में अनुमति नहीं प्राप्त कर ली जावे । पशुओं एवं गो वंश जैसे बैल, बछड़ा भैंस, पाड़े आदि पशुओं की निकासी पर प्रदेश में कोई भी प्रतिबंध नहीं है ।

वर्तमान में राजस्थान में 11 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है एवं अन्य पंचायत समिति के स्तर पर लगभग 50 मेले और लगते हैं । इन मेलों में हजारों की संख्या में बैल, बछड़े, कृषि एवं अन्य संबंधित कार्यों हेतु निकटवर्ती प्रदेशों में क्रय किये जाते हैं। राजस्थान प्रदेश में पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है और लगभग इन मेलों से 30 करोड़ रुपयों का क्रय-विक्रय होता है जिसके लाभांश से पशुपालकों को लाभ होता है साथ ही राज्य सरकार की आय में कर के रूप में वृद्धि होती है । अतः गोवंश की निकासी पर वर्तमान पूर्ण प्रतिबंध लगाना राज्य को आर्थिक दृष्टि से एवं पशु पालकों के जीविका उपार्जन में बाधा उत्पन्न करेगी एवं विशेष लाभ नहीं होगा ।

राजस्थान राज्य में कई बार अकाल के समय गो वंश एवं अन्य चौपाये पड़ोसी राज्यों में चरने हेतु जाया करते हैं । अगर समस्त पशुओं के ऊपर निकासी का प्रतिबंध लगा दिया जाये तो अकाल के समय जटिल समस्या खड़ी हो जायेगी और साथ ही भविष्य में चारे की भी समस्या उग्र रूप धारण कर लेगी । अतः तथ्यों को राज-नैतिक दृष्टि से न देखकर, राज्य के कृषकों को आर्थिक भावना के साथ साथ राज्यहित को देखना अति आवश्यक होगा । फिर भी राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं कोटा जिलाधीशों को यह आदेश दिये हैं कि वे पशुधन के अन्यत्र लदान को नियं-त्रित करें तथा वधगृह के लिये लदान न किये जायं । इन क्षेत्रों से इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं अतः यह कदम उठाया गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने टेम्प्रेरी व्यवस्था की पशुओं का लदान वध करने के लिये नहीं होगा। लेकिन जब तक उनके लिये

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई लाइसेंसिंग या परमिट की व्यवस्था नहीं करेंगे। हमारे यहां की गायें बाहर जायें, बिकें और उनसे कृषकों को लाभ तो वह दूध के लिये बेची जायें। हमारी नस्ल अच्छी है, बाहर बिक सकती है। लेकिन कटने के लिये वह जायें, यह कहकर कि बूढ़े बैल हैं, निकासी हो रही है इन पर आपत्ति न की जाये। दुधारू गायें भी ले जायी जा रही हैं जो कटने के लिये ले जायी जा रही हैं। अगर यह चलता रहा तो अपनी नस्ल का ही नाश हो जायेगा। यह अस्थाई व्यवस्था की। मैं समझती हूं कि इस तरहसे एक क्लाज है उसमें जो उत्तर प्रदेश का अध्यादेश उन्होंने निकाला था उसको अब नियम का रूप दे दिया है कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान पर सिवाय राज्य-सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्र के और सिवाय ऐसी अनुज्ञापत्र-निबन्धन शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

[5. 07 म. प.]

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि इस नियम के आधार पर जिस तरह से भी सम्भव हो सके इस पर शीघ्र कार्यवाही करें। अभी विधान सत्र में भी है, वहां तो सत्र में नहीं थी, अध्यादेश में लाये। मैं मानती हूं कि प्रक्रिया लम्बी है टाइम लगेगा। उस पर रोक तभी लग सकती है जब कि हम उस तरह का एक अनुज्ञा पत्र रख देने की व्यवस्था करें। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, यह चोरी पीछे इस बदरा में जायेगी जहां स्वाद लग गया है, महंगा मांस बिकेगा इसलिये वे निकास करेंगे। मेरा आग्रह है कि जिस भावना से अपने प्रदेश में आन्दोलन चला रहे हैं उसको मद्देनजर रखतेहुये हम तो गाय को माता के रूप में मानते हैं उसके वंश को भी उससे कम नहीं मानते हैं। मैं समझती हूं कि माननीय मंत्रीजी भी इसी भावना से ओतप्रोत है। उनसे आग्रह करूंगी इसी भावना के आधार पर जो आन्दोलन चला रहे हैं, उनकी भावना का खयाल रखते हुये आन्दोलन तेज न हो और अन्य तरी के की बात न हो उससे पूर्व ही मैं यह कहना चाहूंगी कि उसके लिये कार्यवाही हो जाये। यही मेरा अनुरोध है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसके संबंध में मुझे भी कहना है.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : मेरे जवाब के बाद आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी।

श्री हरिसिंह : मेरी बात का भी जवाब दे दें। उसके बाद आप जवाब दे देना।

श्री सभापति : इस बारे में आपका कोई ध्यानाकर्षण प्रश्न नहीं है ....

श्री हरिसिंह : भरतपुर जिले से संबंध है।

श्री सभापति : सभी जिलों के सदस्य बोलेंगे तो चर्चा समाप्त नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह : यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आदेश कलेक्टर साहब तक ही रहता है इसको कोई नहीं मानता है। इस कानून की कोई कीमत नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, जब गंगापुर में यह मामला खड़ा हुआ कि वहां से गायें, बैल और बछड़े ले जाये जाते हैं, वह हमारे यहां जो बना हुआ कानून है, उसके विपरीत है, जन भावना के विपरीत है, इसलिए उसको रोका जाना चाहिए। उसी वक्त जिलाधीश को आदेश देकर रोका गया था। इसके उपरान्त वहां पर आन्दोलन के रूप में कुछ बातें पैदा हो गई। इसके उपरान्त भी उनसे बातचीत हुई है। कल, परसों गोकुल भाई से और आन्दोलनकारियों के साथ में बैठ कर बात हुई है। उसके उपरान्त तय किया गया था कि गायों, बैलों के इधर उधर आने जाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन स्लाटर हाउस में नहीं जाने चाहिये। इसलिए यह सरकार की ओर से आदेश जारी किये गये हैं। तीनों जिलों के जिलाधीशों की पूर्व स्वीकृति के बिना लदान नहीं लगायेंगे। जिलाधीश इस बात को देखेंगे कि कोई भी लदान स्लाटर हाउस के लिए नहीं किया जाये। इसलिए जहां जहां यह स्थिति पैदा हुई है, वहां रोकने की व्यवस्था की गई है। इसलिए सारे स्थानों में ऐसा नहीं हो कि उनके क्रय विक्रय में बाधा पड़े, मूवमेंट में बाधा पड़े। मैं समझती हूं कि कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो वहां के लिए आदेश लगा सकेंगे जिलाधीश और अधिकारी अगर चाहें तो सरकार उनको और अधिकार प्रदान कर सकेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी तरह से पूर्व में श्री देवेन्द्रराज मेहता ने एक आदेश दिया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपके प्रस्ताव से मन्त्री महोदया और सत्तापक्ष सन्तुष्ट है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो सन्तुष्ट हैं, उन्हें कोई बेचैनी नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्या, गोकुल भाई से और आन्दोलनकारियों से बातचीत हो चुकी है। बातचीत होने के बाद उन्होंने जो अपने सुझाव दिये हैं, उनके अन्तर्गत राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इसी बात पर उन्होंने आन्दोलन वापस लिया। आदेश जारी किये गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उन्हीं बातों को रख रही हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कौन सी बातें रख रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उन्हीं बातों को रख रही हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्या, आजकल यह क्या हो रहा है। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस मामले पर ज्यादा नहीं बोलना ..

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी है। और भी कह लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा है, जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं। लेकिन जिलाधीश जब तक स्टेशन मास्टरों को नहीं लिखेंगे, तब तक वह रोकेंगे नहीं। जिलाधीश से कहने रोज रोज कौन जायगा ? आपको अनुज्ञापत्र जारी करने में आपत्ति क्या है ?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है। जिलाधीशों को निर्देश दे दिये गये हैं। बिना उनकी पूर्व अनुमति के कोई लदान नहीं होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान]

आधे घण्टे की चर्चा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि ...

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मन्त्री महोदय से कहें कि वह इसमें ऐसा प्रावधान रख दें तो क्या दिक्कत है। ऐसा प्रावधान करें।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे हमारे गो वंश की रक्षा अवश्य हो जायगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि इसको दूसरे ढंग से लाना पड़ेगा।

आधे घण्टे की चर्चा

टौंक शहर की गन्दी बस्ती का विकास

(अतारांकित प्रश्न संख्या 234)

श्री सभापति : आधे घण्टे की चर्चा।

श्री महावीर प्रसाद, सदस्य विधान सभा राज्य सरकार द्वारा टौंक शहर को कोई गन्दी बस्ती न मानने विषयक अतारांकित प्रश्न संख्या 234(93 स्वा. मं.) के उत्तर, जो दिनांक 31 जुलाई, 1980 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद !

श्री महावीर प्रसाद जैन(टौंक) : माननीय सभापति महोदय, मैंने एक तारांकित प्रश्न दिया था। मेरे द्वारा प्रश्न दिया गया था जिसके जवाब में यह कहा गया था कि टौंक शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था है। टौंक शहर गन्दी बस्ती नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्य सरकार के अधिकारियों और जन स्वास्थ्य मन्त्री ने जो जवाब दिया था, उस पर तरस आता है। इस बारे में निवेदन करूंगा कि टौंक शहर के मेन मार्केट को छोड़ दें, सिविल लाइन को छोड़ दें तो पूरा टौंक शहर सिर्फ गन्दी बस्ती के अलावा और कुछ है ही नहीं। रात के समय में इस एरिया में चले जाए तो ऐसा लगेगा कि किसी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गांव में चले गये। जहाँ पर बिजली भी नहीं है। आज भी मैं जानता हूं कि क्या जवाब आयगा कि सभी जगह बिजली है, पानी है। मैं निवेदन करूंगा कि वार्ड नम्बर 5, 6, 14, 15, 16 और 17 में न तो सड़क है, न बिजली है, न पानी है। सड़क बनी होगी लेकिन 15 फीट का रास्ता है। टार्प पर 10 फीट की सड़क है, बाकी सब कच्चा है। केवल कुछ स्थान पर बनी हुई है। आज टौंक शहर में आप जायेंगे तो एक एक फुट गन्दा पानी वहां गलियों में भरा हुआ है। आप वहां पर घुस नहीं सकते। मच्छर, मक्खी वहां पर मण्डराते हैं। टौंक शहर में अलग आय के लोग अल्प संख्यक, और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। 70% यही लोग रहते हैं। अभी उसमें आधे लोग तो टी. बी. पेशेण्ट हैं। वहां पर मलेरिया से लोग मरते हैं। अभी हाल में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 20 लोग टी. बी. से मर गये। आप वहां चले जायें तो फूल बाग में और राम बाग में न तो बिजली है और न बिजली की व्यवस्था है। कुछ बनास के किनारे पर तो बस गये। बनास आधे राजस्थान को पानी पिला सकती है। लेकिन उसके किनारे पर जो बसे हुए हैं, वह पानी के लिए तरसते हैं। वहां पर कुओं में पानी नहीं है। जब वर्षा आती है तो वह चारों तरफ से घिर जाते हैं। अगर वहां पर कोई बीमार हो जाए तो उसको मुर्दे की तरह से 4 आदमी उठा कर ले जाते हैं। इसके अलावा वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। बीमार को 4 आदमी उठा कर ले जाते हैं। अंधेरा फूल बाग ही नहीं है सारे शहर में अंधेरा है। 13 बल्ब पाइण्ट लगे हैं लेकिन जलते नहीं हैं। यह प्रश्न पहले भी रखा था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। वह मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं।

"देश का नागरिक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत नगरीय शासन अथवा किसी शासन-संस्थान को बाध्य कर सकता है कि वह समुचित सफाई व्यवस्था बनाये रखें तथा नागरिक जीवन को प्रदूषण सहित अन्य सुविधाओं से आरक्षित रखें। माननीय-न्यायाधीशों ने अपने निर्णय है कि, भारतीय दण्ड संहिता कानून द्वारा गठित संस्थानों पर लागू होता है और इस मामले में धन के अभाव का बहाना नहीं चल सकता। न्यायालय ने अपने निर्णय में एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि यदि इन संस्थानों के अधिकारी व निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान व उसके अन्तर्गत बनाये गए कानूनों के अनुसार दायित्व का निर्वाह करने में असफल रहते हैं तो वसूली दण्ड से नहीं बच सकते।

यह मामला मध्य प्रदेश के रतलाम नगर के निवासियों ने उठाया था, जब नगर परिषद ने उनकी शिकायतों की अनसुनी की तो सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में परिषद की दायित्व हीनता का मुकदमा दायर किया। कानून के अन्तर्गत नगर पालिकाओं का यह दायित्व है कि वे सार्वजनिक स्थानों की सफाई व स्वच्छता रखें तथा नागरिक जीवन को कष्ट व असुविधा देने की स्थितियों को दूर करें। नगर पालिका ने अपनी अक्षमता के लिए धन की कमी का बहाना बताया। लेकिन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मुकरते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि धनाभाव होने पर पालिकाएं अपना दायित्व पूरा न करें।

माननीय सभापति महोदय, टौंक में धन के अभाव का कारण यह कहते हैं, यह धन के अभाव कारण नहीं है। बिजली के बल्ब नहीं लगा सकते वे। नालियां नहीं बना सकते हैं। सड़कों पर सफाई नहीं करा सकते हैं। 80 हजार वहां की आबादी है। वहां कोई पब्लिक लेट्रीन नहीं है। नवाब साहब की वह स्टेट रही है। आज भी वहां के हरिजन सरों पर मेला ढोते हैं। क्या यही आपका क्राइटेरिया है? 80 हजार की आबादी है, वहां पर सड़कें नहीं हैं, नल नहीं हैं, 155 वहां कर्मचारी रहते हैं। राज्य सरकार ने 1 हजार की आबादी पर चार की संख्या निर्धारित कर रखी है, लेकिन उससे आधे भी कर्मचारी वहां पर नहीं हैं, ऐसी हालत में कैसे वहां पर सफाई रह सकती है। सभापति महोदय, वहां कौन जनता तो वहां रह रही है हम और आप वहां पर रहें तो कुछ ही दिनों में इन्तकाल हो जाय। वहां पर अल्प संख्यक लोग रहते हैं, हरिजन रहते हैं, अल्प आय के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। वे यह चाहते हैं कि कोई हमारी आवाज को राज्य सरकार तक पहुंचाये। उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कहने की कोशिश नहीं की, राज्य सरकार ने भी कोशिश नहीं की। कभी आवश्यक नहीं समझा।

श्री सभापति : आपने बहुत ध्यान आकर्षित कर दिया है, माननीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तक कोट कर दी है, जल्दी ही समाप्त कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नालियां साफ करने का मामला है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : केन्द्रीय सरकार ने स्लम क्लियरेंसएक्ट में और राज्यों में जहां स्लम क्लियरेंस अधिनियम लागू किये गये हैं वहां गन्दे पर्यावरण के हालात तथा आंशिक रूप से आवासों के आकार प्रकार पर आधारित है। स्लम एरियाज इम्प्रूवमेन्ट क्लियरेंस एक्ट, 1956 जो केन्द्रीय कानून है उसमें लिखा हुआ है कि "जहां सक्षम अधिकारी अपने किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से अथवा उससे उपलब्ध किसी सूचना से किसी क्षेत्र के मकान से, किसी क्षेत्र के मकानों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हों कि उस क्षेत्र के मकान—

(क) किसी भी रूप में मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है अथवा,

(ख) जीर्णावस्था में होने, वहां अत्यधिक आबादी होने, मकानों के नमूने त्रुटिपूर्ण होने, गलियां संकड़ी होने, हवा, रोशनी तथा सेनीटेशन सुविधाओं की कमी होने और इस तरह के अन्य ऐसे कारणों से जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक दृष्टि से हानिकारक है तो वह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित कर सकती है।"

माननीय सभापति महोदय, "टौंक शहर की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां की जानकारी मुझे ज्यादा है, राजस्थान में

(124)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर यह समस्या है। जो गन्दी बस्तियों के रूप में हैं, वहां पर सेनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को 12 बजे सड़कों पर घूमते देखा, उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि एक छोटे से मकान में दो परिवार रहते हैं, सोने की पूरी व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : और तो कोई कारण नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : कारण यही है कि वहां पर दो परिवार रहते है, 12 बजे बाद दूसरा परिवार सोता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां स्लम इम्प्रूवमेंट खण्ड क्लियरेंस एक्ट बनाया जावे। वहां नगरपालिका को जो पैसा मिलता है या जो उसकी आय होती है वह कर्मचारियों में ही बंट जाती है। सभापति महोदय, यह राज्य सरकार की और हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रहे, स्वच्छता का ख्याल रहे, पीने के पानी का प्रबन्ध करें, बिजली का प्रबन्ध करे, यह सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल ! बोलना नहीं चाहते।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, टोंक के प्रश्न को लेकर नगरपालिका क्षेत्र में गंदगी की जो समस्या है, उस समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्य ने कच्ची बस्तियों की बात भी कही और गन्दी बस्तियों की बात भी कही है। मेरा निवेदन करना है कि कच्ची बस्तियों का अर्थ दूसरा है और गंदी बस्तियों का अर्थ दूसरा है। मेरे हिसाब से जब नगरपालिका का गठन होता है, जैसे जयपुर नगरपालिका को ही लें, यहां पर कच्ची बस्तियां बहुत हैं, कई बस्तियां पुरानी बसी हुई हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र में हैं। आज की स्थिति में जो भी हालत है, जो मकानों की दशा है, वह भी सरकार के ध्यान में है। समस्या को हम इस तरह से मानकर चलें कि जिस तरह टोंक की समस्या है, माननीय सदस्य ने कही, मैं उदयपुर की बात कहूं, वहां भी कच्ची बस्तियों की समस्या है। एक अच्छे नगर की कल्पना, एक अच्छे घर की कल्पना और अच्छे गांव की कल्पना हम सबको करनी चाहिये। लेकिन जो हालत आज की है उसमें यह सब में सम्भव नहीं मानकर चल सकता। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि रात को 12 बजे तक सड़कों पर घूमते हैं, क्योंकि मकानों में सोने की स्थिति नहीं है। वास्तव में, मैं मानता हूं इस प्रकार की कठिनाइयां है, जिनका उन्होंने जिक्र किया। मैं तो आज के हालात को देखते हुए यही कह सकता हूं कि जहां तक नगर पालिकाओं का सवाल है, टोंक में 22, 23 लाख की आय होती है, उसमें से 20 लाख रुपया वेतन पर खर्च हो जाता है और दो तीन लाख रुपया बचता है। मैंने आज सुबह ही इस प्रकार की चर्चा की थी, मैं नहीं कह सकता कि उसकी तरफ का प्रश्न नहीं रह जायेगा मेरी ऐसी मान्यता है। इस वर्ष का बजट

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर

है उसको कच्ची बस्तियों को दे दिया जाय तो क्या यह सम्भव हो सकेगा या नहीं, मैंने आज सुबह ही इसकी चर्चा की थी, आप उदयपुर शहर को ही ले लीजिए, यहां पर सड़कें बन गई, पार्क बन गये, बिजली भी है, नल भी है, लेकिन अभी कच्ची बस्तियों का विकास नहीं कर पाये। इन सारे प्रश्न को लेकर हमने चर्चा की है। जिस क्षेत्र की चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि डेढ़ लाख का नगरपालिका का बजट है, उसमें से जितना हो सकता है, खर्च करने का अनुपात से प्रयत्न किया जायगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने स्लम वाली बात बताई, माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये कि इसकी योजना आई है जिसमें कुछ प्रतिशत राज्य सरकार देती है। पहले एक लाख वाले शहरों को लेते हैं, कुछ योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें पांच छः नगरों को लिया गया है और एक दो नगरों में चल भी रही हैं। छोटी योजनाओं का भी प्रयत्न किया जा रहा है जिससे छोटे नगरों को भी उसमें लिया जा सके। ऐसा प्लानिंग बनाने का प्रयास किया जायगा जो सभी नगरपालिकाओं के विकास की दृष्टि से लाभदायक हो सके. लेकिन आज की स्थिति में हम स्लम क्लियरेन्स पर विचार करने की स्थिति में सभी नगरपालिकाओं के लिए नहीं हैं। अभी हमारे पास जो पांच छः महीने का बजट है, उसमें केवल टौंक नगर पालिका ही नहीं है दूसरी नगरपालिकायें भी हैं। माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सबको शिरोधार्य है। मैंने निवेदन किया कि देश काल और परिस्थितियां जो कुछ है उनको भी हमको स्वीकार करना चाहिए और उसी दृष्टि से जितना हम कर सकते हैं वह हम को करना चाहिए। यह मेरी मान्यता है। नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से यह सम्भव नहीं है कि अधिक पैसा खर्च किया जा सके। मैं माननीय सदस्यों को यह भी संकेत करना चाहता हूं कि 25 लाख रुपया नगरपालिकाओं के सहयोग के लिए रखा गया है। आप जानते हैं नगरपालिकाओं से कई प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, जितनी मदद हम कर सकते हैं उतनी अवश्य की जायगी। जहां तक नालियों का प्रश्न है, ठीक है कुछ जगह नालियां नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, बिजली नहीं है जितनी होनी चाहिए।

मैं यह मानकर चलता हूं कि यदि नगरपालिकाओं के आधार पर करेंगे तो यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इन समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर कर सकेंगे। वहां के लोगों के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से और मैंने जैसा कहा है कि एक उत्तर में दे दिया है। जो हम देना चाहते हैं। इसमें प्रातः काल बातचीत हुई हैं। मैंने आपसे कहा है कि क्या दिक्कतें होंगी और क्या नहीं होंगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन: गन्दी बस्तियों के बारे में जो परिभाषा है वह बताना चाहता हूं। अर्थात् किसी घने बसे हुए जिले तथा कस्बे में स्थित गली, चौक आदि जहां

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कम आय वर्ग के अथवा अत्यधिक गरीब लोग रहते हों तथा इस प्रकार की कई गलियों व चौक जो जीर्णशीर्ण अवस्था घने बसे हुए क्षेत्र बनाते हों। परन्तु इसके अतिरिक्त कई भिन्न भिन्न आधार हैं। यह उन्होंने परिभाषा दी है, माननीय सभापति जी, गन्दी बस्तियों के बारे में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक जगह किये जाने के....

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक और निवेदन करना चाहता हूं। उनके हिस्से में कितनी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कई नगर पालिकाओं में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उदयपुर के लिए कहता हूं वहां पर बजट भी है, पैसा भी है। आप यह देखें तो मैं समझता हूं कि वह न्यायोचित होगा। जहां पर आवश्यकता है, वहां कोई न कोई ....

श्री सभापति : श्री राम कुमार !

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने ...

श्री रामकंवार बैरवा : सभापति महोदय, विकास के लिए मैं भी पहले पार्लियामेंट में बोलता रहा हूं और मंत्रीजी ने साफ इन्कार कर दिया। उसके बारे में आप अभी बता दें।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन। आप कुछ कह रही थी, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह कह रही थी कि माननीय मंत्री महोदय इस स्टेटमेंट की कापी जल्दी दिला दें वरना सब कुछ उधर चला जायेगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अपनी एक बात दो सैकण्ड में कह कर समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन करना है कि मंत्री जी ने अब जो बात बताई। उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई हैं। राजस्थान म्युनिसिपैलिटी या नगर परिषदों की हालत खराब है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मिनिस्टीरियल और क्लेरीकल स्टाफ में चला जाता है। उसके बारे में यह निवेदन है कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उसकी बहुत बड़ी राशि हो सकती है उसे उठाया जाये। जो चालान होते है तो इस प्रकार की उन्हें पावर दी जाये तो मैं समझता हूं इससे काफी स्थिति सुधरेगी। उससे आपको जो आय होगी उससे आप गन्दी बस्तियों का विकास कर सकेंगे।....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यह मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है।

किसानों को घटिया आइल देने वाले पेट्रोल पम्प-डीलर्स के विरुद्ध कार्यवाही
[तारांकित प्रश्न संख्या 38]

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री सूरजपालसिंह, सदस्य, विधान सभा राज्य में कई पेट्रोल व डीजल पम्पों द्वारा जले हुए आइल को पुनः रिफाइन कर कम्पनियों के निर्धारित मूल्यों पर बेचने विषयक तारां:

(श्री सभापति)

कित प्रश्न संख्या 389 (348/खा. मं.) के उत्तर, जो दिनांक 8 अगस्त, 1980 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह जी।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, एक किसानों की बड़ी ज्वलंत समस्या है। पेट्रोल पम्प के ऊपर जो लूज आइल होता है वह घटिया किस्म का आइल उपलब्ध होता है। मैंने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि इसको चैक करने के लिए हमारे प्रवर्तन अधिकारी सक्षम नहीं हैं। सभापति महोदय, सोने का मूल्य देकर के पत्थर लिये जायें तो यह कहां तक उचित है।

सभापति महोदय, हालत यह है कि 30 पैसे, 40 पैसे लीटर में आज बाजार से जला हुआ आईल खरीदा जाता है। उसे रिफाइन करके कुछ पेट्रोल पम्प वाले अपने पेट्रोल पम्पों के ऊपर रखते हैं और वही ड्रम 2 हजार में तैयार होता है। 6 सौ में जो ड्रम खरीदते हैं वह किसानों को बेचते हैं। अब यह कहा जाता है, मेरे प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि हमारे अधिकारी इसमें सक्षम नहीं हैं। चैक करने के लिए क्या पेट्रोल पम्पों पर हमारे इन्सपेक्टर जाते हैं। इस जवाब में यह भी जवाब दिया गया है कि विभिन्न कम्पनियों जिनका आइल रखा जाता है, के अधिकारी समय-समय पर उसका नमूना लेकर जांच हेतु भेजते हैं। तो यह कम्पनी के अधिकारी होकर के कम्पनी के माल का नमूना लेकर कम्पनी में भेजें। हमें यह शिकायत नहीं है कि कम्पनी का माल गलत आता है। सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह है कि बाजार से जो जला हुआ तेल लाते हैं उसको रिफाइन करके पेट्रोल पम्पों पर रखते हैं। किसान उस तेल को ले जाकर के अपनी मशीनों के अन्दर डालें। इतने महंगा तेल इतना ज्यादा पैसा देकर के खरीदें। फिर ट्रैक्टर के इन्जन या मशीन में डालकर खराब करें। उसके लिए हमारे नियम हैं, चाहे वह भारत सरकार के नियम बने हुए हों, चाहे राजस्थान सरकार के नियम हों। अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हम निश्चित तौर से किसानों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। यदि नियमों में संशोधन करना पड़े, अगर भारत सरकार से या राज्य सरकार से करना पड़े तो उसके लिए सरकार को निश्चित तौर पर कार्यवाही करनी चाहिये। भारत सरकार से भी आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क स्थापित करके भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए। जब हमारे प्रवर्तन अधिकारी और इन्सपेक्टर जाकर के उनसे रिपोर्ट लेते हैं तो उनके रिकार्ड्स देखे जायें। उनका यह जो गलत माल आता है, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर किसान शिकायत कर रहे हैं कि हमें घटिया किस्म का तेल दिया जाता है तो उसका हल करने के लिए कौन सक्षम है। आपने उनको लूटने की खुली छूट दे रखी है। कौन सा अधिकारी है जो सक्षम है।

तो, सभापति महोदय, यह एक बड़ा घोर अन्याय है। किसानों को इससे खुला

(श्री सूरजपाल सिंह)

घाटा हो रहा है। उनको इस प्रकार का घटिया आइल दें, श्रीमन्, जो आइल, घोल पहले 2 सौ रुपये में मिलता था, उसके 2 हजार रुपये कमाये हैं। जिसको अपने उत्पादन का, सही उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, उसके साथ अन्याय होता रहे तो यह किसान, जो देश अन्दर 80 प्रतिशत हैं के साथ में जबरदस्त धोखाधड़ी है। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे नियमों में किसी प्रकार का संशोधन करना पड़े, संशोधन किया जाय। हमारे जो भी प्रर्तवन अधिकारी हैं उनको यह अधिकार दिये जाने चाहिये कि इस तरह की सूचना मिलने पर तुरंत अविलम्ब उन पर कार्यवाही के लिये उनको सक्षम बनाया जाए यही मेरा निवेदन है।

श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा

(अनुपस्थित)

खाद्य मंत्री।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (खाद्य मंत्री): सभापति महोदय, जिस पैट्रोलियम के मामले में यहां पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया, उसके सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी वक्तव्य में कुछ बातें स्पष्ट की थी कि कोई भी प्रशासन कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहती कि वहां के निवासी सोने के भाव में पत्थर खरीदने की बात करनी पड़े या......

श्री सूरजपाल सिंह : यही हो रहा है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : हम नहीं चाहते। हो रहा होगा, मैं उससे मना नहीं करता।

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने कहा है, कोई सरकार नहीं चाहती है। किंतु जहां तक पैट्रोलियम प्राडक्ट्स का सवाल है, मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि यह हमारा विषय नहीं है कि यह केन्द्रीय विषय है और इसके लिये कुछ कानून बने हुए हैं नियम बने हुए हैं उनमें हमको वे अधिकार नहीं है जो अधिकार हमें चाहिये। इस सम्बन्ध में जो बैठक हुई थी उसका उल्लेख भी मैंने किया था और उसमें मैंने बताया था कि जो केन्द्रीय अधिकारी यहां आए थे वे भी इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि यदि हम इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकते हैं तो केवल पुलिस द्वारा ही कर सकते हैं और वह भी इस बात के बाद, सैम्पल लेने के बाद अगर उसमें एडल्ट्रेशन है तो एक्ट में नहीं, 420 में, 420 में चालान कर सकते हैं। इससे अधिक जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, आज की स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : लाइसेंस कैंसिल करने की अलग प्रक्रिया है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं. हमने कितने चालान किए। लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया से एडल्ट्रेशन एक्ट का सम्बन्ध नहीं है, किस तरह से रजिस्टर्स मेन्टेन करेंगे, किस तरह से लाइसेंस होगा, कितना उसका स्टॉक

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

होगा, कौन उसका स्टॉक दर्ज करेगा, ये सब प्रक्रियायें है। जिनमें लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है लेकिन एडल्ट्रेशन के मामले में हमें लाइसेंस निरस्त करने का या उसमें कुछ करने का अधिकार नहीं है। आज की स्थिति में तो सारी सैम्पलिंग करने के बाद में चैक करने की दृष्टि से भारतीय पैट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय तेल निगम, फरीदाबाद (दिल्ली), पैट्रोलियम कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन बोम्बे, ये ऐसे संस्थान हैं जिनको सैम्पल लेकर भेजा जा सकता है और वहीं उसकी जांच होने के बाद में अपने तरीके से काम करेंगे।

पुलिस भी यदि नमूना लेगी तो इन्हीं संस्थानों में जायेंगे, वहां से जांच पड़ताल होने के बाद यदि एडल्ट्रेशन प्रूव होता है तभी दफा 420 आई.पी.सी. में चालान हो सकता है। इसके अतिरिक्त कहीं चालान नहीं कर सकते, यह स्थिति साफ है।

जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, उसने समय समय पर काफी पत्र जिलाधीशों को लिखे हैं। यह सही है कि जो जिलाधीशों की ओर से इस संबंध में तत्परता बरतनी चाहिये थी, वह नहीं हुई है। बाकी मैं बता दूं 9-11-78, 16-2-79, 7-6-79, 11-6-80 व 17-6-80, ये पांचों पत्र जिलाधीशों को राज्य सरकार ने कार्यवाही करने के लिए लिखे हैं। यह सही है कि इसके बाद जिलाधीशों की ओर से कोई एक्शन नहीं हुआ जिससे हमको लगे कि कुछ हुआ। 1978 से बराबर चल रहा है। इसके बाद जैसा मैंने कहा, इस सारी कार्यवाही के बाद भी हम यह जरूर चाहते हैं कि इस संबंध में कुछ सक्रियता बरतें और उस आधार पर जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, करीब 57 केसेज न्यायालयों में एक जनवरी से 30 जून तक पेश किए गए और 305 केसेज डिपार्टमेंटल कार्यवाही के अन्तर्गत एक जनवरी से 30 जून तक बने हैं और यह लाइसेंसिंग उसी के अन्तर्गत बनी है और उसका अर्थ भी केवल एक ही है कि किसी न किसी तरीके से कोई चेक्स एण्ड बैलेन्सेज बने हुए हैं जिसके कारण सारी स्थितियां हुई। माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है यह वास्तव में एक बड़ी गंभीर है, राज्य सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी, इस संबंध में शीघ्र कोई निर्णय करेगी, मुझे नये शब्दों का कोष तलाश करना पड़ेगा, नये शब्दों को ढूंढना पड़ेगा और मेरा खयाल है कि दूसरे सत्र में जब हम मिलेंगे तो शायद नई शब्दावली के साथ बातचीत करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ किया जा सकता है, हम कर रहे हैं, हमने पत्र लिखे हैं, बैठक हुई है, इस बात के प्रयत्न हैं कि राज्य सरकार को इस संबंध में कुछ अधिकार मिलें। जैसा मैंने कहा भारतीय तेल निगम का प्रश्न है, भारतीय तेल निगम अपने कानूनों और नियमों से चलता है। हमारा एडल्ट्रेशन कानून इस पर लागू नहीं होता। हमारा पैट्रोल या डीजल कानून इस पर लागू नहीं होता, हमारे हाथ में इस समय और चारा नहीं है सिवाय आई. पी. सी. 420 में चालान करने के। उसके लिए जिलाधीशों को गए साल हमने 5-6 बार लिखा है लेकिन उनको जितनी तत्परता बरतनी चाहिए थी वह नहीं बरती गई, यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं, इतना ही कहा जा सकता है और

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इस संबंध में और कोई सतर्कता बरतें, यह हमारे हाथ में नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आपकी पुलिस को चैक करने के अधिकार हों, उनको 420 के तहत मुकदमा दर्ज करने का अधिकार देने के लिए आप जिलाधीशों या पुलिस को आदेश देंगे ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : पुलिस को अधिकार है, वह सेम्पल चैकिंग के लिए जिन प्रतिष्ठानों के मैंने नाम लिये हैं वहीं एनेलेसिस के लिए भेजने पड़ेंगे, वहां से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आइ. पी. सी. के अन्दर कोई चालान कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री सूरज पाल सिंह !

श्री सूरजपाल सिंह : मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि जला हुआ आइल 30–40 पैसे प्रति लीटर में खरीद करके काम में लेते हैं। आप पेट्रोल पम्प वालों को चैक नहीं करते, पेट्रोल पम्प वाले आपके कन्ट्रोल में नहीं परन्तु प्रवृत्ति राजस्थान में ऐसी बन रही है हर शहर में रिफाइन करने के कारखाने खुल रहे हैं आप उनको नहीं पकड़ सकते, चोर को नहीं तो उसकी मां को पकड़िये तो चोर ही नहीं रहेगा, जोधपुर में जगह-जगह रिफाइनरीज खुल रही हैं, वहां से पैट्रोल पम्प्स पर जाता है, आप उनको पकड़िए जहां यह रिफाइन होता है, जहां से जाकर पेट्रोल पम्प पर बिकता है। वहां पर उनको चैक करने की व्यवस्था होगी, अगर नहीं पहुंचेगा जो जला हुआ तेल है पैट्रोल पम्प पर नहीं पहुंचने दें, क्या आप तत्परता से कार्यवाही करेंगे ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। गलत माल पहुंचेगा ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं। तो क्या इस विषय में आप कुछ करेंगे ? आप चाहें तो आपके सामने लाकर रख दें? जोधपुर में आपके बम्बई मोटर्स के पास में यह कारखाना बना हुआ है। उनको चैक करवाइए जो पैट्रोल पम्प पर जाकर बेचते हैं ताकि किसानों का गला नहीं घुटे। उसको गंभीरता से लिया जाए, किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, किसानों की बरबादी हो रही है, आपको इस विषय में गंभीरता से तत्परता से विचार करना पड़ेगा रिफाइन होने का धंधा डवलप हो रहा है, पूरी स्टेट में यह धंधा डवलप हो रहा है इसमें न रसायनशाला का काम न और कोई काम है। आपका सप्लाई डिपार्टमेंट या जो सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देश दें ताकि रिफाइनरीज के धंधे को चैक करें।

श्री सभापति : श्री शिवराम !

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क, जयपुर): सभापति महोदय, यह धंधा आयल कंपनीज का मेरे क्षेत्र जो 22 गोदाम में है, मैं भी हो रहा है। इस तरह का माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है यह सही है लेकिन मैं इतना सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकूंगा कि शायद ही और कोई करेगा। सभापति महोदय, जयपुर में जला हुआ तैल रिफाइन करके बेचने का धंधा बड़े व्यापक स्केल पर चल रहा है। यह तेल रोडवेज की बसों का जला हुआ, मिलिटरी गाड़ियोंका जला हुआ तेल होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का जला हुआ तेल होता है। तैल को कुछ लोग मिलकर खरीद लेते हैं उसके बाद उस तेल में जो कचरा होता है उसको जलाते हैं।

श्री सभापति : वह तो कह दिया कि रिफाइन करते हैं।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपको बताऊंगा इस सम्बन्ध में कि उस तेल को तिजाब व सोड़ा से साफ किया जाता है।

(व्यवधान)

हां, मैं अधिक जानकारी रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको विस्तृत जानकारी है पर आप संक्षेप में कहें।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, उसको तिजाब और सोड़ा एश से साफ किया जाता है। बाद में जो खाली पीपियां 2-2 रुपये में मिलती हैं उनको 10-10 रुपये में खरीद कर व्यापारी लोग लेते हैं और बाद में जलाये हुए तेल को उन पीपियों में डाकर सील करके, सभापति महोदय, नकली सील लगाकर बाजार में बेच देते हैं। सभापति महोदय, यह पैट्रोल पम्प को जो कि कुल आठ दस रुपये में उन व्यापारियों से घर में पड़ता है उसको वह 50-60 रुपये में बेच देते हैं। सभापति महोदय, यह वही तेल है जो कि सरकारी गाड़ियों में काम आ रहा, है दूसरे जो बेचारे अनभिज्ञ लोग हैं वह आई. जी. सीपी की सील और भारत पेट्रोलियम की सील देखकर उसको खरीद लेते हैं। आज इस प्रकार का तेल यहां पर भारी मात्रा में बेचा जा रहा है। सभापति महोदय यह तेल तिजाब से साफ किया हुआ होता है। इस तेल में ज्यादा ल्यूब्रीकेटर नहीं होता है। वह तेल तिजाब की वजह से रूखा हो जाता है उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आज बसों और ट्रकों के इंजन क्यों जल्दी बैठ जाते हैं। आज जिस इंजन की उम्र चार साल की होती है वह छः महीने की हो जाती है उसकी लाइफ खतम हो जाती है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे राजस्थान की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है, राजस्थान सरकार की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है और हमारे राजस्थान वासियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिये मैं आज आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेन्ट खोलें और इसके लिए एक अलग से बोडी की स्थापना की जावे ताकि आज जो राजस्थान के लोगों की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है वह समाप्त किया जा सके। आज यही कारण है, सभापति महोदय, ट्रकों के अन्दर 20-30 हजार का ब्लैक चल रहा है और लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहे हैं। जो ट्रक के इंजन तीन-चार साल तक चलने चाहिये वह साल भर में ही खतम हो जाती है। आज जनता के सामने बहुत भारी प्रोब्लम है, ट्रान्सपोर्टेशन की प्रोब्लम है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए अलग से डिपार्टमेन्ट खोला जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

(132)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका कोई प्रस्ताव नहीं था इस पर। यह तो आसन ने उदारता बरती है जिससे आपको समय मिल गया है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको समय दिया ही जावे।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, डीजल और कैरोसिन हमेशा सर्दी में ज्यादा खर्च होता है। गर्मी और बरसात में डीजल और कैरोसिन की कम खपत होती है। अभी थोड़े समय पहले भारत सरकार ने डीजल की रेट बढ़ा दी और कैरोसिन की रेट कम रखी है। आज यह हो रहा है कि डीजल में कैरोसिन मिलाया जा रहा है। आज यही कारण है कि गाड़ियों में गड़बड़ी हो रही है। पहले भी भारत सरकार ने कैरोसिन की रेट डीजल के बराबर कर दी थी जिससे यह गड़बड़ी नहीं होती थी। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है, भारत सरकार को दुबारा पत्र इस बारे में लिखा जावे कि डीजल और कैरोसिन की रेट वापस बराबर की जावे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980

विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक। राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980। श्री जगन्नाथ पहाड़िया प्रभारी मन्त्री।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति : डाक्टर हरिसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

(अनुपस्थित)

श्री हजारीलाल शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी !

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मुझे पाइन्ट आफ आर्डर उठाना है, सभापति महोदय। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : आप रूल 61 देखिये। पेज 24 पढ़ कर बताता हूं।

श्री सभापति : रूल 61, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : जी हां। रूल 61 मैं पढ़ कर सुनाता हूं। फाइनेन्शियल मैमोरेन्डम नहीं है इसमें यह। फाइनेन्स

(श्री राज बहादुर)

बिल है। इसको मैं सुना देता हूं इसमें लिखा है। रूल 61 इस प्रकार है–

"61. Financial memorandum and money clauses :–

1. A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and nonrecurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

2. Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in thick type or in italics :

यह बिल एसेन्सियली फ़ाइनेन्स बिल है। इसमें कुछ रकमें छोड़ी जा रही हैं, कुछ आमदनी बढ़ाई जा रही है, कुछ आमदनी कम की जा रही है। यह डेफिनेटली फाइनेन्स बिल है इसमें फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम होना चाहिए। मैंने पूरा देखा लेकिन मुझे कहीं भी फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नजर नहीं आया।

श्री सभापति: Bills involving financial expenditure:...

श्री राजबहादुर: Expenditure does not guarantee ...

श्री सभापति : माननीय सदस्यों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप इसको देखें। इसमें है A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention यह है। आप इसका अध्ययन करके देखें।

श्री राजबहादुर : मैं अध्ययन करके ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : Where is the expenditure involved in it.

श्री राजबहादुर : Expenditure is from the consolidated fund of the State.

स्टेट फन्ड के ऊपर असर पड़ता है। एक्सपेन्डीचर आप मन्जूर करने जा रहे हैं

To promote and provide. इस केस में You are leaving the income. Can you leave? The income without incurring same corresponding expenditure. You shall have to present the bill accompanied by brief financial memorandum.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल कन्सीडरेशन में है इसमें खर्च निहित नहीं है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम हो मेरी जानकारी में है कि ऐसा पूर्व में भी हुआ है। इसलिए आवश्यक नहीं है। माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री राजबहादुर : इसमें बहुत बड़ा खर्चा है। इसमें कई प्रश्न विचाराधीन है। यह एक्सपेन्डीचर की बात है।

श्री सभापति : आपने जो एक्सपेन्डीचर की बात कही, इसमें तो कन्सेसन है ही।

एक माननीय सदस्य : आप रूल 51 पढ़ कर देख लें। इसमें रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्पेन्डीचर, दोनों, का ही दिया है।

श्री सभापति : Any way इसमें माननीय सदस्य रेवेन्यू का और एक्सपेन्डीचर दोनों ही ले लिये है। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में संशोधन के साथ जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया है इस पर मेरा संशोधन प्रस्ताव है। 'राजस्थान विक्रय कर (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को सात दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।" जनमत जानने के लिये सात दिन के लिये प्रसारित किया जाय ताकि सभी प्रकार के विचार विभिन्न प्रकार, क्षेत्रों के लोगों की जनमत के हिसाब से मिल सके और इस विधेयक पर इसके बाद सम्पूर्ण रुप से विचार किया जा सके। सभापति महोदय, इस संशोधन बिल में कुछ ओफिसियल अमेन्डमेन्ट भी किये जायेंगे जो कि मुख्य मन्त्री जो क्लोजेज पर आयेंगे तब करेंगे। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसमें आफिशियल अमेन्डमेन्ट आने वाला है तो उसको पढ़ने के लिये हमारे पास कोई समय नहीं है। 24 घन्टे का समय हमें मिलना चाहिये था। राज्य सरकार की ओर से अमेन्डमेन्ट आयेंगे उन पर हम हमारे एमेन्डमेन्ड देते लेकिन हमें अमेन्डमेन्ट देने का अवसर नहीं मिल सका। आज प्रातःकाल ही सारे आफिशियल अमेन्डमेन्ट हमारे पास आये हैं। इस कारण से इतने कम समय में, 24 घंटे का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता सारे माननीय सदस्य इस पर पूरा विचार कर सकें, अपना दृष्टिकोण रख सकें यह किसी भी दृष्टि से सम्भव नहीं है। जब आफिशियल अमेन्डमेन्ट आज प्रातःकाल ही आये हैं तो वह इस बात की पुष्टि करते कि आफिशियल संशोधन आये हैं, अभी तो राज्य सरकार ही उनके ऊपर बहुत विचार विमर्श कर रही है। सरकार स्वयं इस ऊहापोह में है कि जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें कमियां हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए उनकी ओर से आफिशियल अमेन्डमेन्ट्स आये हैं, मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का विषय पहले ही काम्पलीकेटेड है, टैक्निकल विषय है, राजस्थान सरकार स्वयं ऊहापोह में है, स्वयं इस बात पर पूरा विचार करने की दृष्टि में नहीं है। मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है वह भी कितनी उलझन करने वाला है। इस अमेन्डमेन्ट बिल के ऊपर सब क्षेत्रों में विचार हो इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना अतिआवश्यक होगा।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सभापति महोदय, इस अमेन्डमेन्ट बिल को आप देखेंगे तो जो इसमें पर्चेज टैक्स की परिभाषा दी गयी है उस परिभाषा को बदलने की प्रक्रिया, उसमें कुछ संशोधन करने की प्रक्रिया इस संशोधन बिल में प्रस्तुत की गयी है।

श्री राजबहादुर : आज यह कब मिला ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रातःकाल ही।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, मुझे भी अमेन्डमेन्ट की इस समय तक कापी नहीं मिली है और अभी आपसे ली है। 24 घंटे का समय तो अनिवार्य है।

एक माननीय सदस्य : आप घर नहीं मिले होंगे।

श्री सभापति : मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा। आप जारी रखिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, बड़ी प्रसन्नता हुई जब इस संशोधन बिल के आधार पर यह बात कही कि एक प्रतिशत की छूट पर्चेज टैक्स में देने की व्यवस्था की जा रही है। किन्तु यह जो आज अमेन्डमेन्ट आया और इस अमेन्डमेन्ट बिल में इस बात की व्याख्या की गयी है कि सरकार किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा इस बात को ज़ाहिर करेगी कि कौन मैनुफैक्चरार है और कौन मैनुफैक्चरर नहीं है। बड़े कष्ट और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सारे संशोधन बिल के प्रति भी आस्था समाप्त हो जायेगी। सरकार कितनी बड़ी पावर्स अपने हाथ में ले रही है, कितनी बड़ी शक्ति अर्जित कर रही है। किसी से नाराजगी हो गयी, किसी विशिष्ट ग्रुप से, मैनुफैक्चरर के वर्ग से अप्रसन्नता हो गयी, अब कैसी कैसी अप्रसन्नता हो जाती है राज्य करने वालों को उसका मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं ..

एक माननीय सदस्य : आपको अनुभव है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, अनुभव है लेकिन उस समय हमने ऐसा संशोधन नहीं किया। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भस्मासुर जैसी बड़ी प्रवृत्ति इस मैनुफैक्चरर की परिभाषा में करने की प्रवृत्ति जागृत हुई, जिसके सिर पर हाथ रखो वही भस्म ...

एक माननीय सदस्य : यह विद्या आपके पास ही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ....सिम्पल नोटिफिकेशन के द्वारा कहीं विधान सभा को पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं राजस्थान के चुने हुए विधायकों को कान्फीडेन्स में लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसके प्रति थोड़ी सी नाराजगी पैदा हो सकती है, उसी का नुकसान हो सकता है। इसी कारण से मैंने इस बिल को जनमत जानने की इच्छा प्रकट की है।

मैनुफैक्चरार की परिभाषा में इतना बड़ा अधिकार इस संशोधन विधेयक के द्वारा राज्य सरकार अपने हाथ में ले यह माननीय सभापति महोदय, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसमें और भी संशोधन किये गये हैं। 5 हजार रुपया प्रतिवर्ष है उसको बदल कर 10 हजार करने की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बात की गयी है। 1960 में मूल एक्ट जब आया था तब तो 5 हजार रुपया था और आज बढ़ोतरी होकर यह 10 हजार रुपया हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ क्लाजेज को देखने के बाद ऐसा लगता था कि सचमुच काफी बड़ी राहत इस के माध्यम से नयी इन्डस्ट्रीज को मिल जायेंगी क्लाज 4 को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। ऐसा लगा था कि सचमुच रामटीरियल खरीदने, माल बनाने और उस माल को विदेशों में ले जाकर विदेशी मुद्रा की कमाई करने का विचार किया गया तो पिछले वर्षों में उसको प्रोत्साहन देने की कुछ प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। जो मूल अमेन्डमेट आया था पहले नम्बर 4 क्लाज को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी जिसका एक दोवर्ष पहले संशोधन हुआ था और जिसमें बना हुआ माल विदेशों में ले जाकर वहां से अच्छी मुद्रा कमाकर लाई जा सकेगी उनको पर्चेज टैक्स में सचमुच वर्तमान सरकार द्वारा कन्सेशन दिया जा सकेगा मुझे बड़े कष्ट और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रातःकाल जो आफिशियल अमेन्डमेन्ट मिले हैं उनसे ऐसा लगता है पूर्नमुशकोभवे जैसी स्थिति आज है वह पहले वाली स्थिति आ गई। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ इस नाते से कहने की कोशिश करू। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूं आइल सीड्स का। तिलहन खरीदो, तेल उसका बनाओ शायद पहले यह स्थिति थी स्टेट में बेचो 4 पर्सेन्ट टैक्स पर्चेज के ऊपर उस समय लगता था। इन्टरस्टेट में 4 पर्सेन्ट लगता था, एक्सपेक्ट करो मूल विधेयक के समय था 4 पर्सेन्ट उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यह बिल आया है उसे घटाकर एक पर्सेन्ट हो सकता है जो अमेन्डमेन्ट था 4 पर्सेन्ट का था। जो आज प्रातःकाल अमेन्डमेन्ट मिला उससे न 1 पर्सेन्ट रहा न 4 पर्सेन्ट रहा उससे पहले वाली पुरानी स्थिति में पहुंच जायेंगे। जो पहले लिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति आज आफिशियल अमेन्डमेन्ट के द्वारा हो गई है। आज के आफिशियल अमेन्डमेन्ट होने के बाद मेरा तो कहना है कि शायद क्लाज नं० 4 का कोई मतलब नहीं। शायद यह कहने की कोशिश की गई है कि एक्सपोर्ट करने वाले जितने लोग है उनको फायदा होगा। आज के आफिशियल एमेंडमेंट के प्रस्ताव से सारी स्थिति धुमिल हो गई है। हम बहुत पुरानी स्थिति में आ गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, बजट में इस प्रकार की घोषणा की गई थी। बजट भाषण के पृष्ट 25 पर पैरा 42 में कहा गया है विभाग टायर कार्ड को कर योग्य मानता आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कर मुक्त ठहराया है। अतः अब तक किये गये कर निर्धारणों वसूलियों आदि को विधि मान्य किया जा रहा है और उसी भावना को लेकर इस संशोधन विधेयक में 11 वां और 12 वां क्लाज समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है यह बिल शायद 3, 10 दिन पहले प्राप्त हो गया था। आफिशियल अमेंडमेंट आज आये हैं। मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है। मैं कोटा का निवासी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से डी. सी. एम. से कर वसूल किया जाये। जब घोषणा हुई थी, बड़ी प्रसन्नता हुई थी।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्योंकि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आज तो आफिशियल अमेंडमेंट आया है उसमें थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की है। 10 दिन पहले जो मूल संशोधन विधेयक आया था लंगड़ा था। लंगड़ा तो यह भी है आफिशियल अमेंडमेंट समावेश करने के बाद। 10 दिन पहले जो बिल था इतना लंगड़ा था, मुझे तो शंका होती है आज से 10 दिन पहले इस संशोधन विधेयक को लाकर किस बात की राह देखी जा रही थी। मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात रेफरेन्स के रूप में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके सामने इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि सचमुच जो इस प्रकार के उद्योग हैं जिनसे इस प्रकार की वसूलियां की गई थी। आज से 10 दिन पहले जो संशोधन विधेयक दिया गया उसमें स्थिति क्या बनी थी? उसमें स्थिति यह थी कि कि हमारी कोई मन्शा नहीं थी कि सारी बात की वसूली हम कर सकें जो वसूली पहले हुई है उसको हम अपने पास में रख सकें। इसलिए मुझे शंका हुई उस पर लंगड़ा संशोधन लाये ऐसी कौनसी बात मन में थी यह मार्क आफ इन्ट्रोगेशन, प्रश्न वाचक चिन्ह, आपके सामने रखना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी स्पष्ट करें। थोड़ा सा मुलाहिजा करें, देखने की कोशिश करें 1980, वाल्यूम न० 17, करन्ट टैक्स रिपोर्टर, जुलाई 80 को, पेज 143 दिल्ली हाईकोर्ट वर्सेस डी. सी. एम.। कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स के बीच इस प्रकार का केस हुआ है जिसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।

"Donation made to the Congress Party by the assessee, a manufacturing unit, no direct link between the donation by the assessee and its business was established. Donation amount was not liable as business expenditure. Delhi Cloth & General Mills Co. Vs. C.I.T.

मैंने केवल आपके सामने रेफरेन्स दिया है। मुझे शंका है, 10 दिन पहले जो लंगड़ा बिल आया है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। यह संशोधन विधेयक लाने की कोशिश की, ऐसा लगता था कि 10 दिन में कुछ न कुछ बात हुई हो। क्या हुई हो यह प्रश्न वाचक स्थिति आपके सामने रखता हूं। 10 दिन में कोई बात नहीं हुई। आफिशियल अमेंडमेंट लाने की वात की गई। माननीय सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं यह जो अमेंडमेंट लाया गया है, यह बहुत ही लंगड़ा है, किसी भी दृष्टि से हमारे मने की इच्छा पूरी नहीं होगी। राजस्थान का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन न० एफ. 5 (47) ई/80 दिनांक 14-12-1957। सैन्ट्रल टैक्स 1950 जब निकला उसके आधार पर नोटिफिकेशन हुआ है। उसकी संख्या दे दी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। इस आधार को लेकर पार्टीज कोर्ट में जायेंगी। सुप्रीम कोर्ट में हम हार चुके हैं, फिर हारेंगे। लंगड़ा कानून है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पैसा वसूल नहीं होगा। वसूल होगा तो वापस करना पड़ेगा। यह कानून लंगड़ा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ताकि जनता की राय आ सके। विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया जा सके। आज प्रातःकाल अमेंडमेंट दिये हैं तो कहने का नहीं, सोचने का तो मौका दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि इस बिल को 7 दिन के लिए जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जाये।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 इस समय विचाराधीन है। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण का प्रश्न है, अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि एक्सपोर्ट की जाने वाली कुछ चीजों के मैनुफैक्चरिंग में कच्चा माल इस्तेमाल होता है उस पर छूट देंगे, उनके बजट भाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि टैक्सेबल टर्नओवर की लिमिट 5 हजार से 10 हजार बढ़ा दी जायगी, उनके अपने बजट भाषण इस बात का उल्लेख था कि टायर कार्ड को कर योग्य मानते आये हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के फलस्वरूप जो कुछ हमने असेसमेंट निर्धारित किये हैं, जो वसूलियां की हैं उनको विधि मान्य करने के लिये यह संशोधन लाये हैं। उस संशोधन का इस विधेयक के अन्दर इनकार्पोरेशन है।

मैं, सभापति महोदय, इस बिल के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा जहां इसके उद्देश्यों में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार इस संशोधन के जरिये, औद्योगिक विकास को उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना चाहती है और प्रोत्साहन देने के लिए इस विधेयक में उसका प्रावधान रखा भी है लेकिन इस विधेयक के क्लाज 4 जो वर्तमान में सदन के सामने है, में एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं प्रिंसीपल एक्ट के सैक्शन 5-सी को ध्यान में नहीं लाना चाहता लेकिन 1979 में हमने जो अमेंडमेन्ट किया था और अमेंडमेन्ट का परिणाम यह था कि जो कैपेसिटी थी, अब वह कैपेसिटी नहीं रह गयी, इस तरह का अमेंडमेन्ट पिछले साल किया था और उसके करने के बाद में जहां तक क्लाज 4 के अन्दर, 4 के बाद हम 5-सी में अमेंडमेन्ट करने जा रहे हैं उस अमेंडमैन्ट के अन्दर हम जो क्लाज ए को जोड़ने जा रहे हैं वह तो ठीक है जो कुछ भी माल का एक्सपोर्ट इण्डिया के बाहर होगा, उनको कुछ कन्सेशन दिया जायेगा, वह दिया जाना चाहिए लेकिन इस संशोधन के बाद कोई एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। सभापति महोदय मेरा ऐसा मानना है कि अप्रेल 79 में संशोधन जो 5-सी में किया गया, उसके पक्ष में इसको जोड़ा जाय। अन्ततोगत्वा इसका जो परिणाम होगा, वह यह होगा कि पावरलूम का जो छोटा उद्योग है, उसके लिए रा-मैटीरियल पर कन्सेशन है 5-सी में एक पर्सेन्ट का टैक्स है उस पर और जो टैक्स निर्धारित किया जाता है, सभापति महोदय, वह सेलसटैक्स एक्ट के सैक्शन 5 के अन्तर्गत होता है जब 5 के अन्तर्गत जो रेट फिक्स की है, वह मैग्जीमम 2 पर्सेन्ट है। इस एक्सप्लेनेशन के जोड़ने के बाद जो कन्सैशन एक पर्सेन्ट का पावरलूम उद्योग को था, कच्चे धागे के

(श्री परसराम मदेरणा)

ऊपर रा-मैटीरियल पर, वह समाप्त हो जायेगा और समाप्त होने से जो स्थिति खड़ी होगी वह यह होगी, सभापति महोदय, किशनगढ़ में और अन्य स्थानों में, खास तौर से किशनगढ़ में ये पावरलूम ज्यादा हैं, 5 हजार के आसपास पावरलूम हैं, पिछले 2-3 साल से पावरलूम को हम रेगुलराइज करते नहीं, अब हम 5-सी के अन्दर उनको नया उद्योग बना कर उनके कच्चे माल के ऊपर हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि पुराने उद्योग, जो बहुत छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिसमें 20 हजार के आस पास लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ जिन्होंने नये उद्योग के नाम से पिछले समय में अनआथोराइज तरीके से पावरलूम लगाये अब हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं और वह संशोधन हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, क्लाज 5 में। क्लाज 5 के अन्दर जिनको यह रियायत थी, 30 मार्च 1979 तक। रिट्रोस्पैक्टिव की जगह हम 31 मार्च 1984 कर रहे हैं। परन्तु इस प्रकार के जो उद्योग होंगे उनके कच्चे माल के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन रियायत लम्बे अरसे से, पिछले 20 साल से दी जा रही थी, वह रियायत समाप्त होने के बाद में इन छोटे उद्योग के लिए मुश्किल हो जायेगी। यह कम्पीट नहीं कर सकेंगे जब कम्पीट नहीं कर सकेंगे तो 8 पैसे से लेकर 10 पैसा प्रति मीटर के ऊपर इन दोनों प्रकार के पावर लूम इण्डस्ट्री जो इनकी है प्राइसेज के फर्क रहेगा प्राइसेज में फर्क रहने से असर बिक्री पर पड़ेगा, पुराने जो पावरलूम हैं उनको काफी धक्का लगेगा और उसका परिणाम होगा ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, वह लोग कम्पीट करेंगे और इस प्रकार की स्थिति खड़ी होगी, मैं समझता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन के अन्दर, है मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सप्लेनेशन की आखिरी तीन लाइन में जो वर्ड्स हैं

"retrospective effect by special provision of this Act."

एण्ड और फार लगाने की वजह से इसका परिणाम यह हुआ है कि जिस 5-3-1974 के नोटिफिकेशन से इसको संशोधित किया गया वह प्रिंसीपल एक्ट समाप्त हो रहा है और 5-3-74 के नोटिफिकेशन के समाप्त होने के बाद जो अब नोटिफिकेशन रहेगा, जो लागू होगा, वह नोटिफिकेशन 21 जून, 1979 का है और 21 जून 1979 के नोटिफिकेशन के तहत क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अन्दर इसको कवर कर लिया गया है। इसके रा-मैटीरियल के ऊपर सेल्सटैक्स लगेगा इसलिये मेरा आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें जो छोटे उद्योग लगे हुए हैं, इनका रा-मैटीरियल कच्चा धागा है, उस पर अभी कन्सेशनल रेट है 5-सी के अन्तर्गत एक पर्सेन्ट, क्या हम उसको दो पर्सेन्ट करना चाहते हैं अगर दो पर्सेन्ट हम करना चाहते हैं तो एक तरफ उसी प्रकार के पावरलूम के कच्चे माल को बिल्कुल कवर करने जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह होगा, नतीजा यह होगा कि जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वह समाप्त हो जायेंगे। इसमें मेरा निवेदन है,

(१४७)

(श्री परसराम मदेरणा)

इस पर विचार करें माननीय मुख्य मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री हैं यह एक्सप्लेनेशन उन लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात करेगा। यह छोटे उद्योग है उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया जा रहा है क्लाज 11 और 12 के अन्तर्गत और रिट्रोस्पेक्टिव भी इस प्रावधान को किया जा रहा है, जो हम करने जा रहे हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट रेयन टायर कोर्ड, जो फैब्रिक है एवं होगा यह फैब्रिक हैं या नहीं, इसका डिस्प्यूट पिछले 11 साल से चल रहा है डिस्प्यूट इस बात का है कि टायर कोई फैब्रिक है, जो कोटा में है, दो फैक्ट्री इसका उत्पादन करती हैं, एक तो श्रीराम और एक दूसरी फैक्ट्री हैं। यह जो प्रश्न यहां पर है, यह श्रीराम फैक्ट्री का है। अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्लाज 11 और 12 के अन्तर्गत जो डैफिनेशन है, टायर कोर्ड की या फैब्रिक की, उसको मुख्य मंत्री जी, जो प्रभारी मन्त्री हैं, ने एलोब्रेट किया है। यह एलोब्रेशन करने के लिए बनाया गया है। किसी बात का प्रश्न नहीं है। यह कानूनी मुद्दा है और इस सदन बेसिकली जब लैजिस्लेचर हैं और जब हम कानून बनाते हैं तो हम जुडिसियरी और बार का लाफिंग स्टोक नहीं बनना चाहते। इसका कानून को दृष्टिकोण से, या उस मन्शा से या किसी आरोप से लगाकर नहीं देखना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि जनता पार्टी की सरकार 78 में इसी प्रकार का प्रावधान इस सदन में लायी थी। इसी प्रकार वेंडिंग थे। जो वैलिडेटिंग बिल लाए थे, शायद आपको पता नहीं है, आप प्रभारी मंत्री नहीं थे इसलिए बिल लाने के बाद में 6 अप्रेल, 1978 को बिल को आपने विथड्रा किया था। मैं पूछ सकता हूं कि उस बिल को आपने विथड्रा क्यों किया? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपके और उनके बीच में बातचीत चल रही थी। मैं समझता हूं कि कोई बातचीत नहीं चल रही थी बल्कि मामला कोर्ट में पेंडिंग था और कोर्ट के डिसीजन का आप इन्तजार कर रहे थे। जब कोर्ट का डिसीजन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टायर कोर्ड फैब्रिक है और राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के शिड्यूल से एग्जेम्पटेड है और एग्जेम्पटेड है 1973 तक। मतलब यह है कि जिस नोटिफिकेशन को मैं पढ़ रहा था, जिसका उल्लेख कर रहा था, जैसे कच्चे धागे के लिए लागू होता है, वह इनके लिए भी लागू होता है। 5 मार्च, 73 का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यह दिया है कि 5-3-73 तक यह फैब्रिक था और टैक्स से एग्जेम्पटेड था। इस पर किसी प्रकार का टैक्स देय नहीं है। जो कुछ भी असेसिंग अथोरिटी ने साढ़े तीन साल का असेसमेंट किया है, 69-70, 70-71, 71-72 और बाकी 73 के कुछ महीनों का, इस तरह से साढ़े तीन साल के असेसमेंट का तीस लाख रुपया दिया नहीं है, हम इसको क्वेश करते हैं। जो असेसमेंट किया है वह टैक्स देने का प्रश्न नहीं है। आज हम जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, अगर टैक्स देय है, उसका असेसमेंट हुआ था और असेसमेंट को चैलेंज किया गया था, लेकिन आज अमेंडमेंट वह करने जा रहे हैं, जिस ईयर के अन्दर टैक्स का असेसमेंट भी

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं हुआ है हम जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं उसका रेलेवेंट क्लाज 11 है। क्लाज 11 के अन्दर हम शिड्यूल के अन्दर अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और शिड्यूल में अमेंडमेंट यह करने जा रहे हैं कि In the Schedule to the Principal Act, in column No. 2 to the entry against S. No. 18 as it existed during the period commencing on 6th March, 1964 and ending with the 4th March, 1973,

फोर्थ मार्च इसलिये लिखा कि फिफ्थ से यह नोटिफिकेशन निकला–

"....The following proviso shall, during the said period be deemed to have been added, namely...."

इसका मतलब है कि सरकार ने जो एन्ट्री शिड्यूल के अन्दर 6 मार्च, 1964 को की थी, 1965 में जो है, इस फेब्रिक का का उत्पादन शुरू हुआ। 65 से लेकर के 64-65 के साल का असेसमेन्ट हुआ। असेसिंग अथोरिटी का निर्णय यह था कि यह टेक्सेबल कमोडिटी नहीं है। 65-66 में भी इसी प्रकार का असेसमेन्ट करके निर्णय लिया गया। 66-67 में भी इसी प्रकार का निर्णय लिया गया और 67-68 के अन्दर भी इसी प्रकार का निर्णय दिया गया। 68-69 के असेसमेन्ट ईयर के अन्दर भी यही निर्णय दिया कि यह कमोडिटी टैक्सेबल नहीं है। यह असेसिंग अथोरिटी का निर्णय था। असेसमेन्ट किया नहीं है जिस पीरियड का, 64 से 69 तक पांच साल का, सभापति महोदय, असेसमेन्ट भी नहीं हुआ, क्या मैं यह पूछ सकता हूं, आपके मार्फत मुख्य मन्त्री जी से कि यह जो शिड्यूल में अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं, जो टैक्स आपने तीस लाख रुपये रियलाइज कर लिए 69 से 74 के बीच का, वेलिडेट करने जा रहे है या 64 से लेकर 69 के बीच टैक्स और भी असेसमेन्ट करने जा रहे हैं? अगर आप असेसमेन्ट करने जा रहे है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा लीगल फ्लो होगा। कोई भी शिड्यूल में अमेंडमेन्ट करके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं क्योंकि सैल्स टैक्स का बेसिक प्रिन्सिपल यह है कि इस सैल्स टैक्स की लायबिलिटी उसकी है, सैलर के ऊपर है जो अपनी लायबिलिटी को आगे शिफ्ट करता है कन्ज़्यूमर के ऊपर। अगर उसने टैक्स वसूल नहीं किया है, यह श्रीराम रैयन बराबर इस बात को कंटेस्ट करती रही है कि 1969 से उसका असेसमेन्ट हुआ 72 तक का, हमने टैक्स कंज़्यूमर से, पर्चेज़र से वसूल नहीं किया है, इसलिए यह टैक्स देय नहीं है। हमने लिया ही नहीं है, हमारे पास टैक्स नहीं है। 64 से लेकर 69 तक पांच साल के लिए असेसमेन्ट अथोरिटी ने भी यह माना है कि इन्होंने टैक्स वसूल नहीं किया है। असेसमेन्ट के अन्दर यह भी माना है कि यह एग्जेम्प्टेड आर्टिकल है, शिड्यूल के आइटम 18 के अन्तर्गत। फिर मैं यह मानता हूं कि अगर हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे क्योंकि 69 से 72 तक का वेलिडेटिंग बिल लाए हैं उस वेलिडेटिंग बिल के अंदर हमारा, गवर्नमेन्ट का स्टेण्ड बराबर यह रहा है कि यह टैक्स जो है, हालांकि इन्डस्ट्री यह कन्टेस्ट करती रही है कि हमने वसूल नहीं किया है लेकिन ... में

(श्री परसराम मदेरणा)

का कंटेस्टेंट हमेशा यह रहा है कि इन्होंने कंज्यूमर से वसूल किया है। कंज्यूमर से वसूल होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया। साढ़े तीन साल का जो भी असेसमेन्ट था यह कह कर क्वेश कर दिया कि 1973 में 5 मार्च तक यह एक्जेम्पटेड कमोडिटी था और इस प्रकार से सेल्स टेक्स लगाया नहीं जा सकता इसलिए असेसमेन्ट गलत हुआ है। उसी में आगे जा करके हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वेलिडेशन कर रहा है तो एक बार फिर 64 से असेसमेन्ट करने की बात कर रहे हैं उसमें जो भी लीगल ज्यायबिलिटी होगी, मेरा बिल थोड़ा बहुत लीगल साइडेड है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें अगर पार्टी ने कोर्ट में चैलेन्ज किया तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो असेसमेन्ट है, जिसको असेसिंग अथोरिटी ने किया और डी–नोवो करने जा रहे है वह स्ट्रक डाउन होगा, क्वेश होगा निश्चित तौर पर कोर्ट से। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जो संशोधन करने जा रहे हैं यह बात ठीक है कि आपने डेफिनेशन जो आज बदली है, इस डेफिनेशन बदलने के अन्दर कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट में जो टायर कोर्ड को फेब्रिक किया है, दुनियां भर का डिक्शनरी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जितने रेगुलेशन हैं, जितने भी सेन्ट्रल ट्रेड हैं और उसके अलावा जहां जहां पर भी टैक्स का डेफिनेशन दी हुई है उस सब का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेन्ट में बहुत साफ उल्लेख किया है जजमेंट को देख करके परिभाषा के दायरे में लाने के लिए, डेफिनेशन के अन्दर फेब्रिक ठीक तरीके से नहीं आ रहा उसको लाने में मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं हुई है। सौदेबाजी की बात आज कर रहे हैं, इस सदन में बोल रहा हूं तो श्री राम रैयन से सौदेबाजी की है? मैंने तो पानी का गिलास तक भी नहीं पिया। आज प्रश्न सौदेबाजी का नहीं है। आप किसी भी वक्त किसी पर भी चार्ज लगा दें कि यह सौदेबाजी की वजह से हो रहा है तो मुझे ऐसा दिखता है कि जब आपने विथड्रा किया था 1978 में इस बिल को तो आप दो साल तक क्या कर रहे थे? कुछ सौदेबाजी कर रहे थे। अगर आप सौदेबाजी नहीं कर रहे थे तो निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहां हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम कानून बनाने जा रहे हैं। बेसिकली हम लेजिस्लेचर हैं, हमें कानून बनाने के लिए यहां पर मतदाताओं ने भेजा है। हमें मेंडेट किया है। कोई भी कानून हम बनायें तो हमें सोच समझ कर कानून बनाना चाहिये। मेरी ऐसी राय है कि आप जो शिड्यूल में अमेन्डमेन्ट रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहते हैं वह लीगली इम्प्रोपर दिखता है। इसका प्रभाव यह होगा कि अगर कोर्ट में चैलेंज हुआ तो निश्चित तौर पर क्वेश होगा इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से कि बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आज पावरलूम, पहले और पुराने वालों, के बीच में इस क्लाज 4 के एक्सप्लेनेशन से हो गया है, इससे छोटे उद्योगों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है जिन छोटे उद्योगों को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर एक्सप्लेनेशन के हेडिंग के अन्दर जो एण्ड लगाया

(श्री परसराम मदेरणा)

है और वाई और लगाया है, इन दोनों का परिणाम यह होगा कि ग्राज कंसेशनल रेट पर जो रा मैटीरियल मिल रहा है वह नहीं मिल करके दो पर्सेन्ट के ऊपर रा-मैटीरियल लेना पड़ेगा। वे कोम्पीट नहीं कर सकेंगे। यह उनके साथ कम्पीटिशन नहीं है। तो मिल पर जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लेते हैं उन पर टैक्स नहीं लग रहा है बल्कि उनसे भी नीचे की कैटेगरी में ये लोग आ जायेंगे। वे निश्चित तौर पर उनके साथ कम्पीटिशन करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। छोटे उद्योगों को इस तरह से सैट बैक नहीं लगे, इसलिए इस बिल के उद्देश्य और कारणों के विवरण में जो इस बात का उल्लेख किया है कि जो कुछ भी अमेंडमेंट ला रहे हैं यह राजस्थान के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए है लेकिन यह क्लाज 4 का जो एक्सप्लेनेशन है, यह उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। उद्योगों को, जो है, काफी सैट बैक देने वाला है इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और एक्सप्लेनेशन में रिडन्डेंट, ओवर कॉशसली जिन वर्ड्स को डाला गया है उसको डिलीट किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री बृज सुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अभी-अभी माननीय परसरामजी ने जो विचार प्रकट किये उसके सम्बन्ध में मैं सहमति प्रकट करते हुए एक बहुत बड़ी कानूनी खामी जो इस बिल में है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोई भी टैक्सेशन बिल, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो सकता है। विशेष कर ऐसे मामले में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के असर को मिटाने के लिए अगर कोई अमेण्डमेन्ट लाया जाय तो उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा यह स्वयं मुख्य मंत्री महोदय ने ऑब्जेक्ट और रीजन्स में कहा है :—

"The concessions proposed in the present Bill are by way of providing facilities to new industries to purchase raw material without payment of tax for a period of five years. To achieve this object, amendment in section 5C is proposed. Another amendment has been proposed under section 5C whereby concession in the rate of tax on purchase of raw material which was formerly not available for goods meant to be exported out of the country is propsed in section A..."

"The definition of the word 'Manufacture' was preseting some difficulties to the trade and Industry and to meet this difficulty, section 2 (k) is proposed to be amended. A new section .C is sought to be inserted.

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)

to provide for a bar against collection of tax when the same is not payable."

सरकार यह मानती है कि इस बिल के जरिए उस कलेक्शन को वैध माना है जो कलेक्शन कर लिया गया है। यह वाजिब बात है। जो कलेक्शन कर लिया जाए तो जिस रूप में उसका कलेक्शन हुआ, जिस दिन से कलेक्ट हुआ हम नहीं चाहते हैं कि वह किसी एक व्यक्ति के पास रहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो कलेक्शन नही किया गया, उसके बारे में क्या होगा। जो कलेक्शन हुआ नहीं उसको आप यह कहते हैं हमें तो इस तारीख से दो, चाहे तुमने कलेक्शन किया हो या नहीं किया हो। तो यह बात रीजनेबल नहीं मालूम, पड़ती है और न कानून ही मैं समझता हूं, सहमति रखता है। पहला क्लाज जो आपने बनाया है उसमें एग्जेम्शन है।........

"All cotton fabrics, rayon or artificial silk fabrics woollen fabrics, sugar and tobacco, as defined in the additional duties of Excise (Goods of special importance) Act, 1957 (Central Act 58 of 1957).

यह एग्जम्पशन हमेशा लागू रहा। बाद में समझ आई कि इसमें अमेन्डमेन्ट करना चाहिये। डिपार्टमेन्ट ने यह महसूस किया यह टैक्स लागू नहीं है। कई सालों से यह एग्जेम्पशन में आ रहा है। 1973 में डिपार्टमेन्ट के यह समझ में आई गवर्नमेन्ट के यह समझ में आया कि वास्तव में यह जो चीज है उसको एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिये। 1973 में राजस्थान गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला, और यह आर्डर निकाल कर के इसको टेक्सेशन में ला दिया। अब टैक्सेशन बिल बना 1973 में। 1973 से ही इसका कलेक्शन हुआ। इस अवधि का आप ले लें जो टेक्स आपका बनता है लेकिन 1973 से पहले, उस पीरियड में तो आपने इसको टैक्सेबल नहीं माना है, एग्जम्पटेड माना है। उसके बाद दूसरे पीरियड में यह विचार हुआ कि हमको टेक्सेबल मानेंगे। और मान लिया गया। मामला कोर्ट में गया कोर्ट ने यह कहा कि यह फेब्रिक है इसलिये एग्जम्पशन में आता है। राजस्थान हाई कोर्ट में मैं इस केस को परस्यू करता रहा हूं। राजस्थान हाई-कोर्ट ने कहा कि यह फेब्रिक नहीं है। उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। दो तीन महीने पहले यह डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं जिस मैटीरियल से टायर कोर्ड बनते है वह फेब्रिक है इसलिए वह टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट के बाद, 1973 से आपने इसको लागू कर दिया, 1973 से आप इसको वसूल कर सकते हैं परन्तु 1973 से पहले कब तक का टैक्स आप कलेक्ट करेंगे। अगर यह टैक्स नहीं लिया गया तो आप उसको वेलिडेट नहीं कर सकते है। रिट्रास्पेक्टिव डेट से यह टैक्स नहीं लागू हो सकता। That has been exempted by the court. जिस पीरियड का टैक्स नहीं लिया गया है उस पीरियड का टैक्स वेलिडेट कर देते

(श्री बृज सुंदर शर्मा)

हैं जैसा माननीय परसरामजी ने कहा तो यह अल्ट्रावायर्स है। आपको पावर्स नहीं हैं। जिस तारीख को आपने लागू किया है, जिस तारीख से कलेक्शन किया गया है या उसके पहले से करते हैं, पार्टी ने कोई कलेक्शन किया है, पता नहीं कितना कलेक्शन हुआ या नहीं लेकिन जो आपकी मंशा है, अगर पार्टीज ने कलेक्ट कर लिया है, सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया है तो आप उसको कह सकते हैं हम इस तारीख से वेलिडेट करते हैं। यह कलेक्शन उस अमेण्डमेन्ट के जरिए वेलिड माना जाएगा। अगर कलेक्शन नहीं किया गया है तो इन वेलिड। इसकी पावर आपको नहीं है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेन्ट की राय इसमें लेनी चाहिए। मैंने आम तौर पर देखा है कि पिछले कई सालों से हम लोग हरिडली लेजिस्लेशन को पास कर देते हैं। आज भी बहुत जल्दी में हैं। सवा छः बजे इसकी टर्न आयी है और हम जल्दी से इसको पास करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां एडवोकेट जनरल को बुला कर उनको सुना जाए। यह हमारा प्रश्न है, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से आप वेलिडेट नहीं कर सकते हैं। यह इम्पार्टेन्ट लीगल मैटर है जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इसकी डेफीनेशन को आप बदल दें लेकिन रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से इस चीज को करेंगे तो इसमें कानूनी खामी रह जाएगी। यह चेलेन्ज होगा और फिर जाकर के अच्छा नहीं लगेगा। आप एक लेजिस्लेशन को पास कर दे, उसके बाद वह कोर्ट में जाकर चैलेन्ज हो और आप वहां सुनवाई के लिए जाएं तो यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में यदि एडवोकेट जनरल की राय आपके पास हो, हो सकता है कि वह मेरी राय से डिफर करती हो। निश्चित तौर से मेरी राय में यह लीगल प्रश्न है और जो मैं समझ पाया हूं इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना अल्ट्रावायर्स है, beyond the power of legislature है। इसे अनकान्स्टीट्यूशनल करार दिया जा सकता है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें और विचार करने के बाद जो वसूल नहीं किया गया, उसकी वसूली करने का प्रावधान किया गया है, उस पर विचार करें।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर !

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : माननीय सभापति, मैं दो तीन वैधानिक प्रश्न और आपत्तियां इस बिल के बारे में पेश करना चाहता हूं, जो मुझे मौलिक लगती हैं, मौलिक रूप में बाधक लगती हैं। मुझे आप अनुमति देंगे कि मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। क्लाज दो के जरिए यह जो डेफिनेशन है अब तक वह बदली गई है जैसा कि हमारे मित्र ने यहां पर बताया है।

2 (k) 'manufacturer includes any process or manner of producing, collecting, extracting preparing or making any goods."

"But does not include such manufacturers, or manu-

(श्री राज बहादुर)

facturing process as may be notified by the State Government."

पहले यह डेफिनेशन अनक्वालिफाइड थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब एक डिफरेंट क्लाज डाल कर इसे नैरो किया जा रहा है। यह एडीशन इसमें है–

"but does not include such manufacturers or manufacturing processes as may be notified by the State Government".

Now this can be arbitrary.

इसके लिए कोई रूल्स नहीं है लेकिन यह क्लियर है, जिसे कंसीड किया जा रहा है, माना जा रहा है कि हो सकता है, राज्य सरकार तय कर ले कि यह सामान मेन्यूफेक्चरिंग गुड्स में नहीं लिया आयेगा –

"but does not include such manufacturers, or manufacturing processes as may be notified by the State Government."

2(K)as may be notified एक उद्देश्य आपको मिलेगा क्लाज 5 (2) के प्रोविजो में –

"Provided further that the State Government may at any time, by notification in the official Gazette order that a notified industry shall cease to be as such from such date as may be specified and thereupon the registered dealer who has commissioned such industry shall not be entitled to remission of tax under the provisions of this sub-section."

यह भी हो गया कि कुछ ऐसी भी केटेगरीज हो सकती हैं जिन पर इंपोज करें या अबालिश करें, रेगुलेट करें या रेमीशन करें। दूसरे केटेगरीज जैसा बृजसुन्दरजी, मदेरणाजी ने चर्चा की. मैं किसी पर्सनल केस में नहीं जा रहा मैं कह रहा हूं बिल ऐसा है जिसमें कुछ केटेगरीज: जिनमें इंपोजीशन हो रहा है इसलिये यह क्लीयर मनी बिल की तारीफ में आता है। डेफिनेशन मनी बिल की है –"For the purposes of this Chapter a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. namely: –(a) the imposition, abolition, remission, alteration of any tax.'

जो भी टैक्स इंपोज करेंगे, रेमीशन करेंगे, रेगुलेराइज करेंगे, इसमें मनी बिल आ जाता है। I don't want to give further arguments.

अब मनी बिल के बारे में क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 207 क्लियर बताता है-

(श्री राज बहादुर)

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199...."

मैंने जो अभी पढ़ा आपके सामने वह 199 था । क्लाज 1 (ए) में है :

"....shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor...."

मुझे तो मालूम नहीं गवर्नर साहब की रिकमण्डेशंस हैं :

"....shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor...."

तो यह बिल बिना गवर्नर साहब की रिकमण्डेशन के मूव नहीं हो सकता । यह मैं अर्ज करूंगा यह वास्तविकता है ।

श्री सभापति : मैं आपको सूचित कर दूं, माननीय सदस्य, गवर्नर साहब की रिकमण्डेशन हो गई है । यह आवश्यक नहीं है कि उसे मैम्बर्स को सर्कुलेट किया जाय ।

श्री राज बहादुर : यह कैसे ?

श्री सभापति : It is not necessary that it should be circulated amongst the Members. It has been received.

श्री राज बहादुर : आप की व्यवस्था ..

श्री सभापति : गलत व्यवस्था कभी आसन नहीं देगा । आसन गलत व्यवस्था कैसे दे सकता है ? क्या मैं इस सदन को गुमराह करना चाहूंगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवाल ही नहीं साहब ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह मैम्बर्स को भी सर्कुलेट हुआ है, गजट में नोटिफिकेशन भी निकला है इसलिये आपका पोइन्ट निराधार तो नहीं कहूंगा, ठीक नहीं है ।

श्री राज बहादुर : बिल के साथ तो नहीं था ।

श्री सभापति: Please continue: आप जारी रखें, कृपया दूसरे पाइन्ट्स पर जारी रखें ।

श्री राजबहादुर : मैं देखना चाहता हूं ।

श्री सभापति : तो आप स्थान ग्रहण करें । कोई व्यवस्था है नहीं । आपने आग्रह किया है कि देखना चाहूंगा । आप स्थान ग्रहण करें । मैं पत्रावली आपके पास भिजवाये देता हूं बाकी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि यहीं से दिखा दूं ।

श्री राजबहादुर : मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा । मैं कोई कारण नहीं देखता कि जब बिल सर्कुलेट हुआ है उसमें जैसे सी. एम. का नोट दिया गया है वैसे गवर्नर का क्यों नहीं है । इसमें लगा देते तो क्या आपत्ति थी, जिससे हम मुगालते में नहीं पड़ते और सदन का समय

(श्री राजबहादुर)

जाया न हो। दूसरी चीज, 286 आर्टिकल टैक्सेज के बारे में, है इसमें पहले पेज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1969 में सेंट्रल एक्ट हुआ था जिसके जरिये तय हुआ था जिसका हवाला मदेरणाजी और बृजसुन्दरजी ने दिया। वह यह कि जब किसी पार्टी ने टैक्सेज कलेक्ट नहीं किये तो उनसे किसी प्रकार से वह टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता जो एग्जेम्पशन मिले उनको देखते हुए इस बिल में आपत्ति है वह यह कि--

"Any law of a State shall, in so far as it imposes or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase...."

यह आर्टिकल 286 (3) है।

"... of goods declared by Parliament by law to be of special importance in Inter-State trade or commerce...."

जो एक्ट था 1969 का, उनके लिये इम्पोजीशन हो रहा है—

"be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify."

माननीय सभापति महोदय, पार्लियामेंट ने कर दिया कि ऐसी चीजों पर टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। 283 का क्लॉज र प्रोविजन है और जो डायरेक्शंस है पार्लियामेंट की, मैंने निवेदन कर दी और बृज सुन्दरजी ने भी माननीय मुख्य मन्त्री जी सेंटर में डिप्टी मिनिस्टर फाइनेंस रहे हैं, वे खुद देखें कोई मनी बिल इस तरह से जैसे हुआ है हाउस के मेम्बर्स को प्रति मिलती है उसमें आब्जेक्ट एंड रीजन्स भी होते हैं, गवर्नर का मेमोरेन्डम भी होता है वह इसमें क्यों डेप्राइव किया गया हाउस को ? फिर भी आप कहते हैं आ चुका है और सदस्यों को मिल चुका है तो ठीक है लेकिन इसके बाद भी यह इनसेंपरबल हर्डले है बिल के रास्ते में। आप इसे आर्टीकल 286 के सब क्लाज (3) से नहीं लगा सकते। मैं विनती करूंगा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस से भी नहीं कर सकते। फिर मैं दो तीन जनरल आब्जेक्शंस ये कहना चाहता हूं ; स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में में लिखा है—"....to give certain concessions in sales tax to the trade and industry in the State."

इससे पहले माननीय सदस्यों ने कहा है It has been made narrow. तो

ऐसा अमेंडमेंट जो कि पर्पज बिल का है उसके खिलाफ जाता है उसका अमेन्डमेंट स्वीकार नहीं किया जाय। इसके अलावा रूल्स में भी है कि अमेंडमेंट कौन-से स्वीकार किये जा सकते हैं, कौन से नहीं किये जा सकते।

यह आबजेक्ट है, यह स्कोप है यह मैन्यूफैक्चरर की डेफिनेशन संकीर्ण की देगें वह नहीं चल सकता है। वह स्प्रिट आफ दी रूल्स के खिलाफ है। Conditions of

(श्री राज बहादुर)

admissibility of amendments :—

'An amendment shall be within the scope of the Bill and erlevant to the subject matter of the clause to which it relates."

तो यह amendment spirit of the rules के खिलाफ है। what was being given by the left hand is being taken away by the right and. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है, how to by-pass that, seems to be the objective.

मुझे कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है ऐसा बिल लाया जाय, उसका नतीजा यह होता है, जो हुआ है पहले। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा यह बिल निश्चित रूप से पास होने के लायक नहीं है।

श्री सभापति : श्री केसरीचन्द :

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कान्सटीट्यूशनल पाइन्ट के ऊपर मुख्य सचेतक महोदय कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री खेतसिंह राठोड़ : पहले केसरीचन्द को बोलने दीजिए।

श्री केसरीचन्द चौधरी : माननीय मुख्य मन्त्री ने बजट के बाद बिक्री कर के सम्बन्ध में कई घोषणायें की। ऐसा लगने लगा कि बिक्री कर के सिलसिले में कि नये उद्योगों के सिलसिले में राजस्थान में काफी उससे बढ़ोतरी होगी। बिक्री कर हमारे राज्य की सबसे ज्यादा आय का साधन है। चाहे उधर के बैठे साथियों की घोषणा हो कि बिक्री कर हटा देंगे तब भी लगता रहा कि बिक्री कर कभी हटने वाला नहीं है। यह मुझे बिलकुल साफ लगता है।

श्रीमान, बिक्री कर के कारण कहीं के उद्योग धन्धे समाप्त होते हैं, तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सहानुभूतिपूर्ण रूप में सोचें। सबसे ज्यादा इस बिक्री कर के संशोधन से राजस्थान के अन्य नगर प्रभावित होंगे या नहीं, लेकिन किशनगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। मेरे यहां पर राजस्थान में पूरे 9 हजार के करीब पावर लूम हैं, उनमें से 7000 सिर्फ मदनगंज क्षेत्र में हैं। आज के दस बारह साल पहले वहां पर छोटे छोटे लोगों ने चार चार पावरलूम की शक्ल में बड़ी मुश्किल से उद्योग धन्धे शुरू किये थे राज्य में उनमें राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने कोई आर्थिक सहायता या लोन आदि कोई भी चीज नहीं दी। सूत भी अधिकांश बाहर से लेते हैं। आज चार-चार पावर लूम बढ़ कर करीब सात हजार पावर लूम किशनगढ़ में लगे हुए हैं। इस उद्योग धन्धे में करीब 25 हजार मजदूर, कार्यकर्त्ता, मुनीम गुमाश्ते, पल्दार सब तरह के लोग काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिये, एक शेड में आठ पावर लूम हैं। उनको उसी कपड़े का दस पैसे गज ज्यादा देना पड़ेगा। उस शेड में जो दूसरे व्यापारी हैं, जिसने कि नये कनेक्शन दे रखे हैं देने भी चाहिए, दिये बगैर उधार

(श्री केसरी चन्द चौधरी)

भी नहीं होने वाला है, उनको दस पैसे मीटर कम कपड़ा बेचेंगे। इन हालातों में उन 5800 पावर लूमों जिन पर यह इफेक्ट पड़ता है, में क्या परिस्थिति पैदा होगी। मैं ऐसा मानता हूं, राजस्थान के उद्योग विभाग और बिक्री कर विभाग ने इस सारी परिस्थिति को प्रेक्टिकल रूप में नहीं देखा और शायद यह सोच लिया कि नयी इन्डस्ट्री के नाते या नये पावर-लूम लगाने पर अन्य चीजों पर फर्क होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी जो वित्त मन्त्री भी हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर हम सोचते हैं कि उनकी लिडरशिप में राजस्थान पावर लूम के सिलसिले में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। राजस्थान में पोटेन्शियलिटी भी है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र, तमिलनाडू पावरलूम के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यह सारी चीजें पावरलूम को उनसे पीछे ले जायेगी। यही परिस्थिति बीड़ी उद्योग के संदर्भ में है। बीड़ी उद्योग में इससे दो पर्सेन्ट आपका कर भार का फर्क पड़ेगा। उद्योग ऐसा है. जो एक शेड से बदल कर दूसरे शेड में चला जायगा। नतीजा यह होगा कि इससे आपकी घर की आमदनी भी होने वाली नहीं है सिवाय इसके यह होगा कि जो पावर लूम 52-54 सौ पावरलूम के मालिक हैं, वह बरबाद हो जायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कच्चे धागे के सिलसिले में जो कन्सेशन आज तक आप देते आये हो, इन पावर लूमों को वह बराबर चालू रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समय में उद्योग बरबाद नहीं हों। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी। संक्षेप में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, जैसा माननीय परसराम जी मदेरणा ने कहा मैं उसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। तमिलनाडू में असेम्बली में एक बिल पास किया था और उसके अन्दर टाल टैक्स की चोरी हुई थी। वहां उन्होंने टाल टैक्स फिक्स कर दिया। एक साल पूरा हुआ और टाल टैक्स वसूल किया गया। एक बस मालिक हाई कोर्ट में गया उसने कहा कि इतने पैसेन्जर आये नहीं, ना मैंने टैक्स वसूल किया। पैसेन्जर के ऊपर तो पैसेन्जर टैक्स लगता है इसलिये मैंने टैक्स वसूल किया नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने रिट खारिज कर दी। उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चुलवालिया ने फैसला किया कि जब तक टैक्स वसूल नहीं किया गया, जो टैक्स पैसेंजर पर लगता है, वह टैक्स बस मालिक ने वसूल नहीं किया है, यही पोजीशन यहां पर लागू है।

श्री सभापति : आप माण्डल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उसका ही समर्थन करना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उसकी दो-तीन लाइन मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"It is correct that the Law Department of the

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

State Government has given the opinion that it would be illegal to collect retrospectively tax which has not in turn been collected by the assesse. There are also number of judgments of the High Courts that such retrospective collection is illegal The Calcutta High Court in the case cited on P. 368 of 32 STC 197:, held that retrospective levy of tax is against the fundamental right to carry on trade guaranteed by the Constitution of India vide Article 19 (1) (f) and (g)."

तो मेरा यह निवेदन करना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर चुका है, संविधान के अन्तर्गत व्यापार करने का जो अधिकार है उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से विफल करना मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। जब हम विधान में बैठ कर इस प्रकार का कानून नियम पास करेंगे तो इससे यह प्रकट होता है कि इन सब जजमेंट्स के होते हुये भी, संविधान के अच्छी तरह से निर्णायक होते हुए भी अगर हम विचार करेंगे, बिल पास करेंगे, तो जनता की राय में यह कहना पड़ेगा जो इसमें कहा है

"to befool the public and hoodwing the Assembly'

यह शब्द प्रयोग किये हैं। इन शब्दों के अनुसार पब्लिक को [illegible] या असेम्बली को हुडविंग करने के लिये इस प्रकार सदन के बाहर बिल न बने। मेरा निवेदन करना यह है कि जैसा माननीय परसराम जी ने कहा, इस प्रश्न पर एडवोकेट जनरल को बुलाकर राय ली जानी चाहिये। तब तक इस बिल पर विचार स्थगित कर देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

इस संशोधन के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरी मान्यता यह है कि जहां 8 हजार पावर-लूम बन्द होंगे क्योंकि वह कम्पीटीशन में टिक नहीं सकते है वहां पर केवल पावर-लूम ही नहीं होगा। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में करीब 13 हजार आयल मिल है वह 13 हजार आॅयल मिल्स भी बन्द होंगी। चूंकि एक पर्सेन्ट टेक्स कच्चे माल की खरीद पर है इसके कारण एक पीपे पर 3 रुपये का फर्क पड़ेगा। तेल का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें केवल आठ आने, एक रुपया पीपे पर लोग बिजनेस करते हैं। उस दृष्टि से यह फर्क पड़ेगा कि जो पुराने उद्योग धन्धे हैं वह बन्द करने पड़ेंगे। नये उद्योग जरूर लगेंगे। मैं यह चाहता हूं कि उद्योगों को प्रोत्साहन मिले पर वह और किसी तरीके से मिलना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

(व्यवधान)

मैं प्रभारी मन्त्री जी को दो बार कॉल कर चुका हूं। माननीय हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक सदन के समक्ष विचारार्थ है इसके दो मकसद है। एक तो यह कि जो मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट में कन्सेशन दिये थे उनको स्टेट्यूट बुक पर ले आना और दूसरा यह कि जो कानूनी लेकुना की वजह से राजस्थान में टैक्स वसूल होना था, जो टैक्स वसूल होने योग्य था वह वसूल नहीं हो सका उस टैक्स को वसूल करने के लिए सरकार अपने को अधिकृत करती है, वेलिडेट करती है। दोनों ही मकसद में किसी भी विधेयक को रोकना, जनता की राय के लिए भेजना चाहे वह सात दिन के लिए ही हो क्योंकि 7 दिन के बजाय वह साल भर बाद जाकर के इस स्टेट्यूट बुक पर आयेगा, यह उचित मालूम नहीं होता है। इस संबंध में जो आपत्ति ,उठायी गई है एक माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आये हैं, ने उठाई कि आर्टिकल 198 में मनीबिल की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 207 में यह प्रावधान दिया गया है कि मनी बिल के लिए यह आवश्यक है कि गवर्नर महोदय की सिफारिश हो। मेरे पास जो 30-31 तारीख की कार्यसूची आई है उस कार्यसूची के साथ गवर्नर महोदय की सिफारिश संलग्न है।

श्री सभापति : वह तो मैंने कह दिया। सिफारिश आ गई है। पुनरावृत्ति न करें।

श्री हरिसिंह : बिल्कुल पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं तो सदन की जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री सभापति : वह तो आसन से व्यवस्था हो गई है, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : बहुत अच्छा। आपकी कृपा है। इसके अलावा रहा सवाल वेलिडेशन का तो जितने भी वेलिडेशन एक्ट होते हैं, वह सभी वेलीडेशन एक्ट रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से होते हैं। वेलिडेशन एक्ट इस तरह का कोई भी आज तक पेश नहीं हुआ जो रिट्रास्पेक्टिव नहीं हो। क्योंकि वह तो उस सूरत में आता है जबकि टैक्स पहले वसूल कर लिया गया है उसकी वसूली पर किसी अदालत ने इस प्रकार का जजमेंट दे दिया हो कि वसूली गलत है तो उस वसूली को वेलिडेट करने के लिये हमेशा वेलिडेशन एक्ट आता है। इस बिल के अन्दर 69 से 73 तक टैक्स वसूल हुआ, यह जो टैक्स वसूल होने योग्य था उसको वेलिडेट करने के लिए यह एक्ट आया है। मैं समझता हूं कि यह एक्ट राजस्थान के हित में है। इस एक्ट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। नल एण्ड वाइड नहीं कर सकता है। यह मेरा विचार है इसमें एटार्नी जनरल को बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : श्रीमान्, माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये वे मैंने बहुत गौर से सुने। यह बात सही है कि विधेयक में और कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। मैंने अधिकारियों से बात करने के बाद और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बात करने के बाद इसका निर्णय किया कि इसको इसी सैशन में पास करा दिया जाय। क्योंकि जिन कानूनी मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है उन पहलुओं को हमने पहले ही एग्जामिन कर लिया था।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चनें पैदा नहीं होती हैं। श्रीमान, इसको जनमत के लिये परिचालित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकि जिन सम्बन्धित व्यक्तियों को या संस्थाओं को जो कुछ कहना था वह आज नहीं काफी दिनों से जब से हमने इस प्रकार की चर्चा की, लगातार मुझसे मिलते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनकी सारी बातें निस्सार हैं, कोई सार भी हो सकता है लेकिन, श्रीमान, सरकार की मजबूरी है इन सबके ऊपर विचार करने के बाद भी हमें इस समय इस बिल को रोक नहीं सकते है। मैं आपके जरिये सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल को पारित करने के बाद भी ऐसा कोई प्रावधान हमारे नोटिस में लाया जायेगा

(7-15 रात्रि)

[श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, आसीन]

जिससे कि राजस्थान के उद्योग को, व्यापार को प्रोत्साहन मिल सकें तो निश्चित रूप से वह संशोधन करने की बात हम सोच सकेंगे।

श्रीमन्, इस बिल का उद्देश्य बहुत सीमित सा है जिससे कि राजस्थान के अन्दर व्यापार को, उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। इसलिये हमने 5% की छूट और बढ़ाने की चर्चा इसमें की है उन उद्योगों के लिये जो नये सिरे से यहां लगाये जायेंगे।

इसी प्रकार से निर्यात करने वालों को छूट नहीं थी, वह शामिल कर रहे हैं जिससे कि हमारे राजस्थान में जो माल और पैदावार होती है वह बाहर भेजा जा सके और उसको प्रोत्साहन मिल सके। इसी तरह से करादेश की सीमा भी जो 5 हजार की थी उसको बढ़ाकर 10 हजार कर रहे हैं। मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब बातें जो हमने आपके सामने की हैं उन सबकी मंशा यह है कि किस भी प्रकार से हमारे राजस्थान के उद्योगों को और व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिये। इसलिये इसमें जो कठिनाइयां कुछ आ रही थीं उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

श्रीमन्, अगर चतुर्वेदी जी को याद हो तो उनके जमाने में ही एक कमेटी फाइनेन्स मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनी थी। उसने कुछ सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों का समावेश भी इसमें कर रहे हैं। मैं आशा करके चलता था कि जिस प्रकार की सिफारिशें उनकी खुद की सरकार ने की थी उनकी चर्चा तो ठीक ढंग से उन्हें इसके समर्थन में करनी चाहिये थी। लेकिन शायद उन्हें याद नहीं रहा। मैंने उन्हें याद दिलाया। उनकी सरकार के जमाने में फाईनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था उसकी कुछ सिफारिशों का समावेश इसमें किया गया है।

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं, बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम उनकी एग्जामिन करेंगे। आज बिल पारित करने से पहले इन सब पर विचार बंद कर दें ऐसी बात नहीं है। पहले भी विचार किया है, आगे भी करेंगे और आवश्यक होगा तो बिल

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पारित होने के बाद भी इसको तब्दील कर सकते हैं, या छूट दे सकते हैं।

पहले और माननीय सदस्यों की शंका का समाधान करूं मैं यह कहना चाहूंगा कि 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये बढ़ाने की बात हमने की है। माननीय चतुर्वेदी जी, आपकी सरकार ने छूट और मामलों में की है। पिछले साल में और इस साल में बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ा है। मैं मानता हूं ज्यादा छूट दे सकते तो अच्छा होता। कई संस्थाओं ने हमसे 50 हजार रुपये की छूट की मांग की, पच्चीस हजार की छूट की मांग की। हमने इसको एग्जामिन किया। श्रीमन्, मैं कोई दरवाजा बन्द नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आज के हिसाब से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि फिलहाल यह सम्भव नहीं हो सकेगा, और किसी मौके पर हम इस पर विचार कर लेंगे और कुछ न कुछ, जो सम्भव होगा करेंगे।

दूसरी चर्चा जो उन्होंने की कि हम बहुत बड़ी शक्तियां सरकार में निहित कर रहे हैं। जिसके जरिये से हम जैसा चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की परिभाषा बदल डालेंगे, किसी को निकाल देंगे, किसी को शामिल कर लेंगे। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमारी इस प्रकार की कोई मंशा किसी को तंग करने की नहीं है। यह काम बहुत पहले कर चुके हैं। श्रीमन्, जो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, इस सदन में बराबर रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। आप यकीन करते हैं, हम आपके पद चिन्हों पर चलने वाले नहीं है अगर गलत काम आपने किये अच्छे अच्छे काम अगर आपने किये हैं, तो जैसा मैंने कहा, हम उन्हें जरूर मानेंगे। आपके जरिये से, श्रीमन्, मैं विश्वास दिलाता हूं व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, हमारी इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है। हमारी भावना नेक है उसके जरिये से हम जिनको राहत दे सकते हैं, उनको हम राहत देंगे। कई बार इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की क्या परिभाषा हो, उसमें कई खामियां पैदा हो जाती हैं, अपने प्रकार से उसको इण्टरप्रेट कर लेते हैं। इस सुविधा-जनक दृष्टिकोण से इस सब चीजों को हम ले रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के हितों का सवाल नहीं है। यह केवल राजस्थान में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के बिल के अन्दर ऐसा है। महाराष्ट्र के बिल के अन्दर ऐसा है। गुजरात के बिल के अन्दर ऐसा है। आखिर हमने पहले से ऐसे बिल पास किये हुए हैं। अगर ऐसी कोई बात आई होती, कानूनी खामी होती तो राज-बहादुरजी सुप्रीम कोर्ट में वकालात करते हैं। उनको इस संबंध में ज्ञान है। सफलता तो नहीं कह सकता हूं। लेकिन अक्सर कहीं न कहीं, कोई न कोई उद्योगपति, कोई न कोई व्यापारी निश्चित रूप से किसी न किसी कोर्ट में चला गया। अभी तक कोई ऐसा केस हमारे नोटिस में नहीं लाया गया। श्रीमन्, इसको एक्जामिन कर लिया है। इसलिये हमने यह टैक्स लगाया। हम उनकी भलाई के लिये यह अमेंडमेंट ला रहे हैं और कोई इरादा नहीं है।

माननीय मदेरणा जी ने एक बहुत नाजुक पाइण्ट की ध्यान दिलाया है। इस

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

को हम पहले एग्जामिन कर चुके हैं। श्रीमन् 68-69 से पहले केसेज को कवर किस प्रकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, श्रीमन्, 68-69 के पहले के बहुत सारे केसेज अण्डर स्क्रूटिनी है, और कई के अन्दर रिवीजन प्रोसीडिंग्स चल रही है। बहुत सारी धन राशि इसमें इन्वोल्व है। अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो राजस्थान जो बहुत वित्तीय संकट से गुजर रहा है उसको और एक खतरा उठाना पड़ेगा। इसलिए, श्रीमन् हमने 68-69 के पहले के केसेज को कवर किया है। उसमें किसी प्रकार की कानूनी खामी का प्रश्न नहीं है, श्रीमन्, जहां शिड्यूल में अमेण्डमेण्ट दूरगामी प्रभाव से करने का प्रश्न है, इसकी चर्चा मैंने शुरू में कर दी है। यह विवादास्पद हो सकता है। दोनों तरफ से कहा जा सकता है। इसके पक्ष में भी कहा जा सकता है और विपक्ष में भी कहा जा सकता है। इसकी चर्चा मैंने कर दी वेलिडेशन के लिए लाया जा रहा है जिससे अदालतों में कोई विवाद खड़े नहीं हो। अन्यथा अदालतों में जाकर विवाद खड़े हो सकते हैं, हमारे उद्योगपतियों को कठिनाई पैदा हो सकती है। उनको बचाने के लिये हम रोल कर रहे हैं। एक बात बहुत जोर से, श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने कही। मैंने इस पर बहुत विचार किया। किशनगढ़ और दूसरे स्थानों पर जो पावरलूम लगे हैं, हो सकता है उन को कुछ नुकसान हो। मैं मानता हूं इतनी बड़ी इण्डस्ट्रीज के मुकाबले उनका चलना बड़ी कठिनाई में उनको लगता है। श्रीमन्, जैसा आप जानते है केवल यह प्रोविजन काटन इण्डस्ट्री पर ही नहीं सारी की सारी इण्डस्ट्रीज पर प्रोविजन अभी तक था। अब हम इसको ला रहे हैं। यह लागू होता है। अभी तक तो पावर लूम चल रहे हैं और मेरा विश्वास है कि पावर लूम आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन उनके लिए भी हमें दरवाजा बन्द नहीं करना पड़ा। यह छोटा सा सैक्टर है। लूम्स उसमें लगा रखे हैं, वित्तीय रूप से अगर घाटा होता नजर आयेगा तो उस पर भी हम विचार कर लेंगे। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई बात हमारे नोटिस में आई नहीं। अभी तक तो वह ठीक प्रकार से चल रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया कि इसीलिए अभी हमारी मजबूरी है।

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपनी और कुछ बात कहूं, मैं भूल न जाऊं इस दृष्टि से चन्द बातें इस मौके पर मैं कहना उचित समझूंगा। माननीय सदस्यों ने कोई आलोचना नहीं की। मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से जवाब दे रहा हूं। वह यह है कि हमारे उद्योग बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े लोगों को तकलीफ नहीं हो। यह बात सही है कि पहले जो कीमतें थीं, उससे अब बढ़ी हैं। एक और छूट देने का हमने फैसला किया है वह यह है अभी तक स्वयं कर निर्धारण सीमा केवल 1 लाख तक लागू है। उसको बढ़ाकर हम दो लाख रुपये कर रहे हैं जिससे कि अब दो लाख रुपये वालों को अधिकारियों के सामने जाना नहीं पड़े। उसका असेसमेन्ट स्वयं कर लें। जिससे कई मामलों में हमारा समय बरबाद होता है कई प्रकार कानूनी बाधायें उत्पन्न होती हैं, भागदौड़ होती है, कागजात को ले जाना पड़ता है। इसलिये एक लाख रुपये को, सीमा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

को बढ़ा कर हमने दो लाख रुपया कर दिया।

श्रीमन्, इसी प्रकार से हमने यह भी तय किया है कि कर के मामले में चोरी होती है। इसलिए चोरी न हो, तो एक तरफ तो हम एन्टी-इवेजन फोर्स को बढ़ायेंगे, चोरी रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ 5 और नये वृत्त स्थापित करने का फैसला हमने किया है ताकि जो बहुत बड़े बड़े एरिया असेसमेंट के लिये आज हैं, बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है काम छोड़ करके, तारीखें बदल जाती हैं, इन कठिनाइयों को दूर कर सकें।

श्रीमन्, इसी प्रकार से जहां हमने यह छूट दी है। एक और छूट तो नहीं कह सकता, केवल समय बढ़ाने की बात है। रिफण्ड सप्ताह साल भर मे अब तक एक बार ही मनाया जाता है। इसमें कई लोगों को रिफण्ड देते हैं फिर भी बहुत सारे भाई रह जाते हैं। इसलिये हमने तय किया है, नेसेसरी रूप से रिफण्ड के काम हों लेकिन एक साल में एक सप्ताह मनाने से काम नहीं चलता। अब हमने तय किया कि हर तीन महीने में एक सप्ताह कम्प्लीट मनाया जाये जिसमें रिफण्ड के लिए लोग आयें, उनको रिफण्ड मिल जाना चाहिये।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ हमने एक समिति का निर्माण करने का भी तय किया है जिससे कि सरलीकरण के ठोस सुझाव हमारे सामने आ सकें तो उचित होगा। आज से कोई 15 साल पहले इस प्रकार की कमेटी का निर्माण किया गया था। उसके बाद कोई कमेटी नहीं बनी। उस समय की रिपोर्ट के आधार पर जो सुझाव आये, उनका सरलीकरण भी किया गया लेकिन उसके बाद में कमेटी बनी नहीं, कोई सुझाव आये नहीं। तो सरकार ने अपनी तरफ से सरलीकरण किये होंगे। इसलिए हमने तय किया है कि कमेटी का निर्माण कर दें जिससे कि सरलीकरण के लिये जो सिफारिश करनी हों कर दें।

यह कुछ बातें हैं, जिनकी चर्चा मैंने की। यह बहुत छोटी हो सकती हैं लेकिन छोटे व्यापारी को, बड़े व्यापारी को राहत मिल जाती है। लेकिन, श्रीमन, मुझे कोई कारण आमतौर पर इन्सर्ट करने का मिला नहीं लेकिन हमारा इरादा है कि ठीक स्थान पर उसको इन्सर्ट करें। इसलिए मैं कहूंगा कि लकड़ी के बने बेलन और चकला पर सेल्स टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव है। आपके सामने रख रहे हैं क्यों कि लकड़ी के हर घर में काम मे आते हैं। हर घर में माता बहिनों को आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने कुछ चीजों पर छूट दी थी, उसमें कुमकुम पर, मेंहदी, पर बिन्दी पर,....

एक माननीय सदस्य : सिन्दूर पर।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सिन्दूर पर। मैंने जैसा निवेदन किया था कि इसकी कीमत चाहे कम हो लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं। विपक्ष के लोगों को लगेगा, उजला जी को यहां होना चाहिये था....

एक माननीय सदस्य : पुष्पा जी है।

सुश्री पुष्पा जैन : हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जैसा कि मैंने निवेदन किया और जो बातें कही गई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि मुख्य मंत्रीजी चमचों को भी कर मुक्त कर दें तो अच्छा हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे यहां नहीं है, आप ले गये सब अपने साथ।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान्, लकड़ी और लोहे के बने चमचों पर तो छूट देने के लिये विचार किया जा सकता है लेकिन विपक्ष के नेता पीछे बैठने वालों, जिनकी ओर अक्सर इशारा किया करते हैं, को मैं माफी चाहता हूं, मैं छूट नहीं दे पाऊंगा।

श्रीमान्, और जो भी पाइन्ट्स मान-नीय सदस्यों ने उठाये हैं, उनकी चर्चा मैंने कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान-नीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें कोई कण्ट्रोवर्शियल क्लाज नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जो बहस का विषय हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज-स्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को सात दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ?

(अस्वीकृत)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महो-दय, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न हो रहा हो, उस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

संशोधन अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड 2 और 3 में संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वी-कार किया जावे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 2 में संशोधन दिया था, शायद इसलिए रह गया है कि—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस क्लाज को डिलीट करने की आवश्यकता हो उसमें अमेण्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज 2 में जैसा मैंने निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपका संशोधन नहीं है, आप नहीं बोल सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : संशोधन मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष : वह रिजेक्ट हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संशोधन रिजे-क्ट होने का सवाल ही नहीं होता। हम क्लाज का विरोध कर सकते हैं।

158

श्री अध्यक्ष : जब संशोधन नहीं है तो क्लाज बाई क्लाज कन्सीडरेशन में नहीं बोल सकते। आपने संशोधन प्रस्तुत करने में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्लाज का विरोध कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी परम्परा कभी पहले नहीं रही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परम्परा रही है, उसी परम्परा के आधार पर कह रहा हूं, अमेण्डमेन्ट है या नहीं, मेरे इस राइट को कि....

श्री अध्यक्ष : उसमें चर्चा करनी है तो उस स्थिति में आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरत नहीं है, मैं क्लाज का विरोध कर सकता हूं या नहीं, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को हाउस के सामने रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अमेण्डमेन्ट नहीं है तो इसकी क्या जरूरत है।। इसके ना पक्ष में हों तो विरोध कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कह रहा था ऐसा कहीं आज तक हुआ है, आप खाली अमेण्डमेन्ट देते हैं कि विलोपित किया जाय। आपने यह अमेण्डमेन्ट नहीं दिया है। आप इसलिए बोलना चाहते हैं कि विरोध करना

(व्यवधान)

आप बिराज जाइये, चमचों पर टैक्स लगा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास भी चमचे ही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज 2 को पूर्णतया डिलिट करनेका संशोधन मैंने दिया था। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम इसका कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, प्रश्न दुरुपयोग का नहीं है, जनता पार्टी रहे या शासन में कांग्रेस पार्टी रहे, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरा निवेदन करना तो यह है कि सरकार का दायित्व है कि प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा करे, और रक्षा करते हुए किसी भी मैन्यूफैक्चरर को एक पर्सेन्ट की छूट से अलग कर देने की पावर विधान सभा के हाथ में होनी चाहिये। इसलिए मैंने निवेदन किया कि यह जो अमेण्डेड क्लाज जोड़ा गया है इसको विलोपित किया जाना चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि गुजरात में और दूसरी स्टेट्स में ऐसा है, ऐसा हो सकता है लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है, इसका मतलब है हम उन प्रजातान्त्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते। ऐसे कारण आ गये कि उन मूल्यों को छोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस क्लाज की आवश्यकता नहीं है। मैन्युफैक्चरर की परिभाषा दी हुई है। उसमें तीन कैटेगेरीज सम्मिलित है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने क्लाज जोड़ा है इसको विलोपित किया जावे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कोई नई बात नहीं की है, मैं इस चर्चा का उत्तर पहले दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये जायं।

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : Noes have it.

(मत विभाजन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : खण्डश; क्लॉज बाई क्लाज....;

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4। प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 4 में, उपखण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्: —

"(ग) उपखंड (3) के—

(i) खंड (क) में अभिव्यक्ति "सीधा विक्रय करता है और" के पश्चात अभिव्यक्ति "राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ से पूर्व" अन्तः स्थापित की जाये, (ii) खड (ख) में अभिव्यक्ति "यथापूर्वोक्त निर्यातकर्ता है" के पश्चात अभिव्यक्ति "राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ से पूर्व" अन्तः स्थापित की जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्वान ए पाईंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संशोधन पेश किया है। वह संशोधन मूल एक्ट की भाषा के अनुसार नहीं है। जहां तक सदन की बात है इस पर व्यवस्था हो चुकी है कि मूल एक्ट जिस भाषा में हो, उस भाषा में संशोधन प्रस्तुत किया जाये। मूल एक्ट अंग्रेजी में है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अंग्रेजी में पेश कर देते हैं।

श्री खेतसिह राठौड़ : एक ही बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक ही बात नहीं है। खेतसिह जी, आप नहीं समझ सकते।

श्री खेतसिह राठौड़ : आपने समझने का ठेका ले रखा है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हम तो आपको हिन्दी का हिमायती मानते थे, आप अंग्रेजी के हिमायती कब से हो गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मंत्री जी, यह बात नहीं है। अगर कोई चैलेंज कर दे कोर्ट में, इसलिए मैंने सुधार करने के लिए कहा है। इसमें हिन्दी और अंग्रेजी का कोई सवाल नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : I move that in clause 4 of the Bill, after sub-clause (b), the

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

following sub-clause shall be added, namely :—

"(c) in sub-section (3):—

(i) in clause (a) after the words "goods manufactured by him and has", the expression "before the commencement of the Rajasthan Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1980" shall be inserted.

(ii) in clause (b) after the expression "being an exporter as aforesaid, has" the expression "before the commencement of the Rajasthan Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1980" shall be inserted."

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 5 से 10 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 5 से 10 स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खंड 5 से 10 स्वीकार किये गये।

खंड 11। प्रभारी मन्त्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : I move that in clause 11 of the Bill, in the proviso sought to be added in the Schedule, for the words "tyre cord made of rayon or artificial silk", the words "rayon or artificial silk tyre cord fabric or wrap sheets" shall be substituted.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी संशोधन पेश करना चाहते हैं। यह सदन की परम्परा रही है कि जब प्रभारी मंत्री कभी भी संशोधन प्रस्तुत करता है अपनी तरफ से तो वह एक्सप्लेनेशन दे दे कि वह संशोधन क्यों ला रहा है। जब कि ओरिजनल विधेयक में यह संशोधन था उस परिभाषा को विस्तृत बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? 2-3 दिन के अन्दर ? इस सम्बन्ध में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें यहां पर कहीं थीं जिसके अन्दर कुछ पोलिटिकल सोर्सेज थे। इसलिए मैं जानना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से परिभाषा को बदल रहे हैं वह फूल प्रूफ नहीं थी अब कैसे हो जायेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो हैं, संशोधन हैं या और कोई सरकार के इसमें जो हैं जिसको रेटिफाई किया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब कभी भी यहां पर संशोधन प्रस्तुत होते हैं तो उस पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि क्यों किया जा रहा है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य ने ठीक फर्माया कि इस सिलसिले में एक विवाद चल रहा था जो काफी चिन्ता का विषय था। श्रीमन्, यह भी सही है कि हमारे देश के सर्वोच्च कोर्ट ने भी कोड का प्रयोग किया। इसलिए, श्रीमन्, इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की है कि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो। फेब्रिक की क्या परिभाषा है इसके सिलसिले में भिन्न-भिन्न अदालतों की भिन्न-भिन्न राय हैं। भिन्न-भिन्न रायों को ध्यान में रखते हुए कोई आगे चल कर विवाद खड़ा न हो इसलिये हमने पिछली तारीख से इसमें संशोधन किया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को यह बात अच्छी तरह से मालूम है। जो माननीय सदस्य कोटा से आये हैं उन्होंने डी॰ सी॰ एम॰ की चर्चा की। यह तो हमको मालूम है डी॰ सी॰ एम॰ के हिमायती हो सकते हैं लेकिन, श्रीमन, राजस्थान बहुत बड़ा है। मैंने कहा हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हैं या नहीं। आप काहे को परेशानी में पड़ते हो। श्रीमन्, राजस्थान डी॰ सी॰ एम॰ से बहुत बड़ा है ऐसा मैंने आपको निवेदन किया कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि एक काफी बड़ी रकम जो हमको मिलने वाली है, मिल चुकी है, वह हम छोड़ सकें। इसलिए वह छोड़ भी नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो आप कर रहे हैं उससे राजस्थान को कितना रुपया मिलने वाला है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 4 करोड़ 14 लाख।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 11 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 12। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : I move that in clause 12 of the Bill –

(i) for the words "under the said Act", the words "under the principal Act" shall be substituted.

(ii) for the words "tyre cord made of rayon or artificial silk" wherever occurring the words rayon or artificial silk tyre cord, fabric or warp sheets" shall be substituted.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खंड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, प्रभारी मंत्री।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, मैं एक शंका का निवारण करना चाहता हूं माननीय प्रभारी मंत्री से। यह जो आप बिक्री कर लगा रहे हैं 1964 से लगा रहे हैं या 1969 से? एक बात। दूसरे, 1969 से लेकर 311 साल का जो आपने असेसमेंट किया है वह किया है 31 लाख। अपील पार्टी तभी कर सकती है जब टैक्स को जमा कराये तो पिछले 1965 से लेकर 1969 तक 5 साल का असेसमेंट वह 311 साल का 31 लाख रुपये और 5 साल का असेसमेंट 4 करोड़ के आसपास कैसे हो जाएगा? यह मेरी शंका है।

दूसरा, मैं कह रहा था आप जो वेलिडेशन करने जा रहे हैं, जो असेसमेंट किया है उन सालों का ही करने जा रहे हैं या जो शिड्यूल में अमेंडमेंट कर रहे हैं, 1964 से लेकर 1973 तक, जो आप कह रहे हैं कि सब मारे जायेंगे, जो शिड्यूल में शब्द थे, वह असेसमेंट हो चुका है 1964 से से 1969 का या अब 1964 से 1969 तक ईयरवाइज किया जाएगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, आप ही बोल लो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं विभिन्न मदों की जानकारी आपको दे रहा हूं जो कि असेस हो चुके हैं या अंडर रिवीजन हैं :—

Tax involved in cases where assessed as tax free but revision filed by the Departmen: f. r 1965-66 to 1968-69 Rs. 112.35 lakhs.

Tax assessed and recovered but to be refunded as per Supreme Court judgment for 1969-70 to 1972-73. 31.08 lakhs.

Tax deposited but to be assessed from 1973-74 ot 1979-80. 143.00 lakhs.

163

एक माननीय सदस्य : एक ही असेसी हैं या डिफरेंट हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जो रेगूलर टैक्स लगा रखा है वह नहीं दे रहे हैं, उनके लिए कानूनी पोजीशन क्लियर है 1973 से पहले ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : Assessed provisionally from 1972-73 to 1975-76. Rs. 47.56 lakhs. Estimated from 1976-77 to 1979-80. Rs. 80 lakhs

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक 1980 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक 1980 संशोधित रूप में पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही सोमवार 25 अगस्त 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.53 बजे सोमवार दिनांक 25 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई) ।

———

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 683 की सूची

जिन राजकीय संस्थाओं में उपाध्याय पाठ्यक्रम पढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त है वे निम्नांकित हैं:—

क्र० सं०	संस्था का नाम	उपाध्याय छात्र संख्या	कुल छात्र संख्या	स्तर
1.	राजकीय महाराणा संस्कृत कालेज, जयपुर।	56	297	आचार्य महाविद्यालय
2.	राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर	57	280	शास्त्री महाविद्यालय
3.	,, दौसा	43	208	,,
4.	,, महापुरा	23	245	,,
5.	,, कालाडेरा	30	1738	,,
6.	,, सीकर	17	201	,,
7.	,, जोधपुर	10	138	,,
8.	,, उदयपुर	18	181	आचार्य महाविद्यालय
9.	,, चिराणा	5	320	शास्त्री महाविद्यालय
10.	,, कोटकासिम	10	338	,,
11.	,, अजमेर	6	229	,,
12.	राज० उपा० सं० वि०, नीम का थाना	14	288	उपाध्याय
13.	,, गनोड़ा	5	199	,,
14.	,, नाथद्वारा	3	77	,,
15.	,, अलवर	7	157	,,

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची

सूची—"क"

राजस्थान में माह मई, 1980 में बिकने वाले उर्वरकों की मूल्य सूची

क्र० सं०	उर्वरक का नाम	कीमत प्रति मै० टन (रुपयों में) बफी ट्वील जूट बैग्स	एच०डी०पी०ई० वूवन में	बल्क विदाउट पैकिंग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	एस० एम० पी० (डी० सी० एम)	712)	736)	622)	इसमें आर० एस० टी०
2.	,, ,, (हिन्द० जिंक)	616)	640)	526)	तथा अन्य टैक्स शामिल
3.	,, ,, (हिन्द० कापर)	646)	670)	556)	नहीं है।
4.	,, ,, (हिन्द फर्टि० इन्डस्ट्रीज)	616)	640)	526)	,,
5.	,, ,, (लिबर्टी पेस्टी० एण्ड फर्टि०)	616)	640)	526)	,,
6.	,, ,, (मधुवन कैमी० एण्ड फर्टि०)	616)	640)	526)	,,
7.	,, ,, (महाराणा खनिज उद्योग)	616)	640)	526)	,,
8.	,, ,, (भारत एलम्स एण्ड कैमि०)	679)	703)	585)	,,
9.	,, यूरिया	1530)		इसमें राजस्थान सैल्स टैक्स आदि शामिल है।	

1	2	3	4	5	6
10.	सी० ए० एन०	1046.50	इसमें राजस्थानसैल्स टैक्स शामिल है ।		
11.	डी० ए० पी०	2310)	,,	,,	
12.	एन० पी० के०	2110)	,,	,,	
13.	एम० ओ० पी०	715)		इसमें आर० एस० टी० आदि शामिल नहीं है ।	
14.	यूरिया (पूल)	1335)	,,	,,	
15.	डी० ए० पी० (पूल)	2060)	,,	,,	

राजस्थान में 8 जून, 80 से तथा उसके बाद बिकने वाले उर्वरकों की मूल्य सूची ख'

क्रमांक	उर्वरक का नाम	कीमत प्रति मे. टन (रुपयों में) जिसमें सी. एस. टी. स्थानीय एवं अन्य कर आदि शामिल नहीं है।		विशेष विवरण
		बोट्ल्वील जूट बैग्स	एच. डी. पी. ई वूवन सैकस	शुल्क विदाउट पैकिंग
1.	एस. एस. पी. (डी.सी.एम.)	712	736	622
2.	,, ,, (हिन्द जिंक)	616	640	526
3.	,, ,, (हिन्द कापर)	646	670	556
4.	,, ,, (हिन्द फर्टि-इन्ड)	616	640	526
5.	,, ,, (लिबर्टी पैस्टी. एण्ड फर्टि.)	616	640	526
6.	,, ,, (मधुवन कैमी. एण्ड फर्टि.)	616	640	526
7.	, ,, (महाराणा खनिज उद्योग	616	640	526
8.	,, ,; (भारत एलम्स एण्ड केमि.)	679	703	589
9.	यूरिया (पूल)	1885	दिनांक 5-6-80 से प्रभाव में आई	
10.	म्यूरेट आफ पोटाश (50केजी)(पूल)	1010	,,	,,
11.	म्यूरेट आफ पोटाश (100 केजी) (पूल)	1000	,,	,,
12.	डी. ए. पी. (पूल)	2910	,,	,,
13.	यूरिया (नॉन पूल)	2000	,,	,,
14.	सुपर फास्फेट (ट्रिपल)(ग्रेनुलर)	2200	,,	,,
15.	सुपर फास्फेट (ट्रिपल)(पाउडर)	2050	,,	,,
16.	एन. पी. के. 12:32:16	2750	,,	,,
17.	डी. ए. पी. (नान पूल)	3050	,,	,,
	सी. ए. एन. (नान पूल)	1520	,,	,,
18.	सी. ए. एन. (पूल)	1539	दिनांक 2-7-80 से प्रभाव में आई।	
19.	एमोनियम सल्फेट(पूल)(50केजी)	1425	,,	,,
20.	एमोनियम सल्फेट(पूल)(100केजी)	1415	,,	,,

168

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 563 का विवरण

जयपुर जिले में अन्त्योदय प्रथम/द्वितीय चरण में दिनांक 30-6-80 तक चयनित एवं लाभान्वित परिवारों का विवरण

मद	अन्त्योदय प्रथम	अन्त्योदय द्वितीय
1. कुल चयनित	12242	9093
2. वृद्धावस्था पेन्शन	1925	1850
3. भू-आवंटन	2592	440
4. रोजगार	1326	1284
5. ऋण स्वीकृत परिवारों की संख्या	5514	4411
6. ऋण स्वीकृत राशि रु.	150.85	122.56
7. ऋण वितरण परिवारों की संख्या	4071	3538
8. वितरित राशि	80.95	72.99
9. स्वीकृत पर अवितरित परिवारों की संख्या	1443	873
10. अवितरित राशि	69.90	49.68
11. खादी बोर्ड	975	39
कुल लाभान्वित	12239	7151

सिकराय क्षेत्र में अन्त्योदय प्रथम/द्वितीय चरण में चयनित व लाभान्वित परिवारों का विवरण

मद	अन्त्योदय प्रथम	अन्त्योदय द्वितीय
कुल चयनित परिवार	712	587
1. वृद्धावस्था पेन्शन	91	155
2. भू-आवंटन	177	10
3. रोजगार		
(अ) स्थाई	20	11
(ब) अस्थाई	52	79
4. ऋण स्वीकृत परिवारों की संख्या	269	310
5. स्वीकृत राशि	3.46	6.64
6. ऋण वितरित परिवारों की संख्या	231	260
7. वितरित राशि	2.93	3.69
8. अन्य स्रोतों से	81	17
कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या	690	582

(169)

Progress of 'ANTYODAYA PROGRAMME' Upto 31st May, 1980 (Second Round)

S.No.	Districts	No. of Villages	Families originally selected	Deletion due to wr. sele. dea h/ migr.	Not to be benefited	No. of famlies benefited under various schemes: Old Age pension	Land allotment	Employ-ment	Credit coverage: Loan dis-bursement	Sanctioned but not disbursed	Total	Others	Grand Total	Net No. of families benefitted	% of families covered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Sirohi	404	1985	—	1985	877	151	1	956		956		1985	1985	100.0
2.	Jaisalmer ❀❀❀	356	1216	10	1206	221	780	13	137	30	167	—	1181	1151	95.4
3.	Udaipur	3181	8198	100	8098	1592	3774	58	2061	494	2555	298	8185	7691	95.0
4.	Tonk.	1006	2705	130	2575	776	436	27	1118	268	1386	65	2690	2422	94.0
5.	Pali.	814	3970	–	3970	1300	706	24	1645	264	1906	31	3970	3706	93.3
6.	Jodhpur.	701	3706	33	3676	1094	286	69	1831	287	2118	59	3626	3339	90.8
7.	Banswara.	1462	3447	12	3435	951	480	35	1647	360	2007	—	3473	3113	90.6
8.	Ajmer.	924	3569	176	3393	666	263	705	1350	167	1517	56	3207	3040	89.6
9.	Dungarpur.	825	3413	154	3259	257	255	879	1516	391	1907	13	3311	2920	89.6
10.	Jhalawar.	1441	4106	115	3991	577	1100	65	1826	59	1885	—	3627	3568	89.6
11.	Bikaner. ❀	538	1900	67	1833	375	843	12	305	40	345	35	1610	1570	85.6
12.	Sw. Madhopur.	1531	5871	106	5765	1778	267	156	2151	837	2988	423	5612	4775	82.8
13.	Jhunjhunu.	671	3679	48	3631	599	10	286	2110	287	2397	—	3292	3005	82.8
14.	Alwar.	1855	6878	180	6698	1772	533	101	3097	523	3620	–	6016	5493	82.0

	S	T		A	TE		AV			E		R		A	GE
15.	Jaipur.	2672	9509	416	9093	1850	440	1284	3538	873	4411	39	8024	7151	78.6
16.	Sikar	806	3911	75	3836	849	15	17	2058	410	2468	55	3404	2994	78.0
17.	Nagaur.	1207	5182	208	4974	1355	130	58	2118	450	2568	191	4302	3852	77.4
18.	Barmer.	862	3829	—	3829	464	1527	14	840	64	904	10	2919	2855	74.6
19.	Kota.	1886	5840	391	5449	1229	1378	200	1169	378	1547	—	4354	3976	73.0
20.	Bhilwara.	1503	3920	—	3920	379	1699	126	564	153	717	11	2932	2779	70.9
21.	Jalore. ❀❀	590	2989	103	2886	502	173	X14	1287	383	1670	—	2359	1976	68.5
22.	Bharatpur.	1740	6336	—	6336	1495	470	380	1844	675	2519	199	5063	4388	69.3
23.	Chittorgarh.	2118	6288	84	6204	175	1423	697	1692	468	2160	—	4455	3987	64.3
24.	Churu.	844	3603	139	3464	679	78	26	838	419	1257	314	2354	1935	55.9
25.	Bundi.	733	2233	40	2193	376	334	18	319	464	783	—	1511	1047	47.7
26.	Ganganagar.	3098	4447	124	4323	834	185	11	946	316	1262	—	2292	1976	45.7
	TOTAL	33720	112733	2711	110022	23012	17736	5276	38963	9060	48023	1707	95754	86694	78.8

❀ figures as on April. '80.

❀❀ Figures as on March. 80.

(171)

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तहसील जहाजपुर व राजस्व सर्किल पारोली के ग्रामों का विद्युतीकरण

688. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जहाजपुर तहसील एवं राजस्व सर्किल पारोली, तहसील कोटड़ी के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है, वे कब तक विद्युतीकृत हो जावेंगे ? क्या सरकार के पास अभी इस सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जहाजपुर तहसील व पारोली राजस्व सर्किल, तहसील कोटड़ी के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जहाजपुर तहसील के स्वीकृत 54 ग्रामों तथा पारोली राजस्व सर्किल (तहसील कोटड़ी) के स्वीकृत 6 ग्रामों का वर्ष 1982–83 तक विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। शेष ग्रामों की स्वीकृत योजना न होने के कारण अभी कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

सूची 'अ'

तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

1	2		3		4
1.	मोराला	29.	टीटोरामाफि	57.	भरनी खुर्द
2.	बारला पोलिया	30.	भीलड़ी	58.	केसरपुरा
3.	धुंवाला	31.	शक्करगढ़	59.	जालिमपुरा
4.	काला भाटा	32.	गोगा का खेड़ा	60.	रजवास
5.	मोतीपुरा	33.	नाथुन	61.	आमलदा
6.	गांगथीला	34.	ब्रिज की डूगरी	62.	अभयपुर
7.	केशोविलास	35.	लाल का खेड़ा	63.	बीदरपुरा
8.	उदयपुरिया	36.	धागारियां	64.	अमरवारी
9.	वीरदपुरा	37.	फलासियां	65.	अखेपुरा
10.	गोडोली	38.	सिहाता	66.	बिहाड़ा
11.	गोरमगढ़	39.	इन्दोकिया	67.	भवानीपुरा
12.	लुहारी खुर्द	40.	जालरा	68.	छाबड़िया
13.	मनोहरगढ़	41.	नराना	69.	हथौड़िया
14.	मायला पोलिया	42.	बेरी	70.	इटुन्दा
15.	कुचालवाला खुर्द	43.	बावरी	71.	जहाजपुर
16.	धान्धोला	44.	तहनारिया	72.	जालमपुरा
17.	छाजोली का खेड़ा	45.	विलेठा	73.	जामोली
18.	बिन्दी	46.	ह लाचाक (एनपी)	74.	खजुरी
19.	लक्ष्मीपुरा	47.	रगुनाथपुरा ,,	75.	कुचलवाडा
20.	गणेशपुरा	48.	बीरान ,,	76.	कुराडिया
21.	रतनपुरा	49.	माधोपुरा ,,	77.	लुहारीकला
22.	तखतपुरा	50.	गणेशपुरा ,,	78.	पण्डेर
23.	हेमपुरा	51.	खोरा खुर्द	79.	पीपलुन्द
23.	भुवार	52.	भावों का गुड्डा	80.	सरसिया
25.	जोगोलाई	53.	बिजेठा	81.	सरसिया चारणों का
26.	गन्धेर	54.	रोपा	82.	शंकरपुरा
27.	भीमपुरा (एन. पी.)	55.	बागुदार	83.	टीकड
28.	टीटोरी	56.	भरनीकलां	84.	ऊंचा
				85.	उलेला
				86.	जोरा

तहसील कोटड़ी के पारोली राजस्व सर्किल क्षेत्र के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

1. पारोली
2. कांटी
3. बेड़ूंडा
4. अभयपुरा
5. धंवरिया

अलवर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

689. **श्री शीतमल जैन अलवर** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ? उनमें से कितने गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है व कितने गांवों का सर्वेक्षण बाकी है ?

(2) अब इन गांवों में कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) अलवर विधान सभा क्षेत्र में 16 ग्रामों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है जिनमें से 2 ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष 14 ग्रामों का सर्वेक्षण बाकी है।

(2) अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के सन्दर्भ में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

किसान सेन्ट्रल कॉटन एण्ड जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री वड़ोदिया लिमिटेड, बांसवाड़ा

690. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसान सेन्ट्रल कॉटन एण्ड जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री वड़ोदिया लिमिटेड, बांसवाड़ा की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई ?

(2) इस वर्ष इस फैक्ट्री द्वारा कितनी गांठों की बंधाई की गई तथा इस समय कितनी कपास इस फैक्ट्री में जमा पड़ी है अथवा इस वर्ष फैक्ट्री में कितनी कपास खराब हो गई ?

(3) भविष्य में कपास की बरबादी को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा अभी कपास की खराबी के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) किसान केन्द्रीय कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग सहकारी समिति की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्षेत्र के कपास उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना था।

(सहकारिता मंत्री)

(2) फैक्ट्री द्वारा वर्ष 79-80 में 1723 गांठों को बंधाई की गई। वर्तमान में फैक्ट्री में लगभग 1500 क्विन्टल कपास है। लगभग एक सौ क्विन्टल कपास खराब हुई है।

(3) कपास की खराबी रोकने हेतु टिन शेड लगवाये गये हैं, व गोदाम निर्माण हेतु समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कपास की खराबी के लिए किसी व्यक्ति विशेष को अभी जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है।

जिला चित्तौड़गढ़ के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवासीय योजना

692. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समितियों के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कृपया योजना का विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

हां। इस जिले की पंचायत समितियों के पिछड़े वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा देने हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे जो प्राप्त हो गये हैं। वर्तमान में ग्रामीण आवासीय की निम्न दो योजनाएं चल रही हैं :—

1. ग्रामीण आवासीय भूखण्ड विकास योजना

2. ग्रामीण गृह निर्माण योजना चित्तौड़गढ़ जिले से आवासीय भूखण्ड योजना में 8842 भूखण्डों के लिए 229.87 लाख रुपये तथा ग्रामीण गृह निर्माण योजना में 200 भवनों के निर्माण के लिये 10.00 लाख रुपये की मांग प्राप्त हुई है। जिले से प्राप्त प्रस्तावों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न है। राज्य में चल रही इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रगति रिपोर्ट संलग्न है।

पूर्व में वर्ष 1972-73 में इस जिले के ग्रामीण आवासीय भूखण्डों की विकास योजना ली गई थी तथा 9.56 लाख रुपये 6,318 भूखण्डों के विकास हेतु आवंटित किये गए थे। इस राशि का उपयोग कर लिया गया है। इसके पश्चात कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ की सूची

आवासीय भूखण्ड विकास योजना के प्रस्ताव

क्र. सं.	पंचायत समिति	गांवों की संख्या	भू-खण्डों की संख्या एक जगह का कलस्टर समूह	बिखरे हुए भू-खण्डों की संख्या	प्रस्तावित विकास कार्य: कुआ संख्या	सड़क संख्या	नाली संख्या	जमीन समतल संख्या	अन्य	अनुमानित लागत राशि कालम 4 के कार्यों की राशि	प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य: भवनों की संख्या	अनुमानित लागत 200/- प्रति भवन का हिसाब	मूल मांग कालम 11 व 13 का योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	चित्तौड़गढ़	61	2008	--	42	(58400)	—	--	--	7,85,000	2008	52,20,800	60,05,800	
2.	कपासन	11	--	136	--	--	--	--	--	7,000	123	3,19,800	3,26,800	
3.	राश्मी	10	--	663	—	--	--	--	--	2,04,800	663	17,28,800	19,33,600	
4.	भूपालसागर	23	344	--	--	—	--	--	--	5,25,000	344	8,94,400	14,19,400	
5.	बेंगू	40	1860	22	21	17	5	2	--	2,82,300	1882	48,93,200	51,75,500	
6.	भैंसरोडगढ़	15	316	--	2	13	--	--	—	47,400	316	8,21,600	8,69,000	
7.	प्रतापगढ़	54	1702	--	12	8	--	52	--	1,40,100	1751	45,36,600	47,31,300	
8.	असनोद	6	179	4	(20600)	(6850)	--	--	--	27,450	183	4,75,800	5,03,250	
9.	निम्बाहेड़ा	11	217	10	--	--	—	--	--	2,61,400	154	4,00,400	6,61,800	
10.	छोटीसादड़ी	7	181	--	--	--	—	1	2	45,000	160	4,16,000	4,61,000	
11.	भदेसर	13	570	30	2	12	--	13	—	90,000	600	3,60,000	4,50,000	
12.	डूंगला	19	600	--	--	19	--	19	--	90,000	600	3,60,000	4,50,000	
	योग....	270	7977	865	83	69	5	87	2	25,05,450	8784	204,82,000	2,29,87,450	

8842

कार्यालय जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण गृह निर्माण योजना वर्ष 1980-81

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति	निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	प्रति मकान चाही गई औसत ऋण राशि	कुल ऋण राशि की मांग
1	2	3	4	5	6
1.	चन्देरिया	चित्तौड़गढ़	10	5,000	50,000
2.	पुठोली	,,	10	5,000	50,000
3.	रायता	बेगू	10	5,000	50,000
4.	सेन्ती	चित्तौड़गढ़	7	5,000	35,000
5.	पारसोली	बेगू	10	5,000	50,000
6.	राशमी	राशमी	11	5,000	55,000
7.	सांडास	,,	9	5,000	45,000
8.	फलवा	निम्बाहेड़ा	10	5,000	50,000
9.	मांगरोल	,,	10	5,000	50,000
10.	कारेण्डा	छोटी सादड़ी	10	5,000	50,000
11.	बान्सी	बड़ी सादड़ी	10	5,000	50,000

1	2	3	4	5	6
12.	धमोन्तर	प्रतापगढ़	10	5,000	50,000
13.	वरखेड़ा	,,	10	5,000	50,000
14.	भदेसर	भदेसर	18	5,000	90,000
15.	डूंगला	डूंगला	20	5,000	1,00,000
16.	प्रतापपुरा	भैंसरोड़गढ़	4	5,000	20,000
17.	बोराव	,,	4	5,000	20,000
18.	वरोकिया	,,	4	5,000	20,000
19.	अमरपुरा	,,	4	5,000	20,000
20.	झोपडिया	,,	4	5,000	20,000
21.	वलवन्तनगर	बेगू	3	5,000	15,000
22.	दोवनी	कपासन	5	5,000	25,000
23.	धमाण	,,	7	5,000	35,000
		योग....	200		10,00,000

नोट :—पंचायत समिति भूपालसागर अरनोद के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से प्रस्ताव नहीं भेजे जा रहे हैं। उपरोक्त पंचायत समिति अपने क्षेत्र में और भी गृह निर्माण कराने को तैयार हैं।

ह०/-
जिलाधीश, चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

ग्रामीण आवासन प्रकोष्ठ द्वारा निम्न योजनायें ली जा रही हैं:--

1- भू-खण्ड आवंटन एवं विकास योजना:-

यह योजना राज्य में सन् 1972-73 से चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/ जनजाति, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 150 वर्ग गज रिहायशी भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन किया जाता है। दिसम्बर, 1974 से मार्च, 1976 तक इस योजना के तहत 8.16 लाख भूखण्ड आवंटित किये गये। राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि कमजोर वर्ग के लोगों को 150 वर्ग गज का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करने का पंचायत नियमों में प्रावधान है इस प्रावधान के तहत माह नवम्बर, 70 से नवम्बर, 1974 तक 0.36 लाख भूखण्ड आवंटित किये थे। इस प्रकार अब तक कुल 8.54 लाख भू-खण्ड इन लोगों को राज्य के 24,000 ग्रामों में आवंटित किये जा चुके हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लोग एवं कृषकों को राजस्थान माइन एवं मिनरल एक्ट के भवन निर्माण हेतु इमारती सामान जैसे पत्थर बजरी, मुरम, चिकनी मिट्टी बिना किसी रायल्टी अथवा कीमत के राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, जिससे इस कार्यक्रम को गति मिलती है।

अब इन भूखण्डों को शनैः शनैः विकास करने की योजना ली जा रही है। भूखण्ड विकास योजना के तहत मार्च, 1980 तक 23502 भूखण्डों का विकास करने हेतु 56.36 लाख रुपये निम्नानुसार स्वीकृत किया जा चुका है। प्रत्येक भूखण्ड के विकास हेतु 750 रुपये की सीमा निर्धारित है।

क्र. सं.	वर्ष	प्रावधान लाखों रुपयों में		विकसित भूखण्डों की संख्या
		भारत सरकार द्वारा अनुदान	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	
1.	1972-73	2.81	7.87	7,120
2.	1973-74	4.38	—	2 920
3.	1974-75	—	—	—
4.	1975-76	—	3.50	1,600
5.	1976-77	—	4.00	2,660
6.	1977-78	—	0.84	560
7.	1978-79	—	7.97	5,310
8.	1979-80	—	24.99	3,332
	योग:	7.19	49.17	23,502

योजना में आवश्यकतानुसार पानी पीने हेतु पेयजल, कूप, नलकूप उपलब्ध कराये जाते हैं, जमीन समतल की जाती है; लिंकरोड, नाली, भवन निर्माण का कार्य किया जाता है। इसमें मार्च, 1979 तक 190 स्थानों पर लिंक रोड, नाला का निर्माण किया जा चुका है, 166 स्थानों पर पेयजल कूप बनाये गये हैं, नलकूप लगाये गये हैं। योजना में वर्ष 1979-80 में 3332 भूखण्डों के विकास हेतु 24.99 लाख रुपये आवंटित किया है। इसमें से जुलाई 1980 तक 7.07 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, 973 भूखण्डों का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष भूखण्डों का कार्य मौके पर चालू है। चालू वर्ष में 25.00 लाख रुपये का प्रावधान 3333 भूखण्डों के विकास हेतु है तथा सहकारिता विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य लिये जा रहे हैं।

2– ग्रामीण गृह निर्माण योजना

यह योजना मार्च, 1979 में ली गई है। योजना के अन्तर्गत 60 लाख रुपये का ऋण जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से प्राप्त हुआ है। योजना में गांवों में मकान बनाने हेतु सहायता के रूप में ऋण आवंटन किया जाता है। यह ऋण लागत का 80 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 5000 रुपये तक दिया जाता है। यह 25 वर्षों में किश्तों में वापस देय होगा। इस पर 8½ प्रतिशत ब्याज देय है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 11 जिलों की 46 पंचायत समितियों के 67 ग्रामों 1200 भवनों की योजना 60 लाख ऋण सहायता से ली गई है। योजना में 47.21 लाख रुपये का उपयोग कर लिया गया है। जिलाधीशों ने 9.76 लाख रुपये वापस राज्यकोष में जमा करा दिया है, 3.03 लाख रुपये वितरित करना शेष है। जुलाई, 1980 तक 766 भवन पूर्ण हो गये हैं तथा 229 भवनों का कार्य चालू है। योजना में इसके पश्चात कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई है।

बाणगंगा (जोधपुर) के विकास की योजना

693. **श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) एवं**

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जोधपुर जिले में स्थित बाणगंगा जैसे पवित्र धार्मिक स्थान को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान समझती है ? यदि हां, तो इसके विकास के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

जी नहीं। कोई योजना अभी तक नहीं बनायी है।

भूमि एवं भवन कर विभाग

694. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में भूमि एवं भवन कर विभाग से सरकार को प्रति वर्ष कितना लाभ व हानि होती है ? यदि सरकार को इस विभाग से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है तो इसे बन्द करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

राज्य सरकार को वर्ष 1973-74 से 1979-80 तक क्रमशः 20.58, 35.55, 60.62, 95.74, 82.39, 81.11 व 66.64 लाख रुपये राजस्व आय हुई है। कोई हानि किसी वर्ष में नहीं हुई है।

पीपलिया कलां में परिवहन निगम का बुकिंग कार्यालय स्थापित करना

695. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार का पीपलिया कलां, तहसील रायपुर मारवाड़, जिला पाली में राज्य पथ परिवहन निगम का बुकिंग कार्यालय खोलने का विचार है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार पीपलिया कलां के मुख्य सड़क पर स्थित होने, औद्योगिक क्षेत्र होने, तथा यात्रियों की संख्या की दृष्टि में वहां बुकिंग कार्यालय खोलना उचित नहीं समझती ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। पीपलिया कलां बुकिंग कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने से वहां बुकिंग कार्यालय खोलना सम्भव नहीं है।

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय

696. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर विकास न्यास ने 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 की अवधि में कच्ची बस्तियों में विकास कार्यों यथा नालियों, गटर लाइनों की मरम्मत एवं नये निर्माण कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर विकास न्यास को उपरोक्त अवधि में कुल 1550 बोरी सीमेंट ही आवंटित की गयी ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर विकास न्यास ने 1-1-79 से 31-12-79 की अवधि में कच्ची बस्तियों में विकास कार्यों तथा नालियों, गटर लाइनों की मरम्मत एवं नये निर्माण पर रु0 886957.57 धन राशि व्यय की है।

(2) नगर सुधार न्यास, जोधपुर को उपरोक्त अवधि में 1800 सीमेंट की बोरियां आवंटित की गयी थीं।

पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्र के अकाल राहत कार्य

697. श्री भैरूलाल (मनोहर थाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि झालावाड़ जिले की पंचायत समिति मनोहर थाना का क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित है ? यदि हां, तो क्या इस पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरखण्डया, लसोडियाशाह, चुरैलिया, देवरीकलां क्षेत्रान्तर्गत जनता को राहत पहुंचाने हेतु सरकार की ओर से कोई राहत कार्य चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पूर्व में क्रेश योजना द्वारा निर्मित ल्हास-लसोड़ियाशाह अपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य पुन: प्रारम्भ करने पर अकाल प्रभावित जनता को राहत मिल सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा देगी ?

उत्तर

(1) हां यही सही है कि झालावाड़ जिले की पंचायत समिति मनोहर थाना का सम्पूर्ण क्षेत्र संख्या 2036 खरीफ में अकाल ग्रस्त घोषित हो चुका है। इस क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरखंडिया, लसोडियाशाह, चुरैलिया, देवरी कलां की अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए पंचायतों के माध्यम से कुल 11 राहत कार्य दिनांक 31-7-80 तक चलाए गए जिनकी सूची संलग्न है। उपरोक्त 11 कार्यों में से 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पंचायत चुरैलिया के ग्राम देवरीचंचल में एक तालाब का कार्य अपूर्ण है।

(2) राज्य सरकार ने राज्य में व्यापक रूप में एवं सन्तोषप्रद वर्षा हो जाने के कारण समस्त सहायता कार्यक्रमों को 31-7-80 से बन्द कर दिया है। ऐसे कार्य जो अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत प्राप्त राशि से निष्पादित हो रहे हैं वह पूर्वानुसार ही चल रहे हैं। यह कार्य ऐसे कार्य होंगे जो आयोजना मापदण्ड के अनुरूप सही एवं खरे हैं। ऐसे छोटे-छोटे सामुदायिक ग्रामीण विकास के अधूरे कार्य जो विशिष्ठ कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे थे उनको भारत सरकार की नई राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी माहों में पूरा कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

सूची अकाल राहत कार्य पंचायत समिति, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)
दिनांक 31-7-1980 तक

क्र. सं.	नाम पंचायत		कार्य का नाम	गांव	लागत राशि	कार्यों की स्थिति
1.	देवरी कलां	1.	तालाब	महुआ खेड़ी	3680.10	पूर्ण
2.	चुरैलिया	2.	तालाब	नया गांव	3384.00	,,
		3.	तालाब	देवरी कलां	18613.62	अपूर्ण
		4.	झिरी	,,	424.00	पूर्ण
		5.	कूप गहरा	,,	500.00	,,
3.	लोसड़ियाशाह	6.	बांध	देवखो	3527.58	,,
		7.	झिरी	,,	566.82	,,
4.	सरखंडिया	8.	तालाब	सरखंडिया	11606.01	,,
		9.	तालाब	देवखो	4777.80	,,
		10.	तालाब	लहड़िया गेंद	8494.40	,,
		11.	बावड़ी सफाई हरिपुरा	हरिपुरा	475.76	,,
				योग	56047.39	

नोटः-कुल कार्य	तालाब	बांध	पानी पीने के कुओं को गहरा करवाया
11	6	1	4

ग्राम ईन्दावा, तहसील लालसोट की प्राथमिक शाला

698. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम, ईन्दावा तहसील लालसोट में प्राथमिक शाला चल रही है ? यदि हां, तो कब से तथा वर्त्तमान में छात्र संख्या क्या है ?

(2) क्या सरकार इस स्कूल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

उत्तर

(1) जी हां। यह शाखा 1954 से चल रही है तथा वर्त्तमान में इसमें 68 छात्र हैं।

(2) जी नहीं।

जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि का विक्रय

699. श्री जनार्दन सिह गहलोत (करौली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में अनेक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि को आवासीय भू-खण्डों में बेचा जाता रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या इन समितियों के पदाधिकारी न्यूनतम दरों की रसीदें देकर अधिकतम राशि वसूल करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि अनेक लोग किसानों की जमीनें सस्ती खरीद कर लाखों रुपये कमा रहे हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2व3) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई निश्चित और ठोस शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन विधान सभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के संदर्भ में और इस सम्बन्ध में भविष्य में प्राप्त होने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

झालरापाटन नगरपालिका द्वारा गृह कर लगाना

700. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगरपालिका, जिला झालावाड़ द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में गृह कर लगाने के लिये मकान मालिकों को नोटिस दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस आदेश से ?

(2) क्या अभी तक अन्य नगरपालिकाओं, यथा भवानी मंडी, झालावाड़, पिडावा आदि में गृह कर नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो फिर यहां किस आधार पर लगाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) गृह कर निर्धारण हेतु प्रारम्भिक सूचना के लिए नोटिस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 115/145 के अन्तर्गत दिये गये हैं।

(2) झालावाड़ व पिडावा में गृहकर लगाया हुआ है। भवानीमण्डी में लगा हुआ नहीं है पर अनिवार्य कर होने के नाते उनके द्वारा कर लगाया जाना वांछित है। इस हेतु उनका व अन्य जहां लागू-जहां लागू नहीं है, इसके लिए लिखा जा चुका है।

नागरिक सहकारी बैंक, कोटा की विज्ञान नगर में शाखा खोलना

701. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में स्थित नागरिक सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा विज्ञान नगर में अपनी शाखा खोलने का लाइसेंस कौनसी तारीख को प्राप्त हुआ ?

(2) अभी तक शाखा न खोलने का क्या कारण है और अब कब तक खोल दी जायेगी ?

उत्तर

(1) नागरिक सहकारी बैंक लि0, कोटा को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विज्ञान नगर में शाखा खोलने का लाइसेन्स दिनांक 7-2-80 को प्राप्त हुआ।

(2) विज्ञान नगर में नई शाखा खोलने हेतु अभी तक उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण शाखा नहीं खोली जा सकी। उचित स्थान मिलते ही शाखा खोल दी जावेगी।

जिला उदयपुर में संकर-4 कपास के बीज का वितरण

702. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में सन् 1980 के लिये खरीफ की फसल हेतु मई-जुन में शंकर-4 कपास के बीज का कृषि विभाग अथवा अन्य संस्था द्वारा वितरण किया गया ? यदि हां तो कितनी-कितनी मात्रा में ?

(2) क्या यह सही है कि बीज की अंकुरण क्षमता ठीक नहीं थी। यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को इस बीज से हुई हानि का मुआवजा देगी।

उत्तर

(1) जी हां। खरीफ 80 में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन द्वारा उदयपुर जिले में 8.33 क्विंटल शंकर कपास का बीज उपलब्ध कराया गया था।

(2) जी नहीं। प्रयोगशाला प्रमाण के अनुसार उक्त बीज की अंकुरण क्षमता ठीक पाई गई थी। अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर नगर में शहरी भूमि सीमा अधिनियम से विमुक्त भूमि

703. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर नगर में शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक किन-किन व्यक्तियों की कितनी भूमि विमुक्त या रिहा की गई है ? श्री इन्द्रचन्द्र सारवाल पुत्र श्री

(श्री मालूराम लेघा)
निहालचन्द्र सारवाल, रानी बाजार डाक बंगले के पास, बीकानेर की भूमि किस वजह से रिहा की गई जब कि कानून में उसे रिहाई नहीं दी जा सकती थी ? क्या श्री इन्द्रचन्द की जर्मीन की रिहाई के विषय में सबंन्धित विभाग में कोई जांच चल रही हैं ?

(2) श्री इन्द्रचन्द की रिहा की हुई जमीन क्या अभी तक उसी के कब्जे में है, या, यह उसने बेच दी हैं ? यदि बेच दी है, तो किन व्यक्तियों को ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि पर सिनेमा बनाने के लिए जिलाधीश, बीकानेर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ है और जिसके विरोध में बीकानेर के मजदूर संगठनों, विद्यार्थी संगठनों व कुछ राजनैतिक पार्टियों तथा दूसरे नागरिकों ने इस जमीन पर सिनेमा घर बनाने के विरोध में कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां तो, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई हुई है ?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर को रिहा की गई भूमियों की सूची परिशिष्ट (क) सदन के पटल पर रख दी गई है। हार्ड केसेज में सीलिंग को भूमि से अधिक भूमि की छूट निम्न व्यक्तियों को दी गई है :—

(1) श्री घनश्यामसिंह 2) श्री बलभद्रसिंह 3) श्री नरेन्द्रसिंह विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट (ख) में अंकित है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) श्री इन्द्रचन्द सारवाल ने धारा (6) (1) के अन्तर्गत एक विवरणी पेश की जिसमें इन्होंने स्वयं तथा अपने परिवार (पत्नी तथा पुत्र) की 2799.54 वर्ग मीटर भूमि का स्वामी बताया था यह विवरणी 6-10-76 को पेश की गई तथा दूसरी विवरणी दिनांक 10-10-77 को पेश की। अदालत मुंसिफ बीकानेर के निर्णय दिनांक 2-1-70 के आधार पर सक्षम अधिकारी (प्रशासन नगर परिषद, बीकानेर ने दिनांक 11-5-78 को निर्णय दिया जिसमें उन्होंने उक्त भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की मानते हुए तथा सीलिंग सीमा से कम माना। श्री सारवाल ने दिनांक 28-7-78 को अचल सम्पति विक्रय हेतु आवेदन किया। प्रार्थी को अनुज्ञा पत्र जारी किया गया व दिनांक 16-1-79 को दस्तावेजात रजिस्टर्ड हो गये।

(3) श्री एन. एन. सचदेवा, रानी बाजार, जागृति समिति, रानी बाजार बीकानेर से दो शिकायती पत्र क्रमशः 11-7-80 व 13-7-80 को निदेशालय में प्राप्त हुए जिनके विषय में सक्षम अधिकारी बीकानेर से रिपोर्ट चाही गई है।

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप-4) विभाग

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को दी गई छूट की सूची।

क. स.	नाम पता	क्षेत्रफल (वर्गमीटरों में)	
1.	2.	3.	
1.	श्री घनश्यामसिंह, बीकानेर	102.59	4-9-1979
2.	श्री बलभद्र सिंह, बीकानेर	143 00	28-10-1979
3.	श्री नरेन्द्र सिंह, बीकानेर	4320.00	8-4-1977

परिशिष्ट 'क'

नगर भूमि (अधिकत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत उद्योगों को मिली छूट की सूची

क्रम. सं	आदेश नं. व दिनांक जिनके द्वारा छूट प्रदान की गई।	नाम व पता औद्योगिक इकाई	प्लाट नं या खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1.	एफ 7(80) टीडी/76, दि. 5-10-76	मैसर्स सत्यराज एण्ड कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	1	1.25 एकड
2.	,,	मैसस हनुमान जोशी एण्ड कम्पनी	2	0.99 ,,
3.	,,	,, मूंदडा मैटल वर्क्स	3,4	1.76 ,,
4.	,,	,, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज	ए-5	0.50 ,,
5.	,,	,, गणेश वूल मिल्स	8	0.99 ,,
6.	,,	,, सुमेरमल दफ्तरी	9	0.99 ,,
7.	,,	,, महावीर आयल मिल	12	0.99 ,,
8.	,,	,, शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज	ए-13	0.58 ,,
9.	,,	,, देव इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन	बी 13	0.49 ,,
10.	,,	,, शाह चाक इण्डस्ट्रीज	ए-14	0.58 ,,
11.	,,	,, मोडर्न प्लास्टर इण्डस्ट्रीज	बी-14 एवं ए-15	0.49 ,,
12.	,,	,, बुनकर ऊनी गृह उद्योग	बी-15	0.50 ,,
13.	,,	,, राज प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड	17 व 18	1.76 ,,

14.	,,	मैसर्स श्री टाइल्स एण्ड मारबल	19	0.99 ,,
15.	,,	,, प्रकाश प्लास्टर्स	बी-21	0.48 ,,
16.	,,	,, मोनू प्लास्टर्स	सी-21	0.50 ,,
17.	,,	,, एमरी कम्पनी इंडिया प्रोडक्टस	डी-21	1,13 ,,
18.	,,	,, रा-प्रोडक्ट प्लास्टर एण्ड फर्टिलाईजर्स	27 एवं 32	1.98 ,,
19.	,,	,, खादी मंदिर	38,39,40,51,52 व 53	5.58 ,,
20.	,,	,, इन्दर केमिकल इन्डस्ट्रीज	41	0.99 ,,
21.	,,	,, बी. चन्द्रा एण्ड सन्स	55 व 56	1.98 ,,
22.	,,	,, गडपति वूलन मिल्स	57 व 66	1.98 ,,
23.	,,	,, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	118	2.86 ,,
24.	,,	,, फ्रेंड्स वूलन इण्डस्ट्रीज	ए-1 (सम्पदा)	0.99 ,,
25.	प.7(80)नम्र/76, 20-10-76	,, बीकानेर सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड	22,23,24,35,36,37	5.50 ,,
26.	,,	,, गार्डन वूलन मिल्स	25,26,33,34	3.96 ,,
27.	,,	,, एलाइड ग्राइनर्स एण्ड टेक्सटाईल कार्पो.	20,67,68	3.05 ,,
28.	प.7(80)नम्र/76, 20-11-76	,, सी. के. प्लास्टर एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर	64	0.99 ,,
29.	प7 80)न/ म/ 76, 9-12-76	,, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान संघ, ग्रो. सम्पदा, बीकानेर	ए-1/2	2 ए श्रेणी के शेड
30.	,,	,, शिव शक्ति ब्रेइड टेप कम्पनी	-3	1 ए ,,
31.	,,	,, मोहनी केमिकल इण्डस्ट्रीज	ए-4	1 ए ,,
32.	,,	,, महेश ग्रायल मिल	ए-5,6	2 ए ,,

1	2	3	4	5
33.	प.7(80)नग्रा/76, 9-12-76	मैसर्स बीकानेर जिणसन ग्राईडिंग	बी-1	1-बी श्रेणी के शैड
34.	,,	,, बीकानेर प्लास्टर एण्ड मिनरल्स	बी-2	1-बी ,,
35.	,,	,, प्रदीप इण्डस्ट्रीज	बी-3	,, ,,
36.	,,	,, स्नोवाइट प्लास्टर इण्डस्ट्रीज	बी-4	,, ,,
37.	,,	,, चोरडिया प्रिन्टर्स एण्ड केमिकल इण्ड.	बी-5	,, ,,
38.	,,	,, आत्माराम सेवाराम	बी-7	,, ,,
39.	,,	,, रेडियो क्राफ्ट्स	बी-10	,, ,,
40.	,,	,, एस. पी. इन्जीनियरिंग कम्पनी	बी-11	,, ,,
41.	,,	,, लक्की पेन्ट्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज	बी-12	,, ,,
42.	,,	,, डावसन इ डिया कारपोरेशन	बी-9	,, ,,
43.	,,	,, क्षेत्रिय समग्र लोक विकास संघ	बी-6	,, ,,
44.	,,	,, बीकानेर ब्रिकरियर एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज	बी-8	,, ,,
45.	,,	,, कुरेशी ब्लाटर्स एण्ड डिस्टेम्पर इण्डस्ट्रीज	बी-5	0.49 एकड
46.	,,	,, जनरल इण्डस्ट्रीज	ए-21	1.58 ,,
47.	,,	,, स्वास्तिक लाइम एण्ड केमिकल वर्क्स	31	0.99 ,,
48.	,,	,, भारत वूलन मिल्स	42	0.99 ,,
49.	,,	,, अग्रवाल साल्ट कम्पनी	54, 69	1.54 ,,
50.	,,	,, आहूजा साल्ट इण्डस्ट्रीज	85	0.77 ,,
51.	,,	,, त्रिमूर्ति फार्मेसी	बी-47	0.50 ,,
52.	,,	,, ससवानी वूलन मिल्स	72	0.99 ,,

1	2	3	4	5
53.	प.7(80)नआ/76, 9-12-76	मैसर्स चंडक गम फैक्ट्री	ए-88	0.85 एकड़
54.	एफ7(80)टीपी/76, 8-2-77	,, राजस्थान वूलन प्रेस, अजमेर रोड, बीकानेर	—	8772.00
55.	,,	,, राजस्थान वूलन मिल्स अजमेर रोड, बीकानेर	—	6346.00
56.	,, 1-4-77	,, एम. जी. एम. कम्पनी, बीकानेर	प्लाट नं. 11	1/2 एकड
57.	एफ7(282)नग्रा/76, 12-5-77	,, जयश्री इण्डस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	87वी	0.49 ,,
58.	एफ7(84)नग्रा/76, डी ग्रो. 20-7-77	,, श्री गणेश वूल प्रेसिंग कम्पनी लि. अजमेर रोड, बीकानेर		6916 वर्गमीटर
59.	प.14(245)नग्रा/77, 10-1-78	,, गुप्ता नेल इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	65	0.99 एकड
60.	एफ16(156)एफडी/ग्रुप-4, 10-7-78	,, झालानी वूलन मिल्स, बीकानेर		4828स्क्वायर मी.
61.	एफ16(157)एफडी/ग्रुप-4 12-6-79	,, जे. के. वूलन इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	58	3827 वर्गमीटर
62.	,,	,, ~~अग्रवाल वूलन मिल्स~~	83	3827स्क्वायर मी.
63.	,,	,, कमल कारपेट्स बीकानेर	81	3827 ,,
64.	,,	,, श्याम दाल मिल इण्ड. आइल मिल बीकानेर	73	3827 ,,
65.	,,	,, जैन दाल मिल, बीकानेर	80	3827
66.	,,	,, ओसवाल सीमेन्ट प्रोडक्ट्स	30	2899 ,,
67.	,,	,, मोहिनी टेक्सटाइल्स	84	3827 ,,

1	2	3	4	5
68,	एफ16(15 एफडी/ग्रुप-4, 15-[illegible]-79	मैसर्स कृष्णा दाल एण्ड मिल्स ग्री. क्षेत्र	97	3827स्क्वायर मी.
69.	एफ16(157)वित्त, ग्रुप-4 29-11-79	,, सूरज इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	50	3827 ,,
70.	,,	,, एच. के. वूलन लघु उद्योग, बीकानेर	76	3827 ,,

भादरा-सिरसा हरियाणा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बस सेवा चलाना

704. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन् 1957 से 75 तक भादरा-सिरसा (हरियाणा) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बसें चलती रही हैं ?

(2) भादरा-सिरसा (हरियाणा) मार्ग पर 1975 में सीधी बसें सिरसा जाने से क्यों रोकी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र की जनता को सीधी बसें न मिलने के कारण घंटों राजस्थान हरियाणा सीमा पर धूप व वर्षा में इन्तजार करना पड़ता है ?

(4) क्या भादरा क्षेत्र के अन्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीधी बसें चालू हैं ?

(5) यदि इस क्षेत्र के अन्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीधी बस सेवायें चालू हैं तो भादरा-सिरसा मार्ग पर क्यों नहीं हैं ?

(6) भादरा-सिरसा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बस सेवायें कब से चालू कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के परिवहन मंत्रियों के मध्य चण्डीगढ़ में सम्पन्न बैठक दिनांक 11-11-75 में यह निर्णय लिया गया था कि भादरा-सिरसा मार्ग पर राजस्थान के बस मालिकों का कोई नोमीनेशन नहीं होगा। इसी निर्णय के अनुसरण में इस मार्ग की राजस्थान सीमा से सिरसा तक कटौती कर दी गई।

(3) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(4) जी हां। भादरा से निम्नांकित सीधी बसें हरियाणा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चालू है:

1. भादरा-हिसार वाया बालसमन्द।
2. भादरा-हिसार वाया आदमपुर।
3. भादरा-सिवानी।
4. भादरा-भटू कलां।

(5) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में कारण स्पष्ट कर दिया गया है।

(6) इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य से वार्त्ता की जायेगी।

बामनवास थाना गृह के निर्माण के हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

705. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बामनवास में निर्मित थाना गृह में अवाप्त काश्तकारों को जमीन का मुआवजा उनको नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक दिला दिया जावेगा ? मंजूरशुदा मुआवजे की कितनी धनराशि बकाया है ?

उत्तर

जमीन अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है। मुआवजे की राशि जल्दी ही दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। मुआवजे की राशि कितनी है वह अवॉर्ड जारी होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

मुर्दा मवेशियों का ठेका

706. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कोटरा पंचायत समिति धौलपुर ने वर्ष 1978-79 का मुर्दा मवेशियों का ठेका किसी व्यक्ति को दिया है ? यदि हां, तो किसको व कितने में ?

(2) क्या उक्त ठेके की राशि ग्राम पंचायत की रोकड़ पुस्तिका में जमा की गई है ? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि रामजीलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत कोटरा, पंचायत समिति धौलपुर ने वर्ष 1978-79 का मुर्दा मवेशियों का ठेका श्री रामचरन पुत्र गेंदा, कौम जाटव, निवासी बाडी को 425/– में दिया था, जिसकी रसीद सरपंच ने संबंधित ठेकेदार को 27-4-79 को दी थी।

(2) जी हां, यह सही है कि सरपंच ने ठेके की उक्त 425/– रुपये की राशि ग्राम पंचायत की रोकड़ पुस्तिका में जमा नहीं की है। सरपंच के विरुद्ध इस आरोप का मामला विकास अधिकारी, धौलपुर के द्वारा ग्राम पंचायत के निरीक्षण के समय ध्यान में आया। जांच विचाराधीन है। सरपंच को मुर्दा मवेशी के ठेके की राशि 425/– रुपये ग्राम पंचायत की रोकड़ पुस्तिका में जमा कराने के आदेश दिनांक 4-7-80 को जिलाधीश द्वारा दे दिये हैं।

ग्राम मीरापुरा, तहसील दूदू का प्राथमिक शाला भवन

707. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मीरापुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में सरकार एवं जन सहयोग से प्राथमिक शाला के लिए भवन बनाया गया ?

(2) क्या दिनांक 24 अगस्त, 1980 को अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर के आदेशानुसार इस भवन में 9 जुलाई से 13 जुलाई, 1980 तक शाला चलाई गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्त्तमान में विद्यालय ऐसे भवन में चलाया जा रहा है जो चरागाह की भूमि पर अनधिकृत एवं बिना स्वीकृति के बना हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार एवं जन सहयोग से बना हुआ भवन इस भवन से अधिक उपयुक्त है व इसमें कमरों की संख्या भी अधिक है ? यदि हां, तो वर्त्तमान में इस सरकारी भवन का क्या उपयोग हो रहा है ?

(5) शाला भवन परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 24-5-80 के अनुसार दिनांक 1-7-80 से 9-7-80 तक शाला चलाई गई।

(3) यह विद्यालय जिस भवन में चल रहा है, वह ग्राम की चरागाह भूमि के एक किनारे पर स्थित है। जिसे जिलाधीश जयपुर द्वारा विद्यालय भवन हेतु कायम रखने के लिये स्वीकृति दी गई है। यह भवन पंचायत समिति के हक में नियमानुसार पंजीवद्ध हो चुका है।

(4) यह सही नहीं है कि काम के बदले अनाज योजना में बना भवन पूर्व में बने हुए शाला भवन से अधिक उपयुक्त है। कमरों की संख्या यद्यपि दोनों में 3–3 हैं किंतु जिलाधीश, जयपुर ने दोनों भवनों की उपयुक्तता के बारे में जांच की है और पूर्व में चल रहे स्कूल भवन को ज्यादा उपयुक्त माना है। काम के बदले अनाज योजना के तहत बने नये भवन के किसी सार्वजनिक कार्य हेतु प्रयोग के लिये पंचायत से प्रस्ताव मांगे गये हैं।

(5) जिस स्थान पर पूर्व में शाला चल रही थी उससे हटा कर नया शाला भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत ने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित किया। भवन के निर्माण के दौरान ग्रामवासियों ने शिकायत प्रस्तुत की कि नये

(195)

(पंचायत मंत्री)

बन रहे भवन वाला स्थान बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। उस पर जिलाधीश ने जांच करवाई। विकास अधिकारी ने ग्राम सभा बुलाई और मतदान करवाया। गांव का बहुमत पुराने स्कूल भवन के पक्ष में था, तथा विकास अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। अतः जिलाधीश, जयपुर ने ग्रामवासियों के बहुमत की भावना को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्मित भवन में ही शाला चलाते रहने के आदेश दिये।

नगर परिषद् कोटा और श्रमिकों के मध्य समझौता

708. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगर परिषद् कोटा और श्रमिकों के मध्य जुलाई माह में कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी पालना हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां, उक्त समझौते की आंशिक रूप से पालना हो गई है। शेष समझौते की शर्तों की क्रियान्विति की कार्यवाही जारी है।

ग्राम पंचायत रोजड़ी तथा डाबर का पुनर्गठन

709. **श्री सुनीलकुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रोजड़ी तथा डाबर प्रत्येक की जनसंख्या इस समय करीब 3,500 है ? यदि हां, तो अब तक इनका पुनर्गठन क्यों नहीं किया गया है तथा अब पुनर्गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां, ग्राम पंचायत रोजड़ी तथा डाबर (डाबला) पंचायत समिति रायसिंह-नगर की 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक की जन संख्या 4,254 एवं 4,535 हैं। पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ हैं। अतः पुनर्गठन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 531 की सूची

दिनांक 2-1-8 से 5-6-80 तक की अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के किये गये स्थानान्तरण का विभागानुसार ब्योरा ।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	स्थानान्तरित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग	116
2.	सिंचाई विभाग	72
3.	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	7
4.	उपनिवेशन विभाग	2
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8
6.	नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग	1
7.	कारागार विभाग	5
8.	पुलिस अधिकारी	44
9.	सहकारिता विभाग	24
10.	कृषि विभाग	82
11.	पशुपालन विभाग	10
12.	भेड़ व ऊन विभाग	6
13.	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग	46
14.	कालेज शिक्षा निदेशालय	26
15.	संस्कृत शिक्षा निदेशालय	1
16.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	2
17.	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविधिक परामर्शदाता	6
18.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी	118
19.	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी	41
20	भारतीय आरक्षी सेवा अधिकारी	26
21.	भारतीय वन सेवा अधिकारी	10
22.	तहसीलदार	32
23.	सांख्यिकी विभाग	31
24.	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी	80
25.	खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय	5
26.	पर्यटन विभाग	2

(137)

1	2	3
27.	राजस्थान नहर मंडल	4
28.	कारखाना एवं बायलर्स विभाग	1
29.	श्रम विभाग	3
30.	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी	31
31.	सहायक आबकारी अधिकारी	5
32.	जिला रसद अधिकारी	7
33.	विकास अधिकारी	23
34.	समाज कल्याण विभाग	5
35.	उद्योग विभाग	6
36.	वन विभाग	5
37.	न्याय विभाग	64
	कुल संख्या	957

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 53? की सूची

बीकानेर जिले में हथियार प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के कार्यालय में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की सूची ।

वर्ष	अनुमानित पत्रों की संख्या	प्रार्थना पत्र जो हथियारों के लाइसेन्स हेतु पु. अ. बीकानेर के कार्यालय में पेण्डिंग हैं, की संख्या
1978	162	32
1979	139	80
1980 (जून)	28	80
योग	329	192

(1079)

परिशिष्ट—7

तारांकित प्रश्न संख्या 537 की सूची

थाना प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा मय नाम वर्ष 1977 से 15 जुलाई, 1980 तक

क. सं.	नाम प्रभारी अधिकारी		प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या
1.	श्री रिछपालसिंह,	उप निरीक्षक	2
2.	,, सीताराम	,,	1
3.	,, हुक्माराम	,,	1
4.	,, अमरसिंह	,,	2
5.	,, खुशालचन्द	,,	1
6	,, धर्मसिंह	,,	1
7.	,, श्रवणसिंह	,,	6
8.	,, निछतरसिंह	,,	1
9.	,, स्वरूपसिंह	,,	4
10.	,, भजनसिंह	,,	1
11.	,, भंवरसिंह	,,	2
12.	,, भूरसिंह	,,	1
13.	,, ब्रजलाल	,,	2
14.	,, अब्दुल करीम	,,	1
15.	,, मुरलीधर	,,	1
16.	,, भूपराम	,,	1
17.	,, बहादुरसिंह	,,	3
18.	,, कल्याणसिंह	,,	1
19.	,, जयनारायणसिंह	,,	1
20.	,, दौलतराम	,,	3
21,	,, रामसिंह	,,	3
22.	,, वीरबलराम	,,	1
		कुल शिकायतें —	40

शिकायतों पर स्थानान्तरण अथवा सजा दिये गये थाना प्रभारियों के विवरण

शिकायतों पर स्थानान्तरण किये गये प्रभारियों के नाम	प्रभारी का नाम जिसे शिकायत पर सजा दी गई।
श्री भंवरसिंह, एस. एच. ओ., थाना नौखा	निल

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 541 की सूची)

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

विषयः—1971 के पूर्व के नियमन किये गये कब्जों की सूची

क्र. सं.	काबिज का नाम	स्थान/मोहल्ला	विशेष
1	2	3	4
1.	श्री लादूसिंह	सादूलगंज	
2.	,, मोहन हरिजन	,,	
3.	श्रीमती हसन बानू	,,	
4.	श्री नानूराम	,,	
5.	,, देवीसिंह	,,	
6.	,, बनेसिंह	,,	
7.	,, रामसिंह	,,	
8.	,, मालू खां	,,	
9.	,, बाबूलाल	,,	
10.	,, जेठमलसिंह	,,	
11.	,, किशनलाल	,,	
12.	,, ईश्वरसिंह	,,	
13.	,, श्रीसिंह	,,	
14.	,, मोडसिंह	,,	
15.	,, रामप्रताप	,,	
16.	,, फकरूद्दीन	,,	
17.	,, भंवरसिंह	,,	
18.	,, अकबर	,,	
19.	,, जेठसिंह	,,	
20.	,, रामदीन	,,	
21.	,, रामकुमार	,,	
22.	,, शिवनाथसिंह	,,	
23.	श्रीमती सम्पतदेवी	,,	
24.	श्री भूराराम	,,	
25.	,, चेतनराम	,,	

201

1	2	3	4
26.	श्री जगमालसिंह	सादुलगंज	
27.	,, सुन्दरलाल	,,	
28.	श्रीमती रूपादेवी	,,	
29.	श्री गोविन्ददान चारण	,,	
30.	श्रीमति सरस्वती	,,	
31.	श्री बनवारी	,,	
32.	श्रीमती भंवरी देवी	,,	
33.	श्री प्रेमसिंह	,,	
34.	,, सांवरमल	,,	
35.	,, कल्याणसिंह	,,	
36.	,, रामगोपाल	,,	
37.	,, हनुमानसिंह	,,	
38.	,, गिरधारीसिंह	,,	
39.	श्रीमती शाबिया	,,	
40.	श्री रामचन्द्र	,,	
41.	,, जेठाराम	,,	
42.	,, भगवान	,,	
43.	,, राम	,,	
44.	,, करणीराम	,,	
45.	,, नारायण	,,	
46.	श्रीमती गुलाब बाई	,,	
47.	श्री सूरजाराम	,,	
48.	श्रीमती नाथी	,,	
49.	श्री गोपीराम	,,	
50.	,, कण्डाराम	,,	
51.	श्री गोपालसिंह	,,	
52.	,, गगनराम	,,	
53.	,, पूनाराम	,,	
54.	,, सीताराम	,,	
55.	,, सूरजाराम	,,	
56.	,, वनवारी	,,	
57.	,, किशनसिंह	,,	
58.	,, नागरसिंह	,,	
59.	,, नूरे खां	,,	
60.	,, सुखाराम	,,	

1	2	3	4
61.	श्री रामकुमारसिंह	सादूलगंज	
62.	श्रीमती मथरा	,,	
63.	श्री छोटेलाल	,,	
64.	श्रीमती बीजादेवी	,,	
65.	श्री मालूराम	,,	
66.	,, गंगाराम	,,	
67.	,, गणेशाराम	,,	
68.	,, फतेहमोहम्मद	,,	
69.	,, म0 सोहनी	,,	
70.	,, हंसराज	,,	
71.	,, नारायण	,,	
72.	,, गोविन्दराम	,,	
73.	,, फूसाराम	,,	
74.	,, धन्नाराम	,,	
75.	,, मघाराम	,,	
76.	,, लच्छूसिंह	,,	
77.	,, गणेशाराम	,,	
78.	,, गोविन्दराम	,,	
79.	,, धामाराम	,,	
80.	,, मांगीलाल	,,	
81.	,, मु0 धन्नी	,,	
82.	श्रीमति मोहनी	,,	
83.	श्री ईश्वरराम	,,	
84.	,, शंकरसिंह	,,	
85.	,, भोलाराम	,,	
86.	,, उम्मीदाराम	,,	
87.	श्रीमती सुखदेवी	,,	
88.	,, सुभद्रा	,,	
89.	श्री जियाराम	,,	
90.	,, भंवरलाल	,,	
91.	,, संग्रामसिंह	,,	
92.	श्रीमती विमला	,,	
93.	श्री जबरूद्दीन	,,	
94.	,, भंवरसिंह	,,	
95.	,, मांगीलाल	,,	
96.	,, करणदीवान	,,	

1	2	3	4
97.	श्रीमती लक्ष्मी	सादूलगंज	
98.	श्री शंकरसिंह	,,	
99.	,, निहालसिंह	,,	
100.	श्रीमती रत्ना	,,	
101.	,, धूड़ीदेवी	,,	
102.	श्री राजबहादुर	,,	
103.	,, ताजूराम	,,	
104.	श्रीमती जमनादेवी	,,	
105.	श्री सुमेरसिंह	,,	
106.	,, जेठूसिंह	,,	
107.	,, मनोहरराम	,,	
108.	,, नारायणसिंह	,,	
109.	,, नन्दसिंह	,,	
110.	,, बस्तीसिंह	,,	
111.	,, चांदमल	,,	
112.	,, भूराराम	,,	
113.	,, गनपतराम	,,	
114.	,, नानूराम	,,	
115.	,, सुखराम	,,	
116.	,, नाहरसिंह	,,	
117.	,, बख्तावर	,,	
118.	,, शंकरलाल	,,	
119.	,, रिछपालसिंह	,,	
120.	,, दूलेहसिंह	,,	
121.	,, कशनाराम	,,	
122.	,, जेसदास	,,	
123.	,, प्रेमाराम	,,	
124.	,, पीरूखा	,,	
125.	,, ओंकारसिंह	,,	
126.	,, कालूराम माली	,,	
127.	,, छिन्दूसिंह	,,	
128.	,, चुन्नीलाल	,,	
129.	श्रीमती रामतीदेवी	,,	
130.	श्री पीरदानसिंह	,,	
131.	श्री बृजमोहन दास	,,	
132.	श्रीमती हीरादेवी	,,	

20W

1	2	3	4
133.	श्री बदू खां	सादूल गंज	
134.	,, दीनाराम	,,	
135.	,, सूखीराम कुम्हार	,,	
136.	,, शंकरसिंह	,,	
137.	,, भवरु खां	,,	
138.	,, रामचन्द्र धोबी	,,	
139.	,, शांतिलाल भदाणी	,,	
140.	,, रामलाल	,,	
141.	,, लक्ष्मण सिंह पुरोहित	,,	
142.	,, जगदीश प्रसाद राजपूत	,,	
143.	,, शिवराज सिंह चारण	,,	
144.	,, रामेश्वरलाल	,,	
145.	,, रामदीन भाई	,,	
146.	श्रीमती मोहनी देवी	,,	
147.	श्री रामचन्द्र नायक	,,	
148.	,, रघुवीर सिंह राजपूत	,,	
149.	,, गोविन्दराम गोदारा	,,	
150.	,, सूरजाराम भादू	,,	
151.	श्रीमती उम्मा देवी	,,	
152.	श्री यादसिंह जाट	,,	
153.	,, दलास हरिजन	,	
154.	,, गंगाराम	,,	
155.	,, रामकुमार नायक	,,	
156.	,, कालू खां	,,	
157.	,, खेतसिंह	,,	
158.	,, कल्लू खां	,,	
159.	श्रीमती राधाबाई राजपूत	,,	
160.	,, लक्ष्मी हरिजन	,,	
161.	,, परबती देवी स्वामी	,,	
162.	,, हनुमानसिंह राजपूत	,,	
163.	,, रामप्रसाद हरिजन	,,	
164.	,, पुनमचन्द सुनार	,,	
165.	,, हरिसिंह	,,	
166.	,, सुगनसिंह राजपूत	,,	
167.	श्रीमती मयुराबाई	,,	

1	2	3	4
168.	श्री धमाराम नायक	सादूल गंज	
169.	शादूसिंह राजपूत	,,	
170.	सुखनारायण राजपूत	,,	
171.	श्रीमती मोहनी	,,	
172.	श्री रामदेव नायक	,,	
173.	,, अलीम खां	,,	
174.	श्रीमती जतनी	,,	
175.	श्री भंवरसिंह	,,	
176.	श्री बद्रीप्रसाद	,,	
177.	श्रीमती केसर	,,	
178.	,, सोना देवी	,,	
179.	श्री मंगलाराम	,,	
180.	श्रीमती गोदावरी	,,	
181.	श्री भगतसिंह	,,	
182.	,, दानाराम	,,	
183.	,, सरजाराम	,,	
184.	,, गंगाराम	,,	
185.	,, करणीदान ब्राह्मण	,,	
186.	,, हनु प्रसाद कुम्हार	,,	
187.	,, नन्दसिंह	,,	
188.	,, भूलाराम	,,	
189.	,, उगाराम	,,	
190.	,, जगदीश चन्द्र	,,	
191.	श्रीमती खातुन	,,	
192.	श्रीमती कौशल्या	,,	
193.	श्री गंगाराम	,,	
194.	श्रीमती कमला देवी	,,	
195.	श्री हनुमान प्रसाद	,,	
196.	,, हसन तेली	कमला कालोनी	
197.	,, शौकत अली	,,	
198.	श्री जेठाराम मोची	,,	
199.	श्री भगवान दास मोची	,,	
200.	श्रीमती चन्दा सिकलीगर	,,	
201.	श्री जगदीश अनेजा	,,	
202.	श्रीमती जेठी बाई अनेजा	,,	
203.	,, जेठी बाई स्वामी	,,	

1	2	3	4
204.	श्रीमती देवरानी खत्री	कमला कालोनी	
205.	श्री रामकिशन सोनी	,,	
206.	,, किशनलाल	,,	
207.	,, भगवान दास खत्री	,,	
208.	,, सोहनलाल सोनी	,,	
209.	श्रीमती मोहनी देवी खत्री	,,	
210.	श्री नन्द लाल तनेजा	,,	
211.	श्रीमती कमती देवी राजपूत	,,	
212.	श्री विष्णु दत्त सोनी	,,	
213.	,, भवानी शंकर खत्री	,,	
214.	,, सन्धु राम खत्री	,,	
215.	श्रीमती तुलसी देवी खत्री	,,	
216.	श्री भगवान दास खत्री	,,	
217.	श्रीमती पम्मा देवी खत्री	,,	
218.	,, राम देही खत्री	,,	
219.	श्री मेघराज खत्री	,,	
220.	,, चोथराम खत्री	,,	
221.	श्रीमती रामप्यारी खत्री	,,	
222.	,, नानकी बाई	,,	
223.	,, बन्ना बाई	,,	
224.	,, उषा किगंर	,,	
225.	,, द्रोपदी देवी खत्री	,,	
226.	श्री सुरेद्र कुमार तनेजा	,,	
227.	,, प्रेम चन्द	,,	
228.	श्रीमती शकुन्तला मदान	,,	
229.	श्री बीरबल सियाराम विश्नोई	,,	
230.	श्रीमती जमना देवी खत्री	,,	
231.	,, खमरेल जुनेजा	,,	
232.	श्री विष्णु खत्री	,,	
233.	,, ताह राम खत्री	,,	
234.	,, किशन लाल	,,	
235.	श्रीमती कमला देवी खत्री	,,	
236.	श्री हसवान खत्री	,,	
237.	श्रीमती कौशल्या देवी जाहूजा	,,	
238.	,, द्रोपदी देवी	,,	

(207)

1	2	3	4
239.	श्रीमती रामप्यारी क्रिगंर	कमला कालोनी	
240.	श्री मदन लाल खत्री	,,	
241.	,, लाल चन्द खत्री	,,	
242.	,, भगवान दास खत्री	,,	
243.	,, श्याम लाल	,,	
244.	,, बुद्धन्ती खत्री	,,	
245.	,, कन्हैया लाल खत्री	,,	
246.	,, कृष्णा खत्री	,,	
247.	श्रीमती शकुन्तला	,,	
248.	श्री गोपाल दास खत्री	,,	
249.	श्रीमती पुष्पा देवी खत्री	,,	
250.	,, चन्द्रकान्ता खत्री	,,	
251.	,, देवरानी खत्री	,,	
252.	श्री गोरधन दास खत्री	,,	
253.	श्रीमती तीर्था बाई खत्री	,,	
254.	श्री भगवान दास खत्री	,,	
255.	श्रीमती विष्णु देवी खत्री	,,	
256.	,, शकुन्तला कपूर	,,	
257.	श्री भगवान दास खत्री	,,	
258.	श्रीमती भगवाना देवी खत्री	,,	
259.	श्री दीन दयाल पंजाबी	,,	
260.	,, रमेश कुमार	,,	
261.	श्रीमती शीला देवी खत्री	,,	
262.	,, ईश्वरी देवी पंजाबी	,,	
263.	श्री दासाराम	,,	
264.	,, नारायणदास पंजाबी	,,	
265.	श्रीमती अनिता पंजाबी	,,	
266.	श्री सुजान सिंह	इन्द्रा नगर	
267.	,, श्रीराम सेवग	,,	
268.	,, किशनलाल उपाध्याय	,,	
269.	श्रीमती भजनी देवी	,,	
270.	श्री नानु सिंह	,,	
271.	,, ओम प्रकाश मेहरा	,,	
272.	,, बल्लाराम	,,	
273.	,, खेतसिंह	,,	

1	2	3	4
274.	श्री मुहम्मद खां	इन्द्रा नगर	
275.	,, चुन्नीलाल	,,	
276.	,, चतुर्भुज मेहरा	,,	
277.	,, गिरधारीराम	,,	
278.	,, मोजदीन	,,	
279.	श्रीमती सिरेकुंवर	,,	
280.	,, रूकमा	,,	
281.	श्री राजेन्द्रप्रसाद	,,	
282.	श्रीमती मोहनकंवर	,,	
283.	श्री महावीरसिंह	,,	
284.	,, लियाकत अली	,,	
285.	,, लियाकत अली	,,	
286.	श्रीमती सिरेकंवर	,,	
287.	श्री सरदाराराम	,,	
288.	,, लक्ष्मीनारायण	,,	
289.	,, किशोरसिंह	,,	
290.	,, रतनसिंह	,,	
291.	,, प्रहलाद	,,	
292.	,, भंवरसिंह	,,	
293.	,, प्रीतमसिंह	,,	
294.	श्रीमती अमिला	,,	
295.	,, शारदादेवी	,,	
296.	श्री प्रहलादराम	,,	
297.	,, ओंकारमल	,,	
298.	,, बृजनाथ दूबे	,,	
299.	,, चुनाराम	,,	
300.	,, हनुमान प्रसाद	,,	
301.	,, फतहसिंह	,,	
302.	श्रीमती शायरा	,,	
303.	श्री माईदान	,,	
304.	,, भीयाराम	,,	
305.	,, सागरसिंह	,,	
306.	,, सुगनचन्द	,,	
307.	,, रूघनाथसिंह	,,	
308.	,, गोपालसिंह	,,	

2०९

1	2	3	4
309.	श्री भजनलाल	इन्द्रा नगर	
310.	,, बनवारीलाल	,,	
311.	,, नानूराम	,,	
312.	,, मोहनदास	,,	
313.	,, धर्मचन्द पाण्डे	,,	
314.	,, कानाराम	,,	
315.	,, करणीसिंह	,,	
316.	,, नत्थुसिंह	,,	
317.	,, मोडाराम	,,	
318.	श्रीमती भंवरी	,,	
319.	श्री गोपालसिंह	,,	
320.	श्रीमती राव कुमारी	,,	
321.	श्री फकरूखां	,,	
322.	,, सेवासिंह	,,	
323.	श्रीमती द्रोपदीदेवी	,,	
324.	श्री प्यारेलाल	,,	
325.	,, प्रतापसिंह	,,	
326.	,, वैद्य रमेशचन्द्र	,,	
327.	श्रीमती मुन्नी पंवार	,,	
328.	श्री रशीद	,,	
329.	,, मंगत	,,	
330.	श्रीमती एेमी	,,	
331.	श्री अब्दुल हमीद	,,	
332.	,, बुरखेराम	,,	
333.	,, नारायण	,,	
334.	,, रामसिंह	,,	
335.	,, रघुवीरसिंह	,,	
336.	,, रफीक मोहम्मद	,,	
337.	,, भागीरथसिंह	,,	
338.	,, अर्जुनसिंह	,,	
339.	,, हीरालाल	,,	
340.	,, श्रवणसिंह	,,	
341.	,, चेतनराम	,,	
342.	श्रीमती बोयती देवी	,,	
343.	श्री इकबाल	,,	

1	2	3	4
344.	श्री रामसुखराम	इन्द्रा नगर	
345.	,, शंकरसिंह	,,	
346.	श्रीमती अनोपकुंवर	,,	
347.	श्री गोपालराम	,,	
348.	,, उम्मेदसिंह	,,	
349.	,, नत्थुसिंह	,,	
350.	,, बालुसिंह	,,	
351.	,, राजूराम	,,	
352.	,, नत्थूराम	,,	
353.	,, इस्माईल	,,	
354.	,, कुसाराम	,,	
355.	,, बनेसिंह	,,	
356.	,, अलादीन	,,	
357.	श्रीमती वायला	,,	
358.	श्री नवलसिंह	,,	
359.	,, केशरीसिंह	,,	
360.	,, रामकुल	,,	
361.	,, बनेसिंह	,,	
362.	,, नखाराम	,,	
363.	,, बिशनाराम कुम्हार	रामपुरा	
364.	,, चन्द्रपाल शर्मा	,,	
365.	,, मोहम्मद अकबर	,,	
366.	,, भंवरसिंह	,,	
367.	,, विनोदकुमार	,,	
368.	,, कमरूद्दीन	,,	
369.	,, पूर्णसिंह	,,	
370.	,, पृथ्वीसिंह	,,	
371.	श्रीमती शतवन्ती	,,	
372.	,, अशर्फी	,,	
373.	श्री रफीक अहमद	,,	
374.	,, सोहनलाल	,,	
375.	,, अनवरअली	,,	
376.	,, आशाराम	,,	
377.	,, राजकुमार	,,	
378.	,, मोहम्मद रफी	,,	

1	2	3	4
379.	श्री अकुडाराम	रामपुरा	
380.	,, अफगल	,,	
381.	,, मोहम्मद सदीक	,,	
382.	,, भंवरलाल	,,	
383.	,, अलीमखां	,,	
384.	,, महबूबखां	,,	
385.	,, पन्नाराम	,,	
386.	,, नृसिंह	,,	
387.	,, नेमीचन्द	,,	
388.	,, चेनाराम कुम्हार	,,	
389.	श्रीमती केशरबाई	,,	
390.	श्री शिवप्रताप	,,	
391.	श्रीमती रमारानी शर्मा	,,	
392.	श्री दराव खां	,,	
393.	,, शिवनाथ	,,	
394.	,, हुसबत अली	,,	
395.	,, खुदाबक्श	,,	
396.	,, फहीमुद्दीन	,,	
397.	श्रीमती मुहोद्दी	,,	
398.	,, बस्तीराम	,,	
399.	,, भूराराम	,,	
400.	,, किशनसिंह विदावत	,,	
401.	,, हाजीमोहम्मद	,,	
402.	,, अजीज	,,	
403.	,, शेरमोहम्मद	,,	
404.	,, मोहम्मद रफीक	,,	
405.	श्रीमती हाजन हुकुमत	,,	
406.	श्री अब्दुलरसीद	,,	
407.	,, रहीमअली	,,	
408.	,, मोहम्मदमामीन	,,	
409.	,, हनीफ	,,	
410.	,, नन्दराम रावत	,,	
411.	,, भानुराम	,,	
412.	,, ज्ञानेश्वरहरी शर्मा	,,	
413.	,, दाऊसिंह	,,	

1	2	3	4
414.	श्री देवपालसिंह	रामपुरा	
415.	,, मदनसिंह	,,	
416.	,, जसवन्तसिंह	,,	
417.	,, समशुद्दीन	,,	
418.	,, केशुराम	,,	
419.	,, नथुराम कोली	,,	
420.	,, कहीमुद्दीन	,,	
421.	,, इब्राहीम	,,	
422.	,, महबूब खां	,,	
423.	,, किशनलाल	,,	
424.	,, मेघराम	,,	
425.	,, चन्द्रसिंह	,,	
426.	,, भागीरथ	,,	
427.	,, प्रभाराय	,,	
428.	,, श्रीराम	,,	
429.	,, जानमोहम्मद	,,	
430.	,, जस्सूराम	,,	
431.	,, मोहम्मदशफी अब्बासी	,,	
432.	,, जोरा राम	,,	
433.	,, मघाराम	,,	
434.	श्रीमती आशा	,,	
435.	श्री हजारी सिंह राजपुत	,,	
436.	,, रशूल मोहम्मद मुसलमान	,,	
437.	,, मोहन लाल	,,	
438.	,, मोती राम	,,	
439.	,, दीप चन्द	,,	
440.	,, मघा राम	,,	
441.	,, नेमी चन्द	,,	
442.	,, पोकर राम	,,	
443.	,, शंकर लाल माली	,,	
444.	,, रतन लाल	,,	
445.	,, घूड़ा राम	,,	
446.	,, हरी राम	,,	
447.	श्रीमती भंवरी देवी	,,	
448.	श्री बद्री दास	,,	

213

1	2	3	4
449.	श्री हीरा सिंह राजपूत	सुभाषपुरा	
450.	श्रीमती केसरबाई सुथार	,,	
451.	श्री समुद्र सिंह	,,	
452.	,, हीरा राम	,,	
453.	श्रीमती पारवती	,,	
454.	श्री नत्थु राम	,,	
455.	,, माल सिंह	,,	
456.	,, ईश्वर सिंह	,,	
457.	,, यासीन खां	,,	
458.	,, मूल चन्द	,,	
459.	,, रतनाराम	,,	
460.	श्री हनुमानदास		
461.	,, सजनसिंह राजपूत	,,	
462.	,, भैरूसिंह	,,	
463.	,, पूर्णसिंह	,,	
464.	,, नवाबअली	,,	
465.	,, भगवतसिंह	,,	
466.	,, हनीफ	,,	
467.	,, प्रेमसिंह	,,	
468.	,, शिवदयालसिंह	,,	
469.	,, हनुमानसिंह	,,	
470.	,, जगमालसिंह	,,	
471.	,, मूलाराम	,,	
472.	,, जडाव	,,	
473.	,, सायरसिंह शेखावत	,,	
474.	,, प्रेमरतन	,,	
475	,, मालखां	,,	
476,	,, मंगेजसिंह	,,	
477	,, भानीराम	,,	
478.	,, जसवन्तसिंह	,,	
479.	,, बच्चनसिंह राजपूत	,,	
480.	श्रीमती जतनकंवर राजपूत	,,	
481.	श्री प्रहलादसिंह	,,	
482.	,, गुमानसिंह	,,	
483.	,, सनसरुद्दीन	,,	
484.	,, मोहनसिंह	,,	

214

1	2	3	4
485.	श्री मालसिंह	सुभाषपुरा	
486.	,, मदनलाल	,,	
487.	,, मंगतखां	,,	
488.	,, मागूखां	,,	
489.	,, रामचन्द्र	,,	
490.	,, सागरमल	,,	
491.	,, अर्जुन	,,	
492.	,, बालूसिंह	,,	
493.	,, हुसैनखां मुसलमान	,,	
494.	श्रीमती रामप्यारी	,,	
495.	श्री माधोसिंह	,,	
496.	श्रीमती तुलसीदेवी	,,	
497.	,, भूरी	,,	
498.	श्री रामलालसिंह	,,	
499.	,, लखाराम पुरोहित	,,	
500.	,, श्याममोहम्मद	,,	
501.	,, दीनेखां मुसलमान	,,	
502.	,, भंवरसिंह	,,	
503.	,, बाबूलाल	,,	
504.	,, मूकरबखां	,,	
505.	,, श्रीराम	,,	
506.	,, रामसिंह	,,	
507.	,, कानसिंह	,,	
508.	,, जेठाराम	,,	
509.	,, अलारख अहमद	,,	
510.	,, बशीरखां	,,	
511.	,, कैलाश	,,	
512.	,, अनुपसिंह	,,	
513.	,, कासमसिंह	,,	
514.	,, नूरमोहम्मद	,,	
515.	,, छोगापुरी	,,	
516.	,, मुकारबखां	,,	
517.	,, हाकमअली	,,	
518.	,, कालूसिंह	,,	
519.	श्रीमती सोहनकंवर	,,	

215

1	2	3	4
520.	,, सरवरखां	सुभाषपुरा	
521.	,, हासमखां	,,	
522.	,, रामकुमार	,,	
523.	,, मुमताजखां	,,	
524.	,, मनफूल	,,	
525.	,, पूर्णसिंह	,,	
1.	श्री नवाबअली	गैर सरियान	
2.	,, मोहम्मद	,,	
3.	,, अमीरदीन	,,	
4.	,, मंगतू खां	,,	
5.	,, रमजान खां	,,	
6.	,, फलाराम	,,	
7.	,, रज्जाक	,,	
8.	,, जमालदीन	,,	
9.	,, नजीरअहमद	,,	
10.	,, हसन	,,	
11.	,, मुमताज	,	
12.	श्रीमती जन्नत	,,	
13.	श्री जैतून	,,	
14.	श्री मोहम्मदहुसैन	,,	
15.	श्रीमती कलसुम	,,	
16.	श्री फकरदीन	,,	
17.	,, सिकन्दरअली	,,	
18.	श्रीमती राबिया	,,	
19.	श्री शेरखां	,,	
20.	,, अब्दुलहक	,,	
21.	,, हसमत	,,	
22.	श्रीमती हसीना	,,	
23.	श्री अब्दुल मजीद	,,	
24.	,, मोहम्मदअली	,,	
25.	,, अब्दुलअजीज	,,	
26.	,, लालमोहम्मद	सर्वोदय बस्ती	
27.	,, बींजराम	,,	
28.	,, घूड़ाराम	,,	
29.	,, नत्थूखां	,,	

1	2	3	4
30.	श्री रूपाराम	सर्वोदयी बस्ती	
31.	,, गणेशराम	,,	
32.	,, जमालदीन	,,	
33.	श्रीमती धन्ना देवी	,,	

अन्य मोहल्ले

35.	श्री गोपाल पारी	नत्थूसर गेट	
36.	,, माणक ब्राह्मण	गूजरों की कब्रिस्तान	
37.	,, हेमाराम	फड़ बाजार	
38.	,, रामसहाय	गंगा शहर रोड	
39.	,, आनन्दसिंह	सूरसागर	
40.	,, गोपाललाल	के. ई. एम. रोड	
41.	,, आसूराम	रानी बाजार	
42.	,, गोपालराम	चौतीना कुंआ	
43.	,, रामदयाल		
44.	,, रामकरण बिश्नोई		
45.	,, मांगूखां	वीदा सरवारी	
46.	,, ललिताप्रसाद/कृष्णगोपाल	फड़ बाजार	
47.	,, बाबूलाल	बांगवा नानू	
48.	,, अब्दुलगनी	धोबी तलाई	
49.	,, फरीदखां	पठानों का बास	
50.	,, नूरमोहम्मद	कसाइयान	
51.	,, भूराराम	गोसियान	
52.	,, किशनलाल	इण्डस्ट्रीयल एरिया	
53.	,, दिनेशकुमार झा	लालगढ़ रेल्वे अस्पताल के सामने	
54.	,, विजयकुमार	(शोप्स) लालगढ़ स्टेशन के सामने	
55.	,, धनराज	,,	
56.	,, भंवरलाल	,,	
57.	,, नन्दलाल	,,	
58.	,, सुभाषचन्द	,,	
59.	,, बाबूलाल	,,	
60.	,, हजारी	,,	
61.	,, रफीक	,,	
62.	,, वालीमोहम्मद	,,	
63.	श्री गोपाललाल	फड़ बाजार	

217

1	2	3	4
64.	श्री लालसिंह	गंगाशहर रोड	
65.	,, गोरीशंकर	गजनेर रोड	
66.	,, अनवरअली	प्रताप बस्ती	
67.	,, कमलुदीन	,,	
68.	,, मोहम्मदरमजान	,,	
69.	,, अब्दुलसत्तार	,,	
70.	,, कमरुदीन	,,	
71.	,, अब्दुलसमद	,,	
72.	,, यूसुफ	,,	
73.	,, दीपसिंह राजपुत	रतन सागर कुए के पास	
74.	,, सगीरअहमद	गैरसरियान	
75.	,, शंकरलाल	पंवार सर बास	
76.	,, लक्ष्मणसिंह	पंवार सर	
77.	सरला पुत्री वीरसेन	सादूल नगर	
78.	श्री लालचन्द	बडी जसोलाई	
79.	,, शंकरलाल	कुंवारसर बास	
80.	,, वीरभान	के. ई. एम. रोड	
81.	,, भीखाराम	केसर देसर कुआ	
82.	,, जेठमल	लक्ष्मीनाथजी मन्दिर के पास	
83.	,, गोविन्दराम	अलख सागर	
84.	,, शंकरलाल	नत्थूसर गेट	
85.	,, मोहनलाल	सियाराम की गुफा के पास	
86.	,, पूनमचन्द	,,	
87.	,, बालकिशन	बडी जसोलाई	
88.	,, शेख रसूल	तेजान	
89.	,, अब्दुलसत्तार	जस्सूसर गेट (सोप्स)	
90.	श्रीमती चम्पादेवी	ईदगाह गवारी के पास	
91.	मेघराज	बंगला नं. 10 के पास	
92.	श्रीमती बाली	हमाली की बारी के बाहर	
93.	श्री मोहनलाल	सियारामजी की गुफा	
94.	,, श्यामसुन्दर	घूडांजी धर्मशाला	
95.	,, राधाकिशन	जेसूसर गेट बाहर	
96.	,, डा. सत्यप्रकाश	रथखाना	
97.	,, मुरली लुहार	प्रताप बस्ती	
98.	,, राजेन्द्रसिंह	घूडाजी की धर्मशाला	

1	2	3	4
99.	श्री शंकरलाल	नत्थूसर गेट	
100.	,, बिरयानसिंह	इण्डस्ट्रीयल एरिया	
101.	,, आकूडाराम एरिया	नत्थूसर गेट	
102.	,, छगनलाल	जसूसर गेट	
103.	,, मोतीलाल	पूवासरसवल	
104.	,, भंवरराम	केसरदेसर	
105.	श्रीमती जसोदादेवी	रथखाना	
106.	श्रीमती नैनीबाई	,,	
107.	श्री जयराम दया	,,	
108.	,, रघुनाथ	,,	
109.	,, उम्मेदराम	,,	
110.	,, पुरखाराम	,,	
111.	,, कुन्दनमल	,,	
112.	,, चेतनदास	,,	
113.	श्रीमती कौशल्या	शार्दूल गंज	
114.	श्रीमती खेमीबाई	रथखाना	
115.	श्री चन्द्रशेखर	फड़बाजार रेल्वे क्रासिंग के पास	
116.	मु. जसोदा	रथखाना	
117.	मु. ऊदी	रथखाना	
118.	श्री मोहनलाल	सियाराम गुफा के पास	
119.	,, भंवरसिंह	रानीसर बास	
120.	श्रीमती बाली	घूड़जी धर्मशाला	
121.	यासीन	सादूलगंज	
122.	श्री कासीम	बंगला नं. 10 के पीछे	
123.	,, मेघराज	,,	
124.	,, अनवर मोहम्मद	सागर रोड़	
125.	,, डूंगरराम मेघवाल	रेल्वे फ्राटक के पास	
126.	,, नत्थू	,,	
127.	,, अब्दुल सत्तार	,,	
128.	,, अजीज	,,	
129.	श्री सलीम	रेल्वे फाटक के पास (सोप्स)	
130.	,, ओंकार	,,	
131.	श्रीमती नसीबन	,,	
132.	श्री सागरमल	,,	
133.	,, राधेश्याम पुत्र छोगाराम हरिजन	मोहल्ला नत्थूसर गेट हरिजन	

(219)

1	2	3	4
134.	श्री परसाराम पुत्र गुरजीराम	मोहल्ला नत्थूसर गेट, हरिजन	
135.	,, छगनाराम पुत्र छोगाराम	,,	
136.	,, बसताराम पुत्र छोगाराम	,,	
137.	,, रामदेव पुत्र सन्तीराम	,,	
138.	,, बुलाकीचन्द पुत्र सन्नुराम	,,	
139.	,, बन्सीराम पुत्र ठण्डाराम	,,	
140.	,, शंकरराम पुत्र भंवरराम	,,	
141.	,, रमणराम पुत्र लादुराम	,,	
142.	,, चारूलाल पुत्र चन्दूलाल	,,	
143.	श्रीमती तिजिया पत्नी गोरधन	,,	
144.	श्री जोधराम पुत्र हीराराम	,,	
145.	,, छेलाराम पुत्र गुरजाराम	,,	
146.	,, बंशीलाल पुत्र शिवलाल	,,	
147.	,, धन्नाराम पुत्र बाबूलाल	,,	
148.	,, ओंकारलाल पुत्र किशनाराम	,,	
149.	,, बाबूलाल पुत्र मदनलाल	,,	
150.	,, मदनलाल पुत्र गंगाराम	,,	
151.	,, किशोरीलाल पुत्र लादूराम	,,	
152.	,, बिड़दाराम पुत्र सांवलराम	,,	
153.	,, किशनाराम पुत्र सांवलराम	,,	
154.	,, शंकरलाल पुत्र धोकलराम	,,	
155.	,, बद्रीदास पुत्र हजारीलाल	,,	
156.	,, धोकलराम पुत्र हनुताराम	,,	
157.	,, मीसाराम पुत्र छोगाराम	,,	
158.	,, रामचन्द्र पुत्र पूरनाराम	,,	
159.	श्रीमती ललूड़ी पत्नी धोकलराम	,,	
160.	श्री भागीरथ पुत्र लखूराम	,,	
161.	,, आसूराम पुत्र सातूराम	,,	
162.	,, छोटूराम पुत्र इण्डाराम	,,	
163.	,, गणपतराम पुत्र बिछूराम	,,	
164.	,, जुगली पुत्र प्रभूराम	,,	
165.	,, हरदेव पुत्र असाराम	,,	
166.	,, धन्नाराम चोरूराम पुत्र चुन्नीलाल	,,	
167.	,, मंगतूराम पुत्र गोविन्दराम	,,	
168.	,, बनीलाल हेमराम पुत्र नारायन	,,	

1	2	3	4
169.	श्री मदनलाल केशर पुत्र पदमाराम	मोहल्ला नत्थूसर गेट हरिजन	
170.	,, भंवरलाल पुत्र बदरीराम	,,	
171.	,, चांदाराम पुत्र जेठाराम	,,	
172.	,, बाबूलाल पुत्र गिट्टूराम हरिजन	,,	
173.	,, बाबूलाल पुत्र बक्शीराम	,,	
174.	,, प्रभूदयाल पुत्र पदमाराम	,,	
175.	,, गोरधन पुत्र नानाराम	,,	
176.	,, किशनलाल पुत्र लस्करराम	,,	
177.	,, आनन्दप्रकाश ओमप्रकाश पुत्र धूलाराम	,,	
178.	,, फकीरचन्द पुत्र गोलूराम	,,	
179.	श्रीमती लिलकी पत्नी शंकरलाल	,,	
180.	,, ,, सम्पतबाई पुत्री मंगलचन्द	,,	
181	,, किशोरदास पुत्र लेडाराम	,,	
182.	,, सम्पतलाल हरीप्रसाद पुत्र भागीरथ	,,	
183.	,, बहुराम पुत्र भोलाराम	,,	
184.	,, पागूराम पुत्र जोलाराम	,,	
185.	,, प्रभूराम पुत्र सातूराम	,,	
186.	,, सन्तूराम नारायणराम	,,	
187.	,, रामचन्द्र पुत्र मनसाराम	सुभाषपुरा बस्ती	
188.	,, लछमन पुत्र मनाराम	,,	
189.	,, रूपराम पुत्र रूगाराम	,,	
190.	,, इन्नरा पुत्र मूलाराम	,,	
191.	श्री गणेशराम पुत्र भीखाराम	,,	
192.	,, दूरजाराम पुत्र भीखाराम	,,	
193.	,, नानकराम पुत्र चन्दाराम	,,	
194.	,, हरीराम पुत्र कानाराम	,,	
195.	,, लादूराम पुत्र हमीरराम	,,	
196.	,, धन्नाराम पुत्र भीखाराम	,,	
197.	,, सूरजराम पुत्र छोगाराम	,,	
198.	,, मोहनलाल पुत्र धन्नाराम	,,	
199.	,, देवलाराम पुत्र रामचन्द्र	,,	
200.	,, खताराम पुत्र डालाराम	,,	
201.	,, दूदाराम पुत्र रावतराम	,,	
202.	,, कुम्भाराम पुत्र बालमराम	,,	
203.	,, कानाराम पुत्र भोकाराम	,,	

225

1	2	3	4
204.	श्री मंगाराम पुत्र रामचन्द्र	सुभाषपुरा बस्ती	
205.	,, जालूराम पुत्र बालूराम	,,	
206.	,, पनेराम पुत्र नवलाराम	,	
207.	,, दुर्गाराम पुत्र हमीराराम	,,	
208.	,, मोड़ाराम पुत्र दुदाराम	,,	
209.	,, घूड़ाराम पुत्र अमराराम	,,	
210.	श्रीमती घूड़ी पत्नी लूणाराम	,	
211.	,, भंवरलाल पुत्र नानूराम	,,	
212.	,, किसन पुत्र कुमाराम	,,	
213.	,, पोकरराम पुत्र कानाराम	,,	
214.	,, मोडाराम पुत्र घूड़ाराम	,,	
215.	,, अकूड़ाराम पुत्र लूणाराम	,,	
216.	,, लक्ष्मणराम पुत्र जमराम	,,	
217.	,, भंवरलाल पुत्र उदाराम	,,	
218.	,, पूनम पुत्र जेजाराम	,,	
219.	,, हूकमाराम पुत्र तेजाराम	,,	
220.	,, किसनाराम पुत्र भेराराम	.	
221.	,, मोहनलाल भीयाराम	,,	
222.	,, रामू पुत्र चन्दराम	,,	
223.	,, मूलाराम पुत्र चन्द्राराम	,,	
224.	,, पुरखाराम पुत्र चन्द्राराम	,,	
225.	,, मांगीलाल पुत्र मोतीलाल	,,	
226.	,, प्रेम पुत्र नानूराम	,	
227.	,, गोकुला पुत्र फकीराराम	,,	
228.	,, रामदेव पुत्र बालूराम	,,	
229.	,, रतनराम पुत्र नरताराम	,,	
230.	,, रूड़मल पुत्र कानराम	,,	
231.	, गोमुदराम पुत्र नानूराम	,,	
232.	,, दूलाराम पुत्र कानाराम	,,	
233.	,, शराराम पुत्र रामचन्द्र	,,	
234.	,, नाथूराम पुत्र चन्दाराम	,,	
235.	,, श्यामलाल पुत्र हूरजाराम	,,	
236.	,, कालूराम पुत्र आसूराम	,,	
237.	,, चुन्नीलाल पुत्र दूरजाराम	,,	
238.	,, मोहनलाल पुत्र लूणाराम	,,	

1	2	3	4
239.	श्री सूरजाराम पुत्र कानाराम	सुभाषपुरा बस्ती	
240.	श्रीमती तुलछीदेवी पत्नी चुन्नाराम	,,	
541.	श्री कालूराम पुत्र भूराराम	,,	
242.	,, मोहनलाल पुत्र मोतीलाल	,,	
243.	श्रीमती बाधूड़ीदेवी पत्नी मोड़ाराम	हरिजन मोहल्ला, खरनासु घर के पास	
244.	श्री गिरधारीलाल पुत्र देदाराम	,,	
245.	,, लादूराम पुत्र खूमाराम	,,	
246	,, मूलाराम पुत्र गिरधारीलाल	,,	
247.	श्रीमती सरदारी पुत्री लालूराम	,,	
248.	श्री लादूराम पुत्र बोकाराम	,,	
249.	,, मोड़ाराम पुत्र जेठाराम	,,	
250.	,, गंगाराम पुत्र भेराराम	,,	
351.	श्री हरखाराम पुत्र गोविन्दराम		
352.	,, मूलाराम पुत्र पनाराम		
353.	,, दूलराम पुत्र पनाराम	,,	
354.	,, आईदान पुत्र शिवजीराम	,,	
355.	,, प्रताप पुत्र मोडराम	,,	
356.	,, देवाराम पुत्र भीकाराम	,,	
357.	,, लूनाराम पुत्र शिवजीराम	,,	
358.	,, रूपाराम पुत्र अकुड़ाराम	,,	
359.	,, दमाराम पुत्र दूजाराम	,,	
360.	,, शराम पुत्र तनसुखराम	,,	
361.	,, हनुमानप्रसाद पुत्र मंगलाराम	,,	
362.	श्रीमती छूडा पत्नी चन्दाराम	,,	
363.	श्री मंगलाराम पुत्र सुगनाराम	,,	
364.	,, पूनमचन्द पुत्र भंवरलाल	,,	
365.	,, रामलाल पुत्र टोकूराम	,,	
366.	,, भंवरलाल पुत्र मूलाराम	,,	
367.	श्रीमती नारायणीदेवी पत्नी शंकरलाल	,,	
368.	श्री तेजाराम पुत्र भीकाराम	,,	
369.	,, श्रवणकुमार पुत्र मुकनाराम	,,	
370.	,, पूरणराम पुत्र भोलाराम	,,	
371.	,, मोटाराम पुत्र खमाराम	,,	
372.	,, लालूराम पुत्र खमाराम	,,	
373.	,, सूरताराम पुत्र खमाराम	,,	

223

1	2	3	4
374.	,, धुड़राम पुत्र खेमाराम	हरिजन मोहल्ला खरनासु घर के पास	
375.	,, गंगादास पुत्र चुन्नीलाल	,,	
376.	,, रनजीताराम पुत्र गोरखाराम	,,	
377.	,, अमानाराम पुत्र पदमाराम	,,	
378.	,, सालूराम पुत्र कोजाराम	,,	
379.	श्रीमती घडी पत्नी लिखमाराम	,,	
380.	,, तुलसी पत्नी जेठाराम	,,	
381.	,, यशोदा पत्नी नरसीराम	,,	
382.	श्री रावतराम पुत्र सूखाराम	,,	
383.	श्रीमती जेता पत्नी तनसुख	,,	
384.	श्री संताराम पुत्र साधुराम	,,	
385.	,, मुकनाराम पुत्र सुगनाराम	,,	
386	,, गजराम पुत्र गोकुलराम	,,	
387.	,, भीकाराम पुत्र सालूराम	,,	
388.	,, रेखाराम पुत्र मोडराम	,,	
389.	,, श्रवणराम पुत्र चेलाराम	,,	
390.	,, खेताराम पुत्र कोजाराम	,,	
391.	,, बक्शराम पुत्र ईश्वरराम	,,	
392.	,, मांगीलाल पुत्र झूठाराम	मेवालन बस्ती जसूसर गेट	
393.	,, अर्जुनराम पुत्र भूराराम	छोटी जसोलाई	
394.	,, सुगनाराम पुत्र भेराराम	,,	
395.	,, जोराम पुत्र मोटाराम	,,	
396.	,, भूराम पुत्र बक्शाराम	,,	
397.	,, मोडाराम पुत्र किस्तूराराम	,,	
398.	,, काजूराम पुत्र बक्शीराम	,,	
399.	,, हेमाराम पुत्र भीकाराम	,,	
400.	,, भंवरलाल पुत्र किशनाराम	,,	
401.	,, भीकाराम पुत्र लखराम	,,	
402.	,, खेजाराम पुत्र मंतूराम	,,	
403.	,, हजारीराम पुत्र किशनाराम	,,	
404.	,, सोहनलाल पुत्र मूलाराम	,,	
405.	,, मोहनलाल पुत्र मूलाराम	,,	
406.	,, पूनमचन्द पुत्र मोडाराम	,,	
407.	,, हनुमान पुत्र गणेशाराम	,,	
408.	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी भैराराम	,,	

1	2	3	4
409.	श्री पन्नालाल पुत्र मींडाराम	मेवालन बस्ती जसूसर गेट	
410.	श्रीमती तुलसी पत्नी रूपाराम	छोटी सजोलाई	
411.	श्री गोपीराम पुत्र लादूराम	,,	
412.	,, शेराराम पुत्र तनुराम	,,	
413.	,, मदनलाल पुत्र अमनाराम	,,	
414.	,, सावरमल पुत्र मोड़ाराम	हरिजन बस्ती गोगागेट	
415.	,, नत्थूराम पुत्र बस्तीराम	,,	
416.	,, सुन्दरलाल पुत्र बाबूलाल	,,	
417.	,, जेठाराम पुत्र घेवरराम	,,	
418.	,, नेमाराम पुत्र माधाराम	,,	
419.	,, मनीराम पुत्र माधाराम	,,	
420.	,, ओमप्रकाश पुत्र गुलाब	,,	
421.	,, रामदास पुत्र झूकरराम	,,	
422.	श्रीमती मैना पत्नी मैसूराम	,,	
423.	श्री सूरजाराम पुत्र छोटूराम	,,	
424.	,, भंवरलाल पुत्र सापरराम	,,	
425.	,, कन्हैयालाल पुत्र रामदीन	,,	
426.	,, मदनलाल पुत्र सुखाराम	,,	
427.	,, जयनारायण पुत्र बंशीराम	,,	
428.	,, नेनराम पुत्र तिलोकीराम	,,	
429.	श्रीमती शांति पत्नी रामरखराम	,,	
430.	श्री बेजूराम पुत्र हरदेवराम	,,	
431.	,, जीपरराम पुत्र दुर्गाराम	,,	
432.	,, चंपाराम पुत्र हरदेवराम	,,	
433.	श्रीमती तुलछी पत्नी सीताराम	,,	
434.	श्री हरिप्रकाश पुत्र हरदेवराम	,,	
435.	श्रीमती राधा पत्नी रूधाराम	,,	
436.	,, कैलादेवी पत्नी गोरधनराम	,,	
437.	,, नरवदी पत्नी मगतूराम	,,	
438.	,, कमलादेवी पत्नी माणकचन्द	,,	
439.	श्री अमराराम पुत्र भीकाराम	,,	
440.	,, गोविन्दराम पुत्र दुलाराम	,,	
441.	,, माणिकचन्द पुत्र रूगाराम	,,	
442.	,, मथुरालाल पुत्र पांचाराम	,,	
443.	,, केशवलाल पुत्र दूलाराम	,,	

1	2	3	4
444.	श्री फकीरराम पुत्र प्राणकराम	हरिजन बस्ती गोगागेट	
445.	,, शिवजी पुत्र माधाराम	,,	
446.	श्रीमती शांति पत्नी भंवरलाल	,,	
447.	श्री बालाराम पुत्र रामराम	,,	
448.	,, हरीराम पुत्र मालाराम	,,	
449.	,, सुखदेव पुत्र बाबूराम	,,	
450.	,, बक्शीदास पुत्र बस्तीराम	,,	
451.	,, मोहनलाल पुत्र गुरुबक्श	,,	
452.	,, रामदीन पुत्र साधुराम	,,	
453.	,, बक्शीराम पुत्र लालूराम	,,	
454.	,, रामपाल पुत्र रूगाराम	,,	
455.	,, शंकरलाल पुत्र श्रीराम	,,	
456.	,, काशीराम पुत्र बोजाराम	,,	
457.	,, रामबक्श पुत्र तेजाराम	,,	
458.	श्रीमती मेथी पत्नी बाबुलाल	,,	
459.	श्रीमती बायानी पत्नी छैलाराम	,,	
460.	श्री प्रहलाद पुत्र घीसाराम	,,	
461.	,, सुन्दर पुत्र बंशीराम	,,	
462.	,, चौथूराम पुत्र त्रिलोकराम	,,	
463.	श्रीमती जुमकारी पत्नी अगरूराम	,,	
464..	,, भंवरी पत्नी मीठूराम	,,	
465.	श्री विष्णु पुत्र रामपाल	,,	
466.	,, चारूराम पुत्र दुरगाराम	,,	
467.	,, ओमपाल पुत्र दुरगाराम	,,	
468.	,, छोलाराम पुत्र दुरगाराम	,,	
469.	,, हरदेवराम पुत्र कन्नाराम	,,	
470.	,, हरदेवराम पुत्र कानाराम	,,	
471.	,, मगतूराम पुत्र जावाराम	,,	
472.	,, राधाकिशन पुत्र डूंगरराम	,,	
473.	,, गंगाराम पुत्र पांचाराम पुत्र रामजी	,,	
474.	श्री पांचाराम पुत्र रामजी	,,	
475.	,, गोविन्द पुत्र पांचाराम	,,	
476.	श्रीमती दुर्गा पत्नि रामदीन	,,	
477.	,, बिला पत्नि जयप्रकाश	,,	
478.	श्री पोकरराम पुत्र रामदीन	,,	

1	2	3	4
479.	श्री हरबूराम पुत्र जीतूराम	हरिजन बस्ती गोगा गेट	
480.	,, बदरी पुत्र गोलूराम	,,	
481.	श्रीमती मोल पत्नि रामदेव	,,	
482.	श्री पांचीलाल पुत्र जीतमल	,,	
483.	श्रीमती ऊमली पत्नि रामदीन	,,	
484.	श्री शंकरलाल पुत्र गंगाराम	,,	
485.	,, रामचन्द/रामपाल	,,	
486.	श्रीमती जसोदा पत्नि सागर	,,	
487.	श्री सोहूद्रा पुत्र रामपाल	,,	
488.	,, इन्द्रचन्द पुत्र रामपाल	,,	
489.	,, मोड़ाराम पुत्र रामपाल	,,	
490.	,, बुदाराम पुत्र देवाराम	,,	
491.	,, हंसराम पुत्र केवलाराम	,,	
492.	,, प्रहलाद पुत्र भोलाराम	,,	
493.	,, छोटी पुत्र कालूराम	,,	
494.	,, बाबूलाल पुत्र मलाराम	,,	
495.	,, नरसिंहराम पुत्र बगसाराम	,,	
496.	,, छोटूराम पुत्र मंगतूराम	,,	
497.	,, गरीबदास पुत्र धोंकलराम	,,	
498.	,, शिवराम पुत्र केवलराम	,,	
499.	,, मांगीलाल पुत्र नारायणराम	,,	
500.	श्रीमती सुन्दरादेवी पत्नि जेठाराम	,,	
501.	श्री शंकरराम पुत्र मालहराम	,,	
502.	,, बसताराम पुत्र मालीराम	,,	
503.	श्रीमती घेवरी पत्नि दयाराम	,,	
504.	श्री गोधाराम पुत्र बालाराम	,,	
505.	,, मुगलचन्द पुत्र हजारीराम	,,	
506.	,, दुर्गाराम पुत्र नानूराम	,,	
507.	,, भंवरलाल पुत्र केवलराम	,,	
508.	,, कन्हैयालाल पुत्र हरदेवरा	,,	
509.	श्रीमती ईंटुदेवी पत्नि रामचन्द्र	,,	
510.	श्री मोडाराम पुत्र खोताराम	फतीपुरा	
511.	,, गोविन्दराम पुत्र मोडाराम	,,	
512.	,, देवाराम पुत्र मेंडाराम	,,	
513.	श्रीमती भीकीदेवी पत्नि सूरजाराम	,,	

227

1	2	3	4
514.	श्री मोडाराम पुत्र हुकमाराम	फतीपुरा	
515.	,, चांदाराम पुत्र हुकमाराम	,,	
516.	,, मगतूराम पुत्र जैराम	,,	
517.	,, आदूराम पुत्र नगनराम	,,	
518.	,, नैनवराम पुत्र छोगाराम	,,	
519.	,, मगाराम पुत्र हुकमाराम	,,	
520.	,, पूसाराम पुत्र बक्साराम	,,	
521.	,, रामलाल पुत्र पूसाराम	,,	
522.	श्रीमती सोहनी पत्नि आईदानराम	,,	
523.	श्री कालू पुत्र बुदाराम	,,	
524.	श्रीमती मींरा पत्नि बुदाराम	,,	
525.	,, जसोदादेवी पत्नि उदाराम	,,	
526.	श्री रूपाराम पुत्र सीजीराम	,,	
527.	,, सालूराम पुत्र उगाराम	,,	
528.	,, परमाराम पुत्र बूलाराम	,,	
529.	,, नानगराम पुत्र मोडाराम	,,	
530.	,, अमरचन्द पुत्र सांवतराम	,,	
531.	,, मोडाराम पुत्र गोकुलराम	,,	
532.	,, बुद्धाराम पुत्र चांदराम	,,	
533.	श्रीमती पारा पत्नि सगनाराम	,,	
53जे.	श्री देवाराम पुत्र मोडारम	,,	
535.	,, कालूराम पुत्र गलाराम	,,	
536.	,, हेमाराम पुत्र शिवनाथराम	,,	
537.	श्रीमती हीरा पत्नि मंगलाराम	,,	
538.	श्री आदूराम पुत्र चेतनराम	,,	
539.	,, जेठाराम पुत्र आदूराम	,,	
540.	,, हनुमानप्रसाद पुत्र पुरखाराम	,,	
541.	श्री किशनराम पुत्र चेतनराम	,,	
542.	,, छगनलाल पुत्र किशनलाल	,,	
543.	,, सुरजाराम पुत्र चतुराराम	,,	
544.	,, छोटूराम पुत्र उदाराम	,,	
545.	,, पुरखाराम पुत्र रूपाराम	,,	
546.	श्रीमती फूलीदेवी पत्नी सुगनाराम	,,	
547.	श्री रूपाराम पुत्र सुरजाराम	,,	
548.	श्रीमती हेमीदेवी पत्नी रामलाल	,,	

1	2	3	4
549.	श्री आसूराम पुत्र उदाराम	फतीपुरा	
550.	,, पेमाराम पुत्र बुदाराम	,,	
551.	,, लालाराम पुत्र पेमाराम	,,	
552.	,, रावतराम पुत्र लालूराम	,,	
553.	,, सीताराम पुत्र सुगनाराम	,,	
554.	,, केसरराम पुत्र सुगनाराम	,,	
555.	श्रीमती मानादेवी पत्नी नेनूराम	,,	
556.	श्री देलाराम पुत्र धूडाराम	,,	
557.	,, सूरजाराम पुत्र तेजाराम	,,	
558.	,, भंवरलाल पुत्र सुखाराम	,,	
559.	,, सुखाराम पुत्र जसाराम	,,	
560.	,, मनाराम पुत्र ताजूराम	,,	
561.	,, मंगाराम पुत्र ताजूराम	,,	
562.	,, पुरखाराम पुत्र माधाराम	,,	
563.	,, सुरजाराम पुत्र भीकाराम	,,	
564.	,, चांदाराम पुत्र पोकरराम	,,	
565.	,, मूलाराम पुत्र पोकरराम	,,	
566.	,, करनाराम पुत्र नारायणराम	,,	
567.	,, किशनाराम पुत्र तेजाराम	,,	
568.	,, मंगलाराम पुत्र तेजाराम	,,	
569.	,, केशूराम पुत्र मंथराम	,,	
570.	,, ओमप्रकाश पुत्र जोराराम	,,	
571.	,, नथूराम पुत्र दूलाराम	,,	
572.	,, पुखाराम पुत्र दूलाराम	,,	
573.	श्रीमती पारादेवी पत्नी ईश्वरराम	,,	
574.	श्री पूराराम पुत्र दोलाराम	,,	
575.	,, कानाराम पुत्र चूनाराम	,,	
576.	,, दूलाराम पुत्र बसताराम	,,	
577.	श्रीमती कुंतीदेवी पत्नी मथूराम	,,	
578.	,, मंकूदेवी पत्नी चूनाराम	,,	
579.	,, कमला पत्नी मंगतुराम	,,	
580.	श्री मोडाराम पुत्र हमीराराम	,,	
581.	,, दंपाराम पुत्र कानाराम	,,	
582.	,, पनाराम पुत्र जेठाराम	,,	
583.	,, हीयाराम पुत्र जेठाराम	,,	

229

1	2	3	4
584.	श्रीमती हस्त पत्नी मानाराम	फतेपुरा	
585.	,, नाथदेवी पत्नी मोतीराम	,,	
586.	,, बसन्तीदेवी पत्नी कुभाराम	,,	
587.	,, देवी पत्नी जसराज	,,	
588.	,, भंवरदेवी पत्नी किशनाराम	,,	
589.	,, बाकीदेवी पत्नी धनाराम	,,	
590.	,, मडोदेवी पत्नी रामदेव	,,	
591.	श्री किशनलाल पुत्र रामलाल	,,	
592.	श्रीमती सजनीदेवी पत्नी कस्तूराराम	,,	
593.	,, गोमती देवी पत्नी मूलीराम	,,	
594.	,, आपूदेवी पत्नी पुरखाराम	,,	
597.	श्रीमती पूरीदेवी पत्नी तारूराम	,,	
598.	श्रीमती तुलसीदेवी पत्नी देवाराम	,,	
599.	श्रीमती कमलादेवी पत्नी रामसिंह	,,	
600.	श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी भोलाराम	,,	
601.	श्रीमती सुठीदेवी पत्नी उदाराम	,,	
602.	श्री लखाराम पुत्र पेराराम	,,	
603.	,, रावतराम पुत्र लालूराम	,,	
604.	श्रीमती सूरजा पत्नी पीरूराम	,,	
605.	श्रीमती मीरा पत्नी चन्द्रराम	,,	
606.	श्री मोडाराम पुत्र रूपाराम	,,	
607.	,, आदूराम पुत्र चेतनाराम	,,	
608.	श्रीमती गंगा पत्नी भूराराम	,,	
609.	श्री चूना पुत्र रूपाराम	,,	
610.	,, मथुराराम पुत्र छोगाराम	,,	
611	श्रीमती मांगीदेवी पत्नी पूराराम	,,	
612.	श्री देवाराम पुत्र चेनाराम	,,	
613.	,, मांगीलाल पुत्र चेनाराम	,,	
614.	,, गोरधनराम पुत्र चेनाराम	,,	
615.	श्रीमती भादूदेवी पत्नी मोडाराम	,,	
616.	श्रीमती घूडी पत्नी हमीराम	,,	
617.	श्री खेताराम कानाराम	,,	
618,	,, लखमाराम पुत्र छोटूराम	,,	
619.	,, रामसुख पुत्र छोटूराम	,,	
620.	,, चुनीलाल पुत्र छोटलाल	,,	

1	2	3	4
621.	श्री लालराम पुत्र जेठाराम	फतेपुरा	
622.	,, लिच्छूराम पुत्र जेठाराम	,,	
623.	,, फूसाराम पुत्र अंखाराम	,,	
624.	श्रीमती परवती पत्नी आइदान	जसोलाई वडी	
625.	श्री टीकूराम पुत्र मोतीराम	,,	
626.	,, किसनाराम पुत्र दूधाराम	,,	
627.	,, मूलाराम पुत्र कस्तूराराम	,,	
628.	श्रीमती जूठी पत्नी लालूराम	,,	
629.	श्री गोविन्दराम पुत्र हुकमाराम	,,	
630.	,, वासुदेव पुत्र हुकमाराम	,,	
631.	,, ओमप्रकाश पुत्र पोकरराम	,,	
632.	,, आसूराम पुत्र पोकरराम	,,	
633.	श्रीमती गुड्डी पत्नी रतनलाल	,,	
634.	श्री नरसी पुत्र हजारीलाल	,,	
635.	श्रीमती केसर पत्नी हजारीलाल	,,	
636.	श्री खेतपाल पुत्र भीखाराम	,,	
637.	,, चेतनराम पुत्र प्रभुराम	,,	
638.	,, हजारीराम पुत्र पीराराम	,,	
639.	,, रावतराम पुत्र सिद्धाराम	,,	
640.	,, गंगाराम पुत्र रावतराम	,,	
641.	,, आसूराम पुत्र लिखमाराम	,,	
642.	,, लूणाराम पुत्र कालूराम	,,	
643.	श्रीमती धाकी पत्नी पूसाराम	,,	
644.	श्री मांगीलाल पुत्र किशनाराम	,,	
645.	,, केसरीचन्द पुत्र मोतीराम	,,	
646.	,, नाथूराम पुत्र पूसाराम	,,	
647.	,, रामलाल पुत्र देवाराम	,,	
648.	,, तुलसीराम पुत्र मोडाराम	,,	
649.	,, खेमचन्द पुत्र रावतराम	,,	
650.	,, ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द	,,	
651.	,, आसूराम पुत्र मेघराज	,,	
652.	,, मोडाराम पुत्र मतराम	,,	
653.	,, राम पुत्र धान्नाराम	,,	
654.	श्रीमती गंगा पत्नी डूंगरराम	,,	
655.	श्री ओमप्रकाश पुत्र मोडाराम	,,	

1	2	3	4
656.	श्री खेताराम पुत्र मोडाराम	जसोलाई बड़ी	
657.	,, धन्नाराम पुत्र करणदान	,,	
658.	श्रीमती मीरा पत्नी मोहनलाल	,,	
659.	श्री राउराम पुत्र धन्नाराम	,,	
660.	श्रीमती मीरा पत्नी पोकरराम	,,	
661.	श्री मोहनलाल पुत्र मनोहरलाल	जेश्रो रूई बड़ी	
662.	श्रीमती सज्जनी पत्नी गोविन्दराम	,,	
663.	श्री गोरीशंकर पुत्र तुलछीराम	,,	
664.	,, सेवाराम पुत्र काजूराम	,,	
665.	,, चांदराम पुत्र सेजोराम	,,	
666.	,, बंद्धाराम पुत्र धडाराम	,,	
667.	,, फुसाराम पुत्र दोलाराम	,,	
668.	,, लूणाराम पुत्र पेमाराम	,,	
669.	,, फुसाराम पुत्र गिरधारी	,,	
670.	,, मंसुख पुत्र फुसाराम	,,	
671.	श्रीमती माली बेवा रेवतराम	,,	
672.	श्री कानाराम पुत्र फुसाराम	,,	
673.	,, हस्तीराम पुत्र किशनाराम	,,	
674.	, पूनमचन्द पुत्र फताराम	,,	
675.	,, मास्टर फताराम पुत्र दातांराम	,,	
676.	,, चांदाराम पुत्र दानाराम	,,	
677.	,, रेवतराम पुत्र मोडाराम	,,	
678.	,, जगमाल पुत्र रेवतराम	,,	
679.	,, वालूराम पुत्र धन्नाराम	,,	
680.	श्रीमती जसोदा पत्नी जंगतराम	,,	
681.	,, कुम्भाराम पुत्र श्री मूला	,,	
682.	श्रीमती भीखी बेवा देवाराम	,,	
683.	श्री मांगीलाल पुत्र लूणाराम	,,	
684.	,, श्रवणराम पुत्र नोलाराम	,,	
685.	,, हेमाराम पुत्र हीरालाल	,,	
686.	,, आदूराम पुत्र मोडाराम	,,	
687.	श्रीमती हेमा बेवा मुनाराम	,,	
688.	श्री मोहनलाल पुत्र चौथाराम	,,	
689.	,, परमाराम पुत्र चौथाराम	,,	
690.	,, धुडाराम पुत्र मगनाराम	,,	

1	2	3	4
691.	श्री मकनाराम पुत्र चेताराम	जेओ रूई बड़ी	
692.	,, अर्जुनराम पुत्र तेजाराम	,,	
693.	,, मुनाराम पुत्र चेताराम	,,	
694.	,, नारायणदत्त पुत्र देवाराम	,,	
695.	,, तिलोकचन्द पुत्र नारायणदास	,,	
696.	,, नारायणदास पुत्र रावतराम	,,	
697.	,, पन्नालाल पुत्र चोथाराम	,,	
698	श्रीमती जेठी पत्नी माघाराम	,,	
699.	श्री जेठाराम पुत्र भोमाराम	,,	
700.	श्रीमती गोमती पत्नी पूर्णाराम	,,	
701.	श्री जाधुराम पुत्र लिखमाराम	,,	
702,	श्रीमती राधा पत्नी रामूराम	,,	
703.	श्री खोताराम पुत्र मोडाराम	,,	
704.	,, खोताराम पुत्र भैंराराम	,,	
705.	,, प्रभुराम पुत्र भैंराराम	,,	
706.	,, सीलाराम पुत्र मूलाराम	,,	
707.	,, अन्नाराम पुत्र सुगनाराम	,,	
708.	,, लालचन्द पुत्र मोडाराम	,,	
709.	,, उतमाराम पुत्र नत्थाराम	,,	
710.	श्रीमती बाली पत्नी अमराराम	,,	
711.	,, केसर पत्नी पन्नालाल	,,	
712.	,, उमा पत्नी खातोराम	,,	
713.	श्री पूनमचन्द पुत्र फूसाराम	,,	
714.	श्रीमती सोनारदेवी पत्नी तेजाराम	,,	
715.	श्री आसाराम पुत्र लछीराम	,,	
716.	,, किसनाराम पुत्र धन्नाराम	,,	
717.	,, आदूराम पुत्र मूलाराम	,,	
718.	,, मुकनाराम पुत्र बरुसाराम	,,	
719.	,, मोटाराम पुत्र पदमाराम	,,	
720.	,, रामधन पुत्र रावतराम	,,	
721.	श्रीमती हरखू पत्नी गोविन्दराम	,,	
722.	श्री मगाराम पुत्र सरदार	,,	
723.	,, अमरसुख पुत्र भीखाराम	रामपुरा बस्ती	
724.	,, रामजीलाल पुत्र रुपाराम	,,	
725.	,, मूलचन्द पुत्र श्री उदाराम	,,	

233

1	2	3	4
826.	श्री भंवरलाल पुत्र मेघाराम	रामपुरा बस्ती	
827.	,, भंवरलाल पुत्र प्रेमाराम	,,	
828.	,, उदाराम पुत्र जीवनराम	,,	
829.	,, मोहनलाल पुत्र कुम्भाराम	,,	
830.	,, देवाराम पुत्र दरूराम	,,	
831.	श्रीमती पेमा बेवा पत्नी लाभूराम	,,	
832.	श्री कालूराम पुत्र भीखाराम	,,	
833,	,, भंवरलाल पुत्र मोटाराम	,,	
834:	,, शंकर लाल पुत्र गोरधनराम	,,	
835.	श्रीमती रखमा पत्नी बद्रीनारायण	,,	
836.	श्री श्रवणकुमार पुत्र गोरधनराम	,,	
837.	,, अर्जुनराम पुत्र पुरखाराम	,,	
838.	,, महेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्णसिंह	,,	
839.	,, चौथराम पुत्र सुखाराम	,,	
840.	श्रीमती चंदनकोर पत्नी स्वर्णसिंह	,,	
841.	श्री लालूराम पुत्र रूपाराम	,,	
842.	,, हनुमानराम पुत्र किशनाराम	,,	
843.	श्रीमती राधापत्नी कुम्भाराम	,,	
844.	,, ,, मूलीदेवी पत्नी अमरसुख	,,	
845.	श्री ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल	,,	
846.	,, हीरालाल पुत्र किशोरराम	,,	
847.	,, भंवरलाल पुत्र प्रेमचन्द	,,	
848.	,, प्रेमचन्द पुत्र कुन्नाराम	,,	
849.	,, मंगलप्रसाद पुत्र जोराराम	,,	
850.	,, शम्भीकपूर पुत्र गरीबदास	,,	
851.	,, रामपाल पुत्र मोहनराम	,,	
852.	,, पुरखाराम पुत्र भीखाराम	,,	
853.	,, फोजी पुत्र दीनाराम	,,	
854.	,, रामेश्वर पुत्र माधाराम	,,	
855.	,, रामा पुत्र माधाराम	,,	
856.	,, ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र	,,	
857.	,, प्रहलाद पुत्र बंशीजी	,,	
858.	,, दोलतराम पुत्र पांचीराम	,,	
859	,, राजेन्द्र पुत्र जगन्नाथ	,,	
860.	,, ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद	,,	

1	2	3	4
861.	श्री रामबक्स पुत्र जगन्नाथ	रामपुरा बस्ती	
862.	,, दुलीचन्द पुत्र जगन्नाथ	,,	
863.	,, विष्णु पुत्र अमोलक	,,	
864	,, बीरमाराम पुत्र अमोलक	,,	
865.	,, रामेश्वर पुत्र थेलाराम	,,	
866.	,, भंवर पुत्र सोहन	,,	
867.	,, प्रकाश पुत्र सोहन	,,	
868.	,, केशुराम पुत्र शंकरराम	,,	
869.	,, नानाराम पुत्र सुखाराम	,,	
870.	,, मोड़ाराम पुत्र हीराराम	,,	
871.	,, अर्जुनराम पुत्र माणकराम	,,	
872.	,, डूंगाराम पुत्र गुणराम	,,	
873.	,, उदाराम पुत्र पुराराम	,,	
874.	श्रीमती बली पुत्री जेठाराम	,,	
875.	श्री मोतीराम पुत्र रूपाराम	,,	
876.	,, गोधाराम पुत्र चांदाराम	,,	
877.	श्रीमती जंवरादेवी पत्नी सदासुख	,,	
878.	श्री उदाराम पुत्र जीतुराम	,,	
879.	,, मोटाराम पुत्र नत्थुराम	,,	
880.	,, नत्थुराम पुत्र लिछमाराम	,,	
881.	,, रतूराम पुत्र जीवनराम	,,	
882.	श्रीमती आशादेवी पत्नी केसरीमल	,,	
883.	श्री किशनाराम पुत्र फकीराराम	,,	
884.	,, अकुड़ाराम पुत्र जीवणराम	,,	
885.	,, चोखाराम पुत्र शंकरराम	,,	
886.	,, जोखराम पुत्र खानराम	,,	
887.	,, प्रहलादराम पुत्र भारथाराम	,,	
888.	,, सोनाराम पुत्र मोडाराम	,,	
889.	,, श्रवणराम पुत्र कालूराम	,,	
890.	श्रीमती बाचुदेवी पत्नी चेतनराम	,,	
891.	,, धूडी पत्नी सेवाराम	,,	
892.	,, मोहनी पत्नी जेसाराम	,,	
893.	श्री मोडाराम पुत्र कुम्भाराम		
894.	श्रीमती मेमली पत्नी खेमाराम	,,	
895.	श्रीमती तीजा पत्नी भीखराम	,,	

238

1	2	3	4
896.	श्री माधाराम पुत्र रूपाराम	रामपुरा बस्ती	
897.	,, प्रभूराम पुत्र मोतीराम	,,	
898.	श्रीमती सोनी पत्नी जीवनराम	,,	
899.	श्री मवदाराम पुत्र सुगनाराम	,,	
900.	,, रामचन्द्र पुत्र सुगनाराम	,,	
901.	,, पन्नाराम पुत्र मूणाराम	,,	
902.	,, जवरराम पुत्र लाधुराम	,,	
903.	श्रीमती मोहनी पत्नी भोलाराम	,,	
904.	श्री रतुराम पुत्र धुराराम	,,	
905.	श्रीमती धमदेवी पत्नी सुखाराम	,,	
906.	श्री नत्थुराम पुत्र कालूराम	,,	
907.	,, परखाराम पुत्र किशनाराम	,,	
908.	,, मूलचन्द पुत्र प्रभुराम	,,	
909.	,, जमनाराम पुत्र नत्थुराम	,,	
910.	,, लिखमाराम पुत्र जेठाराम	,,	
911.	,, मानाराम पुत्र लालूराम	,,	
912.	,, पूसाराम पुत्र चोखाराम	,	
913.	श्रीमती धर्मादेवी पत्नी ईश्वरराम	,,	
914.	श्री रामदेव पुत्र तेजाराम	,,	
915.	,, मांगीलाल पुत्र श्रवणराम	,,	
916.	,, पन्नालाल पुत्र जीवणराम	,,	
917.	,, कस्तूराराम पुत्र जीवणराम	,,	
918.	,, सुन्दरलाल पुत्र भैरूराम	,,	
919.	,, भंवरलाल पुत्र आसूराम	,,	
920.	,, मोहनलाल पुत्र चन्दनराम	,,	
921.	,, जेठाराम पुत्र मोटाराम	,,	
922.	श्रीमती गोमती पत्नी आसूराम	,,	
923.	श्री प्रभूराम पुत्र रामजी	,,	
924.	,, जवाराराम पुत्र जीवणराम	,,	
925.	,, केशराराम पुत्र मेवाराम	,,	
926.	,, मोडाराराम पुत्र चोखाराम	,,	
927.	श्रीमती मोहनी देवी पत्नी मांगीलाल	,,	
928.	श्री अर्जुनराम पुत्र नेनूराम	,,	
929.	,, राम पुत्र थेलाराम		
930.	,, कुम्भाराम पुत्र जोराराम	,,	

1	2	3	4
931.	श्री अन्दुराम पुत्र श्रीपुराराम	रामपुरा बहत।	
932	,, फकीराराम पुत्र हेमाराम	,,	
933.	,, लालाराम पुत्र प्रभूराम	,,	
934.	,, हीराराम पुत्र चादाराम	,,	
935.	,, मुकनाराम पुत्र दरूराम	,,	
936.	,, हीराराम पुत्र अर्जुनराम	,,	
937.	,, गुणराम पुत्र रामबक्श	,,	
938.	,, सूरजाराम पुत्र सुगनाराम	,,	
939.	,, तोलाराम पुत्र भोलाराम	,,	
940.	,, पेमाराम पुत्र जेठाराम	,,	
941.	श्रीमती चम्पादेवी पत्नी धर्माराम	,,	
942.	श्री गोकुलचन्द पुत्र मोड़ाराम	,,	
943.	,, गिरधारी पुत्र नत्थुराम	,,	
944.	,, पुरखारा पुत्र मुणाराम	,,	
945.	,, गंगाराम पुत्र पुर्णाराम	,,	
946.	,, दीनाराम पुत्र घीसाराम	,,	
947.	,, रामचन्द्र जसाराम	,,	
948.	श्रीमती विदामी पत्नी मोहन	,,	
949.	श्री सेवाराम पुत्र हनुमान	,,	
950.	,, कैलाश पुत्र सुखराम	,,	
951.	,, भंवर पुत्र दीनाराम	,,	
952.	,, हजारीलाल पुत्र नन्दुराम	,,	
953.	,, राधेश्याम पुत्र दोखलराम	,,	
954.	,, सम्पतराम पुत्र दोखलराम	,,	
955.	श्री गरीबदास पुत्र धोकलराम	,,	
956.	,, आनन्द पुत्र धोकलराम	,,	
957.	,, मोहन पुत्र केशुराम	,,	
958.	,, भंवर पुत्र चांदाराम	,,	
959.	,, सीताराम पुत्र भीखाराम	,,	
960.	,, सोहन पुत्र मोतीराम	,,	
961.	,, छेलूराम पुत्र हीराराम	,,	
962.	,, अमोलक पुत्र दुर्गादास	,,	
963.	,, पांचाराम पुत्र रामनाथ	,,	
964.	,, जगन्नाथ पुत्र घीसाराम	,,	
965.	,, गणपतराम पुत्र पांचीराम	,,	

1	2	3	4
966.	श्री रामदास पुत्र वंशीराम	रामपुरा बस्ती	
967.	,, मादाराम पुत्र केशरा	,,	
968.	श्री भीयाराम पुत्र सालाराम	मोहल्ला भमीवाड़ा पाबूबार मेघवालान	
969.	,, मघाराम पुत्र सालाराम	,,	
970.	,, गंगादास पुत्र चोखाराम	,,	
971.	,, सेवाराम पुत्र गोरखराम	,,	
972.	,, प्रतापराम पुत्र गोरखराम	,,	
973.	,, हरजीराम पुत्र सादाराम	,,	
974.	,, भंवरलाल पुत्र मधूराम	,,	
975.	श्रीमती पुर्नी पत्नी खेताराम	,,	
976.	श्री रूघनाथ पुत्र भेराराम	,,	
977.	,, मघाराम पुत्र पन्नाराम	,,	
978.	,, मांगीलाल पुत्र मोतीलाल	,,	
979.	श्रीमती सरस्वती उर्फ तुलछी पत्नी ताराचन्द	,,	
980.	श्री चांदाराम, गोमाराम	,,	
981.	,, पन्नालाल पुत्र शंकरलाल	,,	
982.	श्रीमती चिम्मी पत्नी मोडाराम	,,	
983.	श्री जोराराम पुत्र ननूराम	,,	
984.	,, जेठाराम पुत्र धेकलराम	,,	
985.	,, धेकलराम पुत्र हेमाराम	,,	
986.	,, ईश्वरराम पुत्र लाखूराम	,,	
987.	,, रणछोडराम पुत्र नत्थूराम	,,	
988.	,, भतलाल पुत्र मालूराम	,,	
989.	,, सुखदेव पुत्र अकडाराम	,,	
990.	,, लक्ष्मणराम पुत्र हेमाराम	,,	
991.	,, बालूराम पुत्र लाखूराम	,,	
992.	श्रीमती ननू पत्नी कलाराम	,,	
993.	श्री मातोराम पुत्र इमरताराम	,,	
994.	,, मोडाराम पुत्र शंभूराम	मोहल्ला पाबूवारी बाहर	
995.	,, जेठाराम पुत्र भोमाराम	,,	
996.	,, मंगतूराम पुत्र मघाराम	,,	
997.	,, दलाराम पुत्र काजुराम	,,	
998.	,, अबूदाराम पुत्र खेताराम	,,	
999.	,, जेसाराम पुत्र काजूराम	,,	

1	2	3	4
1000.	श्री किशनलाल पुत्र लखाराम	मोहल्ला पाबूबारी बाहर	
1001.	,, राऊराम पुत्र बुधाराम	,,	
1002.	,, मोडाराम पुत्र कोजूराम	,,	
1003.	,, टीकूराम पुत्र मनसूखराम	,,	
1004.	,, रुपाराम पुत्र शंभूराम	,,	
1005.	,, थानाराम पुत्र बदराम	,,	
1006.	,, रुपाराम पुत्र घुड़ाराम	,,	
1007.	,, मोड़ाराम पुत्र दुजर्गाराम	,,	
1008.	,, भंवरलाल पुत्र मोतीराम	,,	
1009.	श्रीमती गोगा पत्नी हीराराम	,,	
1010.	श्री घनाराम पुत्र मोतीराम	,,	
1011.	,, चोखाराम पुत्र नत्थूराम	,,	
1012.	श्रीमती भीखी पत्नी तेजाराम	,,	
1013.	श्री जगाराम पुत्र गणपतराम	अमरसिंहपुरा	
1014.	,, कालूराम पुत्र गणपतराम	,,	
1015.	श्रीमती रुकमा पत्नी नाखूराम	,,	
1016.	श्री सुरजाराम पुत्र हाजीराम	,,	
1017.	,, मघाराम पुत्र मोतीराम	,,	
1018.	,, पन्नाराम पुत्र जीयाराम	,,	
1019.	,, तेजाराम पुत्र गणेशाराम	,,	
1020.	,, लीखमाराम पुत्र मोतीराम	,,	
1021.	श्री लोघुराम पुत्र उदाराम	,,	
1022.	श्रीमती जेता पत्नी मूलचन्द	,,	
1023.	,, सूजी पत्नी जयराम	,,	
1024.	श्री मोहन पुत्र मघाराम	,,	
1025.	श्रीमती चौथी पत्नी गणेशाराम	,,	
1026.	श्री मोड़ाराम पुत्र बनाराम	,,	
1027.	,, गोविन्दराम पुत्र भीखाराम	,,	
1028.	श्रीमती जेता पत्नी हमीराराम	,,	
1029.	,, केसर पुत्री सुरजाराम	,,	
1030.	,, चम्पा पत्नी मोडाराम	,,	
1031.	श्री मूलाराम पुत्र गोविन्दराम	,,	
1032.	,, रामदेव पुत्र उदाराम	,,	
033.	श्रीमती जेथी पत्नी गणेशाराम	,,	
34.	श्री दोलाराम पुत्र रेवतराम	,,	

1	2	3	4
1035.	श्रीमती रुकमा पत्नी हुस्ताराम	अमरसिंह पुरा	
1036.	श्री बक्साराम पुत्र रावतराम	,,	
1037.	श्री फूसाराम पुत्र तिलकाराम	,,	
1038.	श्रीमती भामी पत्नी भीखाराम	,,	
1039	,, सोदारा पत्नी चुन्नीलाल	,,	
1040.	श्री श्रवणकुमार पुत्र आसूराम	,,	
104'.	श्रीमती जीया पत्नी सुखराम	,,	
1042.	श्री मघाराम पुत्र किशनाराम	,,	
1043.	श्रीमती बालू पत्नी सुरजाराम	,,	
1044.	श्री मंगतूराम पुत्र मोडाराम	,,	
1045.	श्रीमती चांदा पत्नी मोडाराम	,,	
1046.	श्री भूराराम पुत्र लालूराम	,,	
1047.	,, भूराराम पुत्र रुपेसराम	,,	
1048,	,, अन्नराम पुत्र ईश्वरराम	,,	
1049.	,, जालूराम पुत्र करणराम	,,	
1050.	,, भंवरलाल पुत्र मोडाराम	,,	
1051.	,, पन्नाराम पुत्र बक्ताराम	,,	
1052.	,, कालूराम पुत्र शिवराम	,,	
1053.	,, मोडाराम पुत्र रावतराम	,,	
1054.	,, नत्थूराम पुत्र अन्नाराम	,,	
1055.	,, सूरजाराम पुत्र गणेशाराम	,,	
1056.	,, करणीदान पुत्र आईदान	,,	
1057.	,, राम पुत्र शिवलाल	,,	
1058.	,, मंगलाराम पुत्र सुखाराम	,,	
1059.	,, रावतराम पुत्र सुराराम	,,	
1060.	,, धूडाराम पुत्र गिरधारीराम	,	
1061.	,, शंकरलाल पुत्र चून्नीराम	,,	
1062.	,, रामअन पुत्र नत्थूराम	,,	
1063.	,, बुलाकी पुत्र चोमाराम	,,	
1064.	,, मलारा पुत्र चिम्नाराम	,,	
1065.	,, चेतनराम पुत्र चुन्नीराम	,,	
1066.	,, रामकिशन पुत्र वीरभान	,,	
1067.	,, वरलाल पुत्र फुसाराम	,,	
1068.	,, शेराराम पुत्र अकुड़ाराम	,,	
1069.	श्रीमती रामी पत्नी बालूराम	,,	

1	2	3	4
1070.	श्री भैराराम पुत्र वालूराम	अमरसिंहपुरा	
1071.	,, जोगीराम पुत्र गंगाराम	,,	
1072.	,, विशनाराम पुत्र गंगाराम	,,	
1073.	,, भंवराराम पुत्र हेमाराम	,,	
1074.	श्रीमती गवरादेवी पत्नी चुन्नीलाल	,,	
1075.	श्री मघाराम, टीकूराम पुत्र अन्नाराम	,,	
1076.	श्रीमती जमनादेवी पत्नि तुलाराम	,,	
1077.	श्री छोटूराम पुत्र हेमाराम	,,	
1078.	श्रीमती रुवा, देवा पत्नी हुक्ताराम	,,	
1079.	श्री देवाराम पुत्र सुरजाराम	,,	
1080.	,, रामलाल पुत्र दुलाराम	,,	
1081.	श्रीमती मीराम देवी पत्नी समेराराम	गंगाशहर रोड नायकान	
1082.	,, आशाख देवी पत्नी मालाराम	,,	
1083.	,, पेमादेवी पत्नी अकडुराम	,,	
1084.	श्री मोडाराम पुत्र मालाराम	,,	
1085.	,, मोती पुत्र छोगा	,,	
1086.	,, गोविन्दराम पुत्र उदाराम	,,	
1087.	,, ताहराम पुत्र ईश्वरराम	,,	
1088.	,, भंवरलाल पुत्र जागीराम	,,	
1089.	,, कालूराम पुत्र अर्जुनराम	,,	
1090.	,, जोगीराम पुत्र छेलाराम	,,	
1091.	,, रुपाराम पुत्र शेराराम	,,	
1092.	,, ताहराम पुत्र देवाराम	,,	
1093.	,, उदाराम पुत्र मूनाराम	,,	
1094.	,, दूलाराम पुत्र ईश्वरराम	,,	
1095.	श्रीमती सगोरी पत्नी मातीराम	,,	
1096.	श्री लताराम पुत्र धन्नाराम	,,	
1097.	,, किशनाराम पुत्र पोखरराम	,,	
1098.	,, उदाराम पुत्र छोटूराम	,,	
1099.	,, जागीराम पुत्र छोगाराम	,,	
1100.	,, दूडाराम पुत्र कालूराम	,,	
1101.	,, पोराराम पुत्र मालाराम	,,	
1102.	,, पोखरराम पुत्र हेमाराम	,,	
1103.	,, रुपाराम पुत्र कोडाराम	,,	
1104.	,, चन्दनाराम पुत्र भूराराम	,,	

1	2	3	4
1105.	श्री धन्नाराम पुत्र मूलाराम	गंगाशहर रोड नायकान	
1106.	श्रीमती गंगा पत्नी अगदराम	,,	
1107.	श्री परखाराम पुत्र शियाराम	,,	
1108.	श्रीमती बाला देवी रुपाराम	,,	
1109.	,, मोडाराम पुत्र पन्नाराम	,,	
1110.	श्रीमती तारादेवी पत्नी भोलाराम	,,	
1111.	श्री नत्थाराम पुत्र बाबूदान	,,	
1112.	श्रीमती सोना देवी पत्नी ममताराम	,,	
1113.	श्री गंगाराम पुत्र चुन्नीलाल	,,	
1114.	,, दीपाराम पुत्र चुन्नीलाल	,,	
1115.	,, गोमद पुत्र पूसाराम	गजनेर रोड	
1116.	,, ग्यारसराम पुत्र राऊराम	,,	
1117.	श्रीमती तीजा पत्नी जोगराम	,,	
1118.	श्री दूडाराम पुत्र जोगाराम	,,	
1119.	श्रीमती सुगनी पत्नी अकूडाराम	,,	
1120.	श्री रखवतराम पुत्र अकूडाराम	,,	
1121.	,, आगराम पुत्र पेमाराम	,,	
1122.	,, मोडाराम पुत्र पिलाराम	,,	
1123.	श्रीमती किशना पुत्री अकूडाराम	,,	
1124.	श्री भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप	,,	
1125.	,, अमीचन्द पुत्र मोहनलाल	,,	
1126.	,, तिलोकाराम पुत्र हनुताराम	,,	
1127.	,, रुपाराम पुत्र मंगलाराम	,,	
1128.	,, मंगाराम पुत्र मंगलाराम	,,	
1129.	,, आशाराम पुत्र हेमाराम	,,	
1130.	श्रीमती चूनी पत्नी दीनाराम	,,	
1131.	श्री मोहनलाल पुत्र अकूडाराम	,,	
1132.	,, लाघराम पुत्र कालूराम	,,	
1133.	,, रामूराम पुत्र जेठाराम	,,	
1134.	,, बूढाराम पुत्र चान्दाराम	,,	
1135.	,, धन्नो पुत्र छगनलाल	,,	
1136.	,, चतरुराम पुत्र रामसुख	,,	
1137.	श्रीमती सटीदेवी पत्नी पीरुराम	,,	
1138.	श्री कानाराम पुत्र रुपाराम	,,	
1139.	,, समताराम पुत्र लाभूराम	,,	

1	2	3	4
1140.	श्रीमती केसरी देवी पत्नी दानाराम	गजनेर रोड़	
1141.	श्री नवलाराम पुत्र छोगाराम	,,	
1142.	श्रीमती सरदारी पत्नी मोहनलाल	,,	
1143.	श्री मगतूराम पुत्र जेठाराम	,,	
1144.	,, दाम्माराम पुत्र हीराराम	,,	
1145.	श्रीमती तीजा देवी पत्नी रेवन्त	,,	
1146.	श्री दूलाराम पुत्र हीराराम	,,	
1147.	,, गोविन्द पुत्र धन्नाराम	,,	
1148.	,, कुम्भाराम पुत्र किसनाराम	,,	
1149.	,, खेताराम पुत्र दूधारी	,,	
1150.	,, रामचन्द्र पुत्र दूदाराम	,,	
1151.	श्रीमती धापी पत्नी डूंगरराम	,,	
1152.	श्री लालाराम पुत्र रुपाराम	,,	
1153.	,, माधु पुत्र रुपाराम	,,	
1154.	श्रीमती रम्मा पत्नी फकीराराम	,,	
1155.	श्री शम्भू पुत्र श्री चन्दूराम	छोटी गुवाड़	
1156.	,, छोटू पुत्र चन्दूराम	,,	
1157.	,, बख्तावर पुत्र चन्दूराम	,,	
1158.	,, जीवराम पुत्र चन्दूराम	,,	
1159.	,, विष्णुराम पुत्र हरिराम	,,	
1160.	,, बिल्लूराम पुत्र हरिराम	,,	
1161.	,, कजलूराम पुत्र चन्दूराम	,,	
1162.	,, सूरजा पुत्र चन्दूराम	,,	
1163.	,, सुखराज पुत्र चन्दूराम	,,	
1164	,, करणीदान पुत्र रामगोपाल	,,	
1165.	,, गुरुबक्स पुत्र फूसाराम	,,	
1166.	,, जीवराम पुत्र बोदूराम	,,	
1167.	,, गोरधन पुत्र कानूराम	,,	
1168.	,, शंकर पुत्र झूझरराम	,,	
1169.	,, नत्थू पुत्र कानाराम	,,	
1170.	,, मानी पुत्र	,,	
1171.	,, मन्दिर	,,	
1172.	,, भावू पुत्र सूखा	,,	
1173	,, ढूराराम पुत्र झाझाराम	,,	
1174.	,, बूढ़ा पुत्र जेठाराम	,,	

(243)

1	2	3	4
1175.	श्री काशीराम पुत्र रामदास	छोटी गुबाड़	
1176.	,, भंवर पुत्र किशन	,,	
1177.	,, मेघराज पुत्र किशना	,,	
1178.	,, भंवर पुत्र लादूराम	,,	
1179.	,, रामलाल पुत्र किशना	,,	
1180.	,, बिरधाराम पुत्र गिरधारी	,,	
1181.	,, द्वारकाराम पुत्र गिरधारी	,,	
1182.	,, गोरीशंकर पुत्र रामपाल	,,	
1183.	,, मालाराम पुत्र मालूराम	,,	
1184.	,, भंवर पुत्र रामपाल	,,	
1185.	,, परसाराम पुत्र परतु	,,	
1186.	,, बीजाराम पुत्र बक्साराम	,,	
1187.	,, जगदीश पुत्र बाबूलाल	,,	
1188.	,, मगतू पुत्र जोगाराम	,,	
1189.	,, सोहन पुत्र जगन्नाथ	,,	
1190.	,, सतू पुत्र जोगाराम	,,	
1191.	,, रामदेव पुत्र बन्शी	,,	
1192.	,, बाबूलाल पुत्र मोहन	,,	
1193.	,, बुदेदा पुत्र हनुमान	,,	
1194.	,, मगना पुत्र धरमा	,,	
1195.	,, सुखदेव पुत्र बक्सरीराम	,,	
1196.	,, चेतनराम पुत्र केशु	,,	
1197.	,, रामचन्द्र पुत्र मगतू	,,	
1198.	,, शंकर पुत्र मूली	,,	
1199.	,, बिजो पुत्र लाधूराम	,,	
1200.	,, मनभर पुत्र सोहन	,,	
1201.	,, श्रीराम पुत्र सूरज	,,	
1202.	,, गरीबदास पुत्र मोजूदास	,,	
1203.	,, पूनमचन्द पुत्र मूलचन्द	,,	
1204.	,, भखाराम पुत्र मूलदास	,,	
1205.	,, बाबूलाल पुत्र पूसाराम	,,	
1206.	,, अकूडा पुत्र झूमर	,,	
1207.	,, श्रवण पुत्र देवदास	,,	
1208.	,, सुखदेव पुत्र मोहनदास	,,	
1209.	,, भागूलाल पुत्र सरदाराराम	,,	

2444

1	2	3	4
1210	श्री झूमर पुत्र भवर	छोटी गुवाड़	
1211	,, बुद्या पुत्र पीरदास	,,	
1212	,, गोपाल पुत्र जावाराराम	,,	
1213	,, पुनाराम पुत्र धन्नाराम	,,	
1214	,, महावीर पुत्र श्री गोपाल	,,	
1215	,, गुरुवक्स पुत्र सुडाराम	,,	
1216	,, बाबुलाल पुत्र बद्री	,,	
1217	,, बद्री पुत्र गणेश	,,	
1218	,, भानुप्रताप पुत्र मोतीराम	,,	
1219	,, सीताराम पुत्र मूलदास	,,	
1220	,, चंपाराम पुत्र मूलदास	,,	
1221	,, बाबुलाल पुत्र टडीराम	,,	
1222	,, नत्थु पुत्र मोडाराम	,,	
1223	,, बिरजुराम पुत्र हिन्दूराम	,,	
1224	,, रामदेव पुत्र लादुराम	,,	
1225	,, प्रकाश	,,	
1226	,, गणेश पुत्र हनुमान	,,	
1227	,, गोरधन पुत्र हनुमान	,,	
1228	,, जगन्नाथ पुत्र सीताराम	,,	
1229	,, सेतुराम पुत्र दूधाराम	,,	
1230	,, रमनलाल पुत्र लालूराम	,,	
1231	श्रीमती विणा पत्नी शेषकरण	,,	
1232	श्री हनुमान पुत्र लिकमाराम	,,	
1233	,, रमनलाल पुत्र लादूराम	,,	
1234	,, मूलचन्द पुत्र सुगनदास	,	
1235	,, भेरुराम पुत्र भीखाराम	,,	
1236	,, गुरुवक्स पुत्र दूढाराम	,,	
1237	,, हरदेवा पुत्र गोदुराम	,,	
1238	,, पूनम पुत्र हरदेवा	,,	
1239	,, जस्सुराम पुत्र जेठाराम	,,	
1240	,, शंकर पुत्र देवदास	,,	
1241	,, नवरतन पुत्र जस्सूराम	,,	
1242	,, रामरख पिसरान लाधूराम	,,	
1243	,, गरीबदास पुत्र मोडाराम	,,	
1444	,, सतानन्द पुत्र रामरिख	,,	

248

1	2	3	4
1245	श्री गोविन्द पुत्र रामू	छोटी गुवाड़	
1246	,, गोपाल पुत्र जंवाराराम	,,	
1247	,, प्रहलाद पुत्र रुपाराम	,,	
1248	,, प्रभु पुत्र भागूराम	,,	
1249	श्रीमती गंगाबाई पत्नी भीमराम	,,	
1250	श्री बजाराम पुत्र ढुकना	,,	
1251	,, अकुडा पुत्र टींपूराम	,,	
1252	,, भवर पुत्र मोडा	,,	
1253	,, राधुराम पुत्र भैराराम	,,	
1254	,, भंवर पुत्र भैरा	,,	
1255	,, गजाराम पुत्र भैराराम	,,	
1256	,, मोडाराम पुत्र परमा	,,	
1257	,, टीकू पुत्र मोहन	,,	
1258	,, मांगीलाल गणपत	,,	
1259	,, सीताराम पुत्र मंगतु	,,	
1260	,, बाबुलाल	,,	
1261	,, मगन पुत्र हुस्नाराम	,,	
1262	,, मकूवन, मोहन पिसरान मालू	,,	
1263	,, भंवरलाल पुत्र मानुराम	,,	
1264	,, नारायण पुत्र पुसा	,,	
1265	,, सोहनलाल पुत्र नत्थू	,,	
1266	,, हीराराम	,,	
1267	,, हुन्साराम पुत्र सालूराम	,,	
1268	,, किशनलाल पुत्र माताराम	,,	
1269	,, रतनराम पुत्र प्रभुराम	,,	
1270	,, रामचन्द्र पुत्र भानुराम	,,	
1271	,, चानराम पुत्र खोताराम	,,	
1272	,, बिल्लुराम पुत्र हीराराम	,,	
1273	,, नाथू पुत्र कानाराम	,,	
1274	,, भंवर पुत्र किसनाराम	,,	
1275	,, बीजाराम पुत्र बक्साराम	,,	
1276	,, मगना पुत्र धरमा	,,	
1277	,, मुलचन्द पुत्र सुगनदास	,,	
1278	,, मगन हुस्ताराम	,,	
1279	,, बिजा पुत्र लादूराम	,,	
1280	,, जस्सूराम पुत्र जेठाराम	,,	

उन व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें नगर परिषद्, बीकानेर द्वारा नाजायज कब्जे हटाने के नोटिस दिये गये ।

क. सं.	व्यक्ति का नाम व पता
1	2

1. श्री बजरंगपुरी, मोहल्ला छीपान, बीकानेर।
2. ,, रामगोपाल, मोहल्ला जस्सूसरगेट, के अन्दर, बीकानेर।
3. ,, मोहनलाल, मोहल्ला ईदगाह बारी के अन्दर, बीकानेर ।
4. ,, दुर्गादास सोनार, मोहल्ला ईदगाह बारी के अन्दर, बीकानेर।
5. ,, ईश्वरदास, मोहल्ला ईदगाह बारी के अन्दर, बीकानेर।
6. ,, वदमल मिश्रा, मोहल्ला ईदगाह बारी के अन्दर, बीकानेर।
7. ,, जगन्नाथ व्यास, मोहल्ला ईदगाह बारी के अन्दर, बीकानेर।
8. ,, घनश्याम आचार्य, मोहल्ला मोचियान, बीकानेर ।
9. ,, भंवरलाल मोदी, मोहल्ला कुचीलपुरा, बीकानेर।
10. श्रीमती हसकी मोहल्ला, पाबूबारी के अन्दर, बीकानेर ।
11. श्री नत्थू हरिजन, मोहल्ला नत्थूसर बास, बीकानेर ।
12. ,, ओंकारसिंह, मोहल्ला हनुमान हत्था, बीकानेर ।
13. ,, तोलाराम नाई, मोहल्ला तोलियासर भैरूजी के मन्दिर के पास, बीकानेर ।
14. ,, कानसिंह, मोहल्ला पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर ।
15 ,, नन्दलाल, मोहल्ला ठठारान, बीकानेर ।
16. ,, लादूराम जाट, मोहल्ला पाबूबारी के अन्दर, बीकानेर ।
17. ,, गोपाल पण्ड्या, मोहल्ला, पाबूबारी के अन्दर, बीकानेर।
18. ,, सफीमोहम्मद, मोहल्ला कोली भगतान, बीकानेर।
19. ,, मदनलाल, मोहल्ला नथानिमा की पोल, बीकानेर ।
20. ,, चम्पालाल भंवरलाल, कोटगेट के अन्दर, बीकानेर।
21. ,, हनुमानसिंह, मोहल्ला कुचीलपुरा, बीकानेर ।
22. ,, महेशकुमार, मोहल्ला, लालगढ़ प्लेस के पास, बीकानेर।
23. ,, भंवरलाल अरोड़ा, मोहल्ला पड़ बाजार, बीकानेर ।
24. ,, भरतप्रकाश माली, के. ई. एम. रोड, बीकानेर ।
25. ,, निजामुदीन, मोहल्ला, लक्ष्मीनाथजी की घाटी, बीकानेर।
26. ,, मोतीलाल, वार्ड नं. 2, बीकानेर ।
27 ,, सुभाषचन्द, मोहल्ला, कुचीलपुरा, बीकानेर।
28. ,, जगन्नाथ खत्री,, जस्सूसर रोड, बीकानेर।
29. ,, भंवरलाल मोहल्ला, धावड़िया, बीकानेर ।
30. ,, रमजान मिस्त्री, मोहल्ला, सिक्कान, बीकानेर ।

1	2
31.	श्री गुलाम मोहल्ला तेलीवाड़ा, बीकानेर।
32.	,, कमालदीन, वार्ड नं. 21, बीकानेर।
33.	,, देवाराम, वार्ड नं. 21, बीकानेर।
34.	,, लालमोहम्मद, मोहल्ला फडबाजार, बीकानेर।
35.	,, गिरधारी, मोहल्ला अमरसिंहपुरा, बीकानेर।
36.	,, कालूखां, मोहल्ला अमरसिंहपुरा, बीकानेर।
37.	,, मोहम्मद इकबाल, मोहल्ला अमरसिंहपुरा, बीकानेर।
38.	,, दुर्गाराम, मोहल्ला, नया शहर, बीकानेर।
39.	,, शंकरलाल व्यास, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर।
40	श्रीमती दुर्गादेवी मोहल्ला ठंठारान, बीकानेर।
41.	श्री सत्यनारायण माडक, मोहल्ला जस्सूसर दरवाजे के बाहर, बीकानेर।
42.	,, लक्ष्मीचन्द सोनी, मोहल्ला आचार्य, बीकानेर।
43.	,, गिरधारीलाल पारख, मोहल्ला रामगेट के पास, बीकानेर।
44.	,, पंचायत दमामियान आलमखाना, शीतला रामगेट के पास, बीकानेर।
45.	,, देवीकिशन, पावर हाउस के पास, बीकानेर।
46.	,, जेसाराम सुथार, मोहल्ला पाबूबारी के अन्दर, बीकानेर।
47.	,, रमजान सिपाही, मोहल्ला डिडू सिपाहियान, बीकानेर।
48.	,, किशोरीवल्लभ गोस्वामी, मोहल्ला गोस्वामी चौक, बीकानेर।
49.	,, गोपीवल्लभ गोस्वामी, मोहल्ला गोस्वामी चौक, बीकानेर।
50.	,, गफूरखां, मोहल्ला सिपाहियान, बीकानेर।

अनधिकृत कब्जों को नियमित किये गये कब्जों की सूची

क्रम०सं०	व्यक्ति का नाम एवं पता
1	2
1.	श्री फैज मोहम्मद, मोहल्ला महावतान, बीकानेर।
2.	,, भीखाराम चौधरी, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर।
3.	,, दाऊराम सुथार, मोहल्ला बेनीसर बारी, बीकानेर।
4.	,, मोहनलाल, मोहल्ला बेनीसर बारी, बीकानेर।
5.	,, देवकिशन सेवग, मोहल्ला बेनीसर बारी बीकानेर
6.	,, कानाराम चौधरी, मोहल्ला बेनीसर, बीकानेर।
7	श्रीमती लक्ष्मीदेवी, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर।
8.	,, सरस्वती देवी, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर।

1	2
9.	श्री बंशीलाल स्वामी, मोहल्ला जस्सुसर गेट के अन्दर, बीकानेर।
10.	श्रीमती मिरकी देवी, मोहल्ला उस्तों की बारी, बीकानेर।
11.	श्री लक्ष्मीनारायण, मोहल्ला ईदगाह बारी, बीकानेर।
12.	,, गिरधर लाल पारीक, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर।
13.	,, मोहम्मद खां मोहल्ला जगमण कुआ, बीकानेर।
14.	,, अयुब अली, मोहल्ला मदीना मस्जिद के पास, बीकानेर।
15.	,, हाजी मोहम्मद, मोहल्ला डीडू सिपाहियान बीकानेर।
16.	,, मोहम्मद सफी, मोहल्ला सिटी कोतवाली, बीकानेर।
17.	श्रीमती शान्ती देवी, मोहल्ला रामगेट के पास, बीकानेर।
18.	श्री मोहम्मद फारुक, रामगेट के पास, बीकानेर।
19.	,, शंकरलाल माली, मोहल्ला छीपान, बीकानेर।
20.	श्रीमती राधा देवी, मोहल्ला रघनाथसर, बीकानेर।
21.	श्री भंवरलाल धोबी, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर।

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 542 की सूची

1976 में नियोजित एवं चालू रजिस्टर पर उपलब्ध अनुसूचित जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	नियोजित आशार्थी			चालू रजिस्टर पर उपलब्ध		
		साक्षर	हा. सैकण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट	साक्षर	हा. सैकण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट
1		2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	84	18	—	2414	482	—
2.	अलवर	27	20	—	1159	312	—
3.	बांसवाड़ा	15	11		157	9	—
4.	बाड़मेर	56	1	—	493	1	—
5.	भरतपुर	13	21	—	879	313	—
6.	भीलवाड़ा	18	8	—	836	91	—
7.	बीकानेर	23	9	—	766	70	—
8.	बून्दी	38	2	—	213	74	—
9.	चित्तौड़गढ़	75	14	—	556	55	—
10.	चूरू	43	5	—	336	18	—
11.	डूंगरपुर	15	6	—	131	2	—
12.	जयपुर	179	39	—	3985	375	—
13.	जैसलमेर	33	2	—	123	13	—
14.	जालौर	52	20	—	325	35	—
15.	झालावाड़	35	9	—	263	63	—
16.	झुन्झुनूं	112	26	—	2231	291	—
17.	जोधपुर	133	14	—	2987	177	—
18.	कोटा	112	55	—	1943	168	—
19.	नागौर	43	9	—	162	92	—
20.	पाली	49	20	—	693	148	—
21.	सवाई माधोपुर	23	6	—	520	211	—
22	सीकर	34	—	—	502	242	—
23.	सिरोही	99	22	—	551	63	—
24.	श्री गंगानगर	83	15	—	401	37	—

1	2	3	4	5	6	7	8
25	टोंक	169	4	—	798	104	—
26.	उदयपुर	110	16	—	2067	55	—
26.	व्यावसायिक एवं प्रशासनिक अनुभाग, जयपुर	—	—	4	—	—	318
28.	विशेष नियोजन कार्यालय विकलांग, जयपुर	—	—	—	12	2	—
	योग	1673	372	4	25501	3483	318

वर्ष 1977 में नियोजित एवं चालू रजिस्टर पर उपलब्ध अनुसूचित जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	नियोजित आशार्थी			चालू रजिस्टर पर उपलब्ध		
		साक्षर	हा० सैकण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट	साक्षर	हा० सैकण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	85	4	—	2075	437	—
2.	अलवर	35	10	—	1264	354	—
3.	बांसवाड़ा	20	11	—	234	14	—
4.	बाड़मेर	68	7	—	350	36	—
5.	भरतपुर	17	1	—	1034	200	—
6.	भीलवाड़ा	69	20	—	921	101	—
7.	बीकानेर	46	15	—	712	58	—
8.	बून्दी	33	7	—	186	56	—
9.	चित्तौड़गढ़	50	7	—	512	50	—
10.	चूरू	28	3	—	277	84	—
11.	डूंगरपुर	23		—	156	14	—
12.	जयपुर	150	14	—	4176	82	—
13.	जैसलमेर	32	5	—	184	16	—

251

1	2	3	4	5	6	7	8
14	जालौर	33	15	—	356	24	—
15.	झालावाड़	24	5	—	268	61	—
16.	झुन्झुनू	151	5	—	1503	248	—
17.	जोधपुर	167	12		2368	221	—
18.	कोटा	61	15	—	2369	521	—
19.	नागौर	62	23	—	214	39	—
20.	पाली	6	8	—	874	227	—
21.	सवाई माधोपुर	5	9	—	362	192	—
22.	सीकर	39	9	—	491	176	—
23.	सिरोही	76	23	—	479	62	—
24.	श्री गंगानगर	116	18	—	515	90	—
25.	टोंक	196	8	—	903	98	—
26.	उदयपुर	176	10	—	2211	115	—
27.	व्यावसायिक एवं प्रशासनिक अनुभाग, जयपुर	—	—	—	—	—	354
28.	विशेष नियोजन कार्यालय, जयपुर	+(1)	-	--	19	5	—
	योग—	1769	264	—	24964	3207	354

वर्ष 1978 में नियोजित एवं चालू रजिस्टर पर उपलब्ध अनुसूचित जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	नियोजित आशार्थी			चालू रजिस्टर पर उपलब्ध		
		साक्षर	हा. सैकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट	साक्षर	हा. सैकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	74	16	—	2472	651	—
2.	अलवर	66	18	—	1472	345	—
3.	बांसवाड़ा	39	14	—	329	24	—
4.	बाड़मेर	111	10	—	588	32	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	भरतपुर ..	43	5	—	1007	295	—
6.	भीलवाड़ा	63	39	—	994	113	—
7.	बीकानेर	61	17	—	740	79	—
8.	बून्दी	31	8	—	317	65	—
9.	चित्तौडगढ़	48	27	—	572	64	—
10.	चूरू	33	3	—	158	103	—
11.	डूंगरपुर	38	5	—	139	20	—
12.	जयपुर	127	7	—	4995	224	—
13.	जैसलमेर	26	2	—	200	14	—
14.	जालौर	43	7	—	441	33	—
15.	झालावाड़	9	14	—	429	90	—
16.	झुन्झुनू	106	18	—	1769	302	—
17.	जोधपुर	275	18	—	2582	144	—
18.	कोटा	176	71	—	2904	234	—
19.	नागौर	26	15	—	349	43	—
20.	पाली	68	11	—	1023	184	—
21.	सवाई माधोपुर	42	5	—	491	111	—
22.	सीकर	63	30	—	622	195	—
23.	सिरोही	91	17	—	655	53	—
24.	श्री गंगानगर	105	38	—	508	60	—
25.	टौंक	53	21	—	864	132	—
26.	उदयपुर	141	39	—	2869	176	—
27.	व्यावसायिक एवं प्रशा. अनुभाग, जयपुर	—	—	—	—	—	325
28.	विशेष नियोजन कार्यालय विकलांग, जयपुर	1	—	—	26	8	—
	योग—	1959	475	—	29495	3794	325

परिशिष्ट "च"

वर्ष 1976 में नियोजित एवं चालू रजिस्टर पर उपलब्ध अनुसूचित जन जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	नियोजित आशार्थी			चालू रजि. पर उपलब्ध		
		साक्षर	हा. सैकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट	साक्षर	हा. सैकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	2	2	—	54	5	—
2.	अलवर	37	20	—	439	133	—
3.	बांसवाड़ा	44	55	—	635	115	—
4.	बाड़मेर	9	4	—	36	2	—
5.	भरतपुर	11	8	—	22	61	—
6.	भीलवाड़ा	7	5	—	138	19	—
7.	बीकानेर	5	1	—	13	—	—
8.	बून्दी	20	8	—	94	57	—
9.	चित्तौड़गढ़	18	7	—	135	14	—
10.	चूरू	21	1	—	9	3	—
11.	डूंगरपुर	48	23	—	978	83	—
12.	जयपुर	68	23	—	743	288	—
13.	जैसलमेर	19	—	—	162	—	—
14.	जालौर	28	4	—	47	3	—
15.	झालावाड़	22	6	—	71	53	—
16.	झुंझुनू	79	1	—	521	36	—
17.	जोधपुर	88	2	—	316	4	—
18.	कोटा	37	42	—	329	83	—
19.	नागौर	13	—	—	3	1	—
20.	पाली	18	—	—	100	12	—
21.	सवाई माधोपुर	4	4	—	175	227	—
22.	सीकर	4	—	—	108	49	—
23.	सिरोही	71	9	—	300	11	—
24.	श्री गंगानगर	17	2	—	16	3	—
25.	टोंक	38	3	—	117	48	—
26.	उदयपुर	84	8	—	3813	37	—

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	व्यावसायिक एवं प्रशा. अनुभाग, जयपुर	—	—	5	—	—	219
28.	विशेष नियो. कार्यालय विकलांग, जयपुर	5	1	—	5	4	—
	योग—	792	247	5	9319	1352	219

वर्ष 1977 में नियोजित एवं चालू रजिस्टर पर उपलब्ध अनुसूचित जन जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची।

क्र. सं.	जिले का नाम	नियोजित आशार्थी			चालू रजिस्टर पर उपलब्ध		
		साक्षर	हा. सैकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट	साक्षर	हा. सैकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	21	2	—	54	12	—
2.	अलवर	27	7	—	300	208	—
3.	बांसवाड़ा	22	16	—	588	178	—
4.	बाड़मेर	3	4	—	27	—	—
5.	भरतपुर	4	1	—	164	30	—
6.	भीलवाड़ा	13	10	—	297	28	—
7.	बीकानेर	6	2	—	27	8	—
8.	बून्दी	11	1	—	101	55	—
9.	चित्तौड़गढ़	24	8	—	126	26	—
10.	चूरू	5	—	—	—	4	—
11.	डूंगरपुर	54	21	—	1197	225	—
12.	जयपुर	34	14	—	559	41	—
13.	जैसलमेर	10	—	—	65	1	—
14.	जालौर	8	2	—	44	3	—
15.	झालावाड़	10	7	—	119	37	—
16.	झुन्झुनू	58	5	—	353	29	—
17.	जोधपुर	34	—	—	151	4	—
18.	कोटा	26	13	—	497	105	—

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागौर	9	1	—	4	4	—
20.	पाली	5	3	—	120	19	—
21.	सवाई माधोपुर	10	5	—	160	140	—
22.	सीकर	26	4	—	107	34	—
23.	सिरोही	49	8	—	220	8	—
24.	श्री गंगानगर	28	3	—	38	14	—
25.	टौंक	35	3	—	128	42	—
26.	उदयपुर	65	10	—	4577	65	—
27.	व्यावसायिक एवं प्रशा. अनुभाग, जयपुर	—	—	1	—	—	263
28.	विशेष नियो. कार्यालय, विकलांग, जयपुर	—	—	—	10	4	—
	योग—	597	150	1	10034	1324	263

वर्ष 1978 में नियोजित एवं चालू रजिस्टर पर उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची

क. सं.	जिले का नाम	नियोजित आशार्थी			चालू रजि॰ पर उपलब्ध		
		साक्षर	हायर सेकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट	साक्षर	हायर सेकेण्डरी	पोस्ट ग्रेजुएट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	14	5	—	53	28	—
2.	अलवर	18	11	—	371	204	—
3.	बांसवाड़ा	58	104	—	920	142	—
4.	बाडमेर	31	3	—	132	2	—
5.	भीलवाड़ा	48	10	—	271	30	—
6.	भरतपुर	3	1	—	155	30	—
7.	बीकानेर	24	2	—	18	14	—
8.	बून्दी	14	6	—	181	45	—
9.	चित्तौड़गढ़	17	14		181	40	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	चूरू	5	—	—	3	3	—
11.	डूंगरपुर	144	10	—	1134	150	—
12.	जयपुर	97	4	—	1060	77	—
13	जैसलमेर	5	1	—	42	3	—
14.	जालोर	10	1	—	67	7	—
15.	झालावाड़	10	6	—	149	47	—
16.	झुन्झुनूं	41	10	—	388	37	-
17.	जोधपुर	32	6	—	214	9	—
18.	कोटा	96	22	—	536	136	—
19.	नागौर	3	2	—	8	4	—
20.	पाली	66	7	—	230	5	—
21.	सवाई माधोपुर	31	5	—	41	151	—
22.	सीकर	11	10	—	142	36	—
23.	सिरोही	31	5	—	247	8	—
24.	श्रीगंगानगर	24	1	—	41	12	—
25.	टौंक	9	6	—	117	62	—
26.	उदयपुर	81	20	—	5526	96	- -
27.	व्यावसायिक एवं प्रशा० अनुभाग, जयपुर	—	—	—	—	—	264
28.	विशेष नियो० कार्यालय विकलांग, जयपुर	—	—	—	11	2	—
	योग—	883	272	—	12238	1368	264

257

परिशिष्ट—10

तारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची

परिशिष्ट—"क"

कृषि भूमि का विवरण जो भूतपूर्व जयपुर महाराजा एवं उनके परिवार के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी।

नाम तहसील	नाम ग्राम	कुल क्षेत्रफल बीघा बिस्वा	अधिग्रहण किया गया क्षेत्रफल	सद्भावी स्थानान्तरण मानकर अधिग्रहण से मुक्त की गयी भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
भूतपूर्व महाराजा जयपुर :				
जयपुर	शाल्यावास	2 – 19	2 – 19	
	खातीपुरा	25 – 12	25 – 12	—
बीड	"	1240 – 10	1240 – 10	—
	भोजपुरा	420 – 10	409 – 10	11 – 0
	भवानीशंकरपुरा	179 – 08	— –	179 – 08
	प्रेमपुरा	12 – 17	12 – 17	— –
बस्सी	बडवा	1907 – 16	1087 – 05	820 – 11
	पडासौली	679 – 09	— –	679 – 09
दौसा	दौसा (रानी का बाड)	515 – 12	– –	515 – 12
	भन्डाना	764 – 12	14 – 12	750 – 00
आमेर	आमेर	917 – 01	160 – 00	757 – 01
	किशनपुरा उर्फ लालवास	542 – 19	— –	542 – 19
ज. रामगढ़	ज. रामगढ़	39 – 08	39 – 08	—
	जमनाघाट	22 – 03	22 – 03	—
	भोपालगढ़	3683 – 12	3683 – 12	—
	घाटी घनश्यामपुरा	1029 – 01	1029 – 01	—
	विट्ठलपुरा	1398 – 17	1398 – 17	—
	सुरेठी	155 – 19	155 – 19	—

1	2	3	4	5
महाराज कुमार गार्डन भोजपुरा				
जयपुर	भोजपुरा	72–05	72–05	—
फार्म भूतपूर्व महारानी गायत्री देवी				
सांगानेर	जालानाजोड़	416–09	——	416–19
योग—		14026–19	9354–10	4672–09